लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation
Parliament
14-10-92
2

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. ......51(P)(2).
Date ..... 7 . X . 79.....

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 32, बुधवार, 4 अप्रैल, 1979/14 चैत्र, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	617, 618, 620, 621, 623 और 624.	2—21
अल्प सूचना प्रश्न संख्या :	2	21—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	616, 619, 622 और 625 से 637.	28—39
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6001, 6002, 6004 से 6033, 6035 से 6055, 6057 से 6126, 6129 से 6160, 6162 से 6177 और 6179 से 6200.	39—185
सभा पटल पर रखे गये पत्र :		185—187
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :		187—200
विभिन्न औद्योगिक एककों को भट्टी तेल की सप्लाई संबंधी चिन्ताजनक स्थिति तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने तथा महंगे दामों पर बिकने का समाचार :		187—189
श्री रामानन्द तिवारी		189—190
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा		190—192
श्री एस० आर० दामाणी		192—195
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी		195—198
डा० वसन्त कुमार पंडित		198—200
लोक लेखा समिति :		200
118वां तथा 123वां प्रतिवेदन		

*किसी माम पर अंकित यह चिह्न * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति : 18वां तथा 19वां प्रतिवेदन	200
अनुदानों की मांगें, 7979-80 :	200—256
गृह मन्त्रालय	201
श्री मनोरंजन भक्त	201—202
श्री श्रीकृष्ण सिंह	202—207
श्री धनिक लाल मण्डल	207—212
श्री एम. एन. गोविन्दन नायर	212—215
श्री पूर्णनारायण सिन्हा	215—219
श्री के. एस. नारायण	219—221
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	221—225
श्रीमती मोहसिना किदबई	225—229
श्री हरि विष्णु कामत	229—233
श्री ए० अशोक राज	234—235
श्री अशोक कृष्ण दत्त	235—241
श्रीमती अकबर जहां बेगम	241—244
श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी	244—247
श्री ए. वी. पी. असाइथाम्बी	247—250
श्री टी. एस. शृंगारे	250—253
श्री एच. एम. पटेल	253—256
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :	256—268
बृहत कलकत्ता में विद्युत संदाय की बिगड़ती हुई स्थिति का समाचार	257
प्रो० समर गुह	257—262
श्री पी० राम चन्द्रन	262—264
श्री ज्योतिर्मय बसु	264—268

लोक सभा

—

बुधवार 4 अप्रैल, 1979/14 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 616।

श्री सौगत राय (बैकरपुर) : इससे पहले कि प्रश्नों को लिया जाय, मैं यह बताना चाहता हूं कि भुट्टो को फांसी लगा दी गई है···

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमें यह जानकारी मिली है कि आज सुबह ही भुट्टो की मृत्यु हो गई है···(व्यवधान)

श्री सौगत राय : इन्सानियत के नाते हमें निधन सम्बन्धी उल्लेख करना चाहिये··· (व्यवधान)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जब लोकतन्त्र का इस प्रकार हनन किया जा रहा है तो हम भी मूक दर्शक बने केवल अनुपूरक प्रश्न ही नहीं पूछते रहेंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमें यह समाचार मिला है कि श्री भुट्टो की फांसी लगने के कारण दम घुटने से मृत्यु हो गई है। मैंने इस संबंध में आपको लिखा था क्योंकि सभा की यह परम्परा है जब भी किसी विशिष्ट व्यक्ति, जिसका इस उपमहाद्वीप में, कुछ स्थान होता है, की मृत्यु होती है तो निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है। देश भर में इस घटना के कारण उदासी छाई हुई है इसलिए मैंने आपको सुझाव दिया था कि अन्य मामलों की भांति इस मामले में भी निधन संबन्धी उल्लेख करने की अनुमति दी जाये, सभा के सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपनी भावनाओं को प्रगट करने का अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है लेकिन अभी तक कोई सरकारी खबर नहीं मिली है। हम बाद में इस पर विचार करेंगे।

श्री सौगत राय : आकाशवाणी द्वारा यह समाचार प्रसारित किया गया है कि श्री भुट्टो को फांसी लगने के कारण दम घुटने से मृत्यु हुई है। आप कम से कम इन्सानियत के नाते ही निधन सम्बन्धी उल्लेख करने दीजिए ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है उन्हें फांसी की सजा दी गई थी...(व्यवधान)

श्री के० गोपाल : यदि सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है तो आकाशवाणी द्वारा यह समाचार कैसे प्रसारित किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 616-सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हैं प्रश्न संख्या 617।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आदिवासी लोगों की भूमि का कम होना

***617. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग सभी राज्यों के, विशेषकर त्रिपुरा, बिहार, आसाम और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विभिन्न भागों में आदिवासी लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर और सब प्रकार से पिछड़े हुए होने के कारण तेजी से अपनी अच्छी भूमि से हाथ धो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच आदिवासियों को भूमि आबंटन के विभिन्न पहलुओं का गहराई से कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(घ) आदिवासी क्षेत्रों में भूमि के बढ़ते हुए अन्तरण पर रोक लगाने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं या किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार को मालूम है कि आदिवासी लोगों को कुछ मामलों में उनकी आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति और पिछड़ेपन के कारण प्राय: उनकी भूमियों से वंचित कर दिया जाता है। इसको रोकने के लिए देश में विभिन्न राज्य सरकारों विशेष रूप से त्रिपुरा, बिहार, असम और मध्य प्रदेश राज्यों ने आदिवासी भूमियों के अन्तरण के विरुद्ध निम्न कानून बनाए हैं :

1. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1974;
2. छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम;

संथाल परगना काश्तकारी (पूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1949; और अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969;

3. 1947 और 1964 में यथा संशोधित असम भूमि और राजस्व विनियम, 1886 के अधीन विनियम;

4. मध्य प्रदेश भूमि और राजस्व संहिता, 1959 के अधीन उपबन्ध।

इन कानूनों के अधीन आदिवासी लोगों से गैर-आदिवासी लोगों को भूमि हस्तांतरण, सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति से हस्तान्तरण को छोड़कर, पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप ऐसी भूमियों का अन्तरण काफी सीमा तक रोक दिया गया है।

फिर भी कुछ अवैध हस्तान्तरणों के होने की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस समस्या का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन किए गए हैं, उदाहरणार्थ ढेबर आयोग, शीलू आओं समिति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन। इन निकायों के निष्कर्षों में, आदिवासी भूमियां विशेषत: औद्योगिक और खनन कम्पलैक्स के चारों ओर के क्षेत्र, बढ़ते हुए शहरी केन्द्रों और गहन आर्थिक कार्यों के क्षेत्रों में, अवैध हस्तान्तरण होने की पुष्टि की गई है।

ऐसे अवैध हस्तांतरणों को रोकने के लिए विधायी कानूनों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गए हैं। ऐसे अनियमित हस्तांतरणों का पता लगाने और उनके शीघ्र सुधार के लिए राज्य सरकारों ने भी विशेष प्रशासनिक तंत्र बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

श्री चित्त बसु : विवरण काफी लम्बा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि इस समस्या के दो मुख्य पहलू हैं? एक तो यह कि क्या भूमि सरकार द्वारा ली गई है या प्राइवेट लोगों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक एकक बनाने के लिए खरीदी गई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है छोटा नागपुर में लगभग 6 लाख आदिवासियों से उनकी भूमि खाली कराई गई है। समस्या का एक अन्य पहलु भी है वह है आदिवासी भूमि का अवैध अन्तरण। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है या करने का विचार है। विवरण में कहा गया है कि बोकारो काम्प्लेक्स में 1.58 लाख कर्मचारी हैं उनमें से केवल 5000 कर्मचारी आदिवासी मूल के हैं। भूमि निस्सन्देह आदिवासियों से ली गई है। मेरा प्रश्न यह है कि जब सरकार किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के निर्माण के लिए आदिवासियों की भूमि अर्जित करती है तो क्या उनके पुनर्वास के लिए भी उसके पास कोई प्रस्ताव है। दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान कानून का उल्लंघन करके जो भूमि अवैध रूप से उनसे ले ली गई है उसे वापिस दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। जहां तक मुझे जानकारी है जो कानून इस सम्बन्ध में बनाए गए हैं उनमें काफी खामियां हैं। इन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है?

श्री धनिक लाल मण्डल : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है यह पूछा गया है कि जिन आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक समूह बनाए गए हैं वहां के आदिवासियों के लिए क्या किया गया है ? यह सच है कि सभी आदिवासियों को, जिन्हें कि विस्थापित किया गया है, उद्योग में नहीं लिया गया है लेकिन उनके विकास के लिए हाल ही में एक विशेष क्षेत्र योजना बनाई है और इसके अन्तर्गत जहां भी उद्योग समूह स्थापित किया गया है उसके आस-पास के 10 किलोमीटर क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए और सभी विस्थापितों का वहां पुनर्वास किया जाना चाहिए। हम यही कर रहे हैं। जहां तक उनकी भूमि के अवैध अन्तःकरण का सम्बन्ध है कानून के अनुसार गैर आदिवासियों को भूमि का अन्तरण नहीं किया जा सकता। हमने हाल ही में मामले की समीक्षा की है और राज्य सरकारों से कहा है कि वह इस दिशा में एक समय बद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित करें और आदिवासियों की भूमि उन्हें वापिस दिलाई जाए।

श्री चित्त बसु : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों के बीच बहुत असन्तोष व्याप्त है। साहापुर और बिहार तथा संथाल परगना के कुछ क्षेत्रों में कई जगह लाठी चार्ज हुआ है और गोलियां चलाई गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आदिवासियों में बढ़ते हुए असन्तोष को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्या पर गहराई से विचार करने तथा औपचारिक उपाय सुझाने हेतु क्या सरकार एक सर्व-दलीय संसदीय समिति की नियुक्ति करेगी ?

श्री धनिक लाल मण्डल : हाल ही में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में माननीय गृह मन्त्री ने कहा था कि वह इन मामलों की जांच करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न सामान्य है; लेकिन यहां केवल कुछ विशेष राज्यों का ही उल्लेख किया जा रहा है। इस बात को देखते हुए कि प्रश्न की शब्दावली सामान्य है···

श्री सौगत राय : उन्होंने विशिष्ट राज्यों के बारे में उल्लेख किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : खैर, इसे अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर छोड़िए।

इसमें कहा गया है "इन कानूनों के अधीन आदिवासी लोगों से गैर आदिवासी लोगों को भूमि हस्तांतरण, सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति से हस्तांतरण को छोड़कर, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।" मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि ऐसे स्थान में जहां कि केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है, उदाहरणार्थ सिक्किम के आदि-वासियों के सम्बन्ध में, यह विधान लागू नहीं होता ? भठिया और लिपिकास जो कि सिक्किम की आदिवासी जातियों में घोषित किए गए हैं, पर भी यह विधान लागू किया जाएगा। उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होगा ताकि उनकी भूमि अन्य लोगों द्वारा न खरीदी जा सके।

श्री धनिक लाल मण्डल : हम इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ऐसा कोई विधान ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है इसीलिए उन्होंमे कहा कि वह इसकी जांच करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं-नहीं उन्होंने यह नहीं कहा उन्होंने कहा है वह इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है प्रश्न विशिष्ट रूप से...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न विस्तृत है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है इसीलिए मैंने इसकी अनुमति दी और वह भी ठीक कह रहे हैं......

(व्यवधान)

डा० स्वामी : आपने ठीक प्रश्न किया है और मन्त्री महोदय भी ठीक कह रहे हैं कि इसका प्रश्न से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है इसलिए वह मामले की जांच करेंगे।

श्री ए० के० राय : छोटा नागपुर और संथाल परगना कोई अब अस्तित्व में नहीं आए वह अंग्रेजों के जमाने से हैं, उसके बाद आदिवासियों से काफी भूमि ले ली। आज उनकी भूमि केवल जमींदार ही नहीं ले रहे अपितु उद्योगपति और सरकार द्वारा भी ली जा रही है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 1969 में जब बिहार विधान सभा में यह मामला उठाया गया था तो यह निर्णय किया गया कि पिछले तीस वर्षों में हजारी बाग, सिंहभूम, रांची और पालामाऊ जैसे कुछ जिलों में कुल जितनी भूमि आदिवासियों से ली गई है उसे वापिस दिलाया जाए। लेकिन धनबाद गिरिडीह और कुछ अन्य स्थानों के लिए उक्त अवधि 12 वर्ष रखी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना अन्तर रखने के पीछे क्या तर्क है। आदिवासियों से गैर आदिवासियों को भूमि का हस्तांतरण अवैध है यह अधिनियम अंग्रेजों के जमाने में लागू किया गया। यह सब कैसे हुआ इसकी अवश्य जांच की जानी चाहिए थी। यह काम केन्द्र सरकार पर छोड़ा गया था और उसने यह जांच नहीं की।

आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि धनबाद के निकट न केवल औद्योगिक समूह बनाने के लिए उनकी भूमि ली गई अपितु एक छोटा बाजार बनाने के लिए भी उनकी भूमि ले ली गई। विश्व बैंक की सहायता से ई. सी. सी. एल. का मुख्यालय बनाने के लिए भूमि ली गई। इस संदर्भ में मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या सरकार कुछ ऐसे नियम बनाएगी कि आदिवासियों से कोई भूमि लेने से पहले राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से सहमति लेनी पड़े ताकि इस बात का पता चल जाए कि भूमि ली जा रही है और किस उद्देश्य हेतु ली जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह संविधान के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर सकते।

श्री धनिक लाल मण्डल : हमने इस बात पर बल दिया है कि जब भी आदिवासियों की भूमि किसी परियोजना हेतु ली जाए उन्हें उसके बदले में भूमि दी जाए अथवा महाराष्ट्र विकास अधिनियम के ढांचे पर उनके लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

(व्यवधान)

श्री राम देनी राम : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि आदिवासियों के जो डिसप्लेस्ड पर्सन्स हैं उनके लिए उन्होंने राज्य सरकारों को लिखा है, तो ये तीस वर्षों से लिखते चले आ रहे हैं लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। अभी 27 मार्च को बोकारो में डिसप्लेस्ड पर्सन्स के लड़के जो शिक्षित बेरोजगार थे उन्हें नौकरी देने के लिए बुलाया गया पलामू डाल्टनगंज एम्पलायमेन्ट एक्सचेंजेज से; लेकिन उनके जो नाम भेजे गए थे वह वहां पर छांट दिए गए। वे गरीब उम्मीदवार वहां जाकर वापिस हो गए। उनकी नौकरी के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने डिसप्लेस्ड पर्सन्स हैं जिनको बोकारो में नौकरी दी गई है ?

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय सदस्य पर्टिकुलर्स देंगे तो मैं जरूर इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री बीरेन एंगती : आसाम राज्य में, विशेषकर आसाम के दो स्वायत्तशासी जिलों में और आसाम के मैदानी जिले के आदिवासी क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण हो रहा है। यद्यपि यह कानून बना हुआ है कि आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती फिर भी यह कानून केवल कागजों तक ही सीमित है और रोज भूमि का अवैध हस्तांतरण हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को वापिस दिलाने तथा कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को विधान बनाने के लिए कहेगी ताकि आदिवासियों की भूमि उनके असली मालिकों को वापिस मिल सके। इस समस्या की जांच और अध्ययन के लिए क्या सरकार आसाम के प्रत्येक जिले में एक विशेष तंत्र बनाएगी ?

श्री धनिक लाल मंडल : हमने इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत की है। मैंने स्वयं अधिकारियों के साथ इस मामले की पुनरीक्षण की है ताकि यदि कोई कमी हो तो उसे दूर किया जा सके, यदि कोई तंत्र नहीं है तो उसकी स्थापना की जानी चाहिए और एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

हड़तालों/तालाबंदियों के कारण बड़े उद्योगों में उत्पादन में कमी

*618 **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 1 अप्रैल, 1978 से 28 फरवरी, 1979 के दौरान बड़ी संख्या में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई है, और

(ख) 1977-78 की तुलना में उक्त अवधि में कितने मूल्य के उत्पादन की अनुमानतः कमी हुई है;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस : (क) और (ख) उपलब्ध अनन्तिम जानकारी के अनुसार हड़तालों व तालाबंदी के कारण वर्ष 1978 में 215.10 लाख श्रमिक दिवस बेकार हुए

जबकि वर्ष 1977 में 253.20 लाख श्रमिक दिवस बेकार हुए थे। जनवरी व फरवरी, 1979 में उत्पादन में हुई हानि के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। वर्ष 1977 में 2227 मामलों में अनुमान लगभग 284.84 करोड़ रुपए उत्पादन हानि की हुई थी जबकि वर्ष 1978 में 1621 मामलों में लगभग 291.56 करोड़ रुपए मूल्य की हानि हुई है। अप्रैल-दिसंबर, 1978 की अवधि में वास्तविक अर्थों में औद्योगिक उत्पादन में कुल मिलाकर लगभग 8 प्रतिशत की दर से विकास हुआ था जबकि वर्ष 1977 की इसी अवधि में विकास की दर 4.1 प्रतिशत थी।

श्री अनन्त राम जायसवाल : माननीय मन्त्री जी के उत्तर के मुताबिक 1978 में 215 लाख तथा 1977 में 253 लाख वर्किंग-डेज का लास हुआ। इसी तरह से 1977 में 284 करोड़ रुपये तथा 1978 में 291 करोड़ रुपये की उत्पादन में हानि हुई है। आज जब हिन्दुस्तान में ज्यादा पैदावार की जरूरत है, क्या आपने इस बात को दृष्टि में रखकर हड़तालों तथा तालाबन्दी के कारणों की कोई जांच कराई है कि इनके क्या कारण हैं ?

दूसरे---सरकारी कारखाने खुलने के बावजूद इन कारखानों के प्रबन्ध अधिकारियों तथा लेबर के इमाल्यूमेन्ट्स का आर्डर वही है जो निजी कारखानों का रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकारी प्रतिष्ठानों के जो अलग-अलग कारखाने हैं उनमें भी वेज-स्केल अलग-अलग हैं। क्या आप इस व्यवस्था को बदलने की कोई कार्यवाही करेंगे जिससे उनके अन्दर व्याप्त हार्ट-बर्निंग समाप्त हो जाय ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, हड़ताल और तालाबन्दी से सम्बन्धित मामलों की देख-रेख श्रम मंत्रालय करता है और मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में वे प्रयत्न कर रहे हैं ताकि इनकी संख्या कम हो जाय और ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाय जिस से ये न हों।

जहां तक सरकारी क्षेत्र में चलने वाले कारखानों की समस्यायें हैं, हमने उद्योग मंत्रालय की ओर से एक कमेटी नियुक्त की थी और उसके सामने यह सवाल रखा था कि सरकारी कारखानों में श्रमिक और मैनेजमेंट के बीच में सम्बन्धों को किस तरह से रखा जाय। यह कमेटी सिर्फ मजदूरों के प्रतिनिधियों की कमेटी थी। हमने इस कमेटी से यह भी पूछा था कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कौन से रास्ते अपनाये जायें तथा किसी भी प्रकार का असन्तोष हड़तालों तक न पहुंचे --इसके लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं ? उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस पर अमल करने के काम में हम लगे हुए हैं।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मान्यवर, जिस कमेटी का हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसकी मुख्य-मुख्य रिकमेण्डेशन्ज क्या हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो आपके प्रमुख प्रतिष्ठान हैं—जैसे स्टील-इण्डिया, फर्टिलाइजर कारपोरेशन, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन—इन्होंने 1978 के लिए जो टारगेट रखा था, वह एचीव हुआ या नहीं हुआ ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, स्टील में टारगेट को पूरा करने में कुछ तकलीफ हो रही है। इसका कारण श्रमिक समस्या नहीं थी, बल्कि जितने कोयले और बिजली की आवश्यकता थी, उनके वहां पहुंचने में कुछ दिक्कतें रहीं, जिनके चलते स्टील उद्योग में जरूर कुछ कमी रही है।

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन इस साल अच्छा काम कर पाया है । उन्होंने जो टारगेट तय किया था, उसको बढ़ाने का काम वे कर पाये हैं । जेसा मैंने पहले भी बतलाया था—नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन इस साल पहली बार मुनाफे की ओर पहुंचा है और उम्मीद है कि तीन करोड़ का मुनाफा वे इस साल कर पायेंगे, जबकि पिछले साल 35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था और उससे भी पिछले साल 65 करोड़ का घाटा हुआ था।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन में भी इस साल उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : इन्होंने जो कमेटी मुकर्रिर की थी, मैंने उसकी सिफारिशों के बारे में भी पूछा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कमेटी की सिफारिशें मैं सदन के सामने लाने वाला हूं।

श्री दुर्गा चन्द : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने जन दिवसों की क्षति हुई तथा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में कुल कितनी क्षति हुई ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस प्रश्न का उत्तर श्रम मन्त्री दे सकते हैं क्योंकि श्रम मंत्रालय ही आंकड़ों को रखता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यह रवैया अपनाया जा रहा है कि कर्मचारियों के साथ उनकी छोटी सी मांग के सम्बन्ध में भी बातचीत न की जाय । सरकारी उद्यम ब्यूरो के निदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में—मांग के बारे में बातचीत नहीं की जा रही, इससे उनके मन में बहुत रोष है । मुझे निश्चय है मन्त्री महोदय मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि कम से कम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उद्योग मंत्री कर्मचारी और प्रबन्धक वर्ग को मिलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि ये समस्याएं हल हो सकें। क्या वह अपने पद का उपयोग करके ऐसे मामलों में सरकारी उद्यम ब्यूरो के हस्तक्षेप को रोकेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस बारे में मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि कर्मचारियों और प्रबन्धक वर्ग के बीच बातचीत नहीं हो रही है। जहां तक मुझे यह जानकारी है हाल ही में कोयला कर्मचारियों और स्टील कर्मचारियों और सम्बद्ध उपक्रमों की बातचीत जारी है । सरकारी क्षेत्र के अन्य कई उपक्रमों में भी बातचीत चल रही है । पिछले दो वर्षों में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र उपक्रम में समस्याओं का बातचीत द्वारा निपटारा भी हुआ है । जहां तक उद्योग मन्त्रालय का सम्बन्ध है औपचारिक समझौते भी हुए हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि कहीं कुछ समस्याएं हैं तो मैं निश्चय ही उन समस्याओं की जांच करूंगा लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि सरकारी क्षेत्रों के प्रशासनिक

अधिकारी छोटे मामलों पर बातचीत नहीं कर रहे। बातचीत करने वाली स्थायी समितियां हैं जो कुछ अरसा पहले बनाई गई थीं। जहां इन समितियों में काम की पुनरीक्षा की आवश्यकता महसूस होती है वह भी किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने मंत्री महोदय से यह पूछा था कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है, सरकारी उद्यम ब्यूरो इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह नहीं मानता कि सरकारी उद्यम ब्यूरो इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। संबद्ध मंत्रालय अथवा संबद्ध उपक्रम बातचीत कर रहा है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछली हड़तालों के आधार पर कुछ सेवाओं, जैसे बैंक या दूसरी इसी तरह की जो सेवाए हैं, को एसेंशियल सर्विस अनिवार्य सेवा घोषित किया है और इस तरह से कुछ संस्थानों की सेवाओं को जो आप अनिवार्य सेवा घोषित करते हैं, तो आप यह अनुभव करते हैं कि इस तरह की सूची में वृद्धि की जाए और उन सेवाओं को, जिनके हड़ताल करने पर प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, एसेंशियल सर्विस किया जाए ? क्या आप उनकी संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं ? यदि हां, तो किन किन सेवाओं को अनिवार्य सेवा घोषित करने का आप का विचार है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस सवाल का जवाब श्रम मन्त्री जी दे पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 619, सदस्य अनुपस्थित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 620

श्री सौगत राय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 41 (2), (3) और (4) के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न सभा की गरिमा को कम करते हैं।

नियम 41 (2), (3) में कहा गया है "उसमें प्रतीक, अनुमान, व्यंगात्मक पद अभ्यारोप विश्लेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे मुझे एंकर उद्योग के बारे में पता नहीं। प्रश्न यह है :

"क्या सरकार का ध्यान एंकर इन्डस्ट्रीज, बम्बई द्वारा बनी 'चोक' तथा घरेलू उपयोग के अन्य विद्युतीय उपकरणों के नकली उत्पादन की ओर दिलाया गया है।"

सरकार का इससे क्या सम्बन्ध है। संसद की बदनामी क्यों की जाय। इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति क्यों दी जाती है। इस प्रकार की बातों से लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है ऐसे कई उदाहरण हैं · · ·

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना ठीक है। मुझे कई पत्र आए हैं जिनमें कहा गया है कि व्यक्तियों और कम्पनियों की बदनामी करने की कोशिश की जा रही है · · ·(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो कुछ कहा गया है उसमें कुछ सार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े व्यापार गृहों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक प्रथम दृष्टया सबूत हो · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच करूंगा।

श्री सौगत राय : ऐसी छोटी-छोटी बातों को लाकर और इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा संसद की मानहानि हो रही है · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आइए, अब मुख्य प्रश्न को लें · · · (व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपने कहा है कि आप माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इससे पहले कि हम विषय पर सहमत हों हम आपके विचार जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं मामले की जांच करूंगा। मेरे पास काफी शिकायतें आई हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह एक ऐसा विषय है जो कि सदस्यों के अधिकारों को कम करेगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले की जांच करूंगा। मैं नियमों के अनुसार ही निर्णय दूंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस मामले को स्वीकृत करने से पहले कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष लाया जाना चाहिए · · · (व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। कृपया प्रश्न के भाग (ख) को देखिये इसमें कहा गया है :

"क्या सरकार को यह भी मालूम है कि घटिया किस्म के विद्युतीय उपकरणों का उपयोग घातक सिद्ध हो सकता है।"

यदि ऐसा है तो इस प्रश्न को उठाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। · · ·

(व्यवधान)

श्री सौगत राय: यह एक सामान्य प्रश्न नहीं है। सभी बोगस प्रश्न संसद में उठाए जा रहे हैं। मुझे इस उद्योग के बारे में कोई जानकारी नहीं; लेकिन संसद को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए · · ·

(व्यवधान)

चौधरी बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे रूल्स के लूप होल्स का मिसयूज कर रहे हैं · · ·

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दे दूंगा कि प्रत्येक नियम का पूरा-पूरा पालन किया जाए, साथ ही मैंने कार्यालय को भी यह निदेश दिया है कि जब भी कोई प्रश्न अस्वीकार किया जाए तो उसका कारण सदस्य को अवश्य बताया जाए कि किस आधार पर उसको अस्वीकार किया गया है। वह मन मरजी से उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें यह बताना होगा कि किस नियम के अन्तर्गत और किस विशिष्ट आधार पर इसे अस्वीकार किया गया है।

प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई : आपत्ति क्या है, मुझे समझ नहीं आई, मैं जानना चाहता हूं।

श्री सौगत राय : मुझे स्पष्टीकरण का मौका दीजिए।

श्री मोरार जी देसाई : यदि यह वास्तव में आपत्तिजनक है तो इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए और यदि यह प्रश्न आपत्तिजनक नहीं है तो हमें इस पर विचार करना होगा इसलिए जब तक इसे उचित रूप से कहा नहीं जाता तब तक कोई इसे समझ कैसे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री सौगत राय : मैंने आपको पहले एक पत्र भी लिखा है और मैं यह उल्लेख नहीं करना चाहता* प्रश्न पढ़ने से यह आभास होता है कि इसका सम्बन्ध एक छोटे से उद्योग से है और इसका केन्द्र सरकार की नीति से कोई सम्बन्ध नहीं। प्रश्न की जांच करनी होगी। प्रश्नों को मामूली कारणों पर अस्वीकार किया जा रहा है। जब बिड़ला और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रश्न का सम्बन्ध एक विशिष्ट कम्पनी की नीति से है इसका सरकार की नीति पर कोई प्रभाव नहीं है। मैंने अपने पत्र में उदाहरण दिए हैं जिनको मैं यहां दोहराना नहीं चाहता—सदस्य किस प्रकार प्रश्नों का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोग किस प्रकार ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस प्रकार संसद की प्रतिष्ठा को कम किया जा रहा है। मैं संसद के समक्ष सभी आंकड़े दे सकता हूं लेकिन फिलहाल मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता··· । (व्यवधान)

श्री के० गोपाल : महोदय एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य एक मिनट का समय मांगता है और उनकी बात का कुछ सार नहीं होता।

श्री के० गोपाल : यदि प्रधान मन्त्री प्रश्न को पढ़ें तो उन्हें पता लगेगा कि प्रश्न यह है कि क्या कुछ अन्य संगठनों या प्राइवेट कम्पनियों द्वारा नकली वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। यदि प्रश्न सरकारी कम्पनी के बारे में होता तो मैं समझ सकता था · · ·

अध्यक्ष महोदय : यह बहस का समय नहीं है।

मैसर्स एंकर इण्डस्ट्रीज बम्बई की वस्तुओं की नकल

*620. **श्री अनन्त दवे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

(क) क्या सरकार का ध्यान एंकर इण्डस्ट्रीज, बम्बई द्वारा बनी "चोक" तथा घरेलू उपयोग के अन्य विद्युतीय उपकरणों के नकली उत्पादन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि घटिया किस्म के विद्युतीय उपकरणों का उपयोग घातक सिद्ध हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे जाली माल के निर्माताओं, स्टाकिस्टों तथा परचून विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विद्युत सम्बन्धी इन चीजों को सरकारी निरीक्षण तथा नियन्त्रण के अधीन लाने का है। जैसा कि नकली औषधियों के निर्माताओं के मामले में किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है, जो 'घरेलू विद्युतीय उपकरण (किस्म नियंत्रण) आदेश, 1976' कहलाता है, तथा जिसमें घरेलू विद्युतीय उपकरणों, जो आदेश में निर्दिष्ट स्तर के नहीं हैं, की बिक्री तथा उत्पादन पर रोक लगाई गई है। सरकार ने 18-12-1978 को एक आदेश जारी किया है, जो 'घरेलू विद्युतीय उपकरण (किस्म नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978' कहलाता है तथा जिसमें इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के उद्योग निदेशकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस आदेश के कार्यान्वयन से घटिया किस्म के घरेलू विद्युतीय उपकरणों का उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री के रुकने की आशा है।

श्री अनन्त दवे : अध्यक्ष महोदय, जब इन लोगों को भी संतोष हो जायगा कि यह सवाल क्यों किया गया है। जो लोग सब-स्टैंडर्ड माल बनाते हैं, क्योंकि गांवों में बिजली का ऐक्सपेंशन हो रहा है और लोग इलेक्ट्रिकल ऐपलायेंसेज इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार की बोगस कम्पनियां डुप्लीकेट मेटीरियल बनाती हैं और लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करती हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि उनके ऊपर क्या कोई स्ट्रिक्ट ऐक्शन सरकार लेगी जो डुप्लीकेट मैटीरियल बनाती हैं ? जैसे ड्रग कन्ट्रोल ऐक्ट में सीवियर पनिशमेंट की व्यवस्था है, उसी प्रकार की व्यवस्था क्या आप सब-स्टैंडर्ड मैटीरीयल बनाने वालों के लिए भी करने जा रहे हैं या नहीं ताकि डुप्लीकेट आइटम्स जो बन रहे हैं वह बन्द हो जायें ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जो आदेश इस मामले में सरकार ने जारी किया है, उसके अंतर्गत किसी भी चीज को सब-स्टैंडर्ड बनाने वाले जो कारखाने या उद्योग हैं, उन पर कार्यवाही करने का है।

श्री अनन्त दवे : मैं विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन गुजरात स्माल स्केल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स ने आपके विभाग को लिखकर भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि 18-12-78 के बाद एसेंसियल कमोडिटीज के बारे ने जो नोटिफिकेशन निकला है, उसके बाद कितनी रेड की गई और उसमें कितने सब-स्टैंडर्ड, डुप्लीकेट माल बनाने वाले पकड़े गये ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री के० लकप्पा : इस प्रश्न के सम्बन्ध में काफी विवाद है। प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग या किसी कम्पनी द्वारा घटिया किस्म का माल बनाया जा रहा है जिससे न केवल देश को भारी क्षति होगी अपितु ऐसे घटिया विद्युतीय उपकरणों का उपयोग घातक भी सिद्ध हो सकता है। इस सदाचार के बारे में हम और किसे कहें। निर्माताओं को ऐसा नकली माल बनाने से कैसे रोका जाय। हम संसद में किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों के दल की तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन यदि ऐसा किसी अधिकारी की सांठ गांठ से किया जाता है तो ऐसे संबद्ध अधिकारी को आड़े हाथों लेना चाहिए। उदाहरणार्थ प्रत्येक राज्य के निदेशक को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करें, लेकिन यदि वह नियमों का उल्लंघन करता है और कंपनी को नकली माल बनाने की इजाजत देता है तो क्या हम उनके विरुद्ध कार्यवाही न करें? अतः मेरा प्रश्न यह है कि निदेशक ने कुछ लोगों द्वारा निर्मित उपकरणों की किस्म के बारे में विशिष्ट रूप से जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि प्रत्येक राज्य के निदेशक द्वारा कड़े अनुदेशों का पालन किया जा सके ताकि देश में घटिय किस्म के विद्युतीय उपकरणों के निर्माण को रोका जा सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब ऐसी शिकायतें निदेशक के ध्यान में लाई जाती हैं तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह संबद्ध उपक्रम द्वारा बनाये जाने वाले माल की किस्म का परीक्षण करे। यदि माल घटिया किस्म का पाया जाता है तो उपक्रम के मालिकों को उसे बाजार से एक-दम हटाने के लिए कहा जाता है और यदि आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती तो निदेशक को ऐसी कंपनियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का हक है।

श्री रत्न सिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय, श्री सौगत राय ने कहा है···

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई अनुपूरक प्रश्न है?

श्री रत्न सिंह राजदा : मेरा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका कोई अनुपूरक प्रश्न है तो उसे पूछिए। मैंने वह अध्याय समाप्त कर दिया है।

श्री रत्न सिंह राजदा : श्री सौगत राय ने एक बात कही है।* यह एक गम्भीर आरोप है। यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो वह उसे सभा के समक्ष रखें। ऐसे तत्व जो ऐसी गति विधियों में भाग लेते हैं स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए उनका पर्दा फाश करना चाहिए। लेकिन किसी पर बेदर्दी से आरोप लगाने से संसद का अपमान होगा। यह बहुत अनुचित बात है और इसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाल देना चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही वृत्तान्त में से उन शब्दों को निकाल दीजिए जिन्हें माननीन सदस्य ने कहा है। किसी भी माननीय सदस्य की नियत पर शक

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

नहीं किया जा सकता, विशेषकर जबकि अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न को स्वीकृति दे दी है। यह तो अध्यक्ष पर आक्षेप है।...

(व्यवधान)

श्री सौगत राय : ऐसा तो रोज हो रहा है... (व्यवधान)

सबको मालूम है इस देश में क्या हो रहा है (व्यवधान)

श्री के० गोपाल : यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। इसमें डरने की क्या बात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों से कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे पास शिकायत की जाए? यदि प्रथम दृष्ट्या कोई मामला है तो इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाएगा लेकिन इस तरह आरोप लगा कर हम न केवल अपना अपमान कर रहे हैं अपितु देश का भी अपमान कर रहे हैं। जब भी कोई सदस्य कुछ टिप्पणी करे उसे ऐसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आखिरकार आप लोग जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हो। हमसे गलती हो सकती है। मैं यह नहीं कह रहा कि हम देवता हैं। लेकिन यदि वास्तव में किसी मामले में गड़बड़ है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई निरीह व्यक्ति मारा जाए लेकिन कृपया ऐसी टिप्पणी न करें जिससे इस संसद का अपमान हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए। डा० बलदेव प्रकाश।

डा० बलदेव प्रकाश : मन्त्री महोदय ने हाउस में दो नोटिफिकेशन्ज का जिक्र किया है, जिनके अनुसार डिफाल्टर्ज को जो नब-स्टेंडर्ड गुड्ज वना रहे हैं, उनको—सजा दी जा सकती है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि पिछले दो सालों में क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कुछ केसिज आये हैं, जिनमें सब-स्टेंडर्ड गुड्ज बनाये गये और सरकार ने उनका प्रासीक्यूशन किया और उनको कोई सजा दी गई?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार के सामने इस प्रकार की शिकायतें आने के कारण ही ये दोनों आर्डर्ज निकाले गये। कितने लोगों पर मुकदमे चले हैं और कितने लोगों को सजा दी गई है, इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश में कागज और सीमेंट के कारखाने स्थापित करना

621. **श्री रिनचिंग खाण्डू खिमे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में कागज मिल और सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है।

विवरण

जी हां। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लोहित जिले टिडिंग में चूने के पत्थर के निक्षेपों और किमांग जिले के रूपा में डोलोमाइट के निक्षेपों पर आधारित दो सीमेंट कारखानों की छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापना के प्रस्ताव भेजे हैं।

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किमांग और सुबांसरी के वन क्षेत्र से बांस और सख्त लकड़ी के आधार किमांग जिले में चालूपांग में एक कागज परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भी भेजा है।

सीमेंट के कारखानों सम्बन्धी तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता के अध्ययनों के उपलब्ध न होने के कारण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कागज परियोजनाओं की स्थापना के लिये युक्त योजना तैयार होने तक इन पर निर्णय स्थगित कर दिये गये हैं।

श्री रिनचिंग खाण्डू खिमे : अध्यक्ष महोदय, अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं। जहां तक राज्य में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने का सम्बन्ध है, इसका सम्बन्ध कई विकास कार्यों से है। अत: यदि फैक्ट्री नहीं स्थापित होती है तो कम से कम एक छोटा सीमेंट कारखाना इस राज्य के लिए आवश्यक है। जहां तक मुझे जानकारी है, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के अनुसार उद्योग मन्त्रालय ने एक छोटे सीमेंट कारखाने की स्वीकृति दी है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि यह सीमेंट का कारखाना अथवा छोटा कारखाना अरुणाचल प्रदेश में खोला जा रहा है और इसके कब पूरा होने की सम्भावना है?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, छोटे सीमेंट कारखाने को लगाने के बारे में चर्चा हुई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री रिनचिंग खाण्डू खिमे : मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वह राज्य सरकार से व्यवहार्यता प्रतिवेदन अथवा प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, जब तक राज्य सरकार से एक प्रस्ताव नहीं प्राप्त होता है, वह इस पर स्वीकृति नहीं देंगे। अत: मन्त्रालय में पहले ही एक प्रस्ताव है। दूसरे में, जहां तक कागज का कारखाना लगाने का सम्बन्ध है, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में तकनीकी-आर्थिक अध्ययन, व्यवहार्यता प्रतिवेदन आदि का उल्लेख किया है। वास्तव में कठिन क्षेत्र है और यदि हम वास्तव में वहां सामान्य रूप से सीमेंट का कारखाना लगाने पर विचार करते हैं तो मुझे विश्वास है कि उस कठिन क्षेत्र में कुछ भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, जहां तक मुझे जानकारी है, एक गैर-सरकारी संस्थान, विकास सलाहकार, को कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने 200 टन लुब्दी का उत्पादन करने तथा मालुकपोंग में कागज का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन पेश किया है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों में हमें कागज की कमी का सामना करना पड़ेगा। क्या मन्त्री महोदय इस क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा देश में कागज की कमी देखते हुए पूर्वी क्षेत्र में एक संयंत्र लगाने का विचार करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक प्रयत्न विशेष रूप से किये जायेंगे। किन्तु

वहां कुछ विशेष समस्याएं हैं। प्राथमिक रूप से समस्याएं आधारभूत ढांचे, परिवहन और बिजली की हैं। जब तक हम पहले इन बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करते, पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी बड़े औद्योगिक परियोजना की बात करना बहुत सार्थक नहीं होगा। अतः बड़े सीमेंट एककों तथा 200 टन प्रतिदिन की क्षमता के एकक के बारे में प्रस्ताव योजना आयोग और मन्त्रालय में आये और उस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की आवश्यकता के बारे में चर्चा हो रही है तथा इस बारे में निर्णय तब लिया जायेगा जब हम उस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की व्यवस्था के बारे में अन्तिम रूप से वचनबद्ध होने की स्थिति में होते हैं।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : श्री खिमे के निर्वाचन क्षेत्र और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर एक नदी बहती है और बाद में वह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। मालुकपोंग में, जो पहाड़ों के नीचे स्थित है, एक जल विद्युत परियोजना है। रूपा में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के अन्वेषण के अनुसार डेलोमाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कच्चा माल और बिजली काफी मात्रा में उपलब्ध है। क्या मन्त्री महोदय भारतीय सीमेंट निगम के माध्यम से एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने तथा उसी स्थान पर एक स्थानीय एकक का संगठन कर पूर्वोत्तर निगम पेपर लिमिटेड को सौंप कर अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का विचार करते हैं।

अब बालिपारा और मालुकपोंग के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण हो रहा है। बिजली भी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जावेगी, कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में है। क्या मन्त्री महोदय इस क्षेत्र के विकास के लिए यथा सम्भव शीघ्र इन दोनों परियोजनाओं को आरम्भ करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वित होने में लम्बा समय लगेगा। फिलहाल प्रस्ताव हमारे समक्ष हैं और हम इन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 622. श्री विजय कुमार मलहोत्रा यहां उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न 623. श्री सुभाष आहूजा।

(व्यवधान)*

इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें।

मध्य प्रदेश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना

*623. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा खनिजों और वन सम्पत्ति के विकास के लिये एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत एक प्रयोगशाला स्थापित करने का एक प्रस्ताव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) की शासी सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। वन-सम्पदा और खनिजों का विकास प्रयोगलाला द्वारा अनुसंधान करने के मुख्य क्षेत्र हैं। फिर भी, ग्रामीण विकास संबंधी सरकार की नई नीति को ध्यान में रखते हुये नई प्रयोगशाला में ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। एक तकनीकी समिति जिसमें योजना आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और सी० एस० आई० आर० के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं, प्रयोगशाला की स्थापना पर विस्तार से विचार कर रही है।

श्री सुभाष आहूजा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के खनिजों के विस्तार या उनके दोहन के लिए जो बहुत बड़ी जरूरत थी एक सुसज्जित प्रयोगशाला की, उसकी उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है इसे किस समय तक स्थापित किया जाएगा तथा इसकी स्थापना पर कुल कितना व्यय आएगा ?

प्रो० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक नया विचार चला है। जैसे और रीजनल लेबोरेटरीज हैं यह उस ढंग की नहीं होगी। इसमें एक्सपरिमेंटल स्टेशंस बनेंगे, ऐसा एक सुझाव है। उसमें अलग-अलग जगहों पर जैसे इनलैंड फिशरीज है, ऐग्रो-प्रोडक्ट्स हैं, फारेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं उनके बारे में साइंटिस्ट्स बैठकर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह उस ढंग की लेबोरेटरी होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी एक कमेटी बैठी है इस पर विचार करने के लिए। उसकी रिपोर्ट आने के बाद तब उस पर कार्यवाही होगी।

श्री सुभाष आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कुल 40 अभिलिखित खनिज हैं जिनमें से 22 का दोहन किया जा रहा है। अच्छे खनिल अभी तक जमीन के अन्दर ही पड़े हुए हैं जिनको प्रयोगशाला के बगैर नहीं निकाला जा सकता। जब तक प्रयोगशाला में अनुसंधान न किया जाये तब तक उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं जानना चाहूंगा क्या प्रयोगशाला की स्थापना हेतु शीघ्र प्रयास किए जायेंगे एवं क्या मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयोगशाला की स्थापना हेतु कुछ स्थानों का निर्णय लेकर भेजा है या कमेटी ने कुछ स्थानों का चुनाव किया है ? यदि किन्हीं स्थानों का चुनाव किया है तो उनके नाम क्या हैं ?

प्रो० शेर सिंह : मैंने अभी निवेदन किया कि जो कमेटी बनी है वह विचार कर रही है, उसने अभी फैसला नहीं किया है लेकिन इसमें जहां तक खनिजों के दोहन का प्रश्न है अभी अनुसंधान करने के लिए दूसरी लेबार्ट्रीज में जो कार्य हुआ है उससे सहायता ली जायेगी और यहां भी लेबार्टी बनेगी।

श्री श्याम सुन्दर दास : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं एक स्पटीकरण चाहता हूं। मन्त्री जी अंग्रेजी में भी जवाब देते हैं और हिन्दी में भी जवाब देते हैं। दोनों जवाबों में थोड़ा अन्तर है। मैं अंग्रेजी के जवाब को पढ़ कर सुनाता हूं :

"खनिजों और वन-सम्पदा का विकास अन्वेषण के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं......"

"वन-सम्पदा और खनिजों का विकास प्रयोगशाला द्वारा अनुसंधान करने के मुख्य क्षेत्र हैं।"

अंग्रेजी अनुवाद में (कुछ प्रमुख क्षेत्र) दिया हुआ है और हिन्दी अनुवाद में (प्रमुख क्षेत्र) दिया हुआ है। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि क्या अंग्रेजी में सही है या हिन्दी में सही है ? कौन सा वक्तव्य प्राधिकृत है ? प्रश्न हिन्दी में पूछा गया है। अब: क्या मैं हिन्दी का वक्तव्य प्राधिकृत मानूं या अंग्रेजी के वक्तव्य को प्राधिकृत मानूं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए। वह उसका भी उत्तर देंगे।

श्री श्याम सुन्दर दास : जहां तक मैं उत्तर को समझा हूं प्रयोगशाला की मध्य प्रदेश में स्थापना होगी; किन्तु अध्ययन केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा। क्या मंत्री महोदय का यह विचार है कि प्रयोगशाला किसी केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित की जानी है क्योंकि खनिज और वन मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में पाये जाते हैं। क्या वह हमें यह बताने की स्थिति में हैं कि प्रयोगशाला एक ऐसे क्षेत्र में स्थापित होगी जो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के निकट हो ?

प्रो० शेर सिंह : इस सुझाव की जांच की जाएगी। जैसा मैंने कहा है यह अन्य प्रयोगशालाओं की तरह नहीं होगी। यहां सुझाव यह है कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोगात्मक स्टेशन होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि प्रयोगशाला केवल एक ही स्थान पर स्थित होगी। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न स्थानों पर उस क्षेत्र के लिए आवश्यक कार्य के लिए प्रयोगात्मक स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

श्री श्याम सुन्दर दास : उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हिन्दी में वक्तव्य सही है या अंग्रेजी में सही है।

प्रो० शेर सिंह : उसमें वन सम्पदा और खनिज शब्द तो आ गये हैं वैसे थोड़ी सी गल्ती रह गई है।

श्री राघव जी : माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयोगशालाओं के स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं—क्या उन प्रस्तावों में मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानों का भी उल्लेख किया है कि वे कौन से स्थानों पर खोले जाने चाहिये ? क्या उन पर मंत्री जी ने कोई विचार किया है ?

प्रो० शेर सिंह : मैंने पहले निवेदन किया है कि इस पर कमेटी बैठी हुई है जो विचार कर रही है। ये एक्सपैरिमेन्टल स्टेशन्ज होंगे, जिनके बारे में सब चीजों को ध्यान में रखकर फैसला किया जायगा और राज्य सरकार की भी सलाह ले ली जायगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी

*624. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान द्वीप समूह में फरवरी, 1979 में स्त्रियों और बच्चों सहित बहुत बड़ी संख्या में सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो गिरफ्तारियां किन-किन तीरीखों को और कितनी की गईं तथा ऐसी गिरफ्तारियों के कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुछ वृद्ध महिलाओं को, जब वे पोर्ट ब्लैयर में हिरासत में जेल में थीं 10.00 बजे प्रात: से सायं 6.00 बजे तक खुले अहाते में खाना और पानी दिये बिना रखा गया था और गोद के बच्चों के लिये खाना मांगे जाने पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों से कुछ महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और उनमें से तीन की दो-दो अंगुलियां चली गईं जो काट दी गईं थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है तथा क्या सरकार ने उन्हें कोई मुआवजा अदा किया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री धनिक लाल मंडल) : (क), (ख) तथा (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

एक आंदोलन के दौरान पोर्ट ब्लैयर में 19 और 21 फरवरी के बीच अनेक व्यक्ति सार्वजनिक सड़कों पर बैठ गये थे जिससे यातायात में बाधा पड़ गई थी । इन तीन दिनों में क्रमश: 122, 128 और 75 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । इनमें 128 महिलाएं और 14 बच्चे थे । महिलाओं और बच्चों को महिला कांस्टेबलों ने ही गिरफ्तार किया था । गिरफ्तारी के तुरन्त बाद उन्हें सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था । जब न्यायालय की कार्यवाही चल रही थी तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को पीने का पानी दिया गया था । न्यायालय पुराना सेलुलर जेल की इमारत के बरामदों में लगा था और कोई भी व्यक्ति खुले में नहीं रहने दिया गया था । इन व्यक्तियों को जेल भेजे जाने के बाद जेल-कार्य प्रणाली के अनुसार भोजन दिया गया था । जब कुछ व्यक्तियों को विशेष जेल में ले जाया जा रहा था, जहाँ, उन्हें हिरासत में रखना था, तो उनको ले जाने वाला ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया । दुर्घटना के परिणाम-स्वरूप तीन महिलाओं के हाथों में चोट आई। घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया और यह अत्यधिक खेद की बात है कि घायल व्यक्तियों में से दो के अंग विच्छेद करने पड़े । उनमें से एक महिला की दो उंगलियां कट गईं और दूसरी की एक। परन्तु चोट पुलिस की कार्यवाई के कारण नहीं लगी थी । घायल व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मंत्री महोदय ने भ्रामक उत्तर दिया है। यह भ्रामक वक्तव्य है क्योंकि मेरे पास बूढ़ी औरतों के फोटो हैं । चोटें सेल्लूलर जेल, पोर्ट ब्लेयर के अन्दर पुलिस अत्याचारों के कारण आई हैं । अत: इनमें से प्रत्येक की दो अंगुलियां कटीं । यहाँ मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सब-डिवीजनल अधिकारी ने सेल्लुलर जेल में न्यायालय लगाया । अभी हाल ही में मन्त्री महोदय वहां उपस्थित थे तथा प्रधान मन्त्री भी उपस्थित थे जब वे सेल्लुलर जेल को राष्ट्र को स्मारक के रूप में समर्पित करने गये और इतने लोगों के लिए जेल के बरामदे में बैठना और मामले की सुनवाई करना असम्भव है । अत: उन्हें गोदी के बच्चों सहित खुली जगह में धूप में रखा गया और उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया । किन्तु

गृह मन्त्री ने कहा कि उन्हें पानी दिया गया और दिन में उन्हें खाना नहीं दिया गया। जेल के सभी मानदण्डों का उल्लंघन कर उन महिला सत्याग्रहियों पर अत्याचार किये गये। साथ ही उन्होंने कहा है कि चोटें अत्याचारों के कारण नहीं आईं किन्तु गाड़ी की दुर्घटना के कारण हुई हैं। महोदय, मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जब गाड़ी की दुर्घटना हुई थी तो कोई मामला दर्ज किया गया था और यदि दर्ज किया गया था तो कब दर्ज किया गया था। यही मेरा स्पष्ट प्रश्न है।

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, हाल ही में माननीय सदस्य मुझे इस सम्बन्ध में मिले थे और मैंने उन्हें आश्वासन दिया था और मैंने एक आदेश भी दिया था कि मुख्य आयुक्त को इसकी जांच करनी चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदस्य और मन्त्री के बीच नहीं है। उन्हें सभा को उत्तर देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है?

(व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : सभा के समक्ष उत्तर है और आप सुन रहे हैं। ऐसा कहने का क्या लाभ है?

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, वह जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वह 10-सूत्रीय मांग पत्र के बारे में है जो प्रधान मन्त्री को दिया गया। जहां तक उस समय आन्दोलन के दौरान हुई घटना का सम्बन्ध है उस पर उनसे बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई थी और बात यह है कि मैंने यह स्पष्ट उत्तर मांगा था कि क्या गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी क्योंकि कानून के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह किया गया या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई मामला दर्ज कराया गया? यदि हां, कब?

श्री धनिक लाल मंडल : मैं सूचना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे उसके लिए सूचना चाहते है।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय यह मेरा, अधिकार है। एक सदस्य के रूप में मुझे जानने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मंत्री महोदय से यह उत्तर दिलाने की अनुमति देंगे? (व्यवधान) उन्हें मालूम नहीं है कि कोई दुर्घटना हुई है और वह सभा में आ गये...

श्री मनोरंजन भक्त : मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या मामला दर्ज करवाया गया था?

गृह **मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल)** : क्या मैं उत्तर दे सकता हूं? महोदय, इस वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया है। वक्तव्य में कहा गया है कि जब कुछ व्यक्तियों को विशेष जेल में ले जाया जा रहा था तो उन्हें हिरासत में रखा जाना था, वह ट्रक जिसमें वे ले जा रहे थे दुर्घटना-

ग्रस्त हुआ। दुर्घटना के परिणामस्वरूप तीन महिलाओं के हाथों में चोट आई। अब माननीय सदस्य ने कहा है कि यह सही है। इसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या कोई शिकायत दर्ज की गई या नहीं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने एक निश्चित प्रश्न पूछा था कि यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो क्या मामला दर्ज करना देश का यह सामान्य कानून नहीं है। यही बात है।

अध्यक्ष महोदय : वह यही उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मैं समझता हूं उन्होंने यह पूछा है कि क्या यह किया गया या नहीं ? उस पर, चूंकि मन्त्री महोदय के पास जानकारी नहीं थी, उन्होंने कहा, 'मुझे सूचना चाहिए।'

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री एच० एम० पटेल । यह जानकारी मुख्य आयुक्त से प्राप्त की जानी है और उन्होंने उत्तर दिया, 'यह रिपोर्ट दी गई है।'

श्री मनोरंजन भक्त : मैं उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। किन्तु फिर भी आपके कहने पर मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। उन बूढ़ी महिलाओं की जिनकी फोटो मैंने सभा पटल पर रखी है, अंगुलियां कट गईं हैं, और यह पुलिस के अत्याचारों के कारण हुआ हैं। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इसके लिए मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री एच० एम० पटेल : चोटें आई हैं। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है उसमें यही दिया हुआ है।

> "गाड़ी जब जेल फैक्ट्री से होकर जा रही थी तो उससे एक दीवार गिर गई जिसके परिणामस्वरूप तीन महिला विचारणाधीन बन्दियों की अंगुलियों में चोट आईं क्योंकि वे ट्रक के ऊपरी किनारे को पकड़े हुईं थीं। जख्मी लोगों को तत्काल पंत अस्पताल पहुंचाया गया जो नजदीक ही है और उनकी आवश्यक चिकित्सा की गई।

इन चोटों के परिणामस्वरूप श्रीमती फूलमाला विश्वास की बांयें हाथ की अनामिका और कनिष्टिका और श्रीमती नयनतारा विश्वास की बांयें हाथ की कनिष्टिका काटनी पड़ी।"... (व्यवधान)। अत: इस मामले में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में स्वत: शिकायत दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह दुर्घटना थी...' (व्यवधान) फिर भी उन्होंने कहा है कि चूंकि यह प्रश्न पूछा गया है। वे और जानकारी प्राप्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **अल्प सूचना प्रश्न संख्या 21**

महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। मैंने आपको लिखा है और प्रतियां रेलवे मंत्रियों को भेजी हैं...

अध्यक्ष महोदय : वे यहां हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रेलवे मंत्री कहां हैं ?

मैंने दो पत्र लिखे हैं एक रेल मन्त्री को लिखा है···

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि आप एक दिन में कितने पत्र लिखते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने उत्तर देखा है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर अब आयेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्तर में लिखा है :

"ऊर्जा मंत्रालय, कोयला उत्पादकों और रेलवे के साथ लगातार निकट सम्पर्क बनाया गया है····"

रेल मन्त्री कहां हैं ?····

(व्यवधान)

वरिष्ठ रेल मंत्री यहां हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, इस्पात और खान मन्त्री।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह केवल खान-पान व्यवस्था के प्रभारी हैं।

श्री बीजू पटनायक : खान-पान व्यवस्था नहीं किन्तु प्राप्त कर्त्ता हैं।

समेकित संयंत्रों में कुछ दिनों में उत्पादन बन्द होने की आशंका

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी समेकित इस्पात संयंत्रों में आगामी कुछ दिनों में उत्पादन बन्द होने की आशंका है, यदि कोककर कोयले के उसके भण्डार की तत्काल पुनः पूर्ति नहीं की जाती है, जैसा कि पी० टी० आई० द्वारा समाचार दिया गया है तथा 22 मार्च, 1979 के स्टेट्समैन, नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में निरन्तर तथा सन्तोषजनक उत्पादन के लिए कोककर कोयले का स्टाक सामान्यतः 5 लाख टन होना चाहिए। इसके मुकाबले में पिछले कई महीनों से सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का स्टाक बहुत कम चल रहा है, परिणामस्वरूप उत्पादन में काफी हानि हुई है। सभी इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का स्टाक, जो 1.3.1979 को 151,400 टन अर्थात 3 दिनों की खपत के बराबर था, घटकर 20.3.1979 को मात्र 113,000 टन रह गया था। राउरकेला इस्पात कारखाने, टिस्को और इस्को जैसे कुछ इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का स्टाक एक से डेढ़ दिन की खपत से भी कम था।

इस्पात कारखानों को अच्छी किस्म के कोककर कोयले की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित

करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, कोयला उत्पादकों तथा रेलवे के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है। इस मामले पर मंत्रालय स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि यद्यपि तीसरी योजना में 1000 टन कोयले का लक्ष्य रखा गया था और यद्यपि 13 वर्ष बीत चुके हैं यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, चौथी और पांचवीं योजना का तो कहना ही क्या है।

इसी तरह दूसरी योजना में इस्पात उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह एक दशक के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस वर्ष मार्च के मध्य में जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि टिस्को, इस्को और अन्य सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कोकिंग कोयले का स्टाक 1,30,000 टन होने की सम्भावना है। यह बहुत थोड़ा है और टिस्को और इस्को दोनों के लिए केवल डेढ़ दिन के लिए ही है। इस सभा में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कभी-कभी कोयला और स्पात दोनों की भरमार होती है और कभी-कभी भारी कमी होती है। इसकी किसी न्यायाधीश द्वारा जांच करने की आवश्यकता है। इसका मन्त्रालय से सम्बन्ध नहीं है। 1977-78 में सरकारी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन में अनुमानित कमी 10 लाख टन की है। इस्पात कारखानों में 43,000 टन कायले की दैनिक खपत है जो सप्लाई की कमी के संगत है। अप्रैल से अक्तूबर, 1978 की आवश्यकता 74.52 लाख टन है किन्तु केवल 63.24 टन ही सप्लाई किया गया। परिणामस्वरूप 15.1 प्रतिशत की कमी रही।

महोदय, हमें यह नोट करते हुए खेद होता है कि भारत विदेशों को कोयला भेजता था। अब हमें भारत में खपत के लिए कोयले का आयात करना पड़ता है। इस्पात के उत्पादन में गम्भीर कमी आई है। मन्त्री महोदय यह नहीं बताते हैं। अप्रैल से दिसम्बर, 1977 तक इस्पात के उत्पादन में कोकिंग कोयले की सप्लाई में कमी के कारण 1,445 टन की कमी हुई और अप्रैल से दिसम्बर, 1978 के दौरान केवल 1,365 टन की कमी हुई।

अध्यक्ष महोदय : आपने वक्तव्य दे दिया है, आप कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। महोदय, अब मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि, यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है—(क) चालू वर्ष में पिछले वर्ष 1978-79 की तुलना में उत्पादन की हानि का विवरण और (ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1978 के दौरान समन्वित इस्पात संयंत्र को बिक्री योग्य इस्पात की कुल हानि कितनी हुई और रुपयों में उसका मूल्य क्या है?

श्री बीजू पटनायक : महोदय, उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है जो इस प्रश्न के क्षेत्र से परे है। उन्होंने पूछा है, यदि मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाये, (क) कि क्या, जैसे पी० टी० आई० ने रिपोर्ट दी है और स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च, 1979 में प्रकाशित हुआ है, यदि समन्वित इस्पात संयंत्रों के कोकिंग कोयले के स्टाक को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाये नहीं जाते तो उन सभी समन्वित इस्पात संयंत्रों में उत्पादन अगले कुछ दिनों में बन्द हो जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरे प्रश्न की तारीख जानते हैं—अन्य सूचना प्रश्न संख्या 21. महोदय, आगे यह लम्बी सूचना का प्रश्न होगा।

श्री बीजू पटनायक : महोदय, जहां तक कोयले के स्टाक का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें परिस्थिति से अवगत करा दिया है। मैंने कहा है कि कुछ संयंत्रों में डेढ़ दिन का स्टाक है और कुछ में तीन दिन का स्टाक है। यही मैंने कहा है। अतः संयंत्र को बन्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, खपत कम है। हमने इससे भी कम करने का निश्चय किया है—इसके लिए मैं 'उचित' शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूं—ताकि मानसून शुरू होने से पहले, जबकि हमेशा कोयले का स्टाक बढ़ाने में और कोयले के परिवहन में भी कठिनाई होती है, कोयले का स्टाक 3 लाख टन तक किया जा सके। देश में मानसून के दौरान इस कठिनाई के कारण यह मानदण्ड रखा जाता है। अतः हमने इस महीने से कोक कोयले के उत्पादन में 8 प्रतिशत की कटौती करनी आरम्भ की है जिसका अवश्य ही इस्पात के उत्पादन में कमी का अर्थ होता है। ज्योंही अगले दो या तीन महीने में हम स्टाक बना पायेंगे तो हमारे पास मानसून के दौरान इस कमी को पूरा करने के लिए तीन-तीन लाख टन कोयला हो जाना चाहिए। गत मानसून के दौरान ऐसा हुआ था कि सारी इस्पात मिलें बन्द हो गई थीं क्योंकि कोयला खानों में बाढ़ आ गई थी और रेल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं थीं और यातायात न हो सका।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कोयले के स्टाक को बढ़ा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : देश में इस्पात की बड़ी भारी कमी है। कीमतें बढ़ गई हैं। हमें नये इस्पात संयंत्र लगाने हैं। हम इसके लिए उपाय और साधन ढूंढ रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ऐसे दल के हैं जिनकी कई यूनियनें हैं और अन्य माननीय सदस्य कई यूनियनें चला रहे हैं। (व्यवधान) यदि गाड़ियों का आना जाना बन्द हो जाता है, यदि बन्दरगाहों पर, कोयला खानों और इस्पात संयंत्रों में काम बन्द हो जाता है तो मुझे बताइए कि मैं इस प्रश्न का क्या वैध और उचित उत्तर दूं।

(व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपका आरोप क्या है ? क्या आप यह कह सकते हैं कि यूनियनों के कारण कमी हुई है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : तथ्य यह है कि हम यूनियन बनाने वाले हैं और वे यूनियन तोड़ने वाले हैं। अतः वह तब तक उत्पादन नहीं बढ़ा सकते जब तक वह अपनी विचारधारा के अनुकूल परिवर्तन नहीं करते।

महोदय, यह अच्छी बात है कि माननीय ऊर्जा मन्त्री ने सभा में उपस्थित होने की कृपा की है। इसका क्या कारण है कि कोयला का उत्पादन बहुत धीमा है और गोण उत्पादों के उत्पादन में 25 प्रतिशत की कमी हुई है। कमी 45 लाख टन की है। कोयला उत्पादन, इस्पात उत्पादन और रेलवे में पूरी तरह से समन्वय की कमी है।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे पैदा होता है ? आप अपना प्रश्न पढ़िए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कोयला बिना रेल के नहीं आ सकता और रेल बिना इस्पात के नहीं चल सकती ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस्पात पर आधारित मझोले तथा लघु उद्योगों की, जिनमें सप्लाई लगभग बन्द हो गई है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं ? छोटे इस्पात संयंत्रों में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ है, उनमें कितनी धनराशि निवेश की गई है, उनकी क्षमता तथा उत्पादन क्या है और कितने ऐसे संयंत्र बन्द हो गये हैं ?

श्री बीजू पटनायक : महोदय, मैं इन सबका उत्तर उस समय दूंगा जब मेरे मन्त्रालय की मांगें सभा के समक्ष आती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न की इसलिए अनुमति दी क्योंकि आपकी मांगों की सभा के समक्ष आने की सम्भावना नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : मैं समझता हूं कि ऐसी परम्परा है कि उन मांगों को, जिन्हें गतवर्ष नहीं किया गया, इस समय किया जायेगा ।

फिर भी, छोटे इस्पात संयंत्रों में लगभग 20 लाख टन से थोड़ा कम उत्पादन होने की आशा है और उनकी स्थापित क्षमता 32 लाख टन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितनी बन्द हुई हैं ?

श्री बीजू पटनायक : इस समय सभी संयंत्र चल रहे है (व्यवधान) वे संयंत्र, जिन्हें चलाने के लिए ठीक किया गया, चल रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने लगाए गये ?

श्री बीजू पटनायक : लाइसेंसशुदा एकक लगभग 138 से अधिक हैं। इनमें से बहुत से मेरे कार्यभार ग्रहण करने से पहले बन्द हो गए थे। प्रबन्ध बोर्डों की जानकारी के अनुसार वे सभी जो उत्पादन के लिए तैयार थे, उत्पादन कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्या छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए पर्याप्त इस्पात सप्लाई किया जा रहा है 'हां'। उनकी जितनी भी आवश्यकता है, उन्हें रियायती कीमतों पर प्राथमिकता दी जा रही है। मैं सभा को यह जानकारी दे सकता हूं कि लघु उद्योग निगम के पास ऐसे कई तथाकथित छोटे उद्योग पंजीकृत किए गए हैं जो जाली पाये गए। उनकी भारत के लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा जांच की जा रही है। उन्हें काली सूची में शामिल किया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है। इसके लिए मैं पहली बार 'बहुतायत' शब्द का प्रयोग करूंगा ।

श्री गौरी शंकर राय : अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में स्टील मिनिस्टर से नहीं बल्कि प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं कि यह जो स्टील मिनिस्ट्री एनर्जी मिनिस्ट्री पर, एनर्जी मिनिस्ट्री कोल मिनिस्ट्री पर और कोल मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री पर जिम्मेदारी डाल देती है, तो जब जौइंट

रेस्पांसिबिलिटी है क्या प्रधान मन्त्री जी इन तीनों मिनिस्टरों की ओर इन मन्त्रालयों की वर्किंग में कोआर्डिनेशन लाने का कोई ऐसा प्रयास करेंगे ताकि एक मन्त्री दूसरे पर जिम्मेदारी न डाले ? क्या प्रधान मन्त्री जी ऐसा कोआर्डिनेशन करने का कोई प्रयास करेंगे ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : जिस मामले के बारे में मैंने पिछले दिन बताया था, उस मामले में उन्होंने पहले ही कार्यवाही कर ली है ।

श्री सौगत राय : मैं बहुत ही संक्षिप्त प्रश्न पूछ रहा हूं । मुझे आशा है कि जिस अक्खड़पन से मन्त्री उत्तर देते हैं, उस अक्खड़पन से वह उसका उत्तर नहीं देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न भी ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री सौगत राय : प्रश्न बहुत ही नम्रता से पूछा जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री मोरार जी देसाई : उन्होंने यह इस आक्षेप के साथ कहना शुरू किया है कि मन्त्री अक्खड़पन से उत्तर देते हैं । वह ऐसा नहीं कह सकते ।

श्री सौगत राय : सभा मुझसे सहमत होगी ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अनेक मामलों पर सहमत हो सकती है परन्तु कुछ मानदंडों का पालन करना पड़ता है ।

श्री सौगत राय : मैं मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस्पात मंत्रालय ने अपने इस्पात संयंत्रों के लिए 20 लाख मीट्रिक टन कोयला आयात करने का निर्णय लिया है । दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आयात इस बात के बावजूद किया गया है कि गिरिडीह की कोयला खान में बेहतर किस्म का धात्विक कोयला उपलब्ध है । यदि हां, तो इसे आयात करने का क्या कारण है ?

श्री बीजू पटनायक : जो माननीय सदस्य नम्र और सौम्य हैं उनके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं परन्तु जिन्होंने ऐसा आक्षेप लगाया है उन्हें मैं यह बताता हूं कि यदि वह सभा में दिये गए प्रश्नों और उत्तरों का रिकार्ड देखेंगे तो उन्हें पता लग जायेगा कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर कम से कम सात बार दिया है। केवल .10 लाख मीट्रिक टन का आयात किया गया है और आयात केवल आस्ट्रेलिया से नहीं हुआ है । यह विश्व टेण्डर के आधार पर आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि से आयात किया गया है। यह कोयला कहीं भी प्राप्त भारतीय कोयले से बहुत अच्छा है ।

श्री सौगत राय : गिरिडीह के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने कहीं भी उपलब्ध कोयले की बात कही है जब आप अक्खड़पन जैसी बातें कहते हैं तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं ? कहीं भी में गिरिडीह भी शामिल है । इस कोयले का 'ऐश' तत्व उपलब्ध भारतीय कोयले के 'ऐश' तत्व का लगभग 50 प्रतिशत है । इसी कारण हम आयात करके उसे अपने कोयले के साथ मिला देते हैं । इस समय आयातित कोयले ने धमन भट्टियों को बचा लिया है, क्योंकि स्थानीय कोयला उपलब्ध नहीं है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : ऊर्जा, रेलवे, इस्पात और उद्योग मन्त्रालयों में काफी गड़बड़ है। मैंने इस मामले पर प्रधान मन्त्री को भी एक पत्र लिखा है। यह प्रश्न अनेक बार इस सभा में उठाया गया है। क्या मैं प्रधान मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या अब स्थिति में सुधार हो रहा है। कुछ दिनों पहले यह बताया गया था कि इस्पात का उत्पादन घट रहा था। इसी तरह श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी एक वक्तव्य दिया था कि कोयले की कमी के कारण अनेक उद्योग बन्द हो रहे थे। जब हम ऊर्जा मन्त्री से बात करते हैं तब वह कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है। क्या मैं मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या इन तीन या चार मंत्रालयों के बीच समन्वय के कारण गत पखवाड़े में स्थिति में सुधार हुआ है ? इन मन्त्रालयों के बीच समुचित समन्वय रखने के लिए सरकार ने कौन से विशेष कदम उठाये हैं ?

श्री बीजू पटनायक : और जो कुछ मैं कह सकता हूं उसे प्रधान मन्त्री ने पहले ही कह दिया है। समन्वय और भी सुदृढ़ किया जा रहा है और मुझे पूरी आशा है कि सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा। परन्तु जैसा मैंने कहा हैं मैं स्टाक बनाए रखने के लिए कोक भट्टी खपत को कम करने की सावधानी बरत रहा हूं। इस बीच मान लीजिए आशा के मुताबिक यदि कोयले का स्टाक आ जाता है क्योंकि प्रधान मन्त्री ने सम्बन्धित मन्त्रियों के साथ उच्च स्तर पर यह निर्णय ले लिया है, कोक भट्टी खपत को और उत्पादन में घाटे को कम करना आवश्यक नहीं होगा। परन्तु अगले तीन महीने में मानसून के लिए स्टाक बनाए रखने के लिए कोक भट्टी खपत को 8% कम करने की योजना बनायी है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, क्योंकि उस समय स्थिति खराब हो जाएगी।

श्री ओ० के० अलगेशन : महोदय, मैं यह कहता हूं कि मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो बहुत से विशेष प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर मंत्री ने नहीं दिया है।

मंत्री ने पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस्पात की भारी कमी है। सरकारी मूल्य और खुले बाजार के बीच 1000 रुपये से 1300 रुपये तक का अन्तर है। ऐसा अनेक प्रकार का इस्पात है जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास या उनके स्टाकिस्टों के पास उपलब्ध नहीं है परन्तु यह खुले बाजार में उपलब्ध है। यद्यपि इस्पात की कमी है, फिर भी खुले बाजार में कतिपय किस्म का इस्पात उपलब्ध है और इस्पात प्राधिकरण के पास नहीं है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या यह स्थिति की जांच करेंगे।

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले ही बता दिया है कि वास्तविक उपभोक्ता के रूप में अनेक बोगस फर्में रजिस्टर्ड हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि अपने कथित उद्योगों में इसे प्रयोग में लाने की बजाय वे इसे काला बाजार में बेच रहे हैं।

हाल ही में एक या दो महीने पहले हमने उन सामान्य व्यापारियों को, जो इसकी कमी के कारण प्रभावित हैं, कुछ इस्पात देने का निर्णय किया है। हम मांग पूरी करने के लिए अपने आयात की भी भलीभांति योजना बना रहे हैं परन्तु बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करके केवल आयात द्वारा सभी मांगें पूरी करना सम्भव नहीं हैं। हम एक ओर तो उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है कि मंत्रालयों की संयुक्त बैठकों से नतीजा निकल आएगा। हमारे उत्पादन

में सुधार होगा और कुछ आयात करके हमें मांग पूरी करनी होगी । हम नए इस्पात संयंत्रों के लिए भी योजना बना रहे हैं जो निस्सन्देह तत्काल एक हल नहीं है··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा के कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस प्रश्न के उत्तर से बहुत ही गम्भीर और असामान्य स्थिति मालूम हो गयी है । हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें हमें आस्ट्रेलिया से 10 लाख मीट्रिक टन कोयले का आयात करना होगा । परन्तु भीषण बाढ़ों के बावजूद अभी तक हमारे स्वय के कोयला उत्पादन से हमारे इस्पात संयंत्र चलते रहे हैं । अब क्या माननीय मन्त्री इस प्रस्ताव से सहमत होंगे कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति या सभा की किसी समिति द्वारा समूची बात की चांच की जाये, क्योंकि यह तो कोयले के आयात का ही प्रश्न नहीं है परन्तु यह एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके परिणामस्वरूप हम एक बड़ा भंडार रखते हैं । हमने बहुत अधिक धन निवेश किया है । क्या माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में सभा की समिति या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा जाँच कराने के लिए सहमत होंगे ?

श्री बीजू पटनायक : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति पहले ही सभा की एक अधिकृत समिति है । सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को इसका पूरा अधिकार है । और इसका सभापति कोई भी जानकारी मांग सकता है और किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकता है और यदि आवश्यक होगा तो समिति के समक्ष मैं भी पूछताछ के लिए उपस्थित होने को तैयार रहूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा की गई कार्यवाही

*616. **श्री उग्रसेन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है,

(ख) इस निगम ने सितम्बर, 1978 से कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया है, और

(ग) क्या इस निगम का और विस्तार किया जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने उत्पादों का विपणन करने हेतु सितम्बर, 1978 से एक स्वत: रोजगार योजना शुरू की है । 15 मार्च, 1979 तक 8513 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तथा 4584 प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया गया था । इनमें से 2849 व्यक्तियों का चयन किया गया था और 1508 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । इस योजना के अधीन 668 व्यक्तियों को काम से लगाया गया था ।

**सभा के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(ग) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

केन्द्रीय योजना में कटौती

***619. श्री लाल जी भाई : क्या योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने केन्द्रीय योजना के लिए की गई व्यवस्था में कटौती करने की संभावना से इन्कार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) केन्द्रीय योजना के दो संघटक हैं : (1) केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाएं, जो सीधे उन्हीं के द्वारा निष्पादित की जाती हैं; और

(2) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें जो राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की दि० 19 जनवरी, 1979 को हुई बैठक में अपने भाषण में यह विचार अवश्य प्रकट किया था कि पहली श्रेणी के केन्द्रीय योजना में योजना के कार्यक्रमों की सहायता के लिए आवश्यक मूल आधारभूत समर्थन को बहुत अधिक अवक्षय किए बिना कटौती करने की कम गुंजाइश थी।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने दि० 24-25 फरवरी, 1979 की अपनी बैठक में केन्द्रीय योजना के संकेतिक आकार पर विचार किया और यह सहमति प्रकट की कि दूसरी श्रेणी के लिए 6000 करोड़ रु० के प्रस्तावित परिव्यय को कम किया जा सकता था, परन्तु केन्द्रीय मंत्रालयों के परिव्ययों में कटौती करने को कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के क्षेत्र-विस्तार को इस प्रकार से परिशोधित किया जाए जिससे कि 1979-83 की अवधि में 2000 करोड़ रु० की राशि केन्द्रीय क्षेत्र से राज्यों की योजनाओं को अंतरित की जा सके।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निर्माण क्षेत्र से आरक्षित मदों का हटाया जाना

622. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन, टुथ पेस्ट, माचिस, चमड़े का सामान और डबल रोटी तथा बिस्कुट बनाने के कार्य में लगी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निर्माताक्षेत्र से इन वस्तुओं को हटाने के लिए उद्योग मंत्रालय का नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार इस सूची का विस्तार करने और कृषि उपकरणों और स्टेनलैस स्टील के बर्तनों को उस सूची में शामिल करने और उनके निर्माण को छोटे एककों के लिए आरक्षित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ग) क्या नीति के क्रियान्वयन में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच कोई भेदभाव रहेगा, और

(घ) सरकार इस नीति को कब क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) जी, हां । नई औद्योगिक नीति, जिसमें लघु, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है, के एक अंग के रूप में इन उद्योगों में बड़े क्षेत्र द्वारा उत्पादन कार्य छोड़ देने के बारे में एक यथार्थपरक एवं व्यवहारिक नीति बनाई जा रही है । इसमें बड़े क्षेत्र के उत्पादकों के साथ बातचीत करना शामिल है ताकि बातचीत के जरिए यह पता लगाया जा सके कि वह दी गई समय अवधि में किस प्रकार से अपनी विद्यमान क्षमता को छोड़ेंगे, अन्य क्षेत्रों में विवध उत्पादन करेंगे और उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिये लघु क्षेत्र की किस तरह से सहायता करेंगे । इस नीति में बड़े उत्पादकों के उत्पादन को उनकी विद्यमान लाइसेंसीकृत क्षमता तक को नियंत्रित रखने, लघु क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने व इस नीति पर कारगर ढंग से अमल करने का सुनिश्चिय करने के लिये सरकार को अधिक शक्तियां देने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों में संशोधन करने की भी परिकल्पना की गई है ।

(ख) कृषि उपकरणों के विकास को केवल लघु क्षेत्र के लिए ही आरक्षित कर दिया गया है । अभी तक स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के उत्पादन को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं कियां गया है । लघु क्षेत्र में उत्पादन किए जाने योग्य नए उत्पादों व प्रक्रियाओं का पता लगाने हेतु आरक्षित उद्योगों की सूची की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है ।

(ग) नीति के क्रियान्बयन में निजी व सरकारी क्षेत्र के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है ।

(घ) संसद में दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत की गई नई औद्योगिक नीति में की गई घोषणा के अनुसार लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बड़े क्षेत्र के एककों की क्षमता पर रोक लगाकर इस नीति के क्रियान्वयन की दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है । जिन मामलों में बड़े क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया था उनमें अपना उत्पादन घटाकर लाइसेंसीकृत क्षमता तक लाने के लिए बड़े क्षेत्र के एककों और औपचारिक कार्यकारी निदेश जारी कर दिए गए है । लघु क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद के चालू सत्र में एक कानून बनाने का प्रस्ताव है । बड़े क्षेत्र के एककों द्वारा उत्पादन छोड़ने हेतु समूची नीति के एक अंग के रूप में इस समय बनाई जा रही एक यथार्थ-वादी समय सूची प्रस्तुत की जाएगी ।

सीमेंट के उत्पादन के लिए लाइसेंस

625. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **उद्योग** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 के बाद सीमेंट के उत्पादन के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं,

(ख) आवेदनों के अनुसार इन संयंत्रों में कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होने की आशा है, और

(ग) लाइसेंस किन-किन लोगों को जारी किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(क) से (ख) सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए मार्च, 1977 से 7 औद्योगिक लाइसेंस तथा 32 आशय-पत्र जारी किये गये थे जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

क्रम सं०	पार्टी का नाम	क्षमता (लाख मी० टन में)	स्थापना स्थल
1	2	3	4
औद्योगिक लाइसेंस :			
1.	मै० जे. के. सिन्थेटिक्स	4.20 (एस. इ.)	जीमनहेड़ा (राज०)
2.	केसोराम इंडस्ट्रीज लि०	2.50	पेडापाल्ली (आं० प्र०)
3.	मै० मंगलम सीमेंट्स लि०	4.00	मोरक (राज०)
4.	मै. आंध्रा सीमेंट्स	2.50	विजाग (आं. प्र.)
5.	मै. नरमद सीमेंट्स लि.	10.00	जफराबाद, मेगडाला (गुजरात) रत्नागिर (महाराष्ट्र)
6.	मै. पनयम सीमेंट्स लि.	0.43 (एस. इ.)	सीमेंट नगर (आं. प्र.)
7.	मै. मैसूर सीमेंट्स	1.10 (एस. इ.)	अम्मासन्दरा (कर्नाटक)
आशय पत्र :			
1.	मै. के. सी. पी. लि०	0.96 (एस. इ.)	मकर्ला (आं० प्र०)
2.	मै० बिरला जूट	4.00	सतना (म. प्र.)
3.	उदयपुर सीमेंट	2.00	उदयपुर (राज०)
4.	मै० रेमंड वूलन मिल्स	4.00	पथारिया (म० प्र०)
5.	मै० न्यू इंडिया माइनिंग कापर (प्रा०) लि० बम्बई	4.00	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)
6.	मै. डालमिया सीमेंट (भारत लि०	0.70	डालमियापुरम (त० ना०)
7.	एस. डी. पटेल	0.45 सफेद	डोटड (गुज०)
8.	कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स लि०	1.34	बजनारी (बिहार)
9.	श्री एन. के. पी. राजू	3.00	वाडापल्ली (आं० प्र०)

1	2	3	4
10.	मै० राजस्थान स्टेट इंडस्ट. एण्ड मिन० डिवेलपमेंन्ट कार०	0-33	कटपुतली (राज०)
11.	-वही-	0,33	डलरोड, अखारा (राज०)
12.	-वही-	0,33	बिलरा (राज०)
13.	-वही-	0,33	जेतरन (राज०)
14.	-वही-	0·33	
15.	श्री दिगविजय सीमेंट कं० लि०	4,00	ब्यावर (राज०)
16.	श्री के. के. सोमानी	5,00	किवारली (राज०)
17.	ओरिएंट पेपर मिल्स लि०	9,00	आसिफाबाद (आं० प्र०)
18.	यू. पी. एसवेस्टोज लि०	3,60	देहरादून (उ० प्र०)
19.	स्ट्रा. प्रोडक्टस लि०	4.18	बनस (राज०)
20.	ए. सी. सी. लि० (जामुल)	5.00	जामुल (म० प्र०)
21.	ए. सी. सी. लि० (चोन्दा)	1.60	चान्दा (महाराष्ट्र)
22.	पूनालुर पेपर मिल्स लि०	3.00	नीम का थाना (राज०)
23.	टेक्समेको लि०	4,00	यरयुन्तला (आं. प्र.)
24.	हिन्दुस्तान लिवर लि०	4,00	बालोदा बाजार (म० प्र०)
25.	सेन्चुरी सीमेंट्स	2.00	मेहर (म. प्र.)
26.	लरसेन एण्ड ताउब्रो लि०	11,09	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)
27.	सेन्चुरी स्पिनिंगे एण्ड मैन्यु. क. लि.	10.00	-वही-
28.	हिन्दुस्तान स्टील लि०	11.55	चिलहटी (म० प्र०)
29.	ए. सी. सी. लि०	0,25 (सफेद)	कैमोर (म० प्र०)
30.	ए. सी. सी. लि०	1,60	गागल (हि० प्र०)
31.	कोरोमंडल फर्टीलाइजर लि.	9.00	कलमाला (आं. प्र.)
32.	जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	0,50 (सफेद)	बीमबंहेड़ा (राज०)

राजस्थान में औद्योगिक विकास की धीमी गति

*626. **श्री एस॰ एस॰ सोमानी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि राजस्थान में बिजली की कमी तथा परिवहन साधनों के अभाव से लम्बी अवधि से औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है;

(ख) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि बिजली तथा परिवहन सम्बन्धी बाधाओं के कारण राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति धीमी हो गई है। किसी राज्य के औद्योगिक विकास की गति अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें बिजली तथा परिवहन भी शामिल है। जब कभी बिजली अथवा परिवहन सम्बन्धी विशेष समस्याएं केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लायी जाती हैं तो समुचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। रेल मन्त्रालय यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन क्षमता की निरन्तर संवीक्षा कर रहा है तथा उसमें वृद्धि करने हेतु कार्रवाई कर रहा है। जब कभी आवश्यक समझा जाता है तो प्राथमिकता के आधार पर यातायात को चलाने के लिए सहायता भी दी जाती है। 1956 में राज्य में समतल तथा विषमतल सड़कों की लम्बाई 22,518 किलोमीटर थी। यह लम्बाई 1978 में बढ़ कर 29,194 किलोमीटर तक हो गई है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है राजस्थान में अधिष्ठापित क्षमता 1951 के 31 मेगावाट से बढ़ कर मार्च, 1978 के अन्त तक लगभग 939 मेगावाट तक हो गई थी। चालू परियोजनाओं से चालू योजना अर्थात् 1978-83 के अन्त तक बिजली उत्पादन क्षमता 1,550 मेगावाट हो जाने की आशा है।

रजनीश आश्रम

*627. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि आचार्य रजनीश के पूना स्थित आश्रम में जाने वाले विदेशियों को वीजा न दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्। जनवरी, 1978 में अनुदेश जारी किए गए थे कि पूणे में रजनीश आश्रम में प्रवेश के इच्छुक किसी विदेशी को वीजा नहीं दिया जाना चाहिए।

(ख) सरकार की जानकारी में लाई गई अवांछनीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुदेशों का जारी किया जाना आवश्यक समझा गया था।

समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोत

*628. **श्री एस॰ आर॰ दामाणी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत की वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इसके कब तक प्राप्त किये जाने तथा चालू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) नौका की लागत क्या होगी और उसमें भुगतान की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) अभी परियोजना के लिए सरकार की प्रतीक्षा की जा रही है। परिणामस्वरूप ऐसे अनुमोदन के बिना जलयान प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(ख) अन्तिम स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद लगभग 3 वर्ष में इसके चालू किए जाने की आशा है।

(ग) मूल और डिपो/पुर्जों, परामर्श सम्बन्धी प्रशिक्षण और परियोजना प्रभार सहित जलयान पर कुल लागत लगभग 25 करोड़ रु० आने की आशा है। इसमें से संघीय जर्मन गणराज्य (एफ. आर. जी.) ने 14 करोड़ रु० पूंजीगत सहायता प्रदान करने का संकेत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जलयान पर प्रतिष्ठापित करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और यन्त्रों के लिए 6 करोड़ रुपये के पूंजीगत अनुदान का भी संकेत दिया है। इन सब पर अभी सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

सरकारी क्षेत्र में नयी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

***629. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में नयी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ख) ऐसी नयी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्थान चुनने का मुख्य आधार क्या होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में स्थापित करने की बजाय पूर्णत: विकसित और अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने का है।

उद्योग मन्त्री (जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र की नई परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्तावों को पंचवर्षीय योजना (1978-83) के मसौदे में शामिल किया गया है।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापना स्थलों का निर्धारण मुख्यत: तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ग) सरकार की यह नीति है कि केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना हेतु मुख्य औद्योगिक केन्द्रों के मुकाबले कम विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए बशर्ते कि यह स्थापना तकनीकी आर्थिक पहलुओं से उपयुक्त हो।

महासागर क्षेत्र में संसाधनों का सर्वेक्षण

*630. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के इर्द-गिर्द 300 मील महासागर क्षेत्र में संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये कोई एजेन्सी बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) ओशन साइंस एण्ड टैक्नोलोजी एजेन्सी (ओस्टा) के एक विभागीय बोर्ड की सर्वप्रथम दिसम्बर, 1976 में स्थापना की गई थी। अक्तूबर, 1978 में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। ओस्टा के तत्वावधान में 200 समुद्री मील तक फैले अनन्य आर्थिक जोन में सर्वेक्षणों और अन्य महासागर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है, जिसमें भारत के राजपत्र में अधिसूचित इस बोर्ड का संघटन, इसके व्यापक ध्येय और ओस्टा की स्थाई समिति का संघटन दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4249/79]

इलेक्ट्रानिक्स के सम्बन्ध में आयात नीति

*631. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** :
श्री निहार लास्कर : क्या **इलेक्ट्रानिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी के सम्बन्ध में उदार बनाई गई आयात नीति के उपकरण निर्माताओं को कोई लाभ नहीं पहुंचा है क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी भी सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या "भारत में नहीं बनी" प्रमाण पत्र की शर्त का त्याग करने से इलैक्ट्रॉनिकी उपकरण निर्माताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो मुख्य रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(घ) क्या आल इंडिया इंस्ट्रटमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एंड डीलर्स एसोसियेशन के एक चार सदस्यीय दल ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहित विभिन्न देशों का दौरा किया था और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों के बारे में सरकार को एक प्रतिवेदन दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उनके सुझावों से सहमत हो गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ङ) उदार आयात नीति से उपकरण-निर्माता उसी प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं जैसा अन्य इलेक्ट्रानिक उत्पादों के निर्मातागण। वर्ष

1978-79 की आयात नीति के अन्तर्गत कई इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओपन जनरल लाइसेंस) के अन्तर्गत आयात किया जाता है और कई अन्य संघटक पुर्जों को भी इसकी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के बगैर स्वत: आयात लाइसेंसिग योजना (ऑटोमेटिक इंपोर्टिंग लाइसेंसिग स्कीम) के अधीन आयात किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के आयात के लिये "भारत में निर्मित नहीं किया गया सम्बन्धी प्रमाण पत्र" (एन० एम० आई० सी०) की आवश्यकताओं को समाप्त नहीं किया गया। वस्तुत: यह प्रमाण पत्र सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने के दावे के समर्थन में पेश किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को न तो प्रश्न में उल्लिखित दल की यात्रा के बारे में जानकारी है और न ही वह इसकी किसी रिपोर्ट से अवगत है। परिणामत: उनके द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।

टेलीविजन सेटों के अधिक मूल्य

*632. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **इलेक्ट्रानिकी मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में निर्मित टेलीविजन सेटों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों से बहुत अधिक हैं;

(ख) क्या वेस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को टेलीविजन के कुछ पुर्जों का आयात करने की अनुमति दी गई है और उसे अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं परन्तु उनके टेलीविजन सेटों के मूल्य अभी भी बहुत अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो टेलीविजन के पुर्जों के आयात के लिए दी गई सुविधाओं तथा कम्पनी को वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान दी गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि कम्पनी ने इन सुविधाओं का दुरुपयोग किया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (घ) भारत में स्थानीय रूप से निर्मित दूर-दर्शन सेटों का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। एक 51 से० मी० वाले मल्टी चैनल दूरदर्शन सेट का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औसत मूल्य 90 डालर है, जबकि भारतीय बाजार में इसकी कीमत 2,200 रु० बैठती है। मूल्यों में यह अन्तर मुख्यत: इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों की ऊंची कीमतों के कारण है और न केवल दूरदर्शन सेटों में प्रयुक्त संघटक पुर्जों पर अपितु स्वयं दूरदर्शन सेट पर लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों एवं करों के भार के कारण भी है। मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत समय-समय पर स्वीकार्य अपने "वास्तविक प्रयोक्ता तथा प्रतिपूर्ति" लाइसेंसों का उपयोग कर रहे हैं। कंपनी द्वारा बनाए जा रहे दूरदर्शन सेटों के मूल्य अन्य भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित किए जाने वाले इसी प्रकार के सेटों के मूल्यों के समतुल्य हैं। सामान्यत: मेसर्स वेस्टर्न इलेक्ट्रानिक्स ने उन सुविधाओं का लाभ उठाया है जो दूरदर्शन सेटों के निर्माताओं

को अधिक रूप से उपलब्ध हैं। वे लघु उद्योग क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यात में अग्रणी हैं और उन्हें उसी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जो आम तौर पर लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध हैं।

अनधिकृत विद्युत करघों का नियमित किया जाना

***633. क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जुर्माना लेकर वर्तमान अनधिकृत विद्युत करघों को नियमित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 और 1978 में कितने अनधिकृत विद्युत करघे नियमित किए गये;

(ग) अभी कितने अनधिकृत विद्युत करघों को नियमित किया जाना है;

(घ) क्या दक्षिण महाराष्ट्र पावरलूम ओनर्स एसोसियेशन ने विद्यमान विद्युत करघों को तेजी से नियमित करने और उनके सामने आ रही वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यवाही करने का सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) 7 अगस्त, 1978 को संसद में सभा पटल पर रखे गए कपड़ा नीति सम्बन्धी विवरण में यह बताया गया है कि विद्यमान अनधिकृत बिजली चालित करघों को कड़े अर्थ दंड का प्रस्ताव करने पर ही नियमित पंजीकृत किया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया का तरीका विधि मन्त्रालय के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। अभी तक कोई अनधिकृत करघा नियमित नहीं किया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) पार्टी को सूचित कर दिया गया था कि मामला विचाराधीन है।

जिला औद्योगिक केन्द्रों का कार्यकरण

***634. श्री राम विलास पासवान** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला औद्योगिक केन्द्रों पर किये गए व्यय के संदर्भ में इनके उत्पादन एवं रोजगार पहलुओं के संबन्ध में योजना आयोग के क्या विचार हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों की उपयोगिता, क्षमता, दक्षता तथा रोजगारोन्मुखता के प्रश्न पर गत डेढ़ वर्षों के दौरान योजना आयोग और उद्योग मंत्रालय के बीच कुछ असहमति रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम योजना आयोग के परामर्श से तैयार किया गया था तथा उसको अंतिम रूप दिया गया था। जिला उद्योग केन्द्रों पर होने वाले व्यय के संदर्भ में इनके उत्पादन एवं रोजगार सम्बन्धी पहलुओं का मूल्यांकन करने की पहल योजना आयोग द्वारा नहीं की गई है।

(ख) इन केन्द्रों की उपयोगिता, क्षमता, दक्षता तथा रोजगारोन्मुखता के प्रश्न पर योजना आयोग तथा उद्योग मन्त्रालय के बीच कोई भी असहमति नहीं रही है। वास्तव में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग जिला उद्योग केन्द्रों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बीच उपयुक्त सम्बन्धों का पता लगाने में पूरी तरह से सम्बद्ध रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हवालाती व्यक्तियों की नजरबन्दी के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

*635. **श्री सरत कार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि हवालाती व्यक्तियों को असामान्य रूप से लम्बी अवधि तक जेलों में न रखा जाए;

(ख) जेलों में स्थान बढ़ाने और रहन-सहन की दशा में सुधार करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ग) क्या यह सच है कि जहां तक रहन-सहन की हालत के प्रश्न का सम्बन्ध है देश में उड़ीसा राज्य की लगभग सभी जेलों में बहुत बुरी हालत है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य में राज्य मन्त्री (श्री एस. डी. पाटिल): (क), (ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4250/79)

वेस्टोबेल इंडिया लि० में शेयरों का अर्जन

636. **श्री सोम नाथ चटर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वेस्टोबेल इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारी यूनियनों से इस समय विदेशी राष्ट्रिकों के शेयरों वाली इस कम्पनी के भारत सरकार के एक उपक्रम-इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा 44 प्रतिशत शेयरों के अर्जन के बारे में अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) एक एकाधिकार गृह को उक्त शेयरों के 18 प्रतिशत शेयर अर्जित करने देने तथा शेष 26 प्रतिशत शेयरों का इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा अर्जन करने की अनुमति देने का क्या औचित्य है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

80-89 के दशक में कागज की मांग

*637. **श्री गण नाथ प्रधान :**

श्री के॰ टी॰ कोसल राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि 80-89 के दशक में देश में कागज की कितनी मांग होगी; और

(ख) क्या देश में विद्यमान एकक मांग को पूरा कर सकेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) पंचवर्षीय योजना (1978-83) के मसौदे के अनुसार वर्ष 1982-83 में 14.25 लाख मी॰ टन एवं 1987-88 में 19.40 लाख मी॰ टन कागज व गत्ते की मांग होने का अनुमान है।

(ख) उद्योग की 1-4-1979 की विद्यमान क्षमता 13.95 लाख मी॰ टन है जो इस बताई गई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। सरकारी क्षेत्र में परियोजनाएं लगाकर व निजी क्षेत्र में लाइसेंस देने की योजनाओं के द्वारा क्षमता बढ़ाने हेतु कार्रवाई की गई है।

बुरहारनपुर ताप्ती मिल्स द्वारा कपड़े का बेचा जाना

6001. **श्री हुकम चन्द (कछवाय) :** क्या **उद्योग** मन्त्री 16 अगस्त के तारांकित प्रश्न सं॰ 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 तक की अवधि के दौरान बुरहानपुर ताप्ती मिल्स द्वारा किन-किन पार्टियों को ग्रे कपड़ा बेचा गया था और बेचे गये कपड़े की मात्रा, किस्म और मूल्य क्या है;

(ख) क्या पार्टियों को कुछ धनराशि अग्रिम जमा करनी पड़ती है और यदि हां तो कितनी, और निगम पार्टियों पर कौन-कौन सी शर्तें लगाती है और क्या कुछ ऐसी पार्टियां है जो निगम से इस कपड़े की भारी मात्रा खरीदती हैं और इसे स्वयं बेचने का प्रयास करती हैं और यदि हां, तो क्या सरकार को इसका पता है और ऐसी पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ग) कितनी और किन-किन पार्टियों ने इस अवधि के दौरान निगम से ग्रे प्रोसेसड कपड़ा खरीदा था लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कपड़ों की इन खेपों की डिलिवरी नहीं ली थी और इसके परिणामस्वरूप निगम को कितनी राशि की हानि हुई; और

(घ) क्या इन पार्टियों को छूट दी गई थी और यदि हां, तो प्रत्येक पार्टी को दी गई छूट की राशि क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जनवरी, 1975 से मार्च, 1978 की अवधि की जानकारी क्रमश: 19.4.78 तथा 16-5-78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7460 तथा 9827 से सम्बन्धित आश्वासन को पूरा करने हेतु संसद पुस्तकालय में रखी जा रही है। अनुभव से ज्ञात होता है कि जानकारी इकट्ठा करने में लगने वाले परिश्रम के अनुकूल फल नहीं निकलेगा।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शाह आयोग के सचिव को पुलिस अनुसंधान ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना

6002. **श्री सुरेन्द्र सिंह :**

श्री सौगत राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1979 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि शाह आयोग के सचिव ने सरकार द्वारा उन्हें पुलिस अनुसंधान ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के निर्णय के विरोध में समय से पूर्व सेवा निवृत्त होने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अपनाई गई नीति अथवा कसौटी का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) शाह आयोग के बन्द हो जाने पर शाह आयोग के सचिव श्री पी० आर० राजगोपाल को कम वेतनमान के पद पर नियुक्त किया गया था। श्री राजगोपाल ने निम्न पद पर अपनी नियुक्ति से अप्रसन्न होकर अनुरोध किया कि उन्हें समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति दी जाए। इसलिए वह प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री से मिले थे। उनके साथ अपने विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि उनके पूर्व अनुरोध पर पुन: विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसी नियुक्तियां और स्थानांतरण पदों की उपलब्धि पर निर्भर करते हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए धनराशि में कमी

6004. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित और अविकसित राज्यों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित अथवा सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु आबंटित धनराशि में कमी करने का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य अविकसित राज्य को धनराशि आबंटित किये जाने के परिणामस्वरूप कौन-कौन से राज्य प्रभावित होंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 24-25 फरवरी, 1979 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में कुछ परिशोधनों के लिए सहमति प्रकट की। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसी स्कीमों के लिए धनराशि की व्यवस्था में 1979-83 के अगले 4 वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रु० की कमी हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह भी निर्णय किया कि इस प्रकार से दी जाने वाली धनराशि को हरेक राज्य की आय समायोजित कुल जनसंख्या (आ० स० कु० ज०) के आधार पर, अर्थात जनसंख्या द्वारा गुणित राज्य को प्रति व्यक्ति आय के विलोम के आधार पर, विशेष श्रेणी से इतर 14 राज्यों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। यह फार्मूला गाडगिल फार्मूले की अपेक्षा अनेक कम विकसित राज्यों के लिए अधिक अनुकूल है।

ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों की शर्तों पर प्रतिबन्ध

6005. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवा में ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों की भर्ती पर गत कुछ वर्ष से लगा प्रतिबन्ध अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभिन्न कार्यालयों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को यथाशीघ्र उठायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (एल० डी० पाटिल) : (क) से (ग) चपरासियों के विनियोजन की सम्पूर्ण प्रणाली को पुनरीक्षा के होने तक, जून, 1976 में चपरासियों के रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। यह प्रतिबन्ध समूह 'घ' के अन्य पदों पर लागू नहीं था। अब प्रतिबन्ध को उठा लिया गया है और 21-3-79 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

रुग्ण कपड़ा एककों को अपने नियन्त्रण में लेना

6006. **श्री अमर सिंह** (राठवा) : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्यवार अब तक ऐसे कितने कपड़ा एककों को अपने नियंत्रण में लिया है जो रुग्ण हैं। जिनका प्रबन्ध ठीक प्रकार नहीं किया गया;

(ख) इन एककों ने गत तीन वर्षों के दौरान कितने कपड़े का निर्माण किया तथा निर्यात किया और कितना लाभ अर्जित किया अथवा हानि उठाई तथा कितनों को रोजगार प्रदान किया; और

(ग) इन एककों की स्थिति सुधारने तथा इनके प्रबन्धों को मजबूत बनाने और उसको पुनर्गठित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 बन जाने के बाद से समय-समय पर 21 सूती वस्त्र मिलों का उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम अथवा अन्य प्रकार से अधिग्रहण किया गया है। इनका राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

गुजरात	2
महाराष्ट्र	3
मध्य प्रदेश	1
तमिलनाडु	2
केरल	3
पश्चिम बंगाल	1
उत्तर प्रदेश	6
राजस्थान	1

कर्नाटक	1
पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1

(ख) तथा (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात राज्य के बेरोजगारों को सहायता

6007. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में बेरोजगार स्नातकों तथा इंजीनियरों सहित शिक्षित बेरोजगारों के बारे में कोई जानकारी एकत्र की है;

(ख) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी सहायता के लिये कितनी राशि दी गयी; और

(ग) क्या सम्पूर्ण राशि इस बीच राज्य सरकार द्वारा खर्च की जा चुकी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) राज्य सरकार ने 1978-83 के लिए अपनी योजना के प्रारूप में, योजना के आरम्भ में 0.58 लाख स्नातकों और डिप्लोमाधारियों सहित काम की तलास करने वाले शिक्षितों की संख्या 2.62 लाख होने और इस योजना की अवधि में 2.30 लाख स्नातकों और डिप्लोमाधारियों सहित काम तलाश करने वाले शिक्षितों की संभावित वृद्धि की संख्या 5.27 लाख होने का अनुमान लगाया है।

(ख) और (ग) पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के विकास, औद्योगिक आधार के विस्तार और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन, आधारभूत व्यवस्था संबंधी सुविधाओं के निर्माण, सामाजिक सेवाओं के विस्तार, परिशोधित न्यूनतम आवश्बकता कार्यक्रम और पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र-आयोजना के जरिए स्व-रोजगार के अवसरों सहित रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में ऐसे परिव्ययों की मात्रा ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है जिनके परिणामस्वरूप गुजरात में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा। एक केन्द्रीय स्कीम शिक्षित व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार और साथ ही वेतनयुक्त रोजगार को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य से चल रही है। वह उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली उपांत/बीज धन स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को 1977-78 में 40 लाख रु० दिए थे, जिनमें से केवल 4.86 लाख रु० खर्च किए गए। इसके अलावा इससे पहले पांच लाख रोजगार कार्यक्रम और रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो 15.79 लाख रु. दिए गए थे वे भी खर्च नहीं किए गए वे 1979-80 के लिए किसी अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया गया है। 1979-80 के लिए राज्य की योजना में भी 1979-80 के लिए 3.89 करोड़ रु० के परिव्यय से शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक स्कीम को परिकल्पना की गई है।

भारतीय रुई निगम के रुई वसूली केन्द्र की स्थापना

6008. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अक्तूबर, 1978 को केशोद से ऐसी कोई मांग प्राप्त हुई है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ जिले में केशोद सिटी या माणावदर में भारतीय रुई निगम का रुई वसूली केन्द्र स्थापित किया जाए,

(ख) यदि हां, तो इस मांग का स्वरूप और ब्यौरा क्या है तथा यह मांग किसकी ओर से की गई है, और

(ग) केशोद या माणावदर में रुई वसूली केन्द्र कब तक खोला जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) (ख), तथा (ग) मैसर्स रति लाल करसनजी विन्निंग एण्ड प्रेसिंग फैक्टरी, केशोद से नवम्बर, 1978 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जो भारतीय कपास निगम द्वारा केशोद में एक कपास खरीद केन्द्र खोलने के बारे मे था। माणावदार के बारे में कोई अन्य अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय कपास निगम ने हाल ही में केशोद में एक खरीद केन्द्र खोला है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को वार्षिक छुट्टी

6009. **श्री दया राम शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को 2 मास की वार्षिक छुट्टी न देने के क्या कारण हैं, जबकि सीमा सुरक्षा बल के जवानों को यह छुट्टी दी जाती है;

(ख) क्या दोनों बलों का कार्य एक ही प्रकार का है और यदि हां, तो ये छुट्टी की सुविधा के सम्बन्ध में दोनों के बीच भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सम्बद्ध अधिकारियों को आदेश देने का है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को भो दो मास की वार्षिक छुट्टी की सुविधा दी जाए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क), (ख) और (ग) यह सच नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों को साल में दो महीने की छुट्टी दी जाती है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जवानों को यह लाभ नहीं दिया जाता है। इस समय इन दोनों बलों के जवानों को साल में 45 दिन की छुट्टी दी जाती है। किन्तु सरकार ने अब उपयुक्त दोनों बलों के जवानों को साल में 60 दिन की छुट्टी देने का निर्णय किया है। सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तत्संबंधी छुट्टी के नियमों में संशोधन करने के लिए विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कर्नाटक में और जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

6010. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जिला उद्योग केन्द्र योजना का विस्तार छः और जिलों में करने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)) : (क) जी हां ।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार छः और जिला उद्योग केन्द्रों के लिए स्वीकृति दे दी गई है ।

टेनरी एण्ड फुटबियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतनमान

6011. **श्री मदनलाल शुक्ल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेनरी एण्ड फुटबियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (टाफको) कानपुर के मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के बारे में जी० ओ० सं० 12-10-74-एल. आर. जी. 28 दिसम्बर 1971 को जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 'टाफको' के प्रबन्धकों ने प्रभावित कर्मचारियों से अनेक अभ्यावेनन प्राप्त होने के बावजूद पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने से पूर्व मंत्रालय से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है,

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने से बाद मंत्रालय से मांगे गये स्पष्टीकरण गत दो वर्षों से नहीं भेजे गये हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) आदेश को गलत ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा सरकार के आदेशों के अनुसार उपयुक्त फार्मूले अपनाने के बाद संशोधित वेतनमान में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन निर्धारित किये गये थे चूंकि कर्मचारियों ने संशोधित वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित किये जाने के बारे में अभ्यावेदन दिये थे, अतः कारपोरेशन जून, 1977 में प्रश्नाधीन आदेशों के क्रियान्वित किये जाने पर उठाई गई कुछ बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था। मामले की जांच करने के लिए कारपोरेशन से और जानकारी मांगी गई थी जो फरवरी, 1978 में प्राप्त हुई थी। मामला अभी विचाराधीन है ।

(घ) चूंकि वेतन संशोधन आदेश को क्रियान्वित किये जाने पर उठाई गई बातों पर अभी विचार किया जा रहा है अतः आदेशों को क्रियान्वित किये जाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध इस अवस्था में कार्यवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रालयों में हिन्दी सहायकों की नियुक्ति के बारे में अनुदेश

6012. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी सहायकों को स्थायी नियुक्ति के बारे में विभिन्न मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योग में आयात प्रतिस्थापन में प्रगति

6013. **श्री ए० के० राय** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 15 वर्षों में उद्योग में आयात प्रतिस्थापना में क्या प्रगति हुई है, विस्तार से इसके लाभ क्या हैं,

(ख) क्या जनता शासन के गत दो वर्षों में इसमें कमी आयी है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) से (ग) आयात प्रतिस्थापन के निम्नलिखित दो तत्व हैं :

(1) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु पहले से बनाई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना जिसके बिना आयात करना पड़ता है ।

(2) देश में पहली बार ऐसी वस्तुएं बनाना जिनका अब तक आयात किया जा रहा था तथा जिसके फलस्वरूप स्थानीय उत्पादन की सीमा तक आयात प्रतिस्थापन करना पड़े ।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय की देखरेख में कार्य करने वाले उद्योगों के उत्पादन का निवत मूल्य 1977 में 12,600 करोड़ रुपये था, जबकि 1976 में उत्पादन का यह निबत मूल्य 10,900 रुपये था । अतएव, 1976 की तुलना में 1977 के दौरान हुई उपयुक्त उत्पादन वृद्धि आयात प्रतिस्थापन के उपयुक्त भाग-1 में मानी जाती है ।

1977 में पहली बार बनाई गई प्रमुख वस्तुओं की एक सूची विवरण-1 में संलग्न है ।

1978 में, तकनीकी विकास के महानिदेशालय के उद्योगों में 1977 की तुलना में अनुमानित 10 प्रतिशत विकास की दर रिकार्ड की गई हैं । 1978 में अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा 1977 के उत्पादन से लगभग 1,260 करोड़ रुपये अधिक होगी, जिसका श्रेय आयात प्रतिस्थापन को दिया जा सकता है ।

इसी प्रकार, 1978 के दौरान देश में पहली बार बनाई गई कुछ प्रमुख नई वस्तुओं की एक सूची विवरण-2 में संलग्न है ।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय उद्देश्य के एक अभिन्न अंग के रूप में आयात प्रतिस्थापन पर निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे ।

पिछले वर्षों के इस प्रकार के आंकड़े तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त किए जा सकते हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

विवरण

1977 में देश में पहली बार बनाई गई सी० जी० की नई वस्तुओं को दर्शानेवाला विवरण

क्रम संख्या	बनाई गई वस्तुएं	उत्पादक का नाम
1.	हैवी ड्यूटी ट्रेलर 80 टन की क्षमता वाले	मैं० कर्नाटक इम्पलीमेंटस एण्ड इंडस्ट्रीज लि० बंगलौर।
2.	कोल हौलर (बाटम डम्पर)	मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, चिंगलपुट, तमिलनाडु।
3.	हैवी ड्यूटी क्रेश फायर टेंडर्स	मैं० ब्रजबासी उद्योग, मथुरा (उ० प्र०)
4.	सीओ 2 फिक्सड फायर फाइंडिग इन्स्टा-लेशन्स फार मैरीन एप्लीकेशन्स	,, विजय मशीनरी स्टोर, बंबई।
5.	प्रोटोटाइप ग्राफ बाइब्रेटरी रोड रौलर्स	,, मैं० जैसप एण्ड कं०, कलकत्ता।
6.	प्रोटोटाइप ग्राफ 4.5 क्यू० या० व्हील्ड लोडर्स	,, भारत अर्थ मूवर्स लि०, बंगलौर।
7.	इलैक्ट्रिक हाइड्रालिक क्रेनें	,, जैसप एण्ड कं. लि. कलकत्ता
8.	टिप रोन मिल्स (हाईड्रोलिक टाइप) पेन्ट मशीनरी	,, रिचर्डसन एण्ड क्रेडास एण्ड क्रूडास (1972) लि०, बंबई।
9.	ग्राक्सीजन, हाईड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम तथा अर्गन इत्यादि के लिए औद्योगिक गैस सिलेंडर	,, भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लि०, नैनी
10.	पिले ड्रिलिंग रिक, ड्रिलिंग इक्विपमेंट	,, वोल्टास लि०, बंबई।
11.	डीजल इलैक्ट्रिक ड्रिलिंग रिग (ग्रायलरिग) वही	,, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० हैदराबाद।
12.	एक्स-मस ट्री ½ इंच × 2 इंच × 5000 पी० एस० ग्राई वही फायर ग्रानशोर ड्रिलिंग	,, भारत हैंवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ,, तिरुचिरापल्ली।
13.	वर्टिकल स्पिंडल रोटरी ड्रेबल सरफेस ग्राइंडर	,, किर्लोसकर ब्रदर लि०, किर्लोस्करबाड़ी
14.	फ्लेम प्रूफ स्विचगियर 3.3 के० वी०	,, एण्ड यूले एण्ड कंपनी कलकत्ता।
15.	मैटल डिटेक्टर्स	,, पावर बिल्ड प्रा. लि., गुजरात।
16.	टैक्नोजेनेरेटर्स	,, एडी करेन्ट कंट्रोल्स प्रा. लि., केरल।

17.	आटोमेटिक स्टैंसिल कटिंग मशीन	मै० बी. पी. एल. इण्डिया प्रा. लि. बंगलौर।
18.	मैथने टेलीमीटरिंग इक्विपमेंट	,, भारत बिजली लि., बंबई।
19.	फोटोकापीइंग मशीन	,, दास रिक्रोग्राक्स प्रा. लि. कलकत्ता।
20.	कैमरा	,, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि., कलकत्ता।
21.	ब्रीथ एनालाइजर्स	,, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता।
22.	पोस्ट आफिस मीटर्स	,, बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. बम्बई।

रसायन वस्तुएं :

23.	थियोनाईल क्लोराइड	मै० कालाजी कैमीकल्स प्रा. लि. अतलान्द्रा (बड़ौदा)।
24.	डिचलोर बैंजीडीन	,, सुन्दरशन कैमीकल्स इंडस्ट्रीज (प्रा. लि.) पूना।
25.	एम्पीसीलिन	,, एच. ए. एल. पिम्परी।
26.	क्लोरोफेनाइरामाइन मालियाडे	,, सीर्ले (इण्डिया) लि. बम्बई।
27.	एथाम्बुतुल	,, थीमिस कैमीकल, वापी।
28.	सालबुटामोल	,, सी. आई. पी. एल. ए., बम्बई।
29.	इलैक्ट्रोकास्ट रिफैक्टरीज्	,, कारबोरैंडम यूनिवर्सल लि., मद्रास।
30.	फैंथोएट टैकनीकल	,, भारत पुलवर्सिंग मिल्स (प्रा. लि.) बम्बई।
31.	कारबारिल	,, यूनियन कारबाईड (इं.) लि., भोपाल।
32.	नाइट्रोफुरेंटन	,, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स हैदराबाद।
33.	नाइट्रोफरेजोन	,, इण्डियन प्रोसेस कैमीकल लेबोरेटरी (प्रा.) बंगलौर।
34.	फोप्रानोलोल हाइड्रोक्लोराइड	,, कैमीकल इंडस्ट्रियल एण्ड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, बंवई।
35.	क्लोनीडाइन हाइड्रोक्लोराइड	,, कैमीकल इंडस्ट्रियल एण्ड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, बम्बई।
36.	केनामाईसिन	,, एलेम्बिक कैमीकल्स वर्क्स लि., बड़ौदा।
37.	ग्लाईबेनीलेमाइड	,, होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि., बम्बई।

———

विवरण-2

1978 के दौरान देश में पहली बार विकसित नई वस्तुओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र० संख्या	उत्पादन की वस्तु	उत्पादक का नाम
1.	(क) एन. सी. मशीन सैंटर्स	मै. एच. एम. टी. बंगलौर।
	(ख) एक्सट्रूशन प्रेसेज	,, देवी एशमूर इण्डिया लि., कलकत्ता।
	(ग) टूरेट ड्रिलिंग मशीनें	,, एक्यूमैक्स लि., राजकोट।
2.	2000 बी. एच. पी. हारबर टग 32 मी. टन के फुल बैलर्ड के साथ जो 100000 डी. डब्ल्यू. टी. तक डाकिंग और गैरडाकिंग पैनामैक्स बल्क कैरियर और वैसल्स बनाना	,, मै. कोचन शिपयार्ड लि.।
3.	पोलीप्रोपाईलीन	मै. आई. पी. सी. एल।
4.	प्रिसीजन फोटोग्राफी के लिए सिंगल लैंस रिफलैक्स कैमरा	,, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि., कलकत्ता।
5.	गैस मीटर्स	वही
6.	डैंटल यूनिट तथा डैंटल एक्स-रे उपकरण	,, सीमेंस इण्डिया लि., बंबई।
7.	स्टील प्लांस वाल्व्ज	,, लार्सन एण्ड ट्यूब लि., बंबई।
8.	टी. ई. एफ./एफ. ई. पी./टी.ई.एफ. जेड. ई. एल. तथा अन्य फ्ल्यूरो कार्बन तथा फ्लोर पोलिगर इंसूल्टेड केबल्स और तारें	,, मैकेनीकल पैकिंग इण्डस्ट्रीज।
9.	टीटेनियम हीट एक्सचेंज	,, टिटेनियम इक्विपमेंट एण्ड एनोड मैन्यू. कं. लि., मद्रास।
10.	क्राफ्ट्स प्रेस अर्थात आटोमेटिक प्लेटन प्रेस	,, मैकेनेफेब्रिक आफ इण्डिया लि., बम्बई।
11.	1200 टी. पी. डी. ड्राई प्रोसेज सीमेंट प्लांट	,, लार्सन एण्ड यूबरो लि. बम्बई।
12.	फ्ल्यूड कपलिंग्स आफ वैरियेनल फिल टाइप	,, किर्लोस्कर फोमेटिक लि., पुणे।
13.	ड्रा ऐक्चराइजिंग मशीन	,, लोहिया मशीन्स लि. कानपुर।
14.	200 मे. वा. बायलर्स	,, बी. एच. ई. एल., तिरुचिरापल्ली।
15.	फिगर्स एण्ड वायर ग्लास मशीन	,, वल्लभ ग्लास वर्क्स, वल्लभ विद्यानगर।

16.	700 टी. पी. एच. कोल वाशरी	मै. एम. ए. एम. सी., दुर्गापुर तथा मे. मोनाली भारत इंजीनियरिंग कं. लि. धनबाद।
17.	डम्प ट्रक 15 मी. टन की क्षमता के	,, जैसप एण्ड कं. लि., कलकत्ता।
18.	क्रोवलर लोडर्स 60 से 95 अ. शा क्षमता के	-वही-
19.	ट्रक माउंट्रेड हाइड्रोलिक क्रेनें 0.8,2 तथा 5.5, मी. टन क्षमता की	,, ऊषा एटलस हाइड्रोलिक इक्विपमेंट लि., कलकत्ता।
20.	व्हील्ड लोडर्स 3.5 क्यूक मी.	,, भारत अर्थ मूवर्स लि., बंगलौर
21.	बाटम डम्पर्स 35 मी. टन क्षमता	-वही-

नई दिल्ली नगरपालिका के लिये चुनाव

6014. **श्री नाथू सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली नगरपालिका के लिये चुनावों के सम्बन्ध में दिल्ली महानगर परिषद की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली महानगर परिषद की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं किया है; और

(ग) उक्त निर्णय कब तक किया जाएगा और महानगर परिषद को सूचित किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रचार पर व्यय

6015. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रचार पर प्रतिवर्ष हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रचार के लिये गत तीन वर्षों में वर्षवार, भाषावार, उपयोग में लाये गये दैनिक समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) उन भाषायी दैनिकों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यों के बारे में किसी विशेष संवाददाता अथवा किसी लेख के माध्यम से लिखा है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रचार महानगरीय दृष्टिकोण पर आधारित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्रचार को ग्रामोन्मुख बनाने के लिये की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख), (घ) तथा (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा एक उत्तर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है तथा पिछले तीन वर्ष की अवधि के लिए अब इसे इकट्ठा करना बड़ा कठिन होगा।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

60,6. **श्री ए० के० साहा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चण्डीगढ़ में गत पांच वर्षों में विभागीय चयन अथवा सीधे चयन के द्वारा कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया गया है;

(ख) चतुर्थ श्रेणी के इस प्रकार के विभागीय उम्मीदवारों के लिये कितना कोटा निर्धारित है और क्या कोटा भर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चण्डीगढ़ में इन पदों को तत्काल भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गत पांच वर्षों में तेईस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभागीय चयन या सीधे चयन द्वारा केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी. एस. आई. ओ.) चण्डीगढ़ में पदोन्नत किये गये हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

साम्प्रदायिक दंगों में हताहत हुए व्यक्ति

6017. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्यवार 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों में कितने व्यक्तियों की जानें गईं और कितने व्यक्ति आहत हुए; और

(ख) क्या देश में पिछले वर्ष की तुलना में राज्य-वार साम्प्रदायिक दंगों की संख्या में वृद्धि हो रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जनवरी, 1979 के अन्त तक सूचना का विवरण संलग्न है। फरवरी और मार्च, 1979 के लिए आँकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं में थोड़ी वृद्धि हुई है किन्तु कुल मिला कर देश में साम्प्रदायिक स्थिति नियंत्रणाधीन है।

विवरण

वर्ष 1-4-1978 से 31-1-1979 के दौरान देश के विभिन्न भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों और आहत हुए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार विवरण

राज्य	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	आहत हुए व्यक्तियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	12	532
आसाम	—	27
बिहार	13	123
गुजरात	2	51
जम्मू और कश्मीर	—	14
कर्नाटक	—	148
केरल	4	60
मध्य प्रदेश	1	39
महाराष्ट्र	1	147
उड़ीसा	—	17
पंजाब	—	6
राजस्थान	1	5
तमिलनाडु	2	153
उत्तर प्रदेश	44	262
पश्चिम बंगाल	5	58
दिल्ली	—	95
अन्य राज्य/संघ शासित प्रशासन	—	—
जोड़	85	1737

तिहाड़ जेल में लाठी चार्ज

6018. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली प्रशासन द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने आपातस्थिति के दौरान तिहाड़ जेल में किये गये लाठी चार्ज के बारे में जांच में झूठे शपथ पत्र दिये थे और जो लाठी चार्ज के लिये जिम्मेदार थे;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) जांच आयोग के सामने झूठी गवाही देने और झूठे बयान देने के लिये अपराधिक प्रक्रिया संहिता अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको पदोन्नत कर दिया गया है और जिन्होंने गलत बयान दिये थे और तत्कालीन गृह मन्त्री और पुलिस महानिरीक्षक को गुमराह किया था ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ङ) श्री कंवर लाल गुप्ता, संसद सदस्य के पत्र के उत्तर में प्रधान मन्त्री द्वारा उनको भेजे गए पत्र में कहा गया था कि 2 अक्तूबर, 1975 को तिहाड़ जेल में हुए लाठी चार्ज के लिए उत्तरदायी पाये गये सात अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और झूठे शपथ-पत्र दायर करने के लिये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रश्न की जांच की जा रही है। श्री कंवर लाल गुप्ता ने उप राज्यपाल, दिल्ली को भी गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने के लिये एक पत्र लिखा था जिसका उत्तर की गई कार्यवाही के ब्यौरे देते हुए भेजा गया था।

2. लाठी चार्ज के लिये उत्तरदायी पाये गए सात अधिकारियों में से तीन विभिन्न राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर थे। उनको अपने-अपने राज्यों को वापस भेज दिया गया है और उनके संबंध में आरोप पत्र संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं। शेष चार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही दिल्ली प्रशासन द्वारा आरम्भ कर दी गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 में प्रावधान है कि न्यायिक प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में झूठे शपथ-पत्र दायर करने अथवा झूठे बक्तव्य देने के लिये अभियोजन न्यायालय को किसी लिखित शिकायत करने पर ही किया जा सकता है। बवेजा आयोग जिसको जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत कुछ प्रयोजनों के लिये एक न्यायालय की शक्तियां प्राप्त थीं, ने अपनी रिपोर्ट के कार्यात्मक पैरा 80 में अभियोजन के लिये किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं किया था। अतः इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती।

3. दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया कि जून, 1977 में उनके द्वारा तत्कालीन गृह मन्त्री को भेजी गई रिपोर्ट अभिलेख के तथ्यों पर आधारित थी और किसी तथ्य का अतिक्रमण नहीं किया गया था अथवा छिपाया नहीं गया था। तत्कालीन उप महानिरीक्षक (जेल) को जिसके आचरण के विरुद्ध बवेजा आयोग ने कुछ टिप्पणियां की थीं, बवेजा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले, अखिल भारतीय सेवा की चयन सूची में शामिल कर लिया गया था। फिर भी, दिल्ली प्रशासन ने अब उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां आरम्भ करने का निर्णय ले लिया है।

"बर्मीज आपरेशन हिट्स टाक्स विद नागा रिबेल्ज" शीर्षक से समाचार

6019. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री नीहार लास्कर :

श्री ए० आर० बद्री नारायण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 16 फरवरी, 1979 में "बर्मीज आपरेशन हिट्स टाक्स विद नागा रिबेल्ज" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कहां तक सच्चाई है;

(ग) वास्तविक स्थिति क्या है;

(घ) क्या बर्मी सेनाओं ने नागाओं को वापस भेज दिया है; और

(ङ) क्या उन क्षेत्रों से नागाओं को निकालने के लिये जनवरी और फरवरी, 1979 के दौरान बर्मा के साथ कुछ सीमांत झड़पें भी हुई थीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ङ) तक:

एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(क) से (ङ) सरकार ने यह समाचार देखा है। नागालैंड के भूतपूर्व भूमिगत नेता अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बर्मा के क्षेत्र में ठहरे हुए "चीन से वापस आए" हुए गिरोह के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क करने के लिए जून, 1978 से प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि उन्हें शिलांग समझौता स्वीकार करने के लिए मनाया जाए। भूतपूर्व भूमिगत नेताओं ने एक "शान्ति दल" गठित किया है जिसमें भूतपूर्व भूमिगत लोगों, नागालैंड शान्ति परिषद और नागा पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार ने इस दल के व्यक्तियों तथा चीन से वापिस आने वाले गिरोह के प्रतिनिधियों को भारतीय क्षेत्र में इस प्रकार मिलने पर कोई आपत्ति न होने की सूचना उनको दे दी थी। प्राप्त सूचना के अनुसार वे "चीन से वापिस आने वाले गिरोह" के प्रतिनिधियों से सम्पर्क करने में सफल हो गये हैं और उनकी बात जारी है। किन्तु साथ ही यह सूचना मिली है कि बर्मा के सुरक्षा बल सीमा पर अपनी ओर बिधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। यह भी सूचना है कि बर्मा के सुरक्षा बल तथा नागाओं के चीन से वापिस आने वाले गिरोह के बीच अनेक मुठभेड़ें हुई हैं। फिर भी सीमा पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आई० पी० एस० अधिकारियों का आई० ए० एस० में स्थानान्तरण

6020. **श्री मही लाल : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों क कुछ आई० पी० एस० अधिकारियों को आई० ए० एस० के रैंक और / अथवा दर्जे पर स्थानान्तरित किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने और उक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उक्त स्थानान्तरण करने से पूर्व अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के आई० पी० एस० अधिकारियों के लिए आरक्षित कोटा पहले ही पूरा था; और

(घ) उक्त स्थानान्तरणों के, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के आई० पी० एस० अधिकारियों के मामले में, कारण क्या हैं, उसके लिए क्या कसौटी अपनाई गई और उसके पीछे क्या भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क] तथा (ख) आई. पी. एस. अधिकारियों को आई० ए० एस० में स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु आई० पी० एस० के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर आई० ए० एस० के अधिकारियों समेत गैर पुलिस अधिकारियों द्वारा साधारणतः धार्य पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अनुसूचित जाति का केवल एक आई० पी० एस० अधिकारी ऐसे पद पर निम्न प्रकार से आसीन है :

1. श्री एच० सी० जाटव, संयुक्त सचिव (निदेशक के पद पर) संघ लोक सेवा आयोग।

(ग) तथा (घ) अन्य सेवाओं में धार्य पदों पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आई० पी० एस० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए कोई आरक्षण अथवा कोटा नहीं है। अधिकारियों की ऐसे पदों पर प्रतिनियुक्ति सम्बन्धित खास पद की तुलना में उनकी वरिष्ठता, उपयुक्तता तथा उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मध्य प्रदेश यूनियन के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

6021. **श्री रामेश्वर पटीदार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मध्य प्रदेश एकक के भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन बातों का उल्लेख है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबन्धक निदेशक श्री एम० पी० श्रीवास्तव के कार्यकाल के दौरान सहायक निगमों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें कार्मिकों की अनियमित नियुक्ति, सहायक निगमों की बिक्री नीति, मशीनरी की खरीद से सम्बन्धित थीं;

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की धारक कंपनी द्वारा गठित की गई एक समिति द्वारा इन सभी शिकायतों की जांच की गई थी। समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

अन्धेरी मोड़ दिल्ली में दुकानों का तोड़ा जाना

6022. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1979 के "सूर्य" के पृष्ठ 11 पर "संजय गांधी क्लियर्ड" शीर्षक नोट की ओर उनका ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उपर्युक्त समाचार में इस आशय के

आरोपों के बारे मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि "गुरुवार 4 जनवरी, 1979 को वहां (अन्धेरी मोड़) में वे सभी दुकानें, जो आपात स्थिति के बाद उसी स्थान पर बनाई गई थीं, पुलिस द्वारा दुकान मालिकों पर लाठी चार्ज करने के बाद तोड़ दी गई और दुकान मालिकों को अपना सामान बाहर निकालने का मौका दिये बिना उनकी दुकानों को धराशायी कर दिया गया। उनको इस बात की भी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी कि उनकी दुकानों को तोड़ा जायेगा।

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन दुकानों को जो अंधेरी मोड़ महरौली में अनधिकृत रूप से बनाई गई थीं कानून की उचित प्रक्रिया के बाद अर्थात दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 343/344 के अधीन यथा प्रदत्त कारण बताओ / गिराने की सूचनाएं जारी करने के पश्चात 4-1-1979 को नगर निगम के मकान गिराने वाले दस्ते द्वारा गिराया गया था। मकान गिराने की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले निवासियों को उन मकानों से अपना सामान बाहर निकाल लेने की सलाह दी गई थी। दुकानें मालिकों द्वारा स्वयं अपनी दुकानें खाली करने के बाद तोड़ी गई थीं।

2. पुलिस प्राधिकारियों के अनुसार जब दुकानें गिराने की कार्यवाही चल रही थी तो कुछ दुकानदारों ने विरोध किया था जिसके कारण निगम के छ: कर्मचारियों को चोटें आईं और दुकानदारों के विरुद्ध महरौली थाने में भा० दं० सं० की धारा 353/186/322 के अधीन प्र० सू० रि० संख्या 9 तारीख 4-1-1979 के अधीन एक मामला दर्ज कराया गया। घटना में अन्तर्ग्रस्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर एक दूकानदार को भी चोट आई थी। यह आरोप लगाया गया था कि उसको एक निगम कर्मचारी ने घायल किया था। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के अधीन प्र० सू० रि० संख्या 8 तारीख 4-.-1979 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। दोनों मामलों में जांच पड़ताल की जा रही है। किन्तु पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया था।

हिंदी सलाहकार समिति में मनोनीत किया जाना

6023. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के प्रस्ताव के अनुसार मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों में मंत्रालय से सम्बन्धित संसदीय राजभाषा उप समिति के संयोजक व एक अन्य संसद सदस्य को मनोनीत किया जाना था;

(ख) क्या यह सच है कि राजभाषा विभाग द्वारा दो दो नाम मन्त्रालयों को मनोनीत करके भेजे जाने पर सभी मन्त्रालयों ने स्वीकार कर लिया है परन्तु गृह मंत्रालय ने अभी स्वीकार नहीं किया है; और

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रालय के कुछ अधिकारी यह नहीं चाहते हैं कि यह सदस्य समिति में शामिल किए जाएं और इन कारणों से समिति के गठन में विलम्ब हो रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हाँ।

(ख) सर्वश्री नवाब सिंह चौहान (प्रश्नकर्ता) एवं ओम प्रकाश त्यागी, माननीय संसद सदस्यों को गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में इस निर्णय के दृष्टिगत नामित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लोक लेखा समिति द्वारा उल्लिखित मामलों में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों को आरोप पत्र

6024. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिये हैं कि वह उन अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी करें जो उन मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं, जिनका उल्लेख लोक लेखा समिति ने उक्त आयोग द्वारा अन्तिम रूप से विचार किए जाने से पूर्व ही उल्लेख किया है; और

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो वार्धक्य आयु पूरी कर चुके हैं और उक्त निदेश के फलस्वरूप अपने उपदान तथा पेंशन के लाभों से वंचित किए जा रहे हैं हालांकि उनके मूल कार्यालयों ने उन्हें उक्त आरोपों से पूर्णतया उन्मुक्त कर दिया है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने एक परिपत्र में यह सुझाव दिया है कि लोक सेवा समिति की रिपोर्टों को, उस समय भी जबकि वे मसौदा स्तर पर किसी संगठन को प्राप्त होती हैं, विस्तृत संवीक्षा मुख्य सतर्कता अधिकारी को यह देखने के लिए करनी चाहिए कि क्या किसी लोक सेवक ने किसी अनुचित प्रयोजन से अथवा भ्रष्ट तरीके से अथवा अपनी शक्तियों का प्रयोग भ्रष्टाचार अथवा अनुचित उद्देश्यों के लिए किया है। फिर भी, यह सुझाव आयोग का ऐसा निदेश नहीं बन जाता कि ऐसे किसी लोक सेवक को सीधे ही चार्जसीट कर दिया जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के कर्मचारियों का मांग पत्र

6025. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तथा नेशनल इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धकों को नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के कर्मचारियों से बहुत से मांग पत्र तथा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्धक निर्धारित उत्पादन लक्ष्य बनाए रखने में असफल रहे हैं; और

(घ) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) उठाई गई मांगों की मुख्य बातें : कार्य की शर्तें, कुछ भत्तों में बढ़ोतरी, पदोन्नति सम्बन्धी अवसरों में बढोतरी करने, प्रोत्साहन योजनाओं की संवीक्षा आदि से सम्बन्धित हैं।

(ग) गत दो वर्षों के निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले उत्पादन में कमी आई है। उत्पादन की यह कमी बिजली की भारी कमी होने, सुरक्षा उपस्करों की कुछ वस्तुओं की मांग में काफी गिरावट आने तथा निजी क्षेत्र के संगठनों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा होने के कारण आई है।

(घ) कंपनी की वित्तीय जीव्यता को सुधारने के लिए विविधीकरण कार्यक्रम बताए गए हैं। इस एकक को सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रमुख संगठनों की सहायक कंपनी बनाने की संभावना पर विचार करने हेतु अध्ययन किये जा रहे हैं;

हिमालय प्रदेश को चेसिस का आबंटन

6026. **दुर्गा चन्द :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को उनकी मांग की तुलना में आबंटित चेसिस की किस्म क्या है;

(ख) राज्यों को चेसिस का आबंटन करने में क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) क्या आबंटन करने से पूर्व प्रत्येक राज्य की जरूरतों के बारे में सरकार पूछती है और यदि हां, यो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों की ऊबड़ खाबड़ मार्गों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोई वरीयता दी जाती है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) से (ङ) वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री तथा वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अत: राज्यवार वाणिज्यिक गाड़ियों का वितरण करने के लिए कोई कोटा आबंटित नहीं किया जाता है। विशिष्ट प्रकार की वाणिज्यिक गाड़ियों, जैसी देश में निर्मित की जाती हैं, की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित विशेष सहायता के बारे में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताएं पूरी करने के लिए निर्माताओं के साथ सम्पर्क किया जाता है।

'सीकेसी ओवर कनवर्सन कास्ट्स आफ जूट गुड्स' शीर्षक से समाचार

6027. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'बिजिनेस स्टेण्डर्ड कलकत्ता' दिनांक 14 फरवरी, 1979 में "सीकेसी ओवर कनवर्सन कास्ट्स आफ जूट गुड्स" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच नहीं है कि जूट से बनी वस्तुओं की परिवर्तन लागत (कन्वर्सन कास्ट्स आफ जूट गुड्स) को उद्योग से बिल्कुल गुप्त रखा जाता है।

माचिसों की कीमतों में वृद्धि न करने के बारे में विमको से करार

6028. **श्री बृज राज सिंह :**

श्री एस० एस० सोमानी : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी विमको से किसी प्रकार का कोई करार, निर्देश अथवा समझौता था कि वह सरकार की अनुमति के बिना माचिसों की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी;

(ख) क्या यह सच है कि हालांकि 1973 से आगे की अवधि में उत्पाद शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई हैं, 1973 से 1978 की अवधि के दौरान सरकार की मंजूरी लिए बिना ही कंपनी द्वारा कीमत 9.70 रुपये प्रति ग्रुस से बढ़ाकर 16 रुपये प्रति ग्रुस कर दी है, जबकि कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन एककों द्वारा उत्पादित माचिसों की कीमतें, जो 1973 में 9.50 रुपये प्रति ग्रुस के आसपास थी, इस समय 10 रुपये से 11.50 रुपये प्रति ग्रुस के आसपास है;

(ग) क्या यह सच है कि उपभोक्ता के लिए प्रति माचिस खुदरा मूल्य जो वर्ष 1973 में 8 से 10 पैसे प्रति माचिस था, 1975 से आगे की अवधि में बढ़कर 15 पैसे प्रति माचिस हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सही नहीं है कि वर्ष 1973-74 की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिवर्ष 55 करोड़ रुपये या उससे अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 30 सितम्बर, 1975 को जारी किये गए एक प्रेस नोट के अनुसार उस समय के उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने विमको तथा लघु क्षेत्र के विभिन्न माचिस उत्पादकों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया था तथा इस बात पर सहमति हो गई थी कि 50 तीलियों वाली प्रत्येक मानक किस्म की दियासलाई (डिबिया) का अधिकतम खुदरा मूल्य 15 पैसे से घटाकर 13 पैसे कर दिया जायेगा। यह रियायत 2 अक्टूबर, 1975 से लागू हुई थी।

(ख) 1963 से यान्त्रिकीकृत क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जाने वाली माचिसों पर उत्पादन शुल्क में समय-समय पर वृद्धि होती रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं० विमको की माचिसों के थोक मूल्य कुछ बाजारों में सभी प्रभारों सहित वर्ष 1973 में 9.70 रुपये प्रति ग्रुस से बढ़कर वर्ष 1978 में 16 रुपये प्रति ग्रुस हो गये। इस समय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत बनने वाली माचिसों का थोक मूल्य लगभग 11.50 रुपये प्रति ग्रुस है। माचिसों के थोक मूल्य पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है।

(ग) 1973 में उपभोक्ताओं के लिए दियासलाई की एक डिबिया का खुदरा मूल्य लगभग 8 से 10 पैसे तथा 1975 से उक्त मूल्य आम तौर से विभिन्न स्थानों पर 10 से 15 पैसे के आसपास चल रहा है।

(घ) भारत सरकार को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।

चालू वर्ष में कपड़ों के निर्यात का लक्ष्य

6029. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के कम उत्पादन और स्वदेशी कपड़ा उद्योग की मशीनों की अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण सूती कपड़ा उद्योग का भविष्य निराशाजनक है; और

(ख) क्या चालू वर्ष के लिए कपड़ों के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) आशा है कि वर्ष 1978-79 के दौरान 690 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबिले वर्ष 1978-79 के दौरान 615 करोड़ रुपये मूल्य के सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाएगा।

राज्यों में रुई का उत्पादन

6030. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को मानती है कि इस वर्ष पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में रुई का अत्यधिक उत्पादन हुआ है और बाजार में कोई भी कम कीमत पर रुई खरीदने को तैयार नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने रुई खरीदने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है और कितनी रुई खरीदी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) आशा है कि चालू कपास मौसम में पिछले मौसम से कुछ अधिक रुई का उत्पादन होगा। सरकार ने वर्ष 1978-79 के चालू कपास मौसम के लिए कच्ची कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की पहले ही घोषणा कर दी है। बाजार में कपास के विद्यमान मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं अधिक हैं।

भारतीय रुई निगम का चालू कपास मौसम के दौरान लगभग 15 लाख गांठें रुई की खरीद करने का विचार है तथा जिसमें 7.38 लाख रुई की गाँठों की खरीद की जा चुकी है। यह खरीदारी सहकारी समितियों, निजी व्यवसायियों व मिल खरीदारों द्वारा की जाने वाली खरीद के अलावा होगी।

कपास के मूल्य में गिरावट

6031. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कपास के मूल्य गिरे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) रुई के मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कम हैं। किन्तु, सरकार द्वारा किये गए विभिन्न

अभ्युपायों तथा भारतीय रुई निगम द्वारा सभी रुई उत्पादक राज्यों में रुई की खरीद में तेजी लाने के परिणामस्वरूप रुई के मूल्य गिरने रुक गए हैं तथा कुछ समय से जैसा कि निम्नलिखित सोदाहरण आंकड़ों से पता चलेगा कि रुई के मूल्यों में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है :

प्रति क्विंटल रुई के मूल्य
(रुपयों में)

किस्म	वर्तमान मूल्य	मौसम के आरम्भ में मूल्य
जयाधर	370/250	290/210
वी-979	386/306	347/279
एस-4	530/500	500/406
एम॰ सी॰ यू-5 (डसीता)	510/460	490/385

पटसन का मूल्य

6032. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वर्ष 1977-78 की तुलना में कृषि वर्ष 1978-79 में पटसन का उत्पादन कितना है और प्रत्येक राज्य में इसका समर्थन मूल्य क्या है;

(ख) कृषि वर्ष 1977-78 और 1978-79 में भारतीय पटसन निगम द्वारा, राज्यवार, खरीदी गई पटसन की मात्रा क्या है;

(ग) कृषि वर्ष 1977-78 में पटसन मिल द्वारा किसानों से सीधे खरीदी गई पटसन के उत्पादन की प्रतिशतता क्या है और कितने प्रतिशत व्यापारियों से खरीदी गई; और

(घ) कृषि वर्ष 1977-78 में प्रत्येक राज्य से भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद कब और किस दर पर की गई थी और उस समय खुले बाजार में पटसन की दर क्या थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1977-78 तथा 1978-79 के मौसम में जूट मेस्टा का राज्यवार (जूट वर्ष जुलाई-जून) उत्पादन नीचे दिया जाता है 3-1.

राज्य का नाम	जूट तथा मेस्टा का उत्पादन (हजार गांठों में)	
	1977-78	1978-79
1. आसाम	590.5	943.0
2. बिहार	941.7	993.9
3. मेघालय	70.0	71.7
4. उड़ीसा	620.0	539.0

5. त्रिपुरा	78.6	86.6
6. उत्तर प्रदेश	62.7	96.0
7. पश्चिम बंगाल	3708.8	4348.9
8. आंध्र प्रदेश	857.1	700.0
9. अन्य राज्य	181.0	186.5
अखिल भारतीय	7117·4	8065.5

वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में राज्यवार निर्धारित किये गए न्यूनतम सांविधिक मूल्य विवरण "क" तथा "ख" में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के जूट के मौसम में भारतीय जूट निगम द्वारा खरीदी गई कच्ची पटसन की राज्यवार मात्रा नीचे दी गई है :

राज्य का नाम	भारतीय जूट निगम द्वारा की गई खरीद	
	1977-78	1978-79 (27 मार्च 1979 को)
1. पश्चिम बंगाल	20.7	403.4
2. बिहार	25.5	197.7
3. आसाम	0·7	158.1
4. त्रिपुरा	3.9	19.6
5. आंध्र प्रदेश	15.6	38.1
6. उड़ीसा	1.0	1.9
7. उत्तर प्रदेश	0.4	4.5
योग	67·8	823.3

(ग) जूट मिलों द्वारा किसानों से तथा व्यापारियों के माध्यम से की गई कच्चे जूट की खरीदों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

मूल्य (सफेद के लिए डब्ल्यू-5, टोस्सा के लिए टी० डी०-5 तथा मेस्टा के लिए बॉटम)

(रुपये प्रति क्विटल)

राज्य/क्षेत्र मुख्य किस्म	खरीद शुरू करने की तारीख	भारतीय जूट निगम का खरीद मूल्य	बाजार में दर प्रचलित
		(रुपये)	(रुपये)
1. पश्चिमी बंगाल			
(क) उत्तरी जिले (सफेद)	27·8.77	152·00	164.00

(ख) अर्द्ध उत्तरी जिले (सफेद)	31.8.77	154.50	158.00
(ग) दक्षिणी जिले (टोस्सा)	3.9.77	172.00	186.00
2. आसाम (सफेद)	11.10.77	176.00	180.00
3. त्रिपुरा (सफेद)	30.8.77	146.00	163.00
4. बिहार			
(क) किशनगंज तथा उसके पास के क्षेत्र (सफेद)	27.8.77	152.00	160.00
(ख) अन्य क्षेत्र (सफेद)	31.8.77	151.00	160.00
5. उड़ीसा	20.8.77	157.00	170.00
6. आन्ध्र प्रदेश (बिमाली मेस्टा)	27.8.77	137.00	155.00

विवरण (क)

क्रम सं०	राज्य का नाम	किस्म	रु० प्रति क्विंटल न्यूनतम सांविधिक मूल्य	
			1977-78	1978-79
1.	आसाम	सफेद	141.00	150.00
	मेघालय	टोस्सा	151.30	160.50
	त्रिपुरा			
2.	बिहार			
	(क) पूर्णिया जिला	सफेद	147.50	157.00
		टोस्सा	158.00	167.50
	(ख) शारसा, चम्पारन	सफेद	146.00	155.50
	व अन्य जिले	टोस्सा	156.50	166.00
3.	उड़ीसा	सफेद	152.00	161.00
		टोस्सा	162.50	171.50
4.	पश्चिमी बंगाल			
	(क) कूच बिहार	सफेद	147.00	156.50
	(ख) जलपायगुरी	टोस्सा	157.50	160.50
	दार्जिलिंग जिला			

	(ग) परिकर्ण कोनांपुर	सफेद	149.50	159.00
	और मालडा जिला	टोस्सा	160.00	167.00
	(घ) नाडिया, मेदनापुर	सफेद	164.50	164.00
	बुरदवान, 24-	टोस्सा	165.00	174.50
	परगनास, हुगली		166.50	169.00
	और हावड़ा जिला		167.50	176.50
5.	उत्तर प्रदेश	सफेद	156.50	165.50
		टोस्सा	167.00	176.00
6.	आन्ध्र	सफेद	155.00	164.50

विवरण (ख)

क्रम सं०	राज्य का नाम	किस्म	रु० प्रति क्विंटल न्यूनतम सांविधिक मूल्य 1977-78 (रु०)	1978-79 (रु०)
1.	आसाम	आसाम मेस्टा	124.00	132.00
2.	मेघालय	मेघालय मेस्टा	124.00	132.00
3.	त्रिपुरा	अगरतल्ला मेस्टा	129.00	137.00
4.	बिहार	बिहार देशल मेस्टा	130.50	139.00
		चुनी हुई बिहार मेस्टा	129.50	127.00
		बिहार मेस्टा	129.50	127.00
		किशनगंज मेस्टा	133.50	142.00
		बाकिया मेस्टा	115.50	123.00
5.	उड़ीसा	कटक मेस्टा	132.50	141.00
			122.00	130.00
6.	पश्चिम बंगाल			
	(1) कूचबिहार जलपाईगुरी और दार्जिलिंग जिला	उत्तर मेस्टा	128.50	136.50
	(2) पश्चिम दीनापुर	सेमी-नार्थन	134.50	143.00
	(3) मेल्डा जिला	पश्चिम बंगाल देशल मेस्टा	134.00	143.00

(4)	मुर्शिदाबाद	मुर्शिदाबाद मेस्टा चुना गया	136.00	144.50
(5)	नादिया, दीनापुर		124.50	132.50
	बुरदान, 24-परगना, हुगली और हावड़ा जिला	देस्सी मैस्टा	138.50	147.50
7.	मध्य प्रदेश	म० प्र० मेस्टा	125.50	133.50
8.	उत्तर प्रदेश	लखमीपुर मेस्टा	127.00	135.00
9.	आंध्र प्रदेश	बिमली	132.00	140.50

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

6033. **श्री भगत राम :**

श्री के० ए० राजन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पास किया है जिसमें पटसन उद्योग और कच्चे पटसन के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई है;

(ख) संकल्प की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार संकल्प में की गई मांग को स्वीकार करेगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) राज्य की विधान सभा ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह जूट उत्पादकों, कामगरों तथा देश के हित में जूट उद्योग तथा कच्ची जूट के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करे।

(ग) तथा (घ) चूंकि इस संकल्प के कार्यान्वियन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है। अत: इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शक्ति चालित हलों और ट्रैक्टरों का निर्माण

6035. **श्री एस. एन. गोविन्दन नायर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) गैर-सरकारी क्षेत्र और (दो) सरकारी क्षेत्र की अर्थात् कृषि उद्योग निगम की शक्ति चालित हलों तथा ट्रैक्टरों की कुल निर्माण क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में वास्तव में कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इन वर्षों में समूचे देश में शक्ति चालित हलों और ट्रैक्टरों की मांग कितनी थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि में कृषि ट्रैक्टरों तथा पावर टिलरों का उत्पादन देश की कुल मांग के बराबर रहा है।

विवरण

क्र० सं०	वस्तु का नाम	31-12-78 की अधिष्ठापित क्षमता			अवधि में उत्पादन		
		निजी क्षेत्र (नग)	सार्वजनिक राज्य क्षेत्र (नग)	योग (नग)	1976 (नग)	1977 (नग)	1978 (नग)
1.	कृषि ट्रैक्टर	43,500	15,400	58,900	36,675	34,730	53,049
2.	पावर टिलर	11,000	5,000	16,000	1,573	1,674	2,125

जांच आयोग अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

6036. **युवराज :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जांच आयोग अधिनियम में संशोधन करने और उसमें यह व्यवस्था करने का है कि जो व्यक्ति आयोग के समक्ष शपथ लेकर गवाही देने से इन्कार करें उनको आयोग द्वारा ही दण्ड दिया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने शाह आयोग, रेड्डी आयोग, गुप्ता आयोग, ग्रोवर आयोग आदि के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिये संशोधनकारी विधेयक कब तक पुरःस्थापित करने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल : (क), (ख) और (ग) जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए यह तथा अन्य विभिन्न सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं। इस समय निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए संसद में कब विधान पुरःस्थापित किया जाएगा।

रेशम, कीड़ों के प्यूपों के बारे में निबन्ध

6037. **श्री आर. के. महालगी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को तिलहनों और तेलों विषयक अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में हाल ही में प्रस्तुत किये गये निबन्ध के बारे में पता है जिसमें कहा गया है कि रेशम का धागा निकाल लेने के पश्चात् रेशम-कीड़ों के प्यूपों में लगभग 25% तेल तथा 75% प्रोटीन मिलता है; और

(ख) क्या सरकार तेलों और प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस नये स्रोत का उपयोग करने हेतु कुछ नये संयंत्र लगाने की कोई योजनाएं हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि रेशम कीड़ों के प्यूपों में लगभग 1 और 3 के अनुपात में तेल और प्रोटीन की मात्रा होती है। सरकार की तेल एवं प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए रेशम कीड़ों के प्यूपों का उपयोग करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। किन्तु, यह समझा जाता है कि वर्ष 1971 में सी. एफ. टी. आर. आई., मैसूर द्वारा विकसित विलेय निस्सारण प्रक्रिया (साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस) को अपनाकर कर्नाटक में प्राइवेट उद्यमियों द्वारा तेल और प्रोटीन निकालने के लिए रेशम के कीड़ों के प्यूपों का काफी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के लिये आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों की विदेश यात्रा

6038. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा श्रेणियों के क्रमश: उन अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण हेतु विदेशों में गये तथा सम्बन्धित देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) प्रशिक्षण की अवधि और उसके स्वरूप का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मंत्रियों द्वारा हैलीकोप्टरों का उपयोग

6039. **श्री जो० एस० रेड्डी** :
श्री भाउ साहिब थोरट :
श्री पी० वेंकट सुब्बया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मन्त्री सरकारी कार्य अथवा निजी कार्य के लिए राज्य सरकारों के हैलीकोप्टरों का उपयोग करने के अधिकारी हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा सरकारी कार्य अथवा निजी कार्य के लिए निजी अथवा राज्य सरकार के विमानों का उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन विमानों का उपयोग किस आधार पर और किन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय मंत्रियों को राज्य सरकारों के हैलीकोप्टरों का उपयोग करने के अधिकार के बारे में कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं। केन्द्रीय मन्त्रियों को उनके हैलीकोप्टरों का उपयोग करने की अनुमति देना तथा इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना पूर्णत: सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है।

(ख) तथा (ग) मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1957 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाये गये मन्त्रियों (भत्ते, चिकित्सा उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) के नियम 16 के उपबन्धों के अनुसार मन्त्री (उप मन्त्री के अलावा) विमानों को किराये पर लेने के लिए कुछ समय के लिए लागू नियम के अनुसार अपने प्राधिकार से ड्यूटी पर यात्रा के लिए विमान को किराये पर लेने को प्राधिकृत कर सकते हैं, यदि उनके द्वारा चार्टर्ड विमान से यात्रा करना लोकहित में आवश्यक समझा जाता है। केन्द्रीय सरकार के मन्त्री को निजी कार्य के लिए विमान का उपयोग करने के अधिकार के सम्बन्ध में कोई अनुदेश अथवा नियम जारी नहीं किये गये हैं।

महाराष्ट्र में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिए राज सहायता

6040. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र को जिलावार प्रारम्भिक व्यवस्था करने हेतु कितनी राशि दी गई है; और

(ख) गत दस महीनों में इन उद्योग केन्द्रों में कितना कार्य हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन महाराष्ट्र सरकार को 156.35 लाख रु० का अनुदान (जिसमें 125.00 लाख रु० (अनावर्ती) तथा 31.35 लाख रु० (आवर्ती) और 56.50 लाख रु० ऋण के रूप में शामिल हैं) मंजूर किया गया है। अलग-अलग जिला उद्योग 'केन्द्र' को नियतन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किये गये महाराष्ट्र राज्य के 25 जिलों में से 15 जिलों को प्रथम चरण में शामिल कर लिया गया था। इन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा की गई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(चालू)

विवरण

जिला उद्योग केन्द्र का नाम	पता लगाये गये उद्यमियों की संख्या	तैयार की गई परियोजना प्रोफाइलों की संख्या	स्थापित किये गये नये एककों की संख्या — कारीगर	लघु उद्योग संस्थान	योग	सहायता प्राप्त रुग्ण एककों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1. अहमदनगर	722	511	उ. न.	131	131	—
2. औरंगाबाद	1203	159	—	55	55	—
3. भंडारा	50	40	107	7	114	—
4. भीर	4777	477	50	39	89	—
5. बुलधाना	202	175	30	70	100	2
6. चन्द्रापुर	126	42	166	14	180	—
7. कोलाबा	1289	165	—	25	25	—
8. धूलिया	945	845	144	84	228	2
9. नन्देड़	1350	150	200	250	450	10
10. जलगांव	724	341	396	68	464	—
11. ओसमानाबाद	प्राप्त नहीं हुआ					
12. परभानी	70	60	3679	51	3730	—
13. रत्नागिरि	122	64	54	52	56	2
14. वर्धा	1554	20	240	5	245	—
15. योतमाल	175	37	469	47	516	—
योग	9017	3086	5485	889	6383	14

दी गई ऋण सहायता — वित्तीय संस्थान	राशि — एककों की संख्या	राशि	नकद राज सहायता — एककों की संख्या	राशि	उत्पन्न रोजगार के अवसर	एककों की संख्या जिन्हें अन्य सहायता दी गई
8	9	10	11	12	13	14
—	106	6.19	—	—	146	उ. न.
—	182	7.85	55	0.12	351	158
70.46	74	1.18	—	नगण्य	92	74
5.06	195	3.33	242	0.07	558	45
13.50	102	3.67	—	नगण्य	700	उ. न.
17.50	58	1.78	—	उ. न.	48	उ. न.
20.40	43	2.72	—	नगण्य	उ. न.	217
44.70	133	5.14	100	0.04	1025	166
120.00	31	1.92	—	नगण्य	2300	414
— प्राप्त नहीं हुआ	35	2.38	—	नगण्य	2665	110
0.70	57	2.05	12	0.27	756	82
11.50	104	5.20	31	0.05	322	26
23.00	46	1.07	4	0.04	561	299
22.20	84	4.39	12	0.05	377	85
321.44	1250	48.87	456	0.65	9899	1677

सीमेंट उद्योग में 46 लाख टन अतिरिक्त क्षमता की स्थापना

6041. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री ए० आर० बद्री नारायण : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मन्त्री ने सीमेंट उद्योग में 40 लाख टन की नई क्षमता की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस वर्ष में पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जा रहे नये सीमेंट संयंत्र शीघ्र ही सीमेंट का उत्पादन आरम्भ कर देंगे;

(घ) सीमेंट संयंत्र किन-किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे; और

(ङ) प्रत्येक संयंत्र की क्षमता क्या होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978-79 में 11.53 लाख मी. टन की क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस तथा 95.81 लाख मी. टन की क्षमता के लिए आशय पत्र जारी किये गये थे।

(ग) सीमेंट उद्योग की स्थापना में लगने वाली सामान्य प्रारम्भिक अवधि करीब 4 से 5 वर्ष है।

(घ) तथा (ङ) वर्ष 1978-79 (31 मार्च, 1979 तक) के दौरान सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं की स्वीकृति दी गई है :

क्र०	पार्टी का नाम	क्षमता	स्थापना स्थल
1	2	3	4
गुजरात :		(लाख मी० टनों में)	
1.	मै० नर्मदा सीमेंट लि०	10.00	जफराबाद जगदल्ला और रत्नगिरि (महाराष्ट्र)
2.	एस० डी० पटेल	0.45 (सफेद)	
आन्ध्र प्रदेश :			
3.	पनयम सीमेंट लि०	0.43 (एस.ई.)	सीमेंट नगर
4.	श्री एन. के. पी. राजू	3.00	वादापल्ली
5.	ओरियन्ट पेपर मिल्स	9·00	अलीमाबाद
6.	टैक्समार्को लि०	4.00	येरागुन्तला
7.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स	9.00	कालामाला
राजस्थान :			
8.	राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवेलपमेंट कारपोरेशन	0.33	कोटापुतली

1	2	4		5
9.	राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम	0.33		अलीरोड अखरे
10.	वही	0,33		विलारा
11.	वही	0.33		जेटरन
12.	वही	0.33		नीम का थाना
13.	श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०	4.00		ब्यावर
14.	श्री के० के० सोमानी	5.00		किवरली
15.	स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०	4.18		बानास
16.	पूसालूर पेपर मिल्स लि०	3.00		नीम का थाना
17.	जे० के० सिन्थेटिक लि०	0.50	(सफेद)	निम्बजेरा
	हिमाचल प्रदेश :			
18.	ए. सी. सी. लि०	1.60		गागल
	कर्नाटक :			
19.	मैसूर सीमेंट लि०	1.10	(एस. ई.)	अमासान्दरा
	बिहार			
20.	कल्याणपुर लाईम एण्ड सीमेंट वर्क्स लि०	1.34		बंजारी
	उत्तर प्रदेश :			
21.	यू० पी० एस्बेस्टस लि०	3.60		देहरादून
	मध्य प्रदेश :			
22.	ए. सी. सी. लि०	5.00		जामुल
23.	हिन्दुस्तान लिवर लि०	4.00		बलोदा बाजार
24.	सेन्चुरी सीमेंट लि०	2.00		मेहर
25.	हिन्दुस्तान स्टील लि०	11.55		चिलहटी
26.	ए. सी. सी. लि०	0.25	(सफेद)	काईमोर
	महाराष्ट्र :			
27.	ए. सी. सी. लि०	1.60		चांदा
28.	लारसन एण्ड टूबरो	11.09		चन्द्रपुर
29.	सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यु० कम्पनी लि०	10.00		चन्द्रपुर

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करने के लिए सैल

6042. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई ऐसा सैल है जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करने के लिये जिलों का चुनाव करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछड़े जिले के रूप में पूर्णिया जिले को चुना गया है और सरकार इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद की इस प्रयोजन के लिए गठित की गई समिति द्वारा बताए गए मापदंडों के अनुसार, राज्य सरकारों की सिफारिश पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का चयन किया गया है।

(ख) पूर्णिया जिले को आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती वित्त के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले के रूप में चुना गया है। बिहार सरकार द्वारा इस जिले में फोर्बिसगंज में एक औद्योगिक बस्ती का प्रस्ताव किया गया है और एक जिला औद्योगिक केन्द्र मंजूर किया गया है। विद्युत के लिए आर्थिक सहायता, ऋणों पर कम ब्याज और कुछ करों की अदायगी के लिए बिना ब्याज के ऋणों के जरिए इस जिले में छोटे उद्योगों को सहायता की जाती है। बिहार सरकार ने भी पूर्णिया जिले को नई औद्योगिक इकाइयों के लिए अपनी पूंजी आर्थिक सहायता स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया है। पूर्णिया जिले के 15 खडों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नमक का उत्पादन करने वाले राज्य

6043. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नमक का उत्पादन करने वाखे राज्य कौन-कौन से हैं और वर्ष 1975, 1976, 1977 और 1978 में नमक के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में नमक की औसत माँग क्या है; और

(ग) क्या उत्पादन माँग से अधिक है; यदि हां, तो फालतू उत्पादन का निर्यात करने के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) देश में आंध्र-प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल राज्य तथा गोवा, दमन एवं दीप और पांडेचेरी संघ शासित प्रदेश नमक का उत्पादन करते हैं।

विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में वर्ष 1975, 1976, 1977 व 1978 में नमक का उत्पादन दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पिछले चार वर्षों में नमक का कुल वार्षिक उत्पादन तथा खाद्य व औद्योगिक उपयोग हेतु नमक की प्रभावी मांग निम्न प्रकार थी :

	उत्पादन	कुल खरीद (प्रभावी मांग लाख मी० टनों में)
1975	58.42	55.13
1976	40.76	53.94
1977	53.28	56.50
1978	66.93	60.85

वर्ष 1978 में नमक का अधिक उत्पादन होने के फलस्वरूप सरकार ने नमक को निर्यात पर लगे उन प्रतिबन्धों में ढील देने का निर्णय किया है जो आनीत भंडार में निरंतर कमी आने के कारण लगाए गए थे तथा वर्ष 1978-79 व वर्ष 1979-80 में नमक का निर्यात करने हेतु क्रमशः 1,50,000 मी० टन व 2,50,000 मी० टन नमक का आबंटन किया गया है।

विवरण

(हजार मी० टनों में)

राज्य	1975	1976	1977	1978
आन्ध्र प्रदेश	309.7	307.5	280.7	350.8
गोवा, दमन व दीव	12.8	3.7	8.1	13.7
गुजरात	3294.9	1485.9	2926.3	3555.5
हिमाचल प्रदेश	3.3	4.5	3.9	4.3
कर्नाटक	16.3	20.2	9.2	12.6
केरल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
महाराष्ट्र	408.2	449.2	556.4	466.0
उड़ीसा	46.0	84.4	37.4	69.3
पांडिचेरी	0.6	1.1	0.1	0.4
राजस्थान	402.9	164.5	339.8	496.3
तमिलनाडु	1333.1	1540.9	1156.4	1719.6
पश्चिम बंगाल	15.1	15.4	10.2	5.0

मन्त्रालयों में सफाई कर्मचारियों के लिये सेलेक्शन ग्रेड

6044. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रायः सभी मंत्रालयों में कार्य कर रहे बहुत से सफाई कर्मचारी कई वर्ष पूर्व अपने वेतनमानों को अधिकतम सीमा पर पहुंच गये हैं लेकिन उनके लिये सेलेक्शन ग्रेड की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी जैसा कि दफ्तरी और चपरासी जैसे अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. डी. पाटिल) : (क) और (ख) चूंकि सफाई वाला (स्वीपर्स) का संवर्ग विकेन्द्रीकृत है इसलिए अपेक्षित सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में नहीं रखी जाती ।

(ग) दिनांक 30-9-1977 और 28-1-1978 को इस आशय के आदेश जारी किए गए थे कि सफाई वालों, चपरासियों, फराशों आदि के लिए सेलेक्शन ग्रेड का सृजन किया जाना चाहिए, उन्हें 1-8-1976 से लागू किया जाना चाहिए ।

उद्योगों के लिए लाईसेंस देना

6045. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से अब तक भारी, मध्यम और हल्के उद्योगों के बारे में ब्यौरा क्या है जिनके लिये लाइसेंस दिये गये थे,

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने आवेदन पत्र नामंजूर किये गये, और

(ग) इसी अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य के लिये कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये थे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1 मार्च, 1977 से 28 फरवरी, 2979 की अवधि में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 792 औद्योगिक लाइसेंस जारों किये गये थे। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी किये औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे जिनमें पार्टी का नाम, उत्पादन की वस्तु, क्षमता, एकक का स्थापना स्थल आदि शामिल हैं, "वीकली बुलेटिन आफ कम्पोर्ट लाकसेसेंज, एक्सपोर्ट लाइसेंस एण्ड इन्डस्ट्रीयल लाइसेंसेज" तथा इण्डियन कन्वेस्टमेंट सेंटर द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूजलेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किये जाते हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) 1 मार्च, 1977 से 28 फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान प्राप्त तथा स्वीकृत आवेदनों की राज्य-वार स्थिति दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) 1 मार्च, 1977 से 28 फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में स्थापित अथवा स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों को 56 आशय-पत्र तथा 67 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ।

विवरण

1 मार्च, 1977 से 28 फरवरी, 1979 की अवधि में प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन तथा उनमें से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

राज्य/संघ क्षेत्र	1.3.77 से 28.2.79 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	उनमें से अस्वीकृत आवेदन
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	177	38
असम	27	7
बिहार	58	10
गुजरात	317	65
हरियाणा	110	22
हिमाचल प्रदेश	36	9
जम्मू एवं कशमीर	28	7
केरल	59	8
कर्नाटक	161	34
मध्य प्रदेश	134	37
महाराष्ट्र	675	147
मणिपुर	—	—
मेघालय	1	—
नागालैंड	2	—
उड़ीसा	49	11
पंजाब	116	24
राजस्थान	117	24
सिक्किम	—	—
तमिलनाडु	166	28
त्रिपुरा	—	—
उत्तर प्रदेश	206	39
पं० बंगाल	207	45
दिल्ली	54	11
चंडीगढ़	4	2
गोआ, दमन एवं दीप	19	3

1	2	3
पांडिचेरी	3	1
दादर, नगर हवेली	5	1
अंडमान एवं निकोबार	1	—
राज्य जिनका नाम मालूम नहीं	15	1
कुल	2747	544

रुग्ण लघु उद्योग

6046. **श्री ए० आर० बद्री नारायण :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री निहार लास्कर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों में रुग्ण होने वाले लघु उद्योगों की संख्या अभी भी बढ़ रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों में चयनात्मक आधार पर स्थापित किये गये जिला उद्योग केन्द्रों से लघु उद्योगों की स्थिति अभी सुधरी नहीं है,

(ग) यदि हां, तो इन उद्योगों के सम्मुख मुख्य कठिनाई क्या है,

(घ) क्या जीवित रखने तथा उत्पादिकता बढ़ाने के लिए लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण आवश्यक है, जो इन्हें रुग्ण होने से बचायेगा, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) लघु उद्योगों में रुग्णता कई कारणों से हो सकती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ लघु एककों ने रुग्णता का कोई न कोई कारण बताया है।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम को समस्त देश में प्रावस्थाबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। जिला उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक आने वाले जिले इस प्रकार हैं :

असाम	5
मणिपुर	6
मेघालय	4
त्रिपुरा	3
अरुणाचल प्रदेश	5
मिजोरम	2

इन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए विस्तार कार्यकलाप पहले ही शुरू किये जा चुके हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से 7 जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार असम में 4 तथा त्रिपुरा में 51 रुग्ण एककों को सहायता दी गई है।

(ग) लघु एककों को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है वे मुख्य रूप से विपणन, प्रबन्धकीय, वित्तीय तथा कच्चे माल की उपलब्धता से संबंधित हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों का अच्छी प्रकार से विकास करने के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन दिसम्बर, 1978 के अन्त तक निम्नलिखित विकासात्मक कार्यकलाप किये गये थे:

असम : अब तक मंजूर किये गये 5 जिला उद्योग केन्द्रों में से 3 जिला उद्योग केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध हुई है। इन जिला उद्योग केन्द्रों में 148 संभावित उद्यमियों का पता लगाया गया था, 59 परियोजना प्रोफाइलें तैयार की गई थीं, 186 नये पंजीकरण किये गये और 118 नये एकक पहले ही स्थापित किये गये थे। उनमें 35 कारीगर एककों के अलावा 83 एकक लघु उद्योग क्षेत्र में थे। चार रुग्ण एककों को सहायता दी गई थी। वित्तीय संस्थानों ने 4.19 लाख रुपये की ऋण सहायता तथा दो एककों को 0.32 लाख रुपये की मूल राशि दी गई थी और 13 एककों को 5.40 लाख रुपए की नकद राज सहायता दी गई थी। इसके अलावा 297 अन्य एककों को सहायता दी गई थी।

मेघालय : मेघालय में एक परियोजना में 450 संभावित उद्यमियों का पता लगा था, 130 परियोजना प्रोफाइलें तैयार की गई और 88 नये एकक स्थापित किये गये जिनमें 4 लघु क्षेत्र में थे और 84 कारीगरों से संबंधित हैं। 362 एककों को अन्य सहायता दी घई।

त्रिपुरा : तीन जिला उद्योग केन्द्रों से उपलब्ध प्रगति रिपोर्ट से पता चलता है कि 113 नये एकक पंजीकृत किये गये थे। 399 नये एकक पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें से 113 लघु क्षेत्र में हैं और 286 कारीगर क्षेत्र में हैं। 51 रुग्ण एककों को सहायता दी गई। वित्तीय संस्थानों ने 9.43 लाख रुपये की ऋण सहायता दी तथा लघु एककों को 5 लाख रुपये की मूल राशि दी गई और 100 एककों को अन्य सहायता दी गई थी।

गोहाटी में एक लघु उद्योग सेवा संस्थान के अलावा क्षमापुर (नागालैंड), एजवाल (मिजोरम), इम्फाल (मणिपुर), शिलांग (मेघालय), पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश), सिलचर (असम) में छः शाखा संस्थान हैं तथा तिनसुखिया और जारहट (असम) में दो विस्तार केन्द्र हैं। ये संस्थान लघु एककों को आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल का प्रदर्शन करने हेतु कार्यशाला सुविधाएं, प्रोटोटाइप विकसित करने, डिजाइन बनाने तथा यंत्र, डाइज, जिग्स, फिक्सचर आदि बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी तथा प्रबन्धकीय परामर्शदात्री सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये संस्थान कारीगरों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं और क्षेत्र में उद्यमियों को बढ़ावा देते हैं।

दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएं

6047. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुछ स्कूलों और अन्य सरकारी इमारतों/स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 'शाखायें' लग रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की "शाखायें" जनता के मनोरंजन के लिए खुले पार्कों में लगाई जा रही हैं, ये, दो नगर निगम डिस्पेंसरियों अर्थात बाड़ा हिन्दूराव और पहाड़गंज के भवनों के साथ लगे खुले क्षेत्र, पार्कों में भी लगाई जाती हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि ये किसी सरकारी भवन या स्कूल में नहीं लगाई जा रही है।

दिल्ली में 5-स्टार होटलों में 'काल गर्ल' गिरोह

6048. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में फाइव स्टार होटलों में 'काल गर्ल' गिरोह बड़े पैमाने पर फल-फूल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों से 'काल गर्ल एजेंसियों' द्वारा किराये पर लिये गये गुण्डों द्वारा परेशान किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ग) राजधानी शहर तथा इसके होटलों से इस कलंक को दूर करने के किए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) दिल्ली पुलिस के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) दिल्ली पुलिस को ऐसी कोई शिकायत सूचित नहीं की गई है।

(ग) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में दुराचार विरोधी दस्ते की स्थापना की गई है। इन गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और जब कभी कोई प्रतिकूल बात ध्यान में आती है तो कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय पदों पर केरल संवर्ग के अधिकारी

6049 **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन इस समय सचिवों, अतिरिक्त सचिवों अथवा ऐसे ही पदों की संख्या कितनी है;

(ख) अब इनमें से कितते पदों पर केरल संवर्ग के अधिकारी हैं; और

(ग) भारत सरकार के इन वरिष्ठ पदों पर केरल संवर्ग के अधिकारियों को उचित तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी०

पाटिल : (क) 1-2-79 को स्थिति के अनुसार सचिव के स्तर के पदों पर 69 और अपर सचिव के स्तर के पदों पर 81 अधिकारी कार्य कर रहे थे।

(ख) उस तारीख को केरल संवर्ग का कोई आई० ए० एस० अधिकारी इन स्तर के पदों पर कार्य नहीं कर रहा था।

(ग) गत वर्ष केरल सरकार ने सचिव/अपर सचिव के स्तर पर नियुक्ति के लिए केवल एक आई० ए० एस० अधिकारी का प्रस्ताव किया था किन्तु उस अधिकारी के पास इन उच्च स्तर के पदों पर चयन के लिए अनिवार्य समझी जाने वाली आवश्यक अपेक्षाएं नहीं थीं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबन्धी राष्ट्रीय समिति की प्रौद्योगिकी नीति

6050. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :**

श्री बाला साहब विख पाटिल :

श्री वसन्त साठे : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबन्धी राष्ट्रीय समिति ने प्रौद्योगिकी नीति विवरण को अन्तिम रूप दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या कुछ नये ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया है और 'बायोगैस' अनाज भण्डारण तथा पानी गर्म करने के विशेष संदर्भ निहित उन्हें शामिल करने के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनायें आरम्भ की गयी हैं।

रक्षा मंत्रालय में परमाणु, ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने एक प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है और फिलहाल यह सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी हां, ऊर्जा के नवीन स्रोतों का दोहन करने के लिए अनेक अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में जैव गैस के क्षेत्रों में और क्षौर ऊर्जा, जल तापन और अनाज शुष्कण/संचयन सहित इसके अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में, अनुसंधान और विकास के एक समन्वित कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा द्वारा अर्जित लाभ

6051. **श्री पी० रामगोपाल नायडू :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को 1977-78 के दौरान कोई लाभ हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितना।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा ने वर्ष 1977-78 में 297.64 लाख रुपये (कराधान से पूर्व) का लाभ कमाया था।

सार्वजनिक क्षेत्र की कपडा मिल का शिलान्यास

6052. **श्री हीरा भाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक कपड़ा मिल, जिसका शिलान्यास बारवाडा के निकट भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा किया गया था पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पूरा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मिल की स्थापना हो गई है और यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) स्पष्टत: यह संदर्भ राजस्थान में बांसबाड़ा से है। संयुक्त क्षेत्र की कताई मिल जिसका एक संवर्धक राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम है, 1978 की पहली तिमाही से चालू हो गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को तय करने के लिए एक अर्द्धयांत्रिक तंत्र बनाना

6053. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** :

डा० राम जी सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों पर विचार करने और इन्हें तय करने के लिए एक स्थाय अर्द्धन्यायिक तंत्र बनाने के लिए किसी एक अथवा एक से अधिक प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले पर सिद्धांतत: कोई नीति निर्णय लिया है, यदि हां, तो यह क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) सरकार प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित किस्म का तंत्र बनाने के के पक्ष में नहीं है।

परियोजनाओं के लिये नियतन में वृद्धि

6054. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मन्त्रालय ने अपने द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नियतन में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योगों को ऐसे बढ़े हुए नियतन के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त रोजगार क्षमता पैदा करने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का सन्दर्भ वर्ष 1978-79 में उद्योग मन्त्रालय के लिए बजट अनुमानों की स्थिति से संशोधित अनुमानों की स्थिति तक नियतन में की गई वृद्धि से है। वर्ष 1978-79 में मंत्रालय के लिए किये गए कुल नियतन मे कोई वृद्धि नहीं की गई है। कुछ उपक्रमों के सम्बन्ध में उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने अथवा मशीनरी इत्यादि का नवीनीकरण करने में आई लागत को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग के द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी।

(ग) बजट सम्बन्धी नियतनों में वृद्धि का सम्बन्धित परियोजनाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि से कोई प्रत्यक्ष परस्पर सम्बन्ध नहीं है।

केंद्रीय सरकार की सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

6055. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की योग्यताओं के बारे में सरकार ने कोई आंकड़े एकत्र किए हैं;

(ख) क्या बहुत से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट पास हैं और काफी लम्बे समय से चतुर्थ श्रेणी में ही कार्य कर रहे हैं और उन्हें तृतीय श्रेणी में नहीं खपाया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन्हें उनकी योग्यताओं और वरिष्टता सूची के अनुसार पदोन्नति करेगी ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) और (ग) चूंकि समूह 'घ' के संवर्ग विकेन्द्रीकृत हैं, अत: अपेक्षित सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(घ) विद्यमान नियमों और आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के पदों की कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (अवर श्रेणी ग्रेड) प्रतियोगिता परीक्षा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों के लिए अवर श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा) के परीक्षाफल के आधार पर भरा जाता है। किन्तु अल्प अवधि की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए जब अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शैक्षिक दृष्टि से अर्हता-प्राप्त ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों को रोजगार दफ्तरों द्वारा नामित व्यक्तियों की तुलना में वरीयता दी जाए और उन्हें वरिष्ठता के आधार पर तदर्थ रूप में पदोन्नति दी जाए, बशर्ते कि वे अयोग्य न पाए जाएं।

नीति सम्बन्धी मामलों में संशोधन के बारे में अध्ययन करने के लिए कार्यकारी दल समितियां

6057. **श्री वसन्त साठे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने और नीति संबंधी मामलों आदि में उपयुक्त संशोधन करने के लिए वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में वरिष्ठ अधिकारियों की कितनी कार्यकारी दल समितियां बनायी गई हैं;

(ख) विषयवार ऐसे दलों के गठन का ब्यौरा क्या है और इन दलों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख क्या है और दलवार की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यकारी दल विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या महत्वपूर्ण निर्णय किये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने अक्तूबर, 1977 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम तथा सम्बद्ध नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कार्य की जांच करने तथा तेजी से औद्योगिक विकास करने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हो, का श्री जी० वी० रामाकृष्णा, अपर सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में औद्योगिक विनियमन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी एक अध्ययन दल गठित किया था। इस अध्ययन दल ने 20 फरवरी, 1978 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। अध्ययन दल की रिपोर्ट व अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय 31 मार्च, 1978 को संसद के समक्ष रखे गए थे।

छोटी कार का निर्माण

6058. **प्रो० समर गुह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने छोटी कार बनाने के समर्थन में अपना मत व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी छोटी कारों के लाभ क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसी छोटी कार के लिए निर्माण परियोजनायें स्थापित करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) विकसित देशों में निर्मित यात्री कारों के विशद ढाँचे की तुलना में भारत में निर्मित यात्री कारों को छोटी कार समझा जाता है। उद्देश्य यह है कि मोटर गाड़ी उद्योग को विशेष रूप से अन्तिम उपयोक्ताओं के लिए विश्वसनीयता और ईंधन क्षमता में सुधार लाने के हित में उन्नत बनाया जाये।

(ध) यात्री कार उद्योग के उन्नयन के लिए सरकार इस समय विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जिनमें सरकारी क्षेत्र की सहभागिता भी शामिल है।

दिल्ली में ठहरी हुई सीमा सुरक्षा बल, सी० आई० एस० एफ० और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियन

6059. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 की तुलना में 1978 में दिल्ली में ठहरी हुई सीमा सुरक्षा बल, सी० आई० एस० एफ० और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (बी० एस० एफ०, सी० आई० एस० एफ०, सी० आर० पी० एफ०) की बटालियनों की संख्या अधिक थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्राय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) 1976 और 1978 के दौरान दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल की केवल रिजर्व बटालियन थी।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधि व व्यवस्था के कार्यों के लिए तैनात करने के लिए नहीं है बल्कि इसका कार्य सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक उपक्रमों का संरक्षण करना है। 31-12-1978 को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 399 कर्मचारियों की तुलना में 31-12-1976 को 689 कर्मचारी तैनात थे।

1976 में दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 4 बटालियनें तैनात की गई थीं जबकि 1978 के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 6 बटालियनें तैनात की गई हैं। दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली सशस्त्र पुलिस की दो और बटालियनें बढ़ाने के बजाय दिल्ली प्रशासन को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 2 अतिरिक्त बटालियनें उपलब्ध कराई गई थीं।

इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन को विशेष अवसरों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा बल की कुछ और अधिक सहायता अस्थाई तौर पर दी गई थी ताकि दिल्ली प्रशासन समय-समय पर विधि व व्यवस्था की स्थिति का मुकाबला कर सके।

कपड़े पर मूल्य की मोहर

6060. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े पर मूल्य की मोहर लगाना क्यों बन्द किया गया है, और

(ख) क्या यह सच है कि मूल्य की मोहर लगाना बन्द करने के पश्चात कपड़े के मूल्य बढ़ गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सूती कपड़ों पर मूल्य अंकित करने की योजना अभी चालू है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फतुहा स्कूटर तथा ट्रैक्टर कम्पनी, बिहार की उत्पादन क्षमता

6061. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतुहा स्कूटर तथा ट्रैक्टर फैक्टरी, बिहार में, स्कूटरों और ट्रैक्टरों की वार्षिक उत्पादन क्षमता पृथक-पृथक क्या है और क्या कारखाना अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा

है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और उसकी पूरी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) कारखाने में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उन पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) बिहार की स्कूटर तथा ट्रैक्टर फैक्टरियां केन्द्रीय सरकार की परियोजनायें नहीं हैं और इन परियोजनाओं के पूंजी निवेश तथा अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता है। ये राज्य क्षेत्र की परियोजनायें हैं, जो बिहार सरकार के निगमों के हाथ में हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड तथा एच. एम. टी. इन परियोजनाओं को पावर पैकों तथा तकनीकी जानकारी आदि के रूप में सहायता दे रहे हैं। स्कूटर फैक्टरी की वर्तमान वार्षिक क्षमता वैल्डिग, पेंटिंग तथा असैम्बली प्रोसेस द्वारा 3,500 से 4,000 स्कूटर हैं। स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से 300 यूनिट प्रति मास की दर से परिवर्तन के आधार पर काम शुरू किया जा रहा है तथा काम अप्रैल में शुरू होने की आशा है। बस बाडियों के निर्माण की क्षमता का प्रयोग करने के लिए विविधीकरण प्रयास भी चल रहे हैं। एच. एम. टी. द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सी. के. डी. पैकों को असैम्बल करके 10,000 नगों की क्षमता वाली ट्रैक्टर निर्माण फैक्टरी की स्वीकृति दी गई है। असैम्बली चरण चालू है और एच. एम. टी. द्वारा सप्लाई किये गए पैकों के आधार पर इस यूनिट ने वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 में क्रमशः 672, 732 तथा 525 ट्रैक्टर असैम्बल किये। राज्य संगठन द्वारा अपनी उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि के प्रयासों के अनुरूप एच. एम. टी. ट्रैक्टर फैक्टरी को अतिरिक्त पैक सप्लाई करने की स्थिति में हो सकेगी।

कागज कारखाना भोजपुर (बिहार) के लिए भवन का निर्माण

6062. **श्री रामा नन्द तिवारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भोजपुर जिले में भोजपुर गांव के निकट कागज बनाने वाले कारखाने के लिए भवन बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे अभी तक चालू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख) लिखाई व छपाई के कागज का उत्पादन करने हेतु बक्सर, जिला भोजपुर (बिहार) में एक परियोजना स्थापित करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 31.3.78 को निजी क्षेत्र के एक एकक को पंजीयित किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति जी जानकारी देने वाली कोई रिपोर्ट एकक से प्राप्त नहीं हुई है।

अखिल भारतीय बुद्ध होक्क संघर्ष समिति, नागपुर की ओर से ज्ञापन

6063. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय बुद्ध होक्क संघर्ष समिति नागपुर से दिनांक 28 फरवरी, 1979 का कोई ज्ञापन/शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और उस पर कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण 'क' में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) राजस्व सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

अखिल भारतीय बौद्ध हक्क संघर्ष समिति
मुख्य कार्यालय : कल्पतरु बुद्ध बिहार,
कौसल्यायन नगर, नागपुर-440003 (महाराष्ट्र राज्य)

पत्र क्रमांक : सी०/पी०/7179　　　　दि० 23-2-1979

प्रति

माननीय, नीलम संजीव रेड्डी जी,
राष्ट्रपति, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

विषय : बौद्धों पर होने वाले अत्याचार रोकने हेतु ।

मान्यवर,

मैं आपका ध्यान ग्राम मकरधोकडा (पोलिस चौकी मकरधोकडा) पुलिस स्टेशन उमरेड जि० नागपुर में बौद्ध परिवारों को जान से मारने की बार-बार कोशिश किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मकरधोकडा गाँव में बौद्धों के 80-90 परिवार रहते है । उसी गांव में श्री तेलरांधे नामक एक धनी व्यक्ति रहता है जो सरकारी देशी दारू के दुकान का मालिक है । 24 घंटे लायसेंसधारी बन्दूक साथ में होने की वजह वह स्थानीय बौद्ध एवं दलित जनता पर अपना रोब जमाए हुए है । बौद्ध दलितों की होने वाली प्रगति उसके दिल में हरदम खटकती रहती है । जिसकी वजह उसने आज तक श्री श्रावण मांडवकर, श्री हनुवत कांबले (सरकारी कोतवाल), श्री भदु खोब्रागडे, श्री प्रभु पाटिल आदि प्रमुख व्यक्तियों को एवं अन्य बौद्ध नागरिकों को बेरहमी से पिटवा कर जातीय तनाव निर्माण किया है ।

उसी देहात का एक बौद्ध नागरिक नामे गंगाधर वल्द रामचन्द्र वानखेडे उम्र 25 साल, अपने स्वयं की मेहनत से पढ़ लिखकर तैयार हुआ और मनकापुर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सब-स्टेशन में लाईनिंगमैन का कार्य कर रहा है । श्री वानखेडेजी का पूरा परिवार मकरधोकडा में होने से जब कभी भी उन्हें नौकरी से छुट्टी मिले तो वे अपने परिवार से मिलने अपने गांव जाते रहते हैं ।

यह घटना हुई उस दिन तारीख 20-2-1979 को श्री वानखेडेजी अपने परिवार से मिलने मकरधोकडा गांव में शाम को पहुंचे। घर जाते वक्त श्री रामराव मंगू कांबले (श्री हनुवत कांबले, सरकारी कोतवाल इनका छोटा भाई) मिला। दोनों दोस्त आपस में खुशहाली की बातें करने में मग्न थे कि श्री नारायण कोठीराम तेलरांधे को घर दबोचे और घाकट महादेव नागपूरे ने भद्दी-भद्दी जातिवाचक गालियां देकर श्री वानखेडेजी और श्री तुलसीदास कोठीराम तेलरांधे ने दो देशी दारू के शीशियों से उसके सर पर प्रहार किया, दोनों शीशियां टूटने पर लाठी द्वारा बेरहमी से पिटाई की जिसकी वजह से श्री वानखेडे घटनास्थल पर लहूलुहान होकर गिर गए। श्री रामराव कांबले को भी श्री मधुकर गजमिये और किसन ये-या कामठे ने बेरहमी से पिटाई की।

उक्त घटना के वक्त मकरधोकडा पुलिस चौकी के हैड कांस्टेबल श्री नामदेव सेंडे घटनास्थल पर मौजूद थे जो आक्रमणकारियों को कुछ न कहते हुए लोगों की भीड़ को सिर्फ तितरबितर करने के कार्य में व्यस्त थे। स्थानीय नागरिकों को यह घटना की भनक मिलते ही लोगों ने मिलकर निरपराध श्री वानखेडे और कांबले को छुड़ाया। उन्हें होश में लाने का लहुलुहान अवस्था में मकरधोकडा पुलिस चौकी पर ले गए लेकिन कानून के रक्षक श्री शेंडे जी ने मदद तो देना दूर ही बल्कि रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की।

इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु उमरेड पुलिस स्टेशन जाने का जब जखमियों ने एवं सुजान बौद्ध नागरिकों ने तय किया तब श्री नामदेव शेंडेजी उपरोक्त जखमियों के घर आकर उन्हें बंदी बनाकर पुलिस चौकी ले गए।

अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि श्री तुलसीदास जी कोठीराम तेलरांधे जब शीशियों से श्री वानखेडे को पीट रहे थे तब श्री वानखेडे के सर पर शीशियां फुटी जिनके कांचों के टुकड़ों से श्री तेलरांधे के तलबे को जखम हुई। तलवे को चक्कू के मार की जखम कहकर रिपोर्ट लिखवाई गई और श्री शेंडेजी ने वफादार कर्मचारी के नाते श्री तेलरांधे जी के बातों को सत्य प्रमाणित समझकर जखमियों को गिरफ्तार किया जबकि घटनास्थल पर वे स्वयं मौजूद थे।

मकरधोकडा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र होने के बावजूद भी डाक्टरी मुलाहिजा तो दूर ही रहा श्री शेंडेजी ने जखमियों को आयोडिन तक नहीं लगवाने दिया। यह जखमी सारी रात कराहते रहे, तड़फते रहे। दिनांक 21-2-79 को सुबह 11 बजे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने श्री वानखेडेजी के सर के छः घावों में से बड़े घाव को टांके लगवाये और अन्य पांच घावों पर मलहम पट्टी कराकर छुट्टी दे दी। डाक्टरी उपाय होने पर श्री शेंडेजी ने उन्हें फिर से चौकी में बन्दी बनाकर रखा।

तारीख 22-2-79 को दोपहर 2 बजे श्री वानखेडे जी के घर की तलाशी ली गई और उसके बाद श्री शेंडे ने जखमियों को 3-15 की महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस क्रमांक एम० एच० डी० 97 द्वारा उमरेड ले गए, जहां उन्हें शाम साड़े छः बजे तक बंदी बनाकर रखा गया। शाम को अड० एन० व्हीट हुड जी ने दो हजार रुपये की जमानत पर उन्हें मुक्त किया। मुक्त हो जाने पर श्री वानखेडे और श्री कांबले का बयान श्री शेंडे जी ने जिन कागजों पर लिखा वे कागजाद श्री शेंडे जी ने अपने साथ रखे जिन पर जखमियों के हस्ताक्षर भी उस बयान पर नहीं लिए बल्कि श्री वानखेडे के पिता जी को डर बताकर जबरान कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए मजबूर

किया गया और ये सारे कागजाद श्री शेंडे जी अपने बैग में ठूंसकर मकरधोकडा लेकर चले गये।

पुलिस की मदद से बन्दूक लायसेन्सधारी, देशी दारू की दुकान के मालिक श्री तुलसीदास कोठीराम तेलरांधे एवं उनके अन्य सभी साथियों ने मकरधोकडा में जो आतंक फैला रखा है उससे इस गांव के बौद्ध, दलित नागरिकों की जान खतरे में है। इनके जान, माल, इज्जत की हानि किसी भी वक्त हो सकती है इसमें कतई सन्देह नहीं।

क्या आपका शासन हमारे समाज को समान न्याय प्रदान करेगा ?

कृपया आपके द्वारा किये गए कार्यवाही से समिति को अवगत कराने की कृपा करें।

नागपुर

भवदीय,

हस्ता० (रमेशचन्द्र डोंगरे)

अध्यक्ष

अ० भा० बौद्ध हक्क संघर्ष समिति

प्रतिलिपियां :

(1) प्रधान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(3) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र शासन।

(4) गृह मंत्री, महाराष्ट्र शासन।

(5) पुलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य।

(6) चेयरमैन, अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली।

(7) चेयरमैन, हरिजन गिरीजन आयोग, नई दिल्ली।

(8) चेयरमैन, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।

(9) नामदार, आर० एस० गवई, सभापति, विधान परिषद, महाराष्ट्र।

(10) खासदार, स्टीफन, विरोधी दल नेता, संसद नई दिल्ली।

(11) खासदार, भूपेश गुप्ता, कम्युनिस्ट पक्ष नेता, संसद, नई दिल्ली।

(12) खासदार, वाय० बी० चह्वाण, कांग्रेस पक्ष नेता, संसद नई दिल्ली।

(13) खासदार, बी० सी० खोब्रागडे, राज्य सभा, नई दिल्ली।

(14) खासदार, बी० सी० कांबले, संसद, नई दिल्ली।

(15) जिलाधीश महोदय, नागपुर, जिला नागपुर।

(16) आफीसर इंचार्ज, उमरेड पुलिस स्टेशन, उमरेड, जिला नागपुर।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ उनके उत्पादन को धीरे-धीरे बन्द करने के लिये बातचीत

6064. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से उनके उत्पादन को धीरे-धीरे बन्द करने के बारे में आरम्भ की गई बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ख) इस प्रयोजन के लिए किन-किन रीतियों के बारे में निर्णय किया गया है;

(ग) क्या साबुन, जूते, माचिस, चाकलेट, टूथपेस्ट और बिस्कुट जैसी छह जन उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने उत्पादन का विविधीकरण करने पर सहमत हो गई हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सितम्बर, 1978 में हुई एक बैठक में, जिसमें अन्यों के अलावा मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा संगठित क्षेत्र में कपड़े धोने के साबुन के अन्य उत्पादकों के भी प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, निम्नलिखित पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है :

(i) उद्योग के लघु तथा संगठित क्षेत्रों के लिए सरकार की कार्य योजना का एक विशिष्ट कार्यक्रम संगठित क्षेत्र द्वारा लघु क्षेत्र की अपेक्षित त्रसीय सामग्री का और अधिक संभरण करने के आधार पर बनाया जाये।

(ii) संगठित क्षेत्र की कुछ गतिविधियों को प्रावस्थाबद्ध रूप में समाप्त करने के निर्धारित लक्ष्य की कार्य योजना का एक कार्यक्रम बनाया जाये।

(iii) उद्योग के संगठित क्षेत्र को नियमों तथा विनियमनों से किसी छूट सहित अपने लिए आवश्यक सहायता के स्वरूप को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए; ताकि कम से कम परिवर्तन द्वारा स्थित्यान्तर की अव्यवस्था को संभाला जा सके। नवम्बर, 1978 में दियासलाई उद्योग संबंधी एक अन्य बैठक में, जिसमें अन्यों के अलावा मैसर्स विमेको के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे, यह निर्णय लिया गया था कि मैसर्स विमको लिमिटेड व खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग मिलकर कार्रवाई की एक संयुक्त कार्ययोजना बना,एं इस कार्य योजना के द्वारा संगठित क्षेत्र विविधीकरण करके अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करे और धीरे-धीरे लघु क्षेत्र के हित में सेफ्टी मेच की अपनी उत्पादन क्षमता समाप्त कर दें।

जूते, चोकलेट, टूथपेस्ट तथा बिस्कुट उद्योग के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। किन्तु टूथपेस्ट बनाने वाले बड़े पैमाने के उत्पादकों को जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी वाले उत्पादक भी शामिल हैं, प्रावस्थाबद्ध ढंग से लघु क्षेत्र के लिए अपनी योजनाएं बनाने को कहा गया है।

मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये सर्व कला तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण

6065. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :**

(क) क्या सरकार ने कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोई जिलेवार सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसा सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था कर रही है जैसा कि अन्य प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे ग्रामीण लोग दक्ष होकर सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय कर सकें।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के अधीन लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा विकास के विद्यमान स्तर और स्थानीय

कृषि एवं अन्य संसाधनों द्वारा विकास के विद्यमान स्तर और स्थानीय कृषि एवं अन्य संसाधनों, स्रोतों तथा कुशलता एवं मांग के आधार पर लघु उद्योगों के लिए विभव क्षमता की संवीक्षा करने के लिए प्रतिवर्ष कुछ जिलेवार सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित 14 जिलों के सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं :

1. भिलाई क्षेत्र
2. छिंदवाड़ा
3. बस्तर
4. राजगढ़
5. धार
6. सिहोर
7. रीवा
8. सीधी
9. नरसिंहपुर
10. रतलाम
11. होशंगाबाद
12. सिवनी
13. देवास
14. रायपुर।

मध्य प्रदेश राज्य के लिए 45 जिला उद्योग केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 20 जिलों में गहन ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई हैं। उन जिलों के नाम, जहां ऐसे सर्वेक्षण किए गए हैं, निम्न प्रकार हैं :

1. मन्दसौर
2. खरगांव
3. उज्जैन
4. गुना
5. खंडवा
6. भिण्ड
7. मुरैना
8. रायगढ़
9. दुर्ग
10. राजनन्दगांव
11. रायपुर
12. बिलासपुर
13. अम्बिकापुर
14. सागर

15. मांडला
16. सिवनी
17. छतरपुर
18. नरसिंहपुर
19. रीवा
20. सतना ।

(ख) भूतपूर्व ग्रामीण उद्योग कार्य/ग्रामीण कारीगर कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अब जिला उद्योग केन्द्र की गतिविधि के साथ मिला दिया गया है । इस प्रकार अधिकांश कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विस्तार में ग्रामीण कारीगरों को सहायता तथा जिला उद्योग केन्द्रों के साथ विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के अधिकरणों अर्थात खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, हस्तशिल्प, हथकरघा के निकट रूप से परस्पर सहयोग भी शामिल हैं, इससे ग्रामीण कारीगरों को पता लगाने, प्रशिक्षण देने में विस्तृत आधार मिल सकेगा ।

बिल्डिंग मजदूर यूनियन कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली से शिकायत

6066. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**

श्री के० लकप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को जनवरी-फरवरी, 1979 के दौरान ए-144, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में नियुक्त एक नौकर की मौत के बारे में बिल्डिंग मजदूर यूनियन, एफ-70, प्रेम गली, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा चुकी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नए सिरे से इस मामले की जांच कराने का है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस०डी० पाटिल): (क), (ख) तथा (ग) पुलिस को घरेलू नौकर की मौत के बारे में जनवरी, 1979 में अर्थात घटना होने के लगभग 5 महीने बाद सचिव, बिल्डिंग मजदूर यूनियन, कोटला से एक शिकायत प्राप्त हुई थी । विवरण ये हैं कि 26-8-78 को अपराह्न लगभग 2-30 बजे करीब 14 वर्ष की आयु का, भानन नामक एक नौकर लड़का अपने मालिक की, मकान के सामान को व्यवस्थित करने में सहायता कर रहा था । वह एक कुर्सी पर खड़ा हुआ था जिसको एक लकड़ी के तख्ते से सहारा दिया हुआ था । उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा तथा एक अलमारी से टकरा कर उसके सिर में चोट लगी; किन्तु वह कुछ चाय पीने के बाद कार्य करता रहा । नौकर लड़का अपराह्न लगभग 5 बजे शौचालय गया तथा जब वह लगभग आधे घंटे तक बाहर न आया तो मालिक की पत्नी ने जांच की और उसे शौचालय में बेहोश पड़ा पाया । उसने अपने पति को सूचित किया जो लड़के को तभी अपराह्न लगभग 6-7 बजे ए० आई० आई० एम० एस० बेहोशी की हालत में ले गया । उसकी मृत्यु अपराह्न लगभग 9-30 बजे हो गई । चिकित्सा अधिकारी की

रिपोर्ट के अनुसार मृतक के सिर में चोटें लगी थीं। गुप्त तथा खुली जांच की गई थी परन्तु किसी गड़बड़ का संदेह नहीं हुआ। इस मामले की पुन: जांच करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक एककों के नाम और उनका प्रचार

6067. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं,

(ख) इन एककों की एकक-वार प्रचार नीति का ब्यौरा क्या है,

(ग) इनके द्वारा गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक एकक द्वारा प्रचार और जन सम्पर्क पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है,

(घ) इनमें से प्रत्येक एकक द्वारा गत तीन वर्षों में वर्षवार, विज्ञापनों के लिए किन-किन दैनिक समाचार पत्रों का उपयोग किया, और

(ङ) इन एककों द्वारा छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों की सहायता संबंधी सरकारी नीति को कार्यान्वित करने के लिये की गई कार्यवाई का गत तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) संभवत: माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उल्लेख कर रहे हैं। एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचार नीति सामान्य रूप से किसी विशेष प्रकार के विज्ञापन के उद्देश्यों के अनुरूप एक विशेष वर्ग के श्रोता तक पहुंचने के लिए उपयुक्त विज्ञापन माध्यम का चयन करने के लिये ही बनाई जाती है।

(ग) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
	(क) औद्योगिक विकास विभाग
1.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड।
2.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०।
3.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यु० कं० लि०।
4.	भारतीय वस्त्र निगम लि०।
5.	हिन्दुस्तान साल्टस लि०।
6.	नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०।
7.	राष्ट्रीय औद्योयिक विकास निगम।
8.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०।
9.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन।
10.	भारत आप्थाल्मिक ग्लास लि०।

11. टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. ।
12. आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कं० लि. ।
13. भारत लैदर कारपोरेशन ।
14. नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कार० लि० ।
15. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि. ।
16. राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।
17. भारतीय जूट निगम लि. ।

(ख) भारी उद्योग विभाग :

1. तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि. ।
2. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी लि. ।
3. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. ।
4. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० ।
5. हैवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि, ।
6. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि. ।
7. हिन्दुस्तान मशीन ऊल्स लि. ।
8. स्कूटर्स इंडिया लि. ।
9. भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर्स लि. ।
10. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ।
11. जैसप एंड कंपनी लि. ।
12. रिचर्डसन एंड क्रूडास लि० ।
13. बर्न स्टैंडर्ड कं० लि.
14. भारत ब्रेक्स एंड वैसल्स लि० ।
15. ब्रेथवेट एंड कं० लि ।
16. भारत वैगन एंड इंजी० कं० लि० ।

प्लास्टिक इलेक्ट्रीकल एसैसरीज उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता

6068. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थर्मोसेटिंग का मेट्रियल इंडस्ट्री और प्लास्टिक इलेक्ट्रीकल एसैसरीज उद्योगों में भारी अप्रयुक्त क्षमता के क्या कारण हैं, और

(ख) इस अप्रयुक्त क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि वर्ष 1975-76 में प्राप्त की गई प्लास्टिक और लिनोलियम के निर्यात में 32 प्रतिशत की वृद्धि, जो वर्ष 1977-78 में 4 प्रतिशत रह गई है, को पुनः बहाल किया जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) स्विज, प्लग, सोकेट जैसे प्लास्टिक से बने बिजली के सहायक सामानों का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है तथा लघु क्षेत्र में ऐसे अनेक एकक हैं जो प्लास्टिक के बिजली के सहायक सामानों का

उत्पादन कर रहे हैं। काफी बड़ी क्षमता बेकार पड़ी होने के बारे में इस उद्योग से कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। थर्मोसिटिंग रेसिन से बिजली के सामान की माँग में थर्मोप्लास्टिक रेसिन से बने बिजली के सामानों द्वारा प्रतिस्थापन करने के कारण कमी आ रही है। थर्मोसेट (कच्चा माल) रेसिन उद्योग में क्षमता बेकार पड़ी है। पी. वी. सी., एच. डी. पी. ई. जैसी थर्मोप्लास्टिक रेसिनों द्वारा थर्मोसेट रेसिन का प्रतिस्थापन करने व थर्मोसेटिंग रेसिनों के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल की अधिक लागत की वजह से ऐसा हुआ है। इस उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की लागत संबंधी अध्ययन करने हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति नियुक्त की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ विकास

6069, **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई सुदृढ़ और निरन्तर विकास दर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस उतार-चढ़ाव के कारण क्या हैं; जो गत पांच वर्षीय योजनाओं में प्रत्येक योजना में हुए हैं; और

(ग) सुदृढ़ और निरन्तर विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न योजना की अवधियों में वृद्धि दर में घटत-बढ़त मुख्यतः कृषि की अनिश्चित स्थिति के कारण होती है जो कि राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग आधी है। कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर है और यह लोक प्रसिद्ध है कि मानसून पूर्व-सूचनीय नहीं है। सरकारी निवेशों में घटत-बढ़त, माँग की समस्याओं, उत्पादन पूर्ति की समस्याओं तथा श्रमिकों की समस्याओं के कारण हाल के वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में भी घटत-बढ़त रही है।

(ग) 1978-83 की योजना में ऐसे उपायों की व्यवस्था की गई है जिनसे कृषि की मौसम की अनिश्चितताओं से काफी सुरक्षा की जा सकेगी। कृषि से संबंधित कार्यनीति का मुख्य बल सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का यथा सम्भव शीघ्र विस्तार करना और ऐसी फसल प्रणालियों तथा कृषि पद्धतियों का विकास करना है जिनसे भूमि और जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। कृषि निवेशों, अर्थात् उर्वरकों, कीट नाशक औषधियों, उन्नत बीजों और विद्युत की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि कृषि उत्पादन के अनुमानित विकास को प्राप्त किया जा सके। योजना में क्षेत्रीय योजनाएँ बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। छठी योजना की अवधि में सरकारी निवेशों में काफी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वर्तमान औद्योगिक और व्यापार संबंधी नीति में भी देशीय तथा आयातित साधनों से निवेशों की स्थिर पूर्ति के लिए व्यवस्था है। आशा है कि इस प्रकार की नीतियों से भविष्य में उतार-चढ़ाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

कमजोर वर्गों पर अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अध्ययन

6070. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है जहां कमजोर वर्गों पर अत्याचार की संभावना रहती है;

(ख) इन क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को बराबर सताये जाने और उनका शोषण करने के क्या मूल कारण हैं; और

(ग) कमजोर वर्गों की शिकायतों से शीघ्र और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के प्रति अपराध कानून के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा 'लोक व्यवस्था' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं जो राज्य का विषय है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में कानून के अन्तर्गत पर्याप्त कार्यवाई की जाती है; किन्तु इस सम्बन्ध में केन्द्र उनसे निकट का संपर्क बनाये रखता है। राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेवार मूलभूत तत्वों, विशेषकर आर्थिक तत्वों को दूर करने के उद्देश्य से शीघ्र उपाय करने के लिए, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने ताकि ऐसे मामलों में तुरन्त एवं कारगर कार्यवाही की जा सके तथा कमजोर वर्गों को सुरक्षण प्रदान करने एवं उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुझाव भेजे हैं। राज्य सरकारों को दिये गये सुझावों में से एक अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचारों से ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाना है ताकि ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में सुविधा हो सके।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों का सर्वेक्षण

6071. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी व्यक्तियों के रहन-सहन की स्थिति का योजना आयोग ने सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उस आदिवासी जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है, जो बहुत गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रही है;

(ग) क्या राज्य सरकार के सहयोग से उनके रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करने के लिये सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है और क्रियान्वित की है; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) योजना आयोग ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों के रहन-सहन की स्थिति का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) और (घ) जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए राज्य योजना के भीतर एक उप-योजना कार्यान्वित की जा रही है। जनजातीय उप-योजना इस दृष्टि से तैयार की गई है

जिससे कि जनजातीय और अन्य क्षेत्रों के विकास के स्तरों के बीच के अन्तर को कम किया जा सके तथा जनजातीय समुदायों के जीवन-स्तर को उन्नत किया जा सके। इन उप-योजना कार्यक्रमों में मुख्य बल कृषि में सुधार, वन उद्योग-प्रधान कार्यक्रम तथा भूमिहीन और मझोले किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बागबानी, पशुपालन और कुटीर उद्योगों जैसे कार्यक्रमों पर दिया गया है। कृषि की उन्नत प्रणालियों, अनुकूली अनुसंधान और कृषकों के प्रशिक्षण को शुरू करने पर उचित बल दिया गया है। इसके अलावा, अन्य संक्रामित भूमि को वापस दिलाए जाने और कृषि और वन उत्पादन के विपणन में शोषण को समाप्त करने से संबंधित कानूनों को कार्यान्वित करने तथा ऋण की सुविधाओं में सुधार करने पर भी बल दिया जा रहा है। इस उप-योजना के कार्यक्रमों की सहायता के लिए 1978-79 की अवधि में राज्य योजना से 63.54 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया था और 18.46 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता रखी गई थी।

बजाज स्कूटरों की क्षमता

6072. **श्री के० लकप्पा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज बजाज आटो लिमिटेड की बजाज स्कूटर बनाने की कुल वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ख) उनका देश भर में वितरण कैसे हो रहा है;

(ग) क्या कम्पनी को अपनी विवेकाधिकार से कुछ स्कूटर दे देने का अधिकार है और यदि हां, तो ऐसे स्कूटरों की वार्षिक संख्या कितनी है; और

(घ) इस विवेकाधिकार के कोटे का क्या औचित्य है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) मै० बजाज आटो लिमिटेड की अधिकृत उत्पादन क्षमता 1,00,000 स्कूटर प्रति वर्ष निर्माण करने की है। 1977-78 में बजाज मेक के 85,134 स्कूटरों का उत्पादन हुआ तथा 1978-79 में यह संख्या 90,000 स्कूटर तक पहुंच जाने की आशा है।

(ख), (ग) तथा (घ) स्कूटरों की बिक्री तथा वितरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है और सरकार द्वारा कोई कोटा तय नहीं किया जाता है। अत: वितरण वाणिज्यिक मापदंडों के अनुसार किया जाता है। फर्म से प्राप्त सूचना के अनुसार 1978 के दौरान उसने अपनी मर्जी से केवल 573 स्कूटरों का वितरण किया था।

वर्ष 1979 में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

6073. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौराम देश भर में राज्यवार कितने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्सम्बन्धी उत्पादन लक्ष्य क्या है और उक्त केन्द्रों ने अब तक कितना उत्पादन किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) देश के कुल 399 जिलों में से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अब तक 346 जिला उद्योग केन्द्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है। आगामी कुछ महीनों में प्रावस्थाबद्ध रूप में देश के सभी शेष जिलों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र संवर्धनात्मक व विकास संबंधी कार्य करते हैं। इन केन्द्रों से यह आशा नहीं की जाती कि वे उत्पादन कार्य करें। अब तक 147 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बनाई गई कार्रवाई योजनाओं के अधीन वर्ष 1979-80 में 82,222 लघु तथा कुटीर उद्योग एकक स्थापित होने की आशा है। प्रस्तावित एककों पर अनुमानतः 163.01 करोड़ रुपये का कुल विनियोग पूर्वानुमानित है तथा इनमें 405.77 करोड़ रुपये सकल मूल्य का वार्षिक उत्पादन होने की आशा है। इन नये एककों से 3.34 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

दिल्ली में अपहरण, चेन छीनने तथा जेब काटने के कार्य में लगे गिरोह

6074. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में बच्चों के अपहरण, चेन छीनने तथा जेब काटने के कार्य में लगे गिरोहों का पता लगाने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इनके अड्डे किन स्थानों पर पाये गए है; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) और (ग) 1-1-1978 से 15-3-1979 की अवधि के दौरान पहाड़गंज क्षेत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा चेन छीनने वाले दो गिरोहों का पता लगाया गया था। इस अवधि के दौरान जेब काटने और बच्चों का अपहरण करने वाले किसी गिरोह का पता नहीं लगा है। फिर भी जेब काटने और अपहरण के मामलों में अंतर्ग्रस्त कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में 1-1-1978 से 15-3-1979 तक की अवधि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

शीर्ष	सूचित किये गये मामले	हल किये गए मामले	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति
अपहरण	580	355	306
चेन छीनना	299	155	172
जेब काटना	2958	594	584

बड़े उद्योगपतियों के पेनल की सिफारिशें

6075. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्योगपतियों की 14 सदस्यीय पैनल ने हाल ही में औद्योगिक लाइसेन्सिग प्रक्रिया के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस बारे में जारी किया गया एक प्रेस नोट संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4251/79)

औरंगाबाद, रत्नगिरि और चन्द्रपुर जैसे पिछड़े क्षेत्रों को राज सहायता

6076. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री वर्ष 1978 के दौरान स्थापित किए गए लघु उद्योगों की संख्या के बारे में 28 जनवरी, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने 24 तथा 25 फरवरी, 1979 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह इच्छा व्यक्त की थी कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए 15 प्रतिशत के दीय राज सहायता को छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार छोड़ी गई राशि राज्य सरकारों को ऐसे उपयोग के लिए दी जा सकती है जो वे आवश्यक समझें;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या औरंगाबाद, रत्नगिरि और चन्द्रपुर जैसे विविध पिछड़े जिलों के नये उद्योगों को 15 प्रतिशत राज सहायता देने सम्बन्धी योजना जारी रहेगी; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो वर्ष 1979-80 के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 24 तथा 25 फरवरी, 1979 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्यों तथा केन्द्र के बीच संसाधनों के बंटवारे से सम्बन्धित समस्याओं पर सामान्य रूप से चर्चा हुई थी। इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं पर चर्चा हुई थी।

(ख) तथा (ग) औद्योगिक रूप से पिछड़े कुछ जिलों के 15 प्रतिशत की निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना वर्ष 1979-80 तक बढ़ा दी गई है तथा इसके लिए पहले की तरह पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा धन मिलता रहेगा। यह सहायता वर्ष 1979-80 में औरंगाबाद, रत्नगिरि तथा चन्द्रपुर जिलों के लिए भी उपलब्ध रहेगी।

(घ) चूंकि पूंजी निवेश राज सहायता अचल औद्योगिक परिसम्पत्तियों के वास्तविक निवेशों से सम्बन्धित है, जिलेवार अथवा राज्यवार धनराशि नियत करना सम्भव नहीं है।

शाह आयोग को प्राप्त शिकायतें

6077. **श्री शंभू नाथ चतुर्वेदी** :

श्री आर० के० महालगी :

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाह आयोग द्वारा कितनी शिकायतों पर विचार नहीं किया गया था और इन शिकायतों को राज्य सरकारों अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा निपटाने के लिए भेजा गया था;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतों के बारे में जांच करके निष्कर्ष निकाला गया है और उनके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उन पर बाद में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) शाह जांच आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य एजेंसियों को 35,487 शिकायतें भेजी थीं। इनमें से वर्ग III की 28,771 शिकायतें शिकायतकर्ताओं को सूचना देते हुए उचित स्तर पर निपटान के लिए भेजी गई थीं, जबकि वर्ग IV की शेष 6716 शिकायतें जांच करने और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए भेजी गई थीं।

(ख) आयोग ने 2,342 मामलों की अपनी अन्वेषण एजेंसी द्वारा जांच पड़ताल की थी। 87 मामले सार्वजनिक सुनवाई के लिए हाथ में लिए गए थे। जांच किए गए कुछ मामलों में से 586 मामले साबित हुए, 429 आंशिक रूप से साबित हुए और 994 मामले साबित नहीं हुए और 333 मामले अन्य पद्धतियों (जांच के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों/राज्य सरकारों अथवा आपातकाल ज्यादतियां जांच प्राधिकरणों को संदर्भित करने के लिए भेजे गए थे) द्वारा निपटाए गए थे।

(ग) 31-3-1979 तक गृह मंत्रालय में स्थापित प्रबन्धक कक्ष ने कार्रवाई की और 1547 मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा। शेष 386 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के शेडों का बन्द होना

6078. **डा० पी० वी० पेरियासामी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवा उपकर्मियों ने किसी न किसी कारण से दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के कितने शेड बन्द कर दिए हैं;

(ख) उन्होंने दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम को कितना किराया देना है; और

(ग) उन 22 शेडों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें उपकर्मियों ने उनमें बिना कोई औद्योगिक एकक आरम्भ किये सम्पूर्ण रूप से किराए पर दे दिये थे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिल्ली में आबंटित 834 शेडों में से 102 शेड बन्द पड़े हैं।

(ख) इन शेडों के आबंटियों की ओर लगभग 36,46,601 रुपये की राशि बाकी है।

(ग) उन मामलों में कानूनी कारंवाई चल रही है जहां शेड या तो बन्द पड़े हैं अथवा आगे किराए पर दे दिए हैं।

सरकार द्वारा अधिकार में लिए गए उद्योगों में हानि और लाभ

6079. **श्री पद्मावरम सामंतसिंहेरा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में कुछ उद्योगों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं, उन्हें कब अधिकार में लिया गया था तथा प्रत्येक उद्योग में कितनी धनराशि लगी थी;

(ग) क्या अब उनमें घाटा हो रहा है अथवा लाभ; और

(घ) आरम्भ से ही प्रत्येक उद्योग की ओर कितनी धनराशि देय है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पिछले तीन वर्षों में जिन औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया है, उन उपक्रमों के नाम व उनके द्वारा उठाई गई हानि या अर्जित लाभ सम्बन्धी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रारम्भ से उनकी देयताओं विषयक आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

विवरण

क्रम, सं०	औद्योगिक उपक्रम का नाम	हानि/लाभ (मूल्य लाख रु० में)	अवधि अवधि-ग्रहण की तिथि	तक	अधिग्रहण के बाद पुनस्थापन पर व्यय की गई राशि (ता० रु० में)
1.	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स प्लाई बोर्ड इंडस्ट्रीज लि. श्रीनगर जे. एण्ड के.	(—) 10.71	27.4.76	नव., 78	11.29
2.	मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनिरिंग कं. लि. (टीटागढ़ यूनिट)	(—) 54.00	22.5.76	-वही-	170.5
3.	मै. नेशनल कंपनी लि., कलकत्ता	(—) 571.62	30.7.76	अप्रैल, 78	10.00
4.	„ बंगाल प्रौट्रिरीज लि. कलकत्ता	(—) 33.72	15.9.76	जून, 77	79.22
5.	„ पुलगांव काटन मिल्स लि. बम्बई	(+) 130.02	25.11.76	नव., 78	94.00
6.	मै. कावेरी स्पिनिग एंड विविंग मिल्स पुड्डकोट्टई जिला, तमिलनाडु	(—) 32.35	23.12.76	अक्तू., 78	25.00

1	2	3	4	5	6
६.	वेस्टर्न इंडिया स्पि. एंड वीविंग कं. लि. बम्बई	(+) 4.00	11.3.77	नव., 78	90.00
8.	मै. यूनियन जूट कं० लिमिटेड कलकत्ता	(—) 29.12	16.5.77	मार्च., 78	38,00
9.	मै. खर्दा कं. लि. कलकत्ता	उपलब्ध नहीं			
10.	मै. अलेक्जेण्डर जूट मिल्स लि. कलकत्ता	15.2.78 से	18.7.78 तक		74.00
11.	मै. शुभलक्ष्मी मिल्स लि० कैम्बे, गुजरात	(—) 1.70	10.8.77	सित., 78	9.4
12.	मै. प्रियलक्ष्मी मिल्स लि. बड़ौदा गुजरात	(—) 22.00	23.7.77	मार्च, 78	67.39
13.	मै. इंदौर टैक्सटाइल्स लि. उज्जैन मध्य प्रदेश	(—) 24.11 (अन.)	12.8.77	नव. 78	68.49
14.	मै. सोम सुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु	(—) 3.96	4.11.77	-वही-	15.00
15.	मै. बंगाल कैमीकल एण्ड फार्मच्यु-टिकल वर्क्स लि., कलकत्ता	(—) 57.60	15.12.77	दिस. 78	177.50
16.	मै. नेशनल रबर मन्युफैक्चर्स लि. कलकत्ता		23.12.77		
17.	मै. नेशनल रबर मैन्युफैक्चर्स लि. कल्याणी यूनिट, कलकत्ता	(—) 144.00	10.2.78	नव. 78	183.36
18.	मै. श्रीराम सुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (बाबली यूनिट) जिला श्री काकुलम	उ. न.	4.2.78	—	—
19.	मै. कोट्टायम टैक्सटाइल लि. ऐट्टामन्नुर, केरल	(—) 70.92	6.2.78	जन., 79	28.82
20.	मै. प्रभुराम मिल्स लि. चेन्गान्नुर केरल	(—) 1.13	9.2.78	जन., 79	19.95
21.	मै. मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. कालीकट, केरल	(+) 8.64	9.2.78	जन., 79	17.05

1	2	3	4	5	6
22.	मै. अलोक उद्योग वनस्पति एण्ड पलाईवुड लि. कलकत्ता	अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ	1.12.78		25.00
23.	मै. स्वदेशी काटन मिल्स लि. कानपुर	(+)158.56	13.4.78	दिस., 78	442.53
24.	मै. इन्चेक टायर्स लि. कलकत्ता	(—)146.00	-वही-	नव., 78	14700
25.	मै. श्री दुर्गा काटन स्पि. एण्ड वीविंग मिल्स, लि. जिला हुगली	(—) 40.00	-वही-	—	105.67
26.	मै. अल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. कलकत्ता	अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ	1.5.78	—	15.00
27.	मै. बंगाल इम्यूनिटी कं. लि. कलकत्ता	(—) 30.00	18.5.38	सित., 78	70.00
28.	मै. केनीसन जूट मिल्स लि. कलकत्ता	(—) 11.10	29.5.78	नव., 78	195.45
29.	मै. बी. बी. एच. एम. जूट मिल्स प्रा० लि० कठिहार, बिहार	अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ	18.8.78	—	50.00
30.	मै. अपोलो टायर्स लि., चेलाकुडी केरल	दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है			
31.	डा. पाल लोहमन इंडिया लि. कलकत्ता	उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ	10.11.78	—	8.00
32.	श्री राम सूगर्स एंड इन्डस्ट्रीज सीतानगरम एकक जिला श्रीकाकुलम	×उपलब्ध नहीं है			
33.	ब्राण्ड फार इलेक्ट्रिक इंडिया लि. कलकत्ता	उपलब्ध नहीं है	26.2.79	—	—
34.	लिली बिस्कुट कं० लि.	उपलब्ध नहीं है	27.3.79	—	—

×इन उपक्रमों के लाभ/हानि के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। इन उपक्रमों में से अधिकांश उपक्रमों का प्रबन्ध प्राधिकृत नियंत्रकों द्वारा एक वर्ष से कम समय से किया जा रहा है।

फोटो फिल्मों की काले बाजार में बिक्री

6080. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**

श्री मुखत्यार सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिलमस द्वारा बितरण कार्य अपने अधिकार में लिये जाने के पश्चात फोटो फिलमस इंदु फिल्म पेपर बाजार में चोर बाजारी के मूल्य पर बेचा जाता है, और

(ख) क्या सरकार का विचार वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (आशा माईती) : (क) अपने उत्पादनों का वितरण अपने हाथों में लेने के पश्चात, हिन्दुस्तान फोटो फिलमस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (एच॰ पी॰ एफ॰) देश भर में अपने सात कार्यालयों तथा 1800 से अधिक डीलरों के माध्यम से सीधे ही रोल फिल्मों व फोटो पेपर का विपणन कर रहा है। एच॰ पी॰ एफ॰ द्वारा संभरण शुद्ध डीलर मूल्य पर किया जाता है जिसमें डीलर उपभोक्ता को बेचने से पूर्व अपने लिए कुछ लाभ रखने हेतु प्राधिकृत होते हैं। कभी-कभी होने बाली कमी में डीलरों के लिए कालाबाजारी की कुछ गुंजाइश होने की संभाबना रहती है। किन्तु, उपभोक्ता सीधे ही एच॰ पी॰ एफ॰ के कार्यालयों से निर्धारित मूल्यों पर खरीद कर सकता है। कम्पनी के कार्यालयों के माध्यम से सीधी बिक्री करने वाली समान्तर की यह प्रणाली किसी व्यापारी द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी को रोकती हैं तथा वास्तव में, इस प्रणाली से व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ कमाने की गुंजाइश कम हो गई है।

(ख) चूंकि कम्पनी की वितरण नीति से उपभोक्ता को सहायता मिली है तथा यह नीति उपभोक्ता तथा कम्पनी के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है, अत: विद्यमान नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

कागज संयत्र परियोजना (पेपर प्लांट प्रोजेक्ट), त्रिपुरा का पुन: प्रारूप बनाना

6081. **डा॰ विजय मण्डल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय परियोलना के रूप में उत्तर त्रिपुरा में स्थापित की जाने वाली कागज संयंत्र परियोजना का पुन: प्रारूप बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो मूल परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को सक्षम बनाने के उद्देश्य से मूल परियोजना में क्या खास परिवर्तन करने का विचार है, और

(ग) परियोजना के कब तक पूरे होने की संभावना है ?

उद्‌योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) स्थानीय वन स्रोतों के उपयोग से फटीकरण्य, त्रिपुरा में प्रतिदिन 250/300 मी.टन की क्षमता से एक लुगदी/कागज मिल स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन किये गये। अब तक इस परियोजना को मुख्यतः निर्यात अभिमुख परियोजना के रूप में माना जा रहा था, इसके लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की सम्भाव्यताओं का भी पता लगाया गया। विदेशी सहयोग से इस परियोजना को चलाने की सम्भावना अब कम प्रतीत होती है, अत: अब परियोजना का क्षेत्र देशी मांग को पूरा करने तक माना जाना चाहिए। अत: जीव्यता, आकार, वित्त-प्रोषण का माध्यम आदि से संबंधित नये अध्ययन किये जाने हैं। अध्ययन पूरे हो जाने पर इस पर अन्तिम विचार किया जायेगा।

किन्हीं प्रकार के कारतूसों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव

6082. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश के मुख्य वन्य जीव वार्डन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि देश में एल. जी. एस. जी. और एस. एस. जी. कारतूसों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने का कानून बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या उपाय करने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के प्रतिवेदन का प्रकाशन

6083. **श्री राम सागर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन लागत आदि के बारे में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों को सार्वजनिक जानकारी के लिये अब तक प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार की मंशा भविष्य में इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित करने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को पेश हो जाने के पश्चात् उन प्रतिवेदनों को कितने समय बाद प्रकाशित कर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्टें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तुत की जाती हैं और जब तक उन पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वे गोपनीय समझी जाती हैं। चूंकि ब्यूरो की सिफारिशें आदेशात्मक नहीं हैं और कुछ मामलों में कुछ सम्भव विकल्प भी दिए जाते हैं जिससे ऐसी रिपोर्टों के प्रकाशन से विशेषकर नाजुक तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में बिनिर्माताओं में सट्टे की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं।

(ख) तथा (ग) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने इस प्रकार के आंकड़े अपनी रिपोर्टों में प्रकाशित करने के लिए रूपरेखा तैयार की है जो उद्योगों की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक होगी, जो किसी विशेष औद्योगिक एकक द्वारा बिना किसी टकराव के गोपनीय समझी जा सकती हैं। चुने हुए उद्योगों के सांख्यकीय बुलेटिनों के प्रकाशन के लिए अभी तक कोई निश्चित समय सारिणी तैयार नहीं की गई है।

हिन्दी कार्य के लिए पदों का सृजन

6084. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में केवल मात्र हिन्दी कार्य के लिए कुल कितने पदों को बनाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन पदों को केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है और इन पदों के पदाधिकारियों को इन पदों के स्थायीकरण का लाभ नहीं दिया जाता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि विभाग द्वारा अनुभवी व्यक्तियों को वापिस भेज कर इन पदों को समय-समय पर नई नियुक्तियां करने की वर्तमान पद्धति विभाग के हितों के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन पदों पर निरन्तर तीन वर्षों से अधिक सन्तोषजनक सेवा करने वाले व्यक्तियों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में केवल मात्र हिन्दी कार्य के लिए एक पद हिन्दी अधिकारी (650-1200 रु०) का है और एक पद हिन्दी अनुवादक (425-700 रु०) का है।

(ख), (ग) और (घ) फिलहाल ये पद प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर भरे जाते हैं। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और विभाग के दोनों पदों को उस प्रस्तावित सेवा के संवर्ग में शामिल कर लिए जाने की आशा है। इस प्रकार इन पदों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संवर्ग में शामिल कर लिए जाने से प्रगतिरोध के अवसरों का निराकरण हो जाएगा और इससे इन पदाधिकारियों को भविष्य में प्रगति के और अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। स्थायीकरण के प्रश्न पर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की स्थापना के उपरांत नियमानुसार विचार किया जाएगा।

लघु उद्योगों के विकास में रुकावट

6085. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप लघु एककों के विकास में गत 10 महीनों से बाधा आई है और उनका उत्पादन भी सीमित किया गया है;

(ख) क्या लघु औद्योगिक एककों के उत्पादन के सीमित करने से उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ जायेंगी और बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। नए एककों के विकास के संकेत, जिला उद्योग केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट व नमूने के तौर पर विकास दर के लगाए गए अनुमान यह बताते हैं कि सरकार की नीति में बढ़ावा मिला है। राज्य उद्योग निदेशालय द्वारा वर्ष 1977 में 26,519 एकक पंजीयित किये गये उसकी तुलना में वर्ष 1978 में 31,512 नए एकक पंजीयित किए गए थे। नमूना उत्पादन विवरणियों पर आधारित विकास दर तथा लघु क्षेत्र के उत्पादन का अनुमानित सूचकांक वर्ष 1977-78 में 13 प्रतिशत था, उसकी तुलना में वर्ष 1978-79 में लगभग 14 प्रतिशत विकास दर दर्शाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जिला उद्योग केन्द्रों की उपलब्धियों के बारे में दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रचार

6086. **श्री राज कृष्ण डान** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला उद्योग केन्द्रों ने ग्रामीण औद्योगीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनकी उपलब्धियों का आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे सरकारी प्रसारण माध्यमों से सामान्य जनता में प्रचार क्यों नहीं कर रही है;

(ग) ग्रामीण औद्योगीकरण के द्वारा ग्रामीण जनता के स्तर में उत्थान करने की भारी सम्भावना के बारे में उन्हें अवगत कराने के लिये जन संचार के किन अन्य माध्यमों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम द्वारा की गई प्रगति उत्साहवर्नक है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से 144 जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में प्राप्त जानकारी से यह देखा गया है कि 144 जिला उद्योग केन्द्रों में उपयुक्त औद्योगिक अवसरों का चयन में सहायता करने के लिये 47,543 उद्यमियों का पता लगाया गया है। 12,952 प्रयोजना विवरण तैयार किए गए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र में 33,495 एककों की स्थापना द्वारा 1,06,031 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार देने की व्यवस्था है। 599 एककों (दोनों नए एवं पुराने) को अनन्तिम अथवा स्थायी पंजीकरण स्वीकृत किया गया है। 364 रुग्ण एककों को सहायता दी गई है। 35,758 एककों को तकनीकी, प्रबंधकीय, कच्ची सामग्री तथा विपणन सहायता प्रदान की गई है। अधिकतर नये एकक अर्ध-नगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ख) चूंकि यह कार्यक्रम हाल ही बनाया गया है, अतः प्रारम्भ में यह आवश्यक था कि उपयुक्त कार्यान्वियन तंत्र की स्थापना करने, संसाधनों और कार्मिकों का पता लगाने, कार्यवाही संबंधी कार्यक्रम को चलाने, शान्तियों का प्रत्योयोजन करने तथा समन्वित इकठ्ठी सहायता प्राप्त करने हेतु अन्य एजेंसियों, संस्थाओं और बैंकों के साथ आवश्यक सम्पर्क स्थापित करने तथा लघु और ग्रामीण उद्यमियों को सहायता देने के लिये सभी अभ्युपायों हेतु चेष्टा की जानी थी। ग्रामीण जनता को सीधे सम्पर्क में इस कार्यक्रम के साथ लाने के लिए आल इण्डिया रेडियो तथा टेलीविजन जैसे माध्यमों का प्रयोग प्रभावी रूप से किया जाएगा।

(ग) ग्रामीण जनता के प्रबोधन के लिए सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित माध्यम हैं :

(1) वृत्त (डाक्यूमेंटरी) फिल्में,

(2) औद्योगिक विकास वहन अभियान,

(3) मेलों तथा नुमाइशों में भाग लेना, तथा

(4) छपी सामग्री, छोटे अखबार, इश्तिहार, पत्रक, पोस्टर आदि।

टोंक (राजस्थान) में उद्योग की स्थापना

6087. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टोंक (राजस्थान), जो एक पिछड़ा क्षेत्र है, में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) इस समय राजस्थान में टोंक में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग लगाने का विचार नहीं है।

फिर भी, राजस्थान सरकार ने टोंक में राजस्थान टैनरीज लिमिटेड नामक एक कम्पनी स्थापित की है तथा जिसने वर्ष 1975 में परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया था। कम्पनी के कार्यकरण में सुधार लाने तथा उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी बनाना

6088. **श्री केशव राव धोंडगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को 9 फरवरी, 1979 को एक ऐसा अनुरोध मिला है जिसमें आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाये जाने का अनुरोध किया गया है और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा उत्तर और दक्षिण में भावनात्मक एकता कायम करने के लिए साल में संसद का कम से कम एक सत्र वहां बुलाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) भारत सरकार का, खर्च तथा प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी बनाने तथा साल में वहां संसद का कम से कम एक सत्र बुलाने का विचार नहीं है।

दक्षिण भारत में संसद के एक अधिवेशन बुलाने के प्रश्न की संसद सदस्यों की एक समिति द्वारा वर्ष 1968 में जांच की गई थी। यह समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची थी :

1. वर्तमान परिस्थितियों और हालात में थोड़ा सा समायोजन करके त्रिवेन्द्रम अथवा बंगलौर में प्रतिवर्ष संसद का एक अधिवेशन बुलाना व्यवहार्य नहीं है।
2. यदि त्रिवेन्द्रम अथवा बंगलौर में प्रति वर्ष संसद का एक अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया जाता है तो 15 से 16 करोड़ रुपए तक की लागत के पूंजीगत व्यय और 1.05 से 1.25 करोड़ रुपए तक की लागत के आवर्ती सालाना खर्च से इसका प्रबन्ध किया जा सकता है।
3. इस कार्य के लिए 3 से 4 वर्षों का प्रारम्भिक समय भी आवश्यक होगा।

इस समिति, जिसका प्रतिवेदन मई, 1969 में दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखा गया था, द्वारा बताई गई वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयां अब भी व्याप्त हैं। फिलहाल इस प्रश्न पर पुर्नविचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कागज उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता और छोटे कागज एककों का योगदान

6089. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कागज उद्योग की क्षमता और बढ़ाने तथा उसमें सहायता देने का है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) छोटे कागज एककों का क्या योगदान होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में कागज बनाने के लिए परियोजनाएँ स्थापित करने के अलावा सरकार ने कागज उद्योग में क्षमता की वृद्धि का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) द्वितीय कोटि के कच्चे माल जिसमें आयात निहित नहीं होता है, पर आधारित कागज मिलों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(2) क्षमता वाले 30 मी० टन प्रति दिन तक की पुराने कागज संयंत्रों को आयात सुविधा अनुमत कर दी गई है।

(3) लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है।

(4) गैर-परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने के लिए लघु कागज मिलों को उत्पादन-शुल्क छूट की अनुमति दे दी गई है।

(5) खोई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पैकेज नीति अभ्युपायों को हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) चूंकि लघु कागज मिलें कृषि अवशेषों का उपयोग करती हैं तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती हैं, अतः सरकार लघु कागज मिलों की स्थापना को हमेशा ही प्रोत्साहन देती रही है।

नई वस्त्र नीति के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही

6090. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार की नई वस्त्र नीति के क्रियान्वयन के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : वस्त्र नीति विवरण में वस्त्र से संबंधित सरकारी नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत बताये गये हैं। वस्त्र नीति के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित अभ्युपाय किये गये हैं :

(1) मौजूदा अनधिकृत विद्युत करघों को नियमित करने के लिए कदम उठाना तथा भविष्य में विद्युत करघों के बिस्तार को रोकने के लिए विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की रही है।

(2) संगठित क्षेत्र में करघों का और अधिक विस्तार करने की अनुमति न देने के निर्णय के साथ-साथ मौजूदा अकार्यान्वित लाइसेंस जिनके संबंध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गये हैं, को मंसूख करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिन मामलों में निश्चित रूप से कदम उठाये जा चुके हैं व रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारियों को अनुचित रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उनमें थोड़े समय के लिए लाइसेंस की वैधता बढ़ाई जाने पर विचार किया जा रहा है।

(3) 1 अक्टूबर, 1978 के मिलों के कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन करने के कानूनी दायित्व को हटा दिया गया है। इसके बदले स्वेच्छा से एक ठेके के आधार पर कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन की एक योजना प्रारंभ की गई है। इसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम की प्रमुख भूमिका सौंपी जा रही है। निजी क्षेत्र में मिलों को आबंटन खुले प्रतिस्पर्द्धात्मक टेंडरों के आधार पर किया जाता है। हथ-करघा क्षेत्र भी 'जनता' किस्म के कपड़े के उत्पादन को बढ़ा रहा है। कंट्रोल के कपड़े की पर्याप्त उपलब्धि बनाये रखी जा रही है।

(4) नयी नियंत्रित कपड़ा योजना की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्त्र की बनी हुई वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया है।

(5) भारतीय कपास निगम की भूमिका में वृद्धि हुई है जिसमें एक बफर स्टाक का चलाया जाना तथा एन० टी० सी० तथा गैर एन० टी० सी० मिलों दोनों की ही संभरण करने हेतु अधिक खरीद की जा रही है।

(6) ऊनी क्षेत्र को कच्चा माल मिलने का सुनिश्चिय ही कर दिया गया है।

(7) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के इतिहास में पहली बार लाभ हुआ है। उसका उत्पादन भी बढ़कर प्रतिवर्ष एक अरब मीटर तक किया जा रहा है। क्रय मूल्य के आम किस्म के कपड़े का अधिक उत्पादन होने से आशा की जाती है कि निगम निजी क्षेत्र में भी उचित मूल्य पर कपड़े के उत्पादन के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा। निगम ने शिक्षित बेरोजगारों के जरिये एन० टी० सी० के कपड़े कम वितरण करने की एक नयी योजना का सूत्रपात किया है और आशा है कि इस तरह रोजगार के अच्छे अवसर निकल आयेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त सहायकों की वरीयता निर्धारित किया जाना

6091. **श्री राज नारायण** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक के ग्रेड में नियुक्त कर्मचारियों को वरीयता उनके द्वारा परीक्षा पास करने की तिथि से निर्धारित होती है जबकि पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरीयता उस ग्रेड में उनके स्थायी होने की तिथि के आधार पर निर्धारित होती है न कि उस ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीधे भरती हुए कर्मचारी पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों से वरिष्ठ बन जाते हैं जबकि वे इस ग्रेड में पदोन्नत हुए कर्मचारियों की तुलना में काफी देर के बाद आते हैं और उनसे आठ अथवा नौ वर्ष पहिले ही उच्च ग्रेड से आगे की पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं श्रीमान । केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के अधीन सहायक के ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए और पदोन्नत हुए कर्मचारियों के बीच परस्पर वरिष्ठता, उक्त ग्रेड में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित मूल रिक्तियों के कोटे के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

(ख) सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी जिन्हें कोटे के अनुसार जैसा कि ऊपर निदिष्ट किया गया है, पदोन्नत व्यक्तियों से ऊपर वरिष्ठता मिलती है, अपने कनिष्ठ अधिकारियों से पहले ही उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र हो जाते हैं, चाहे पदोन्नत कर्मचारी सीधे भर्ती के सहायकों द्वारा कार्य ग्रहण करने के पहले से ही सहायक के पदों पर स्थानापन्न रूप से क्यों न कार्य कर रहे हों ।

1978 के दौरान सरकारी कपड़ा मिलों द्वारा कमाया गया लाभ

6092 : **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी रुग्ण कपड़ा मिलों ने वर्ष 1978 के दौरान कोई लाभ दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने लाभ दिखाया है और जिन मिलों ने लाभ नहीं दिखाया है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उनका लाभ बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978-79 के वित्तीय वर्ष के दौरान (अर्थात अप्रैल से दिसम्बर, 1978 तक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही 109 वस्त्र मिलों में से 59 मिलों ने लाभ दिखाया है । जबकि शेष 50 मिलों ने हानि दिखाई है। ऐसी मिलों का विवरण संलग्न है ।

(ग) मिलों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए किए गए अभ्युपायों में से कुछ प्रमुख अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :

(1) मशीनी मशीनरी का आयात :

(1) मशीनरी का आधुनिकीकरण/नवीकरण ।

(2) श्रमिक युक्ति-युक्त योजनाओं में तेजी लाना ।

(3) केन्द्रीकृत आधार पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त करना ।

(4) उत्पादन विधा का विविधीकरण ।

(5) उन्नत विपणन नीति ।

विवरण-1

वर्ष 1978 में लाभ दिखाने वाली मिलों के नाम (वित्तीय वर्ष 1978-79 दिसम्बर, 1978 तक संचयी)

एन० टी० सी० 7 डी० पी० एण्ड आर०) लि०, नई दिल्ली :

1. श्री विजय काटन मिल्स, विजयनगर
2. बरार टैक्सटाइल मिल्स, बरार

एन. टी. सी. (मध्य प्रदेश) लि. इन्दौर :

3. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर

एन. टी. सी. (उ० प्र०) लि, कानपुर :

4. मयूर मिल्स, कानपुर
5. न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर
6. लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर

एन. टी. सी. (एस. एम.) लि०, बंबई

7. बारशी टैक्सटाइल मिल्स, बारसी, जिला शोलापुर
8. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई
9. दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई
10. वाल्सगांव टैक्सटाइल मिल्स, वाल्सगांव
11. नांदेड़ टैक्सटाइल मिल्स, नांदेड़
12. घुले टैक्सटाइल मिल्स, घुले
13. औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, वंबई

एन. टी सी. (एन. एन.) लि. बंबई :

14. इंदल यूनाइटेड मिल्स नं०-4, बम्बई
15. इदला यूनाइटेड मिल्स संख्या-5 बम्बई
16. आर. एस. आर. जी. मोहता मिल्स, अकोला
17. आर. बी. बी. ए. स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट
18. विदर्भ मिल्स, बचलपुर
19. माडल मिल्स नागपुर, नागपुर

एन. टी. सी. (गुजरात) लि०, अहमदाबाद :

20. राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, राजकोट
21. पटलाड टैक्सटाइल मिल्स, पटलाद
22. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
23. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
24. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद

25. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर
26.)राजनगर टैक्सटाइल मिल्स (2 एकक) अहमदाबाद
27.)
28. बीरमगांव टैक्सटाइल मिल्स, वीरमगाँव
29. न्यू मानेकचौक टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
30. हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद

एन. टी. सी. (ए. पी. के. के. एम.) लि., बंगलौर :

31. मेहता स्पि० एण्ड वी० मिल्स, सिकन्दराबाद
32. नटराज स्पि. एंड वी. मिल्स, अहमदाबाद (जिला) आंध्र प्रदेश
33. तिरुचिपति काटन मिल्स, रानीगुंटा
34. श्री येलम्मा काटन, वूलन एण्ड सिल्क मिल्स, देवरगिरी
35. केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर
36. विजय मोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम
37. कन्नौर स्पि. एण्ड वी. मिल्स, महे
38. एलप्प टैक्सटाइल मिल्स, त्रिचूर
39. पार्वती मिल्स, क्यूलोन
40. महबूब शाही क्लब कुलवर्गा मिल्स, गुलवर्गा
41. एडोनी काटन मिल्स, अदोनी

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (टी. एन. एण्ड डी०) लि० कोयम्बटूर :

42. ओमप्राशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर
43. कम्बोदिया मिल्स, कोयम्बटूर
44. कृष्णा रैनी टैक्सटाइल मिल्स, कोयम्बटूर
45. श्री रंग विलास इंजीनियरिंग स्पि० एण्ड वी० मिल्स, टीलामैंडू पी० ओ० कोयम्बटूर
46. पंकज मिल्स, कोयम्बटूर
47. पायोनियर स्पि नर्स, रामनाड जिला
48. बालाराम वर्मा टैक्सटाइल तिरुनेवेली जिला
49. कलीवदार मिल्स (बी) यूनिट रामनाड जिला
50. कोयम्बटूर मुरगौन मिल्स, कोयम्बटूर
51. सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर
52. कलीसवर्ग मिल्स (ए) यूनिट, कोयम्बटूर
53. कोयम्बटूर वी० एण्ड स्पि. मिल्स, कोयम्बटूर
54. श्री शारदा मिल्स कोयम्बटूर
55. श्री भारतीय मिल, पांडेचेरी

व्यवस्थित एकक :

56. उदयपुर काटन मिल्स, प्रतापनगर (उदयपुर)

57. स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी
58. स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, इलाहाबाद
59. स्वदेशी काटन मिल्स, मौंठभंजन जिला-आजमगढ़ (उ० प्र०)

विवरण-2

एन. टी. सी. (डी. पी. एंड आर.) लि० नई दिल्ली :

1. दयाल बाग स्पि. एण्ड वी. मिल्स, अमृतसर
2. सूरत टैक्सटाइल मिल्स, मलौठ, पंजाब
3. अयोध्या टैक्सटाइल मिल्स, आजादपुर, दिल्ली
4. महालक्ष्मी मिल्स, दी ब्यावर
5. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर
5. पानीपत वूलन मिल्स. खरार

एन. टी. सी. (मध्य प्रदेश) लि० इन्दौर

7. हीरा मिल्स, उज्जैन
8. स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इंदौर
9. न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, भोपाल
10. बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव (मध्य प्रदेश)
11. इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर
12. कल्याण मिल्स इंदौर, इंदौर

एन. टी. सी. (उ. प्र.) लि. कानपुर :

13. श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ
14. बिजली काटन मिल्स, हाथरस

एन. टी. सी. (एस. एम.) लि०, बंबई :

15. अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, बम्वई
16. भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई
17. उपीटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई
18. मुम्बई टैक्सटाइल मिल्स, बंबई

एन. टी. सी. (एम. एन.) लि., बंबई :

19. इण्डिया यूनाइटेड मिल, डाईवर्क्स, बम्बई
20. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 1 } बंबई
21. वही नं० 2 } बंबई
22. वही नं० 3 } बंबई
23. साबतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला

एन. टी. सी. (ए. पी. के. के. एण्ड एम.) लि० बंगलौर :

24. अनंतपुर काटन मिल्स, टाडापटरी

25. कन्नानूर स्पि. एण्ड वीविंग मिल्स, कन्नानूर
26. मैसूर स्पि. एण्ड वीविंग मिल्स, बंगलौर
27. मिनर्वा मिल्स बंगलौर
28. आजमजाई मिल्स, बारंगल

एन. टी. सी. (डब्ल्यू० बी० ए. बी. ओ.) लि०, कलकत्ता :

29. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स, कोसिम बाजार
30. लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, रिसरा, जिला-हुगली
31. भारती काटन मिल्स, हावड़ा
32. बंगाल फाइन स्पि. एण्ड वी. मिल्स. यूनिट नं०-2 काटेगंज जिला-नाडिया
33. कनूर इंडस्ट्रीज (काटन मिल्स सैक्शन), हुगली
34. सौदेपुर काटन मिल्स, सौदेपुर
35. एसोशियेटेड इंडस्ट्रीज आसाम चन्द्रपुर, जिला-कामरूप
36. बिहार कोआपरेटिव स्पि. एण्ड वीविंग मिल्स, मोखामेह
37. उड़ीसा काटन मिल्स, कटक
38. सैंट्रल काटन मिल्स, कटक
39. बंगाल फाइन स्पि. एण्ड बीविंग मिल्स, यूनिट नं० 1 कानागढ़, जिला-हुगली
40. बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, शेरमपुर, जिला-हुगली
41. श्री महालक्ष्मी मिल्स पालटा
42. रामपुरी काटन मिल्स, शेरमपुर
43. बंगश्री काटन मिल्स, सौदापुर, पो० आ०-सुकचर
44. ज्योति वीविंग फैक्ट्री, पाटलपुकुर, कलकत्ता
45. गया काटन एण्ड ऊन मिल्स, गया
46. मालन्द्रा मिल्स, कोसलम बाजार

व्यवस्थित एकक :

47. रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली (उ० प्र०)
48. स्वदेशी काटन मिल्स, जूही, कानपुर (उ० प्र०)
49. लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर
50. एथरटन (पश्चिम) मिल्स, अनवरगंज, कानपुर, (उ० प्र०)

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई मामलों की जांच

6093. **श्री हुक्म देव नारायण यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने व्यक्तियों, कम्पनियों और संगठनों की जांच की और इसके परिणामस्वरूप कितने मामले दायर किये गए, कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी०

पाटिल) : (क) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जाँच/अन्वेषण किए गए 2595 मामलों में 5773 व्यक्ति (राजपत्रित स्तर के 2312 सरकारी कर्मचारियों, अराजपत्रित स्तर के 1761 सरकारी कर्मचारियों तथा 1700 गैर सरकारी व्यक्तियों सहित) और 388 कम्पनियां/संगठन अन्तर्ग्रस्त थे।

छानबीन/जांच के परिणामस्वरूप 620 मामले न्यायालयों में दायर किए गए थे।

28-2-79 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छानबीन/जांच किये गए 2595 मामलों में से 713 मामले अभी भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास लम्बित पड़े हैं।

इनके लम्बित रहने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

(क) छानबीन किए गए मामलों का जटिल स्वरूप का होना।

(ख) कुछ मामलों के विस्तृत क्षेत्र पर फैले होने के कारण उनकी जांच पड़ताल के लिए काफी बड़ी संख्या में गवाहियों और दस्तावेजों की जांच आवश्यक होना।

(ग) सम्बन्धित विभागों से दस्तावेजों को प्राप्त करने में समय का लगना।

(घ) सन्देहास्पद दस्तावेजों के सरकारी जाँचकर्त्ता, अंगुली-निशान विशेषज्ञ आदि जैसे विशेषज्ञों की राय लेने में समय का लगना।

(ङ) अभियोजन के लिए सम्बन्धित विभागों से अनुमति लेने में समय का लगना।

(च) कुछ मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को छानबीन पर न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेशों तथा अन्तरिम आदेशों का जारी किया जाना।

कच्चे माल में आत्मनिर्भरता

6094. **श्री के० प्रधानी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कुछ कच्चे माल के उत्पादन के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दी गई राष्ट्रीय विकास कार्यनीति के मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है आत्मनिर्भरता की दिशा में निरन्तर प्रगति। इस कार्यनीति के अनुसार, बेरोजगारी को दूर करने, अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि आदि जैसे अन्य उद्देश्यों के अनुरूप, सरकार का उद्देश्य है इस समय आयात किये जा रहे कच्चे माल/प्राध्यकों की मदों के सम्बन्ध में सम्भव सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उपर्युक्त कुछ मदों के आंतरिक उत्पादन के लिए योजना के प्रारूप में दिए गए अनुमान नीचे दिए गए हैं :

मद	इकाई	1977-78 (वास्तविक)	1982-83 के लिए अनुमानित आंतरिक उत्पादन
बिक्री योग्य इस्पात	दस लाख टन	7.66	11.8
उर्वरक नाइट्रोजनीय	दस लाख टन	2.01	4.1
उर्वरक फास्फेटिक	दस लाख टन	0.07	1.1
कच्चा तेल	दस लाख टन	10.73	18.00
वनस्पति तेल	लाख टन	31.60	39.38
खाद्यान्न	दस लाख टन	125.60	140.48 से 144.48
गन्ना	दस लाख टन	181.60	188.0
कपास	लाख गांठें (हरेक 170 कि० ग्रा० की)	71.00	81.50 से 92.50
पटसन और मेस्ता	लाख गांठें (हरेक 180 कि० ग्रा० की)	71.20	85.60
तिलहन (प्रमुख)	लाख टन	89.30	112 से 115
सीमेंट	दस लाख टन	19.30	29-30

योजना के प्रारूप में ऊपर बताए गए उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त प्रस्ताव किया गया है।

उत्पादन के स्तर, खाद्यान्न, गन्ना, कपास और पटसन से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे; केवल सीमेंट और इस्पात के सम्बन्ध में कुछ आयात की परिकल्पना की गई है। पुनः प्राप्त न किए जा सकने वाले संसाधनों को संरक्षित रखने की आवश्यकता की दृष्टि से और प्रतियोगी क्षेत्रों से पूंजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना के प्रारूप में ऐल्युमिनियम, कोककारी कोयले और उर्वरकों जैसी वस्तुओं में 1982-83 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है। कच्चे तेल के संस्थापित साधन अभी तक इतने पर्याप्त नहीं हैं कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा जा सके, यद्यपि आयातों पर निर्भरता को कम किया जा रहा है।

मैसर्स ब्रुक बांड इण्डिया लि० का सेन्ट्रोन इंडस्ट्रियल एलायंस प्राईवेट लि० के साथ विलय

6095. **श्री सत्य देव सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अधिक विदेशी पूंजी वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी तथा बड़े गृह, मैसर्स ब्रुक बांड इंडिया लि० ने सेन्ट्रोन इण्डस्ट्रियल एलायंस प्राइवेट लि० के साथ विलय की मांग **की है**;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार, यदि अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विदेशी इण्डस्ट्री पूंजी कम करके 40% कर देती है तो उसके बाद भी इस वित्तीय प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(घ) क्या यह सरकार की उस औद्योगिक नीति का उल्लंघन नहीं होगा जिसके अन्तर्गत विदेशी पूंजी-निवेश को सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अनुमति नहीं है और क्या इसके परिणामस्वरूप एकाधिकार कम्पनी और बहुराष्ट्रीय कम्पनी गैर-प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर-परिशिष्ट (नान-एपेंडिक्स) उद्योग में गुप्त रूप से प्रवेश नहीं कर जायेगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम 1951 की धारा 72 के अधीन गठित विशिष्ठ प्राधिकरण को मैसर्स ब्रुक बॉंड इण्डिया लिमिटेड से एक आवेदन पत्र मिला था जिसमें उससे अनुरोध किया गया था कि वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के प्रयोजन हेतु मैसर्स सेन्ट्रोन इण्डस्ट्रियल एलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड का सांविलयन करने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे। विशिष्ट प्राधिकरण ने आवेदक कम्पनी को सूचित करते हुए खेद व्यक्त किया था कि चूंकि उनकी सांविलयन योजना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन विदेशी इक्विटी कम करने से सम्बद्ध है, अत: वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार से उसकी सांविलयन योजना की शिफारिश नहीं कर सकते। आवेदक कम्पनी को सलाह दी गई थी कि यदि वह विदेशी इक्विटी को घटाकर 40% से अनधिक करने के पश्चात भी प्रस्तावित सांविलयन करने में रुचि रखती है तो वह विशिष्ट प्राधिकरण को नया आवेदन पत्र दे सकती है।

(घ) जब कभी विशिष्ट प्राधिकरण को नया आवेदन पत्र प्राप्त होगा तो वह उस पर आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार विचार करेगा। सरकार एकाधिकार प्रतिवर्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1979 के उपबन्धों के अधीन भी सांविलयन के प्रश्न पर विचार करेगी।

महानगरों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कार्यवाही

6096. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार ने कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे राजधानी तथा अन्य महानगरों में महिलाएं निडर होकर आ-जा सकें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकारों के अनुसार अहमदाबाद, ग्रेटर बम्बई और मद्रास शहरों में कोई समस्या नहीं है। आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों और दिल्ली प्रशासन ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद, कानपुर और दिल्ली शहरों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक ऐतिहाती उपाय किए हैं। इनमें दिन और रात की गहन गश्त, त्यौहारों और अन्य महत्वपूर्ण समारोहों के अवसर पर पुलिस बन्दोबस्त, प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर महिला कालेजों / छात्रावासों, सिनेमाघरों, बस स्टापों और मन्दिरों में पुलिस टुकड़ियां तैनात करना, नमी अपराधियों पर निगरानी रखना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए सतर्कता दस्ते बनाना, कानून की उचित धाराओं

के ग्रधीन ग्रपराधियों के नाम दर्ज करना ग्रादि शामिल हैं। कलकत्ता ग्रौर बंगलौर शहरों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा है ग्रौर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में गुण्डागर्दी

6097. **श्री कचरू लाल हेमराज जैन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में गुण्डागर्दी की घटनाग्रों में वृद्धि हो रही है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) ग्रौर (ख) पिछले छः महीनों में स्थानीय पुलिस द्वारा नार्थ एवेन्यू में गुण्डागर्दी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि क्षेत्र में गुण्डागर्दी की घटनाग्रों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी क्षेत्र में पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है।

ग्रल्पसंख्यक ग्रायोग की प्रधान मन्त्री के साथ बैठक

6098. **डा० बापू कालदाते :** क्या गृह मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रल्पसंख्यक ग्रायोग हाल में प्रधान मन्त्री से मिला था; ग्रौर

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने ग्रायोग के कार्यकरण के सम्बन्ध में शिकायतें की हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) ग्रौर (ख) ग्रल्पसंख्यक ग्रायोग के ग्रध्यक्ष ग्रौर सदस्य 23 फरवरी, 1979 को प्रधान मन्त्री से मिले थे। उन्होंने प्रधान मन्त्री को ग्रायोग द्वारा किये गए कार्य से ग्रवगत कराया था। ग्रायोग के कार्य ग्रौर ग्रब तक की गई शिफारिशों के बारे में सामान्य चर्चा हुई थी। उसके बाद ग्रायोग ने 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली ग्रवधि तक के लिए ग्रपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

त्रिपुरा के ग्रादिवासी क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनाएँ

6099. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने त्रिपुरा के कुछ ग्रादिवासी क्षेत्रों में हाल ही में हुई ग्रभूतपूर्व हिंसात्मक घटनाग्रों के कारणों ग्रौर परिस्थितियों के बारे में केन्द्रीय सरकार को जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में हाल ही में हुई हिंसात्मक घटनाग्रों के कारणों के बारे में मुख्य मन्त्री ने क्या बताया है; ग्रौर

(ग) उनको ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाग्रों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नही, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात को सीमेन्ट का आबंटन

6100. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में गुजरात को सीमेंट की कितनी मात्रा आबंटित की गई और कितनी मात्रा की मांग की गई तथा राज्य को वास्तव में कितनी मात्रा में प्राप्त हुई;

(ख) कम मात्रा में सीमेंट आबंटित करने के क्या कारण हैं;

(ग) गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1979 के प्रथम तिमाही के लिए सीमेंट की कितनी मांग की गई और राज्य को कितनी मात्रा में सीमेंट आबंटित किया जायेगा; और

(घ) गुजरात में सीमेंट की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978 में गुजरात राज्य को आबंटित तथा भेजी गई सीमेंट की मात्रा दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है। यद्यपि वर्ष 1978 में गुजरात को भेजी गई मात्रा आबंटन से अधिक थी और राज्य की सम्पूर्ण मांग पूरी करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि देश में सीमेंट की उपलब्धता सारे राज्यों तथा केन्द्रीय विभागों की कुल मांग से कम है।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार की 6 लाख मी० टन की मांग में से वर्ष 1979 की प्रथम तिमाही (जनवरी-मार्च, 1979) में 3.75 लाख मी० टन का आबंटन किया गया है। राज्यों को इस तिमाही के दौरान आयातित साधारण पोर्टलेण्ड सीमेंट की 25,000 मी० टन की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन भी किया गया। आगामी तिमाही अर्थात अप्रैल-जून, 1979 में गुजरात को आबंटन में 10% की वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अनुसार गुजरात को आबंटन 3·75 लाख मी० टन की अपेक्षा 4.12 लाख मी० टन हो जायेगा।

विवरण

गुजरात राज्य को वर्ष 1978 में प्रत्येक तिमाही में किए गए सीमेंट के आबंटन तथा प्रेषित की गई मात्रा दर्शानेवाला विवरण

अवधि	आबंटन			लाख मी० टन में
	मूल	तदर्थ	योग	प्रेषण
तिमाही 1/1978	3.750	3.750	3.750	3.75
तिमाही 2/1978	3.375	0·375	3.750	4.12
तिमाही 3/1978	3.375	0.375	3.750	3·87
तिमाही 4/1978	3·375	0.375	3.375	3.94
योग	13.875	0.750	14-625	15.60

त्रिपुरा में विदेशी धर्म प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

6101. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को त्रिपुरा राज्य में काम करने वाले कुछ विदेशी धर्म प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के समाचारों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे धर्म प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) इस समय त्रिपुरा में कोई विदेशी धर्म प्रचारक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मंत्रियों के त्यागपत्र संबंधी समाचारों का प्रभाव

6102. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में भारत सरकार के मंत्रियों के त्याग-पत्रों के बारे में बार-बार प्रकाशित समाचारों के कारण सरकार में जनता के विश्वास को धक्का लगा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात की व्यवस्था करने के लिए एक आचार संहिता बनाने का है कि जो मंत्री त्याग-पत्र देना चाहें उन्हें संसद के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुरूप अपना त्याग-पत्र लिखित रूप में प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करना चाहिए और यथासम्भव शीघ्र सरकार को भी सूचित करना चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) केन्द्रीय मंत्रियों के इस्तीफों के बारे में अखबारों में जो खबरें छपती हैं वे आमतौर पर अटकलबाजी पर आधारित होती हैं। लोकतंत्र में समाचार-पत्रों को ऐसी खबरें छापने से रोका नहीं जा सकता। ना ही सरकार ऐसा सोचती है कि इस तरह की खबरों से प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास को धक्का पहुंचता है।

(ख) एक सुस्थापित प्रथा में यह अपेक्षा की जाती है कि जो मंत्री इस्तीफा देना चाहते हैं वे लिखित रूप मे अपना इस्तीफा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करें। इसलिए इस प्रयोजन के लिए कोई आचार संहिता तैयार करना जरूरी नहीं समझा गया।

केन्द्रीय राज-सहायता योजना का बन्द किया जाना

6103. **श्री जी॰ एम॰ बनातवाला** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय राज-सहायता योजना बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को बन्द करने के क्या कारण हैं और क्या पिछड़े क्षेत्रों पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि केन्द्रीय राज-सहायता योजना राज्यों में अधिक प्रगति केन्द्रों (ग्रोथ सेंटर्स) के संबंध में लागू करने की आवश्यकता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान नीति प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली परिभाषाओं में अन्तर्निहित पिछड़ेपन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाली कसौटी की सिफारिश करने के लिए श्री वी० शिवारमण, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों पर एक राष्ट्रीय समिति हाल ही में गठित की गई है। इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अमलाई पेपर मिल में कथित कुप्रबन्ध

6104. **श्री शरद यादव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमलाई पेपर मिल में कुप्रबन्ध के बारे में दिल्ली से प्रकाशित 8 जनवरी, 1979 के "जनयुग" में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो मिल का अधिग्रहण करने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) चूंकि मैसर्स ओरियन्ट पेपर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, अमलाई (मध्य प्रदेश) की उत्पादन मात्रा में गिरावट आई है तथा गिरावट आने की सम्भावना है व इसकी प्रबन्ध व्यवस्था जिस ढंग से की जा रही है वह उद्योग तथा जनहित में अहितकारी है। अत: सरकार ने मामले की परिस्थितियों की जांच करने व सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत 27-3-1979 को एक समिति नियुक्त की है।

स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके परिवारों को सुविधायें

6105. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को शिक्षा संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण, रोजगार में आरक्षण, पेट्रोल पम्पों, कुकिंग गैस एजेन्सियों के लिए लाइसेंस दिए जाने और पर्यटक परमिट आदि जैसी कुछ और विशेष सुविधायें देने का है;

(ख) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न मन्त्रालयों के बजट में कुछ धनराशि की व्यवस्था की है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को राजनीतिक पेंशन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) तकनीकी कठिनाइयां किस प्रकार की हैं इसका विश्लेषण नहीं किया गया है। फिर भी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय पेंशन का लाभ प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक प्रार्थी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी रिकार्ड से साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता/रहती है तो उसका सह-बन्दी प्रमाण-पत्र जैसा साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाता है। पेंशन स्वीकृत किए जाने के पश्चात् यदि किसी व्यक्ति को खजाने से अपनी पेंशन प्राप्त करने में वास्तव में कठिनाई होती है तो उसका अभ्यावेदन संबंधित जिला प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

स्वतंत्रता सेनानियों को राहत और पुनर्वास सुविधाए देने और उनको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है।

जनजाति सीमा क्षेत्रों में संचार सुविधायें

6106. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी पिछली यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा की गयी इस टिप्पणी को देखते हुए कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल तथा नागालैंड के पिछड़े जनजाति सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में मुख्य बाधा संचार सुविधाओं का अभाव है, उनकी 1979-80 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत इन राज्यों में सड़क विकास पर विशेष बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजनाओं में ऐसी योजना के लिए कितनी वित्तीय व्यवस्था की गयी है;

(ग) योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा बनायी जाने वाली अतिरिक्त सड़क की लम्बाई कितनी है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक राज्य में कितने तथा कितने प्रतिशत गांव इस समय सड़क से नहीं जुड़े हैं और वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत उनमें से कितनों को सड़कों से जोड़ा जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी, हां।

(ख) 1979-80 में सड़कों के लिए परिव्यय :

	(लाख रु०)
मेघालय	550
मिजोरम	400
मणीपुर	557
अरुणाचल प्रदेश	600
नागालैंड	640

उपर्युक्त परिव्ययों के अलावा सड़क कार्यक्रमों में उत्तर-पूर्वी परिषद (1,000 लाख रु०) और सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत अनुपूरक रूप में सहायता की जाएगी।

	कि० मी०
(ग) मेघालय	150
मिजोरम	144
मणिपुर	160
अरुणाचल प्रदेश	120
नागालैंड	154

(घ) सूचना एकत्र करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

बंगलादेश के निवासियों का पड़ौसी राज्यों में आ जाना

6107. **श्री चित्त बसु :**

श्री गंगा भक्त सिंह :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश के निवासियों की समीपवर्ती भारतीय राज्यों तथा त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल आदि में बढ़ती जा रही संख्या के मामले को हाथ में लेने की आवश्यकता तथा वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) क्या इस आशय का एक प्रस्ताव पूर्वोत्तर परिषद द्वारा सरकार को भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) भारत सरकार को इस समस्या की जानकारी है। इस मामले पर इस सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 19 मार्च, 1979 को विचार किया गया था और 22 फरवरी, 1979 को इस सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर का विषय भी यही था। देश के विभाजन के बाद कई कारणों से बंगला-देश से (भूतपूर्व पाकिस्तान/पड़ोसी राज्यों जैसे त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल में अवैध घुसपैठ होती रही है। विद्यमान उपायों की पर्याप्तता पर विचार करने और घुसपैठ को रोकने के लिये आगे के आवश्यक उपाय क्या हो सकते हैं, की जांच करने के लिये उत्तर-पूर्वी परिषद के अध्यक्ष ने 14 फरवरी, 1979 को उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों/संबंधित मन्त्रियों और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों के साथ एक बैठक की। बैठक में दिये गये सुझावों की जांच की जा रही है।

फिर भी, भारत सरकार ऐसी घुसपैठ को रोकने के उपाय करती रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर गश्त बढ़ा दी गई है और हमारी सीमाओं पर बड़ी सतर्कता बरती जा रही है। जब कभी घुसपैठियों को पकड़ लिया जाता है अथवा उनका पता लग जाता है तो उन्हें वापिस खदेड़ दिया जाता है। राज्यों में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिये विदेशी नागरिक संरक्षित क्षेत्र आदेश

1958 और विदेशी नागरिक प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 1963 लागू करने समेत कुछ प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। बंगलादेश के घुसपैठियों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उनको वापिस भेजने के लिए भारत सरकार ने भी असम, मेघालय, पश्चिम बगाल और त्रिपुरा के लिए कुछ कर्मचारियों की स्वीकृति दी है। इस मामले पर बंगलादेश सरकार के साथ भी बातचीत की गई है।

"इंटेगरल आर्टिकुलेटेड बस केरस-281"

6108. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को मूल्यांकन परीक्षणों के लिये हाल में "इंटेगरल आर्टिकुलेटेड बस इकेरस-281" सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई में पन्द्रह दिन तक इस बस के ऐसे ही परीक्षण किये जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग और दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इकेरस इन्टेग्रल कोच माडल-281 के परीक्षण किए गये थे। दिल्ली में फरवरी, 1979 के दूसरे पखवाड़े में परीक्षण किए गए थे और बम्बई में जनवरी, 1979 के दूसरे पखवाड़े में परीणण किए गए थे। विभिन्न पैरामीटरों जैसे यात्री आय/परिचालन और रखरखाव लागत, ईंधन की खपत, लागत, लाभ और यात्रियों को सुविधाओं के संदर्भ में परीक्षण किये जा रहे हैं। चण्डीगढ़, बंगलोर, हैदराबाद और मद्रास में अभी परीक्षण किए जाने हैं, जिसके बाद भारत में प्रचलित परिचालन सम्बन्धी स्थितियों के अन्तर्गत गाड़ी के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित आंकड़े इकट्ठे करना सम्भव होगा।

आचार्य विनोबा भावे का गोवध प्रतिबन्ध के बारे में प्रस्तावित अनशन

6109. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री आर० आर० दिवाकर के उस वक्तव्य का पता है जिसमें कहा गया है कि यदि 22 अप्रैल तक केरल तथा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने का कानून न बनाया गया तो उक्त तिथि से आचार्य विनोबा भावे अनशन प्रारम्भ कर देंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आचार्य विनोबा भावे और सम्बद्ध राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रधान मन्त्री ने पहले केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों को गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का आग्रह करने के विचार से लिखा था। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में

विपक्षी दलों के नेताओं के साथ 2 अप्रैल, 1979 को हुई एक बैठक में यह निर्णय किया गया है कि विपक्षी दलों के नेताओं समेत गृह मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल आचार्य विनोबा भावे से मिलने जाए और उनसे आग्रह करे कि वे उपवास न करें।

(ग) पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री और केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने इस आधार पर गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये विद्यमान निर्माण की अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट किया है कि इससे पशुपालन कार्यक्रम के प्रति उत्पादक होने की सम्भावना है और इन राज्यों में काफी जनसंख्या ऐसी है जिनकी भोजन आदतों पर ऐसे पूर्ण प्रतिबन्ध से प्रभाव पड़ेगा और ऐसा पूर्ण प्रतिबन्ध एक संवेदनशील मामला बन जाएगा।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-चार के लिए सांख्यिकी अन्वेषकों का 'फीडर पैनल' में शामिल न किया जाना

6110. **श्री सरत कार** :

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मन्त्रालय (ए० एस० ओ०) में (श्रेणी दो के पदों पर) काम कर रहे सांख्यिकीय अन्वेषकों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-चार के पदों पर पदोन्नति के लिए वर्ष 1968 में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार किए गए 'फीडर पैनल' में शामिल नहीं किया गया था जबकि भाग लेने वाले अन्य मन्त्रालयों/विभागों में ऐसी नियुक्तियों पर काम कर रहे व्यक्तियों को इस पैनल में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो रक्षा मन्त्रालय (ए० एस० ओ०) के प्रभावित व्यक्तियों को न्याय देने के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है; और

(ग) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग प्रभावित व्यक्तियों के मामलों को कब तक अन्तिम रूप दे सकेगा क्योंकि पहले ही दस वर्ष बीत चुके हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड iv में पदोन्नति के लिए पहली प्रवर सूची उन लोगों में से तैयार की गई थी जिन्होंने 31-12-1966 को फीडर पदों पर 4 वर्षों की सेवा पूरी कर ली थी। चूंकि सेना सांख्यिकी संगठन में सांख्यिकीय अन्वेषकों के पदों को दिसम्बर, 1967 में ही फीडर पदों के रूप में मान्यता दी गई थी, अत: ऐसे पदों के पदाधिकारियों पर पहली प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए विचार नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए 20 नामों को एक और प्रवर सूची संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, तैयार करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए सेना सांख्यिकी संगठन के सांख्यिकीय अन्वेषकों के दावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। प्रवर सूची को यथाशीघ्र प्रकाशित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

आपराधिक कानूनों विषयक सेमीनार के निष्कर्ष

6111. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विधि संस्थान तथा विश्वविद्यालय विधि कालेज, धारवाड़ द्वारा आयोजित किए गए आपराधिक कानूनों विषयक सेमीनार, जिसकी अध्यक्षता भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने की थी, के क्या मुख्य निष्कर्ष थे; और

(ख) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उस सेमीनार में दिए गए सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय विधि संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार भारतीय विधि संस्थान द्वारा कर्नाटक विश्वविद्यालय के सहयोग से 16 से 21 दिसम्बर, 1978 तक धारवाड़ में किए गए अपराधिक कानूनों विषयक सेमीनार की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई थी। परन्तु उन्होंने इस सेमीनार के विदाई समारोह में भाषण दिया था। वे बिना तैयारी के बोले थे और उनके भाषण का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था। इस सेमीनार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वालों द्वारा लिखे गए लेखों तथा विचारों के आदान-प्रदान से युवा विधि शिक्षकों के लिए एक प्रकार की सतत् विधि शिक्षा की व्यवस्था करना था। सेमीनार में व्यक्त किए गए विचारों में इतनी विविधता थी और उपलब्ध समय इतना कम था कि लेखों तथा विचार विमर्श के दौरान व्यक्त किए गए विभिन्न सुझावों पर कोई आम सहमति प्राप्त करना सम्भव नहीं था।

भोपाल टैक्सटाइल मिल्स द्वारा कपड़े का बेचा जाना

6112. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या उद्योग मन्त्री 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स ने जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 तक किस-किस फर्म को, कितनी मात्रा में, किस किस्म का और कितने मूल्य का ग्रे कपड़ा बेचा।

(ख) क्या फर्मों को कुछ राशि अग्रिम जमा करनी पड़ती है और यदि हां, तो कितनी और निगम व्यापारियों पर क्या शर्तें लगाता है और क्या कुछ व्यापारी निगम से बड़ी मात्रा में कपड़ा खरीदते हैं और इसे स्वयं ही बेचने का प्रयास करते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार को इसका पता है और ऐसे व्यापारियों के नाम क्या हैं।

(ग) उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने निगम से उक्त अवधि में ग्रे और परिष्कृत कपड़ा खरीदा था परन्तु उठाया नहीं और इसके परिणामस्वरूप निगम को कितनी हानि हुई; और

(घ) ऐसे व्यापारियों के नाम क्या हैं और संख्या क्या है और क्या इन व्यापारियों को कोई छूट दी गई थी और यदि हां, तो ऐसे व्यापारियों को कितनी छूट दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जनवरी, 1976 से मार्च, 1978 तक की अवधि की जानकारी अतारांकित प्रश्न सं० 7460 व 9827 क्रमशः 19-4-1978 व 10-5-1978 के बारे में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने हेतु संसद के पुस्तकालय में रखी जा रही है। अनुभव से पता चला है कि सूचना इकट्ठी करने में लगे परिश्रम की तुलना में

वे परिणाम नहीं निकले हैं जो इससे निकलने चाहिए थे ।

(ख), (ग) और (घ) निगम के वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जितनी जानकारी देना जनहित में होगा वह की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कल्याणमल मिल्स को हुई हानि

6113. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मन्त्री 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1976 से अक्तूबर 1978 तक वर्षानुसार "कल्याणमल मिल्स" में कितना-कितना घाटा हुआ और घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त मिल में मान्यता प्राप्त यूनियन के बड़ी संख्या में प्रतिनिधि व सदस्यगण केवल हाजिरी लगाकर वेतन प्राप्त करते हैं और फैक्ट्री में कोई काम नहीं करते हैं और क्या काफी समय तक मशीनों पर काम न करना और मिल के बाहर किसी अन्य काम करते रहना मिल को हुए घाटे के मुख्य कारणों में से एक है; और

(ग) क्या यूनियन द्वारा कुछ लूम लगाए जाने और तीन पारियां आरम्भ किए जाने के बारे में प्रबन्धकों के साथ किया गया करार तोड़ दिया गया है और यदि हां, तो वस्त्र उद्योग निगम ने गैर कानूनी ढंग से करार तोड़े जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और इस प्रकार तोड़े गए अन्य करारों का ब्यौरा क्या है जिनमें निगम को हानि उठानी पड़ी है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क)) जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 की अवधि के लिए बोनस को छोड़कर लाभ तथा हानि (अनन्तिम) के वर्षवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	लाभ/हानि (अनन्तिम)
	(लाख रु० में)
जनवरी-दिसम्बर, 1976	(—)133.21
जनवरी-दिसम्बर, 1977	(—)106.51
जनवरी-अक्तूबर, 1978	(—) 71.24

हानि के मुख्य कारण पुरानी मशीनरी होने के कारण उत्पादन कम होना, मजदूरों की संख्या अधिक होना, बिजली में कटौती तथा बिजली का बार-बार खराब हो जाना आदि है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बुनाई में लगे 4 करघों के लिए किए गए करार में से कर्मचारी प्रबन्धकों के साथ किए गए करार में निर्धारित शर्त हेतु हुए बिना नोटिस दिये 26-4-1977 से लूम शैड में 2 करघों पर कार्य करने लगे थे । प्रबन्धकों ने कर्मचारियों/यूनियन को यह समझाने की काफी कोशिश की कि

वे करार का उल्लंघन न करें और 4 करघों पर कार्य करें। इसके साथ ही श्रम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गए थे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निर्णय के लिए मामला औद्योगिक कोर्ट को भेज दिया जो अभी विचाराधीन है।

अन्य करारों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(क) सितम्बर, 1978 में कताई विभाग में कर्मचारियों ने करार में दी गई 3 साइड वाली कार्य प्रणाली का उल्लंघन करके 2 साइड की प्रणाली को अपना लिया। उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते को उसी के अनुपात में कम कर दिया गया है और मामले को औद्योगिक न्यायालय में भेजा गया। बाद में कर्मचारियों ने 10 दिसम्बर, 1978 से औद्योगिक न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप 3 साइड वाली कार्यप्रणाली को अपना लिया था।

(ख) 1 फरवरी, 1979 को प्रोसेसिंग विभाग में स्टेंटर पर कर्मचारियों ने अधिक वेतन की मांग करके प्रचालित करार का उल्लंघन करके हड़ताल कर दी थी। प्रोसेसिंग विभाग में 20 दिन तक हड़ताल चलती रही और वह बिना शर्त के वापस ले ली गई थी और 21 फरवरी, 1979 से सामान्य रूप से कार्य होने लगा। उत्पादन में हानि होने के अलावा हड़ताल ने आंशिक रूप से मिल के कार्य में बाधा डाली। उपर्युक्त को छोड़कर काफी हद तक करारों का और कोई उल्लंघन नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप मिल को काफी निर्णय हानि हुई।

बुरहानपुर ताप्ती मिल्स द्वारा वस्तुओं का बेचा जाना

6114. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मन्त्री 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुरहानपुर ताप्ती मिल्स ने जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 तक कुछ फर्मों को बहुत सी वस्तुयें जैसे मिल का बना धागा, कपड़ा, कटपीस, कटिंग्स तथा अन्य बेकार मशीनें, अपशिष्ट आदि बेची हैं और यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष बेची गई ऐसी वस्तुओं का मूल्य क्या है तथा ये वस्तुयें किन फर्मों को बेची गयीं;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे बेची गई वस्तुओं का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसी राशि कितनी है और यह राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी और ये वस्तुयें सामान्यतया किन शर्तों पर बेची जाती हैं, और

(ग) क्या दोषी फर्मों को राशि वसूल करने के लिए कोई नोटिस दिये गये हैं और यदि हां, तो कितनी बार और कितनी फर्मों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये हैं और ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अधिकांश जानकारी उन जिल्दों में प्राप्त है जो दिनांक 19-4-78 और 10-5-78 को पूछे गये प्रश्न संख्या क्रमशः 7460 और 9827 संबन्धी आश्वासनों को पूरा करने हेतु संसद पुस्तकालय में रखी जायेंगी। यह समझा गया है कि इस जानकारी को एकत्र करने में लगने वाले परिश्रम के अनुकूल फल नहीं निकलेगा।

(ख) तथा (ग) जानकारी, जिस सीमा तक जनहित में होगी तथा निगम के वाणिज्यिक हित के प्रतिकूल नहीं होगी, एकत्र की जाएगी और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बुरहानपुर ताप्ती मिल्स द्वारा कपड़े की बिक्री

6115. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मन्त्री 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 की अवधि के दौरान वर्षवार, महीनेवार, और पार्टीवार, मैसर्स बुरहानपुर ताप्ती मिल्स द्वारा घरेलू उपयोग में आने वाला कपड़ा और निर्यात किया जाने वाला कपड़ा अलग-अलग कितनी मात्रा में, कितने मूल्य का और किस किस्म का बेचा गया था,

(ख) निर्यात किये जाने वाले कपड़ों के बारे में निगम को तारीखवार और पार्टीवार कितनी राशि का भुगतान किया गया था, कितनी राशि का भुगतान अभी किया जाना है और इस भुगतान की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है, क्या कुछ राशि के भुगतान बट्टे खाते में डाल दिये गये हैं, यदि हां, तो पार्टीवार इसकी राशि कितनी है,

(ग) क्या एम० पी० एन० टी० सी० को निर्यात प्रयोजनों के लिए कुछ एजेंसियों को बेचा गया कपड़ा वापस लेना पड़ा था अथवा यह कपड़ा बेचा नहीं जा सका था अथवा पार्टी इसके लिये भुगतान नहीं कर सकी थी, और

(घ) यदि हां, तो पार्टीवार इस प्रकार कितना कपड़ा वापस लिया गया था और क्या इस पर 6½ प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई थी, यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में इस कारण निगम द्वारा कितनी राशि अदा की गई थी,

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अधिकांश जानकारी उन वाल्यूमों में प्राप्त हैं जो दिनांक 19.4.1978 और 10.5.1978 को पूछे गए प्रश्न सं० क्रमश: 7460 तथा 9827 संबंधी आश्वासनों को पूरा करने हेतु संसद के पुस्तकालय में रखे जायेंगे। यह पाया गया है कि इस जानकारी को इकट्ठा करने में निहित प्रयास प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख), (ग) तथा (घ) जानकारी जिस सीमा तक जनहित में होगी तथा निगम के वाणिज्यिक हित के प्रतिकूल नहीं होगी, एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नरोरा परमाणु बिजली केन्द्र के लिए मुख्य सामग्री

6116. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में स्थित नरोरा परमाणु बिजली केन्द्र में मुख्यतया किस-किस सामग्री की खपत होगी और क्या सब सामग्री देश में ही उपलब्ध होगी अथवा कुछ सामग्री का विदेशों से आयात किया जायेगा;

(ख) परमाणु केन्द्र के पूरा होने पर इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा; और

(ग) नरोरा परमाणु केन्द्र से राष्ट्र को क्या लाभ प्राप्त होगा ?

रक्षा मन्त्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : यद्यपि नरोरा परमाणु बिजलीघर के निर्माण के लिए अधिकांशत: स्वदेशी उपस्कर और सामग्री ही प्रयोग में लाए जायेंगे फिर भी कुछ विशेष प्रकार के कच्चे माल, विशिष्ट उपस्करों और घटकों का आयात करना पड़ेगा। इस बिजलीघर के लिए आवश्यक ईंधन का निर्माण देश में ही उपलब्ध प्राकृतिक यूरेनियम से किया जाएगा। आशा है कि विमंदक और शीतलक के रूप में इस्तेमाल के लिए आवश्यक भारी पानी की आवश्यकता की पूर्ति भी भारत में उत्पादित भारी पानी से कर ली जाएगी।

(ख) जब यह बिजलीघर चालू हो जायेगा तब इसमें लगभग 1500 व्यक्ति काम में लगे होंगे।

(ग) नरोरा परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिट चालू हो जाने पर 470 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे और उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली की मांग तथा उत्तरी क्षेत्र की विद्युत प्रणाली द्वारा की जाने वाली सप्लाई के बीच रहे अन्तर को समाप्त कर देंगे।

विदेशों को परमाणु अथवा इलेक्ट्रोनिक की जानकारी देना

6117. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश विदेशों को परमाणु अथवा इलैक्ट्रोनिक की जानकारी दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जानकारी का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से देश जानकारी प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) विदेशों को जानकारी देने से हमारे देश को क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) परमाणु ऊर्जा अथवा इलेक्ट्रानिकी के शांतिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए मित्रराष्ट्रों के साथ किए गये द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत अब तक कोई प्रौद्योगिकी विदेशों को नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

विसकोय फायवर का प्रयोग करने से कपड़ा मिलों को छूट

6118. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों को 10 प्रतिशत विसकोस फायवर के अनिवार्य उपयोग से छूट देने, रुई का स्टाक करने की समय सीमा को बढ़ाने, और उत्पादन से सीधे रुई प्राप्त करने के लिए मिलों को अधिपत्य ब्याज दरों पर ऋण देने के सम्बन्ध में निर्णय किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन सभी निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और ऐसी कार्यवाई कब की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) : सरकार ने मिलों द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत तक गैर सूती रेशों के इस्तेमाल किए जाने संबंधी

लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया है। मिलों द्वारा रखे जाने वाले रुई के भंडार की स्वीकृति सीमा भी बढ़ा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋण की सीमाओं में भी उचित समंजन किया गया है ताकि बढ़ी हुई स्टाक सीमा का पता चले किन्तु ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

भारतीय रुई निगम द्वारा कपास का खरीदा जाना

6119. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई निगम ने वर्ष, 1979 में कपास की कितनी गांठें लाखों में, खरीदनी हैं,

(ख) अब तक कपास की कितनी गांठें राज्यवार, खरीदी जा चुकी हैं और शेष गांठें कब तक खरीदी जायेंगी और

(ग) किसानों को कपास का उचित मूल्य दिलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई और क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारतीय रुई निगम का विचार है कि वह वर्ष 1978-79 के चालू कपास मौसम में लगभग 15 लाख रुई की गांठों की खरीद करें।

(ख) भारतीय रुई निगम ने अब तक 7.38 लाख रुई की गांठों की खरीद की है, जिसका राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

राज्य	खरीदी गई मात्रा
	(लाख गांठों में)
पंजाब	1.94
हरियाणा	0.77
राजस्थान	1.03
महाराष्ट्र	0.61
मध्य प्रदेश	0.77
गुजरात	1.21
आन्ध्र प्रदेश	0.34
कर्नाटक	0.38
तमिलनाडु	0.33
	7.38

सभी रुई उत्पादन राज्यों में रुई की और अधिक खरीद की जा रही है तथा यह तब तक की जाती रहेगी जब तक संबंधित राज्य में इस फसल का मौसम रहेगा।

(ग) सरकार ने उचित स्तर पर रुई के मूल्यों को बनाए रखने का सुनिश्चय करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(क) भारतीय रुई निगम की भूमिका को बढ़ाना और रुई का वफर स्टाक बनाने व राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को रुई की बिक्री करने हेतु निगम द्वारा देश में बड़े पैमाने पर खरीद करना;

(ख) संशोधन करके मिलों की भण्डार सीमा को बढ़ाना;

(ग) देशी रुई उत्पादकों का अहित करके विदेशों में रुई का आयात न करने का निर्णय लेना;

(घ) पुराने भण्डार वाली रुई सहित 3·5 लाख गांठों के बराबर स्टेपल रुई का निर्यात करना;

(ङ) बंगाल देशी रुई, मुलायम रुई की छीजन तथा येलो-पिकिंग्स का निर्यात करना;

(च) सूती वस्त्र मिलों द्वारा 10% मानव निर्मित रेशे का उपयोग करने संबंधी कानूनी शर्त को हटाना;

(छ) विज़कोज़ स्टेपल रेशे पर आयात शुल्क लगाना तथा देशी स्टेपल रेशे पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को बढ़ाना।

कर्नाटक को राज सहायता देना

6120. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़े जिलों में स्थापित नए उद्योगों के लिए अनुदान/राज सहायता देने की योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने 40 तालुकों को सबसे पिछड़ा पाया है और केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत चुने हुए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एकक सीधे अनुदान/राज सहायता पाने के हकदार हैं।

(ख) तथा (ग) कर्नाटक के रायपुर, मैसूर तथा धारवाड़ जिलों को केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के लिए चुना गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 3 जिलों की बजाय 19 जिलों के 40 ताल्लुकों, जो निवेश राज सहायता के लिए पात्र हैं, की घोषणा करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर सहमत होना सम्भव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद समिति के निर्णय में अन्तर हैं, जिसके आधार पर पूंजीगत निवेश राज सहायता लाभ के लिए जिलों/क्षेत्रों का विकास किया गया है।

सरकार ने मौजूदा नीति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली परिभाषाओं में अन्तर्निहित पिछड़ेपन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने तथा पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाली कसौटी की सिफारिश करने के लिए श्री बी॰ शिवरामन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों पर एक राष्ट्रीय समिति हाल ही में गठित की है।

समिति से आशा की जाती है कि यह अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1979 तक प्रस्तुत कर देगी।

समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही विद्यमान राज सहायता योजना में संशोधन करने पर विचार किया जायेगा।

कार्ड बोर्ड के बक्सों का निर्माण

6121. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमको ने वर्ष 1977 के लिए अपने निदेशकों के वार्षिक प्रतिवेदन में बोर्ड के बक्से बनाने और उपभोक्ताओं को प्रति बक्सा 20 पैसे की दर से उपलब्ध करने के अपने आशय की घोषणा की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विमको को यह कहने के लिये कोई कदम उठाने का है कि वह अपने थोक भावों को कम करके कुटीर उद्योग क्षेत्र के भावों के स्तर पर लाये ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) मैसर्स विमको ने वर्ष 1977 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि कम्पनी ने प्रिंटेड कार्ड बोर्ड की डिब्बियां बनाने के लिए अम्बारनपथ में एक मशीन लगाई है जिससे मुलायम लकड़ी (सोफ्ट वुड) की बचत होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि कार्ड बोर्ड लकड़ी की परत के मुकाबले अधिक खर्चीला है अतः नई माचिसों का मूल्य थोड़ा अधिक ही रखा जाएगा।

(ख) जी नहीं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम से नियत्रित कपड़ा खरीदने के लिए टेंडर आमन्त्रित किया जाना

6122. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों से नियन्त्रित कपड़ा खरीदने के लिए टेण्डर आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं जिनके टेंडर स्वीकार कर लिए गए हैं;

(ग) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों और गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों से कितना नियन्त्रित कपड़ा खरीदा गया; और

(घ) वर्ष के दौरान नियन्त्रित कपड़ा खरीदने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों और गैर सरकारी क्षेत्र की मिलों को कितनी राज सहायता दी गई थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) अक्तूबर, 1978 से लागू नई नियन्त्रित कपड़ा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलों से प्रति तिमाही 10 करोड़ वर्ग मीटर नियन्त्रित कपड़ा प्राप्त किया जाना है जो नेशनल कोआपरेटिव कंजूमर्स फेडरेशन के माध्यम से वितरित किया जाएगा। परिचालन प्रबन्धकों में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को उत्पादन के लिए विशिष्ट मात्रा सौंपी जायेगी और शेष मात्राएं निजी क्षेत्र की मिलों से बोली लगाकर खरीद कीमतों के आधार पर

खरीदी जायेगी और ये कीमतें किसी भी हालत में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की उत्पादन लागत से अधिक नहीं होगी जिसकी स्वयं वित्त मन्त्रालय द्वारा जांच की जा सकेगी। निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा मात्रा में की गई किसी प्रकार की भी कमी का काम राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अलग से सौंपा जायेगा।

अक्तूबर, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि में निजी क्षेत्र की मिलों का बोली के आधार पर नियन्त्रित कपड़े की 402.5 लाख वर्ग मीटर कपड़ा स्वीकार किया गया था और उत्पादन के लिए 1597.5 लाख वर्ग मीटर की मात्रा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को सौंपी गई है। निजी क्षेत्र की मिलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। चूंकि उपभोक्ताओं को नियन्त्रित कपड़ा कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि के बिना सप्लाई किया जाता है, अतः उपभोक्ता कीमत तथा खरीद कीमत के बीच का अन्तर नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के माध्यम से दी जाने वाली राज सहायता के अन्तर्गत आता है। 31.3.1979 तक नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन को राष्ट्रीय वस्त्र निगमों को प्रतिपूर्ति की गई राज सहायता तथा 1-10-1978 से निजी क्षेत्र की मिलों से नियन्त्रित कपड़े की खरीद के लिये 14.3 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

विवरण

नियंत्रित कपड़े के लिये जिन मिलों की निविदाएं स्वीकृत की गई थीं उनके नाम दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	मिल का नाम
1.	डी० बी० आर० मिल्स, सिकन्द्राबाद
2.	अनिल सिथेटिक्स, अहमदाबाद
3.	एल्फीनस्टोन मिल्स, बम्बई
4.	न्यू ग्रेट ईस्टर्न मिल्स, बम्बई
5.	न्यू स्वदेशी मिल्स, अहमदाबाद
6.	बिनोद मिल्स कंपनी लिमिटेड, उज्जैन
7.	श्री यमुना मिल्स, बरौदा
8.	खन्डेश स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, जलेगांव
9.	बनगोदया काटन मिल्स, 24 परगना पनीहटी कलकत्ता
10.	पी० जी० टैक्सटाइल बड़ौदा
11.	आर० एस० आर० मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट
12.	न्यू सिटी ऑफ बोम्बे मिल्स, बम्बई
13.	पल्गांव कॉटन मिल्स, पल्गाँव
14.	श्री शाहू छत्रपति मिल्स, कोल्हापुर
15.	प्रताप मिल्स, अमालनेर
16.	नरेसींगुगिरजू मिल्स, शोलापुर
17.	जामश्री रंजीतसिंह स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, शोलापुर

18. श्री बंसीधर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अहमदाबाद
19. मन्जूश्री टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद
20. मोहिनी मिल्स, कलकत्ता
21. श्री ब्रजेश टेक्सटाइल मिल्स, पेटलाड़ (गुजरात)
22. बिरला काटन मिल्स, दिल्ली

ट्रैक्टर एककों के सामने संकट की स्थिति

6123. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री ए० आर० बद्री नारायण : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टायरों की कमी के कारण ट्रैक्टर एककों को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है;

(ग) देश में ट्रैक्टरों की मांग कितनी है;

(घ) वर्ष 1978 में प्रत्येक किसान को कितने ट्रैक्टर सप्लाई किये गए थे; और

(ङ) वर्ष 1978 और 1979 में प्रत्येक राज्य को कितने ट्रैक्टर आबंटित किये गए थे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) से (ग) कुल मांग को पूरा करने के लिये कृषि ट्रैक्टरों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। 1977-78 में 40,946 नगों का उत्पादन हुआ है। 1978-79 में फरवरी 1979 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि के में हुए 35,925 नगों की तुलना में 49,500 नगों का उत्पादन हुआ। उत्पादन की इस गति के कारण कुछ एककों द्वारा टायरों की मामूली कमी महसूस की गई है। इस परिस्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से सरकार ने सीमा शुल्क की दरों में छूट देकर टायरों के आयात की अनुमति दी है।

1978-79 के दौरान ट्रैक्टरों की कुल मांग 52,000 नग तक होने का अनुमान है तथा इसकी पूर्ति उत्पादन वृद्धि द्वारा की जायेगी।

(घ) तथा (ङ) केवल तीन मेकों के ट्रैक्टरों की बिक्री तथा वितरण पर कानूनी नियंत्रण है। इन मेकों तथा अन्य मेकों के ट्रैक्टरों के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों के लिये कोई कोटा तय नहीं किया गया है। नियंत्रण आदेश की शर्तों के अनुसार नियंत्रणाधीन ट्रैक्टरों का आबंटन विक्रेताओं के पास आर्डर बुक करने के तैथिक क्रमानुसार किया जाता है। अन्य मेकों के ट्रैक्टरों की बिक्री वाणिज्यिक मापदण्ड के अनुसार की जाती है।

1978 के दौरान देश में विभिन्न ट्रैक्टर निर्माताओं द्वारा लगभग 51,000 कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री की गई तथा जनवरी-मार्च 1979 में यह संख्या 12,000 होने का अनुमान है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित सौर तापक

6124. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाले 'हीटर' बनाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस उपकरण की उपयोगिता की जांच की है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या ये सौर तापक वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी बनाए जायेंगे और कब, और

(घ) सौर ऊर्जा को शांति उद्देश्यों तथा घरेलू प्रयोग के लिए उपयोग में लाने हेतु अनुसन्धान करने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में विभिन्न प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा के दोहन के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है। यह न केवल इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी संस्थाओं में ही किया जा रहा है बल्कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे अन्य अनुसधान संगठनों में भी किया जा रहा है। अनुसंधान और विकास कार्य के परिणामस्वरूप, सौर तापन उपकरणों, यथा, अनेक कृषि उत्पादों के लिए सौर शुष्ककों और घरेलू और मध्यम पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए स्थान तापन प्रणालियों के आद्य प्रारूपों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है।

(ख) सौर शुष्ककों और तप्त जल प्रणालियों जैसे अनेक तापन उपकरणों का क्षेत्रीय परीक्षण, फिलहाल, चल रहा हूं। प्रारम्भिक परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं परन्तु इसके तकनीकी-आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिये अधिक विस्तृत अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ग) इस किस्म की नई प्रौद्योगिकीयों का उनके व्यापक अनुप्रयोग के लिए, जो कि हमारा ध्येय है, वाणिज्यिक स्तर तक पहुंचने से पूर्व पर्याप्त समय तक निरीक्षण-परीक्षण किया जाता है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर विशेष बल देते हुए सौर ऊर्जा के बहुविध अनुप्रयोगों के लिए उपयोग को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी. एस. टी.) द्वारा पर्याप्त वित्तीय निवेशों से संगठित पैमाने पर किए गए अनुसंधान और विकास कार्य से सौर ऊर्जा यंत्रों जैसे कि : अनेक कृषि उत्पादों के लिए सौर शुष्ककों, घरेलू तथा मध्यम पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए जल तथा स्थान तापन प्रणालियों, सौर ऊर्जित विलवणीकरण संयंत्र, सौर प्रकाश वोल्टीय सैलों तथा माड्यूलों के आदि रूप सफलतापूर्वक विकसित किए जा सके हैं।

2. विभिन्न किस्मों के कृषि तथा खाद्य उत्पादों के सौर शुष्कन और उद्योगों (विशेषत: सूत को सुखाने वाले और रासायनिक प्रक्रमण उद्योगों) में सौर ऊर्जा की तकनीकी-आर्थिकी सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन आरम्भ किए जा चुके हैं। अवशोषण प्रशीतन का इस्तेमाल कर एक सौर-ऊर्जित शीत संग्रहण यूनिट के अभिकल्पन तथा विकास के लिए एक परियोजना पूरी होने वाली है। सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयोगशाला पैमाने पर अनुसंधान और विकास कार्य द्वारा सौर सिलिकान प्रकाश-वोल्टीय सैलों और

पैनलों की सफलतापूर्वक संविरचना की गई है। इस क्षेत्र में, विशेषत: प्रकाश-वोल्टीय प्रणालियों को ग्रामीण क्षेत्रों में (सामुदायिक स्थानों को प्रकाशित करने तथा रेडियो, टेलिवीजन के लिए, पेय जल की सप्लाई तथा लघु-सिंचाई उपयोग के लिए) इनके प्रयोग को किफायती बनाने के लिए और अधिक अनुसंधान और विकास कार्य की योजना तैयार की गई है। संघीय जर्मन गणराज्य (एफ. आर. जी.) के तकनीकी सहयोग से बी. एच. ई. एल. तथा आई. आई. टी. (मद्रास) ने, संयुक्त रूप से बिजली उत्पन्न करने के लिए एक प्रयोगात्मक सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की है। बी. एच. ई. एल. द्वारा संघीय जर्मन गणराज्य के सहयोग से एक सौर ऊर्जा द्वारा चालित जल-पम्प प्रणाली की अभिकल्प, विकास तथा संविरचना के लिए एक परियोजना को हाथ में लिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य को तीव्र करने के कार्यक्रम में बहुक्रिस्टलीय सौर सैलों, एम. ओ. एस. सौर सैलों और संग्राहक प्रणालियों के लिए सिलेक्टिव कोटिंग्स तथा रंगों के विकास के लिए प्रयोगशाला पैमाने पर प्रयोग भी शामिल हैं।

3. भविष्य के लिए नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था किए जाने के लिए, कृषि अपशिष्टों या जीवभार के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण और जैविक पुन: चक्रीयन (शृंखला) के माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में दो अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवादों का आयोजन किया गया था। इनमें से एक मदुरै में सौर ऊर्जा जैविक अनुप्रयोग पर और दूसरा भावनगर में 'भारतीय समुद्री क्षेत्र के समुद्री शैवाल' पर था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जीवभार से ईंधन का उत्पादन करने से संबद्ध अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की जांच-पड़ताल करने, उनका अभिनिर्धारण करने तथा उन्हें तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। समिति इन दो अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवादों की सिफारिशों तथा जीव भार से ईंधन के सूक्ष्मजैविक उत्पादन से सम्बद्ध अनुसंधान प्रस्तावों की संवीक्षा कर रही है। यह समिति ऊर्जा प्रदान करने वाली फसलों के उत्पादन और उपयोग से सम्बद्ध प्रस्तावों का भी अध्ययन कर रही है।

योजना आयोग की कलकत्ता में विशेष बैठक

6125. **श्री चित्त बसु** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का उचित मूल्यांकन करने के लिए कलकत्ता में योजना आयोग की एक विशेष बैठक आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई ऐसी बैठक हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी नहीं।

(ख) कलकत्ता में योजना आयोग की विशेष बैठक करने का कोई विचार नहीं है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और/या सदस्य, राज्यों के अपने दौरे के समय, राज्य सरकारों के साथ राज्य की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करते हैं। हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष

कलकत्ता गए थे और वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

पश्चिम बंगाल में गोवध के विरुद्ध आन्दोलन

6126. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ द्वारा गोवध के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल में चलाये जा रहे आन्दोलन का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर प्रधान मन्त्री द्वारा दिसम्बर, 1978 में आयोजित संसद में राजनैतिक दलों के नेताओं और मुख्य मन्त्री की बैठक में विचार किया गया था;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा केरल सरकार ने इस आन्दोलन के बारे में अपने विचार पहले ही प्रेषित कर दिये हैं; और

(घ) क्या प्रधान मन्त्री संघ को परामर्श देंगे कि राज्य में साम्प्रदायिक एकता तथा कानून और व्यवस्था के व्यापक हित में वह उक्त आन्दोलन न चलायें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 17-12-1978 को हुई विपक्षी दलों के नेताओं और मुख्य मन्त्रियों की बैठक में गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों ने सम्बन्धित राज्यों में गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में अपने विचार पहले ही प्रेषित कर दिए हैं ।

(घ) संघ, एक स्वयम् सेवी संगठन है जो कि अपनी अहिंसक नीति के लिए ज्ञात है । यह नहीं समझा जाता है कि संघ हिंसा को प्रोत्साहन देगा या विधि और व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा । अत: प्रधान मन्त्री द्वारा उनकी शान्तिपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए उनको सलाह देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

राज्यों को सीमेंट के कोटे में कमी

6129. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त सीमेंट सप्लाई नहीं कर रही है;

(ख) क्या वर्ष 1978 में राज्यों का सीमेंट कोटा घटा दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप सीमेंट का कोटा आबंटित करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978 की चतुर्थ तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर) में जो राज्य बाढ़ग्रस्त नहीं थे, उनके आबंटन में 10

प्रतिशत की कमी की गई थी ताकि बाढ़ग्रस्त राज्यों के लिए आबंटन की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके जो राज्य बाढ़ग्रस्त नहीं थे, उन्होंने इस कटौती को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था।

(ग) चूंकि सीमेंट की माँग सीमेंट की उपलब्धता से अधिक है, इसलिये फिलहाल सम्पूर्ण मांग को पूरा करना सम्भव नहीं हैं। किन्तु आगामी तिमाही (अप्रैल-जून 1979) में सीमेंट की सम्भावित अतिरिक्त उपलब्ध मात्रा को देखते हुए, सभी राज्यों के आबंटन में पिछली तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की स्थापना के लिए अनुदान

6130. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार आदि वासी जिलों के औद्योगिक रूप में पिछड़े हुये क्षेत्र घोषित किये हैं और इन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदानों हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है,

(ग) उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित जिलों की संख्या और नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) राज्य के मुख्यमंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग ने रियायती वित्त की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश में 36 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये हैं। इन जिलों में से निम्नलिखित 18 जिले/क्षेत्र राज्य सरकार की जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत आते हैं :

क्रमांक	जिला	क्रमांक	जिला
1.	बालाघाट	10.	मण्डला
2.	बसतर	11.	मुरैना
3.	बेतूल	12.	रायगढ़
4.	विलासपुर	13.	रायपुर
5.	छिंदवाड़ा	14.	राजनंदगाँव
6.	धार	15.	रतलाम
7.	होशंगाबाद	16.	सिम्रोनी
8.	झाबुआ	17.	सिद्धी
9.	खरगोन	18.	सुरगुजा

राज्य सरकार की जनजातीय उप-योजना में शामिल किये गये जिलों में से निम्नलिखित जिले/क्षेत्र 15 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना पाने के भी हकदार हैं :

क्रमांक	जिला	क्रमांक	जिला
1.	विलासपुर	6.	रायगढ़
2.	धार	7.	रायपुर

3.	झाबुआ	8.	रतलाम
4.	खरगौन	9.	सिद्धी*
5.	मुरैना	10.	सुरगुजा

अक्तूबर 1975 में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना प्राप्त करने योग्य अतिरिक्त क्षेत्रों का चयन करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा था। विचार करने के बाद योजना आयोग ने राज्य सरकार को सूचित किया कि राज्य में से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ या अन्यथा शोषित किये गये जिलों में से चुने जाने वाले जिलों/क्षेत्रों की संख्या के बारे में स्वीकृत मानदंडों से अलग हटना सम्भव नहीं होगा। अगस्त/सितम्बर, 1978 में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के लिये बस्तर जिले तथा विदिशा जिले के बसोदा विकास खंड को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि उनमें स्वीकृत मानदंडों से अलग हटना पड़ता।

प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए आरक्षण

6131. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी नियम रु० 2250/- के वेतनमान तक प्रथम श्रेणी के पदों के लिए अपनाये जा रहे हैं; और

(ख) गत एक वर्ष में आरक्षण नियमों के अनुसार उक्त स्तर को श्रेणियों के पदों पर कितने व्यक्ति पदोन्नत किए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' (पहले के श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III और श्रेणी-IV) को सेवाओं में सभी नियुक्तियों में उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 15% और 7½% का आरक्षण है। लेकिन चयन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के मामले में आरक्षण को उपर्युक्त प्रतिशतताएं केवल समूह 'क' (श्रेणी-I) सेवाओं/ग्रेडों को निम्नतम सीढ़ी (रंग) तक ही हैं। समूह 'क (श्रेणी-I) के भीतर पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति में, जिनका अन्तिम वेतन 2250 रु० प्रतिमास (संशोधित वेतनमान में) अथवा उससे कम है, कोई आरक्षण नहीं है लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उन अधिकारियों को, जो पदोन्नति के लिए विचार के क्षेत्र में काफी वरिष्ठ हों जिससे कि वे उन रिक्तियों की संख्या में आ सकें जिनके लिए प्रवर सूची तैयार की जानी है, वरिष्ठता की सूची में शामिल कर लिया जाएगा बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य न समझे जाएं।

(ख) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान में गिरफ्तार सत्याग्रहियों को सुविधाएं

6132. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 फरवरी को 10-00 बजे रणघाट अंडमान द्वीपसमूह में महिलाओं सहित

जिन 62 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें 13.15 बजे मायाबन्दर के लिए रवाना किया गया तथा, जो मायाबन्दर 15.30 बजे पहुंचे, उन्हें न तो रणघाट में और न ही मायाबन्दर में भोजन दिया गया और इन सभी लोगों को कीचड़ वाली जमीन पर खुले में ही 24 घंटे तक ठहराया गया तथा इन्हें पेड़-पौधों के पत्तो के बिस्तरे बनाने के लिए क्या पूरी रात अत्यधिक ठंड में रहने के लिए बाध्य किया गया; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 21-2-1979 को 62 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जब वे रणघाट में तहसील और खंड विकास कार्यालयों के दरवाजों पर धरना दे रहे थे और कर्मचारियों को अपनी सरकारी ड्यूटियों पर उपस्थित होने से रोक रहे थे।

2. गिरफ्तार व्यक्तियों को लगभग 12.45 बजे एक ट्रक द्वारा मायाबन्दर जो रणघाट से लगभग 75 किलोमीटर है, भेजने से पहले लगभग 12.00 बजे एक स्थानीय राजनैतिक दल द्वारा भोजन दिया गया था।

3. लगभग 15.30 बजे मायाबन्दर पहुंचने पर उनको तुरन्त प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। चूंकि गिरफ्तार व्यक्तियों ने जमानत अथवा व्यक्तिगत मुचलकों पर जाने से इन्कार कर दिया इसलिये उन्हें 7-3-1979 तक न्यायिक हिरासत में रखने के लिये भेजा गया था। फिर भी उनको 28-2-79 को रिहा कर दिया गया था।

4. विचारणाधीन बन्दियों को लगभग 17.30 बजे मायाबन्दर में न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। उनको शीघ्र ही रात्रि भोजन दिया गया था।

5. विचारणाधीन बन्दियों को मायाबन्दर में न्यायिक हिरासत भवन में स्थान दिया गया था। यह सच नहीं है कि उनको पेड़-पौधों के पत्तों से बिस्तरे बनाने के लिये कहा गया था। चूंकि इतनी अधिक संख्या में विचारणाधीन बन्दियों को देने के लिये चादरें उपलब्ध नहीं थीं इसलिये तिरपालों की व्यवस्था की गई थी और उनको दिये गये थे।

शक्तिशाली परमाणु एक्सेलरेटर बनाने का प्रस्ताव

6133. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक शक्तिशाली परमाणु एक्सेलरेटर बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सम्भाव्यता, स्थान, लागत और उपयोगिता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सम्बद्ध विवरण का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया हैं।

अनुसंधान तथा विकास के लिए धनराशि का उपयोग

6134. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में अनुसंधान तथा विकास के लिए उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड में उपलब्ध करायी गई निधि का निवेश न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के आयोजन पर उपरोक्त निधियों का उपयोग न किये जाने का क्या प्रभाव होगा ?

रक्षा मन्त्रालय तथा इलेक्ट्रानिकी योजना में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) वर्ष 1978-79 में अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई कुल 475 लाख रुपए की धन राशि का उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जा सका :

(i) परियोजनाएं जिन पर कुल 220 लाख रु० के कुल परिव्यय की कल्पना की गई थी और जिनके लिए वर्ष 1978-79 की योजना पेश करते समय 70 लाख रु० का परिव्यय निर्दिष्ट किया गया था उन्हें प्रौद्योगिकी विकास परिषद और राष्ट्रीय रेडार परिषद द्वारा या तो रद्द कर दिया गया अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। उक्त दो परिषदें इलेक्ट्रानिकी आयोग की सहायक निकायें हैं, जिनके माध्यम से इलेक्ट्रानिकी विभाग की अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की जाती हैं।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों, सरकारी प्रयोगशालाओं तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं, में परियोजना निष्पादित करने वाले दलों से फरवरी/मार्च, 1979 में धन के लिए प्राप्त अनुरोधों में से कुछ अनुरोधों को इसलिए रोका जा रहा है कि अप्रैल/मई 1979 में उन्हें यह धन राशि मुक्त कर दी जाएगी, क्योंकि यह निश्चित था कि यदि धन राशि मुक्त भी कर दी जाय तो भी इसे 31 मार्च, 1979 तक खर्च नहीं किया जा सकेगा।

(iii) अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के लिए उदारीकृत आयात नीति योजना, जिसके अन्तर्गत सीधे युक्त सामान्य लाइसेंस (ओपन जनरल लाइसेंस) के आधार पर सीधा आयात किया जा सकता है, को प्रथमतः केवल एक वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया है। इस बात को देखते हुए परियोजना के कार्यकारी अधिकारियों के लिए कुछ परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष के आखिरी तीन महीनों के लिए मांग पत्र पेश करना कठिन था। इसका कारण यह था कि इन सभी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष के अन्दर ही अदायगियां करनी पड़तीं।

(ख) सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह लिमिटेड में नियत धन राशि का कम उपयोग इस कारण हुआ कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन और निदेशक मंडल के गठन में देरी हो गई जिसके अभाव में पूंजी निवेश संबंधी बड़े निर्णय नहीं किए जा सकते थे।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान तथा विकास की परियोजनाएं मुख्यत: इस बात पर आधारित होती हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों, सरकारी प्रयोगशालाओं तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा योजनागत कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के संबन्ध में, जिन का व्यापक प्रसार और प्रचार किया जाता है, अपने प्रस्तावों को किस ढंग से प्रौद्योगिकी विकास परिषद तथा राष्ट्रीय रेडार परिषद के समक्ष पेश किया गया। जैसा कि इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मुद्दा (1) में दर्शाया गया है, वर्ष 1978-79 में यह पाया गया कि जिन परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनमें से कई उस रूप में तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं थे जिन्हें उस रूप में पेश किया गया था। किन्तु उस रूप में उन्हें रद्द करने के कारण इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी विकास परिषद अथवा राष्ट्रीय रेडार परिषद के संबंधित तकनीकी कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर उन्हें पुन: तैयार करने के बाद जब वे फिर से प्रस्तुत किए जाएंगे तो उन पर अनुकूल विचार किए जाने की सम्भावना है। सेमीकन्डक्टर उद्योग समूह लिमिटेड से संबंधित कार्य में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मंडल की नियुक्त के बाद तेजी आने की आशा है।

बड़े आकार के कम्प्यूटर का खरीदा जाना

6135. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के प्राक्कलनों में जिस बड़े आकार के कम्प्यूटर की खदीद के लिए प्रावधान किया गया है उसकी कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा प्रस्तावित खरीद किये जाने के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए निविदायें आमन्त्रित की हैं और खरीद सौदे को अन्तिम रूप दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) क्या प्रस्तावित बड़े आकार के कम्प्यूटर की स्थापना के बाद कम्प्यूटर केन्द्र दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) 1967 में संस्थापित तीन हनीवेल एच-400 कम्प्यूटरों, जो अब अप्रचलित हो गए हैं, के स्थान पर, सांख्यिकी विभाग के संगणक केन्द्र में एक बड़े आकार के कम्प्यूटर को खरीदने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) जी हां, विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गईं 20 संभरण-प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनका मूल्यांकन इसी प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया गया ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने बरो बी-3845 सिस्टम का कम्प्यूटर खरीदने का निर्णय किया है।

(ग) नए कम्प्यूटर से मुख्यतया साँख्यिकी विभाग के आंकड़ों के विधायन की आवश्यकताएं पूरी होगीं। अतिरिक्त क्षमता, यदि होगी, तो दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर स्थिति अन्य सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई जाएंगीं।

सरकारी क्षेत्र के सीमेंट कारखानों की क्षमता को दुगुना करना

6136. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री आर॰ वी॰ स्वामीनाथन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के सीमेंट कारखानों की क्षमता को दुगुना करके कमी वाले राज्यों को अधिक सीमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उन कमी वाले राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें अधिक सीमेंट सप्लाई किया जायेगा,

(ग) किन-किन सीमेंट कारखानों की क्षमता दुगुनी की गई है, और

(घ) राज्यों को कितना सीमेंट किस तारीख से उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) राज्यों को सीमेंट का आबंटन देश में सीमेंट की पूर्वानुमानित कुल उपलब्धता तथा सम्बन्धित राज्यों की आवश्यकता के अनुसार सीमेंट नियंत्रक द्वारा किया जाता है।

देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में नये एककों की स्थापना तथा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए अनेक औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं। किन्तु, इन संयंत्रों से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त उत्पादन केवल कमी वाले राज्यों को अतिरिक्त आबंटन करने के लिए ही आरक्षित नहीं किया जाएगा।

(ग) निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के सीमेंट संयंत्रों के मामले में उनकी विद्यमान क्षमता को दुगुना या उससे अधिक करके क्षमता में बढ़ोत्तरी की जा रही है :

(लाख मी॰ टनों में)

क्र॰ सं॰	विद्यमान संयंत्र का नाम	विद्यमान क्षमता	विस्तार के लिए स्वीकृत और क्षमता
1.	यू॰ पी॰ स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन, दल्ला (उ॰प्र॰)	4.32	16.80
2.	माडमलुहचेरा सीमेंट लिमिटेड चेरापूंजी (मेघालय)	0.84	2.00
3.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, मन्धार (म॰ प्र॰)	2.00	1.80

(घ) 1979 में कुल लगभग 238 लाख मी॰ टन सीमेन्ट उपलब्ध होगा। जिसमें 20 लाख मी॰ टन आयाति सीमेंट शामिल है।

'वेस्ट रिसाईक्लिग फार डिवेलपमेंट' सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समिति

6137. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी॰ एम॰ सईद : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने "वेस्ट रिसाइक्लिंग फार डिवेलपमेंट" (विकास के लिये उच्छिष्ट पदार्थों को काम में लाने योग्य बनाना) से सम्बन्धित कार्यवाही अध्ययन की ऐसी योजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की है जिसे जेनेवा में 5 से 16 मार्च 1979 तक होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 25वें सत्र में सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया जाना है;

(ख) क्या उक्त समिति में भारत को शामिल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है; और

(ङ) यदि हां तो उन्हें भारत में क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) : संयुक्त राष्ट्र संघ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक से संबद्ध कार्यालय ने विशेषज्ञों के एक वर्ग की नियुक्ति "वेस्ट रिसाइक्लिंग फार डेवलपमेंट" के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए की थी, जिसकी अध्यक्षता अपनी व्यक्तिगत हैसियत में एक भारतीय द्वारा की गई थी। इस प्रतिवेदन पर 'यू. एन. एडवाइजरी कमेटी आन एप्लिकेशन आफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी टू डेवलपमेंट' द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 25 वें सत्र में 5 मार्च से 16 मार्च तक जेनेवा में परिचर्चा की जानी थी। यहां "वेस्ट" शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से कृषि से उत्पन्न पदार्थों के उच्छिष्टों के संदर्भ में किया गया है और उसका न्यूक्लीय अपशिष्ट उत्पादों के साथ कोई संबंध नहीं है।

(ख) भारत सरकारी हैसियत में इससे संबंध नहीं था।

(ग) यह प्रतिवेदन अब भी 'यू. एन. एडवाइजरी कमेटी आन एप्लिकेशन आफ साइंस एन्ड टेक्नालाजी टू डेवलपमेंट' के विचाराधीन है।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ङ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

लघु एककों द्वारा उत्पादन में कटौती

6138. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री पी० एम० सईद : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु एककों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति के बावजूद गत नौ महीनों में किये गये उपायों से सफल लघु एककों के विकास में कमी हो रही है क्योंकि उनसे उनके उत्पादन में कटौती किये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। देश में लघु एककों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न उपाय

किये हैं। लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या में 807 वस्तुएं शामिल करके उसका विस्तार किया गया है। लघु क्षेत्र को अधिक ऋण दिये जाने में उदारता बरतने के लिए कदम उठाए गये हैं तथा लघु क्षेत्र को लोहा तथा इस्पात जैसे दुर्लभ कच्चे माल के आबंटन में वृद्धि की गई है। आयात नीति को उदार बना देने के फलस्वरूप लघु क्षेत्र को अतिरिक्त आयातित कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। इन उपायों तथा किये जा रहे विभिन्न अभ्युपायों के परिणामस्वरूप अनुमान है कि वर्ष 1978-79 में देश में लघु क्षेत्र के उत्पादन में 14 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हो जायेगी।

अण्डमान तथा निकोबार सरकार के कर्मचारियों और श्रमिक फैडरेशन का मांग पत्र

6139. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान तथा निकोबार सरकार के कर्मचारियों और श्रमिक फैडरेशन, पोर्ट ब्लेयर के प्रेजीडेंट तथा हिंटरलैंड सीमेन्स यूनियन पोर्ट, ब्लेयर द्वारा लगभग एक वर्ष पहले प्रस्तुत किये गये 22-सूत्री मांग पत्र की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अन्डमान तथा निकोबार सरकार के कर्मचारियों और श्रमिक फैडरेशन ने 1977 में एक 22-सूत्री मांग-पत्र अण्डमान और निकोबार प्रशासन को दिया था। इन मांगों पर विभिन्न स्तरों पर अनेक अवसरों पर विचार विमर्श किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फैडरेशन 14 मांगें छोड़ने के लिए सहमत हो गया और शेष 8 मांगों के सम्बन्ध में समझौते के लिए प्रार्थना की गई थी। इन आठ मांगों पर भी अण्डमान और निकोबार प्रशासन और फैडरेशन के नेताओं के बीच 31-1-79 को समझौता सहमति हो गयी थी। इसके बाद फैडरेशन के नेताओं ने एक और मांग अर्थात "सरकारी काम ठेकेदारों को देने की नीति" पर जोर न देने का निर्णय किया। शेष 7 मांगों में से 3 मांगों पर स्थानीय प्रशासन के स्तर पर समझौता हो चुका है। शेष चार मांगों की अण्डमान और निकोबार प्रशासन/भारत सरकार द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में विस्तृत परीक्षा और विचार किया जा रहा है। हिटरलैण्ड सीमेन्स यूनियन ने कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

जैसप एंड कम्पनी के ट्रक निर्माता एकक में घाटा

6140. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

जैसप इण्डिया कम्पनी के ट्रक निर्माता एकक ने भारी घाटा, उत्पादन से विलम्ब तथा बहुत से टेण्डरों को पूरा न करने की स्थिति पैदा की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आशा माईती) : ट्रैक्टरों की बिक्री से जैसप एण्ड कंपनी लि० को कोई हानि नहीं हुई है। किन्तु देशी साधनों से हिस्से पुर्जों की प्राप्ति में सामने आने वाली समस्याओं, बिजली की कमी और कंपनी की उत्पादन यूनिटों में अभूतपूर्व बाढ़ आ जाने के कारण चालू वित्त वर्ष में उत्पादन में कुछ देरी हुई है। फिर भी इनमें से अधिकतर समस्याओं पर काफी हद तक काबू पा लिया है तथा वितरण आरम्भ हो गया है।

श्रम प्रधान लघु एककों का विकास

6141. **श्री सरत कार :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रम प्रधान लघु औद्योगिक एककों को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्जीवित संबंधित तथा विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1977 के औद्योगिक नीति विवरण का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में विशेष रूप से फैले लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना है इस नीति के अनुसरण में ऐसे श्रम प्रधान एककों का संवर्द्धन करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। लघु ग्राम तथा कुटीर उद्योगों के विकास को संरक्षण प्रदान करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। लघु क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धनराशि दिए जाने के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु आरक्षित की गई वस्तुओं की संख्या में भी समय-समय पर वृद्धि की जा रही है। सरकारी खरीद के संबंध में अधिक खरीद के द्वारा अधिमान देकर विपणन समर्थन देने पर भी विचार किया जा रहा है। एक प्रमुख प्रशासकीय विकेन्द्रीकृत तंत्र के रूप में तथा ग्रामीण औद्योगिक विकास करने की दृष्टि से समस्त देश में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या लगातार बढ़ायी जा रही है ताकि देश भर में इसका विस्तार किया जा सके।

राज्यों के नजरबन्दी अधिनियम

6142. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों के आज तक अपने स्वयं के नजरबन्दी अधिनियम हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक अधिनियम की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) चार।

(ख) विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

कुछ राज्यों में निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करने वाले लागू कानूनों के मुख्य ब्यौरों का विवरण

राज्य का नाम	कानून का शीर्षक	अधिसूचना की तारीख	वे प्रयोजन जिनके लिए नजरबन्दी की जा सकती है	कानून के अधीन नजरबन्दी की अधिकतम अवधि
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश निवारक नजरबंदी अधिनियम, 1970 ।	5-3-1970	राज्य की सुरक्षा/लोक व्यवस्था को बनाये रखने/आवश्यक पूर्तियों तथा सेवाओं को बनाये रखने से संबंधित कारणों के लिए ।	12 महीने
2. राजस्थान	राजस्थान निवारक नजरबन्दी अधिनियम, 1970 ।	11-12-1970	राज्य की सुरक्षा/लोक व्यवस्था को बनाए रखने/आवश्यक पूर्तियों तथा सेवाओं को बनाए रखने से संबंधित कारणों के लिए ।	3 महीने
3. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 ।	1971	राज्य की सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सम्मान के विषयों के प्रति निरादर से सम्बन्धित कारणों के लिए ।	1 वर्ष
4. जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू तथा कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 ।	8-4-1978	(क) राज्य की सुरक्षा/लोक व्यवस्था को बनाए रखने/आवश्यक पूर्तियों तथा सेवाओं को बनाए रखने से सम्बन्धित कारणों के लिए ।	12 महीने
			(ख) किसी विदेशी की लगातार उपस्थिति को नियमित करने अथवा राज्य से उसके निष्कासन की व्यवस्था करने के लिए ।	किसी विदेशी के मामले में नजरबन्दी की अवधि को बढ़ाया जा सकता है यदि राज्य से उसका निष्कासन सम्भव न हुआ हो ।

आपातकाल की ज्यादतियों से सम्बन्ध अधिकारी

6143. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि आपातकालीन ज्यादतिगों में सम्बन्ध होने के लिए शाह आयोग द्वारा उल्लिखित अथवा अभियोग लगाये गये अधिकांश अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1979 में इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली "नो एक्शन येट एगेनस्ट इंडिक्टेड आफिसर्स (अभियोग लगाये गये अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई)" शीर्षक से प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की विस्तृत टिप्पणी क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान समाचार-पत्र में उल्लिखित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ।

यह कहना सही नहीं है कि आपातकालीन ज्यादतियों में सम्बन्ध होने के लिए शाह आयोग की तीन रिपोर्टों में अभियोग लगाये गये अधिकांश अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हरियाणा तथा कर्नाटक में ज्यादतियों के लिए अभियोग लगाये गये अधिकारियों को छोड़कर अभियोग लगाये गये लगभग सभी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये हैं । इन मामलों की जाँच पड़ताल की जा रही है । इन अधिकारियों के विरुद्ध फिलहाल अनुशासनात्मक कार्यवाई स्थगित कर दी गई है ।

कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि जेल में श्री लारस फर्नान्डीज के तथाकथित सताने के लिए पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध औपचारिक रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू की जाएगी । उन्होंने यह निर्णय किया है कि इनकी जांच सतर्कता आयुक्त को सौंपने का निर्णय किया है जो किसी उच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश है ।

हरियाणा सरकार ने, शाह जांच आयोग की सिफारियों पर विचार करने तथा यह सुझाव देने कि उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन पर आरोप लगाये गए हैं, क्या कार्यवाई की जाए, अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है ।

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों द्वारा शराब पिये जाने की रोकथाम

6144. **श्री एस० आर रेड्डी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस कार्मिकों के शराब पीकर ड्यूडी पर पाये जाने के बारे में कोई शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं ।

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस के कार्मिकों द्वारा शराब पिए जाने की रोकथाम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इस बारे में उनके उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए जनता को कोई नई योजना या मार्गदर्शी सिद्धान्त या पुस्तिकायें सप्लाई की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) 1978 तथा 1979 (15-3-1979 तक) के दौरान 8 पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध ऐसी 5 शिकायतें थी। उसी अवधि के दौरान अन्य 20 पुलिस कार्मिक भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नजरों में आये।

(ख) तथा (ग) दिल्ली पुलिस के कार्मिकों में शराब पिए जाने को रोकने के लिए विभिन्न उपाए किए गए हैं। इनमें सम्पर्क सभाओं में पुलिस कार्मिकों को हिदायत देना, थानों/पुलिस लाइनों, इत्यादि से ड्यूटी पर जाते समय कार्मिकों की जांच करना, जनता में या ड्यूटी पर जो कर्मचारी शराब के नशे में पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाई करना तथा विभागीय कार्यवाई करना (प्रथम दृष्टवा साक्ष्य से तुरन्त निलम्बन किया जाता है) तथा सतर्कता शाखा द्वारा आकस्मिक जाँच करना शामिल है। जो अधिकारी/कर्मचारी शराब पीने के आदी हैं, उनके बारे में गुप्त सूचना भी एकत्र की जाती है। इस संबंध में थाना स्तर की समिति के सदस्यों तथा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाता है।

दिल्ली के लिए स्कूटर रिलीज किया जाना

9145. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में दिल्ली के लिए कितने बजाज स्कूटर रिलीज कर रहा है;

(ख) क्या उन्हें दिल्ली के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम 500 बजाज स्कूटर आबंटित करने होते हैं;

(ग) क्या उन्होंने पिछले नौ महीनों में दिल्ली के लिए ऐसा एक भी स्कूटर रिलीज नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि स्वयं कम्पनी स्कूटरों को चोर बाजार में बेच रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली को स्कूटरों की नियमित सप्लाई जारी रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) 1978 में दिल्ली में पब्लिक बुकिंग पर, तिमाही वार, डिलीवर किए गए बजाज-150/बजाज-सुपर स्कूटरों की कुल संख्या के बारे में जानकारी निर्माताओं द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार नीचे दी जाती है :

जनवरी-मार्च, 1978	1,298
अप्रैल-जून, 1978	510
जुलाई-सितम्बर, 1978	321
अक्तूबर-दिसम्बर, 1978	680

(ख) से (ङ) स्कूटरों की बिक्री/वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अतः वितरण बाणिज्यिक मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। सरकार ने किसी स्थान के लिए किसी विशेष ब्रांड के स्कूटर के वितरण के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया है। जहां तक बजाज मेक के स्कूटरों का सबंध है, जुलाई 1978 से फरवरी 1979 की 8 महीनों की अवधि में दिल्ली में पब्लिक बुकिंग पर कुल 1,402 स्कूटर डिलीवर किए गए थे।

कम्पनी द्वारा स्कूटरों की चोर बाजारी किए जाने के बारे के सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। मांग पूरी करने के लिए विभिन्न अन्य निर्माता भी दिल्ली में अपने स्कूटरों की बिक्री करते हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र का उपक्रम-स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड भी शामिल है।

गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

6146. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उन जिलों के क्या नाम हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के उत्पादन के लिए एक योजना आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गुजरात राज्य में 10 जिले अर्थात् अमरेली, बांसकंठा, भावनगर, भड़ोच, जूनागढ़, कूच, मेहसाना, पंचमहल, बावरकंठा तथा सुरेन्द्रनगर रियायती वित्त सुविधा प्राप्त करने हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किए गए हैं।

(ख) और (ग) इन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाते हैं :

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती पुनर्वित योजना।

(2) आयकर में कटौती ?

(2) तकनीकी सेवाओं हेतु परामर्श।

(4) सभी वस्तुयें जिन्हें देश के अन्दर बनाने पर प्रतिबंध लगा है, के बारे में विद्यमान एककों का विस्तार करना तथा नए एककों का पंजीकरण करना।

(5) ब्याज राजसहायता।

(6) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० द्वारा रियायती दर पर मशीनों की सप्लाई करना।

(7) कच्ची सामग्री का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं देना।

इन 10 जिलों में से 3 जिले अर्थात पंचमहल, भड़ौच तथा सुरेन्द्रनगर पूंजी निवेश राजसहायता योजना के लिये भी हकदार हैं।

राज्य सरकार द्वारा इन जिलों के विकास हेतु योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

तमिलनाडु में उद्योगों की स्थापना

6147. **श्री आर. पी. स्वामीनाथन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य, जो कभी औद्योगिक विकास में अन्य राज्यों से आगे था, पड़ौसी राज्यों से पीछे रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) कौन-कौन से राज्य तमिलनाडु राज्य से आगे निकल गये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में तमिलनाडु में कितने उद्योग स्थापित किये गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय निवेश, स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या, तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीयित योजनाओं की संख्या तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के पास पंजीयित लघु एककों की संख्या संबंधी सरकार के पास प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक अथवा केरल के पड़ौसी राज्य औद्योगीकरण के क्षेत्र में तमिलनाडु से आगे बढ़ गए हैं। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैसा कि दिनांक 23.12.77 को संसद पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति विवरण में बताया गया है कि सरकार समूचे देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए अधिक महत्व देगी ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) वर्ष 1676-78 के दौरान तमिलनाडु में एककों की स्थापना के लिए 121 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसी अवधि में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीयित राज्य से संबंधित योजनाओं की संख्या 96 है। इसी अवधि में विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय में पंजीयित लघु औद्योगिक एककों की संख्या 11,500 है।

बिहार के विकास के लिए प्रस्ताव

6148. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सामान्य रूप से बिहार के और विशेष रूप से पूर्णिया जिले के विकास के लिए कोई विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1981 तक बिहार के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) से (ग) अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार के लिए 1978-83 की पंचवर्षीय योजना को राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा। पूर्णिया जिले सहित राज्य के विशेष पिछड़े क्षेत्रों/जिलों के लिए धनराशि आबंटित करना राज्य का काम है। केन्द्रीय मंत्रालय पिछड़े क्षेत्रों/जिलों की विभिन्न श्रेणियों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए आबंटन करके राज्य के प्रयत्नों में सहायता करते हैं।

पूर्णिया जिला लघु कृषक विकास अधिकरण, नियंत्रण क्षेत्र विकास जैसे ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों, छोटे किसानों/मझोले किसानों/खेतिहर मजदूरों के लिए पशुपालन के विशेष कार्यक्रम तथा ग्रामीण दस्तकार कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। लघु कृषक विकास अभिकरण के 15 खंडों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तीव्रण के लिए चुना गया है। यह जिला आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती वित्त प्राप्त करने के लिए भी पात्र है और राज्य की पूंजी आर्थिक सहायता स्कीमों में शामिल है।

पूर्णिया और पालामऊ का औद्योगिक विकास

6149. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया और पालामऊ (औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों) का उद्योगों की स्थापना करके विकास करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो बिहार के इन जिलों के औद्योगिक विकास के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का बिहार के पूर्णिया और पालामऊ जिलों में उद्योगों की स्थापना करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, पूर्णिया जिले में स्थापित औद्योगिक एकक मियादी ऋण देने वाले संस्थानों से रियायती वित्त पाने के पात्र हैं तथा पालामऊ जिले में स्थापित एकक मियादी ऋण देने वाले संस्थानों से रियायती वित्त तथा केन्द्रीय निवेश राजसहायता दोनों प्राप्त करने के पात्र हैं।

बिहार सरकार ने पूर्णिया जिले को अपनी पूंजीगत राजसहायता योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है, जिसके अन्तर्गत नये एककों में पूंजीगत निवेश पर 10% तथा स्थानीय रूप से प्राप्त कच्ची सामग्री पर आधारित एककों के मामले में 15% सीधे अनुदान की स्वीकृति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्णिया जिले के 15 खण्डों तथा पालामऊ जिले के 21 खण्डों को शामिल कर लिया गया है। इन खण्डों (ब्लाकों) की सूची निम्नानुसार है :

जिला	खण्ड ब्लाक	
पूर्णिया	(1) रानीगंज	(9) पूर्णिया
	(2) भरगांव	(10) फोरवेसगंज
	(3) कृत्यानंद नगर	(11) फसना
	(4) बरहरा कोठी	(12) कुरसाकन्ठा
	(5) धरहरा (बनमांजी)	(13) भवानीपुर
	(6) नरपतगंज	(14) रूपावली
	(7) सिकती	(15) अरेरिया।
	(8) धनदाहा	

पालामऊ

(1) बालूमठ
(2) हरिहरगंज
(3) लेसलीगंज
(4) ढुरकी
(5) छत्तरपुर
(6) चन्दबन
(7) पनातू
(8) पाटन
(9) हुसैनाबाद
(10) पंकी
(11) विश्रामपुर
(12) बारदरी (पहियान)
(13) नागसन्तरी
(14) पीकराकलां (बेराल)
(15) डाल्टनगंज
(16) रंका
(17) भवनाथपुर
(18) मनिका
(19) बाभाण्डी (चैनपुर)
(20) बरवाडीह
(21) गढ़वा।

बिहार के जिला उद्योग केन्द्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति

6150. **श्री हलीमुद्दीन ग्रहमद :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो क्या उनमें उचित और पर्याप्त कर्मचारी तथा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या सामान्य रूप से बिहार विशेष रूप से पूर्णिया जिले के सभी केन्द्रों में उचित संवर्ग अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है तथा उससे क्या परिणाम प्राप्त किये गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जिला शामिल कर लिये गये हैं। भारत सरकार ने प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में एक महाप्रबन्धक तथा 7 कार्यकारी प्रबन्धकों की नियुक्ति स्वीकृत कर दी है। किन्तु, राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया कर्मचारी नियुक्त करने का ढांचा प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में/महाप्रबन्धक, 2 से 6 तक कार्यकारी प्रबन्धक तथा 3 सहायक प्रबन्धकों तक भिन्न-भिन्न है। पूर्णिया जिला उद्योग केन्द्र में 1 महा-प्रबन्धक, 2 कार्यकारी प्रबन्धक तथा 2 सहायक प्रबन्धक नियुक्त किये गये हैं। जिला उद्योग केन्द्रों की प्रबन्धक व्यवस्था करने वाले अधिकारियों का चयन राज्य सरकारों के हाथ में होता है। फिर भी, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किये गये कार्य तथा की गई प्रगति की रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। 8 जिला उद्योग केन्द्रों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इन 8 केन्द्रों में 3086 उद्यमियों का पता लगाया गया है तथा 632 परियोजनाओं की रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार की गई है। 2490 नये एकक स्थापित किये गए हैं जिनमें, 1910 कारीगर एकक तथा 780 लघु एकक हैं। 21 ऋण एककों को सहायता दी गई। वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से 108.37 लाख रुपये की राशि की ऋण सुविधा की व्ययस्था की गई है तथा 28 एककों को 0.63 लाख

रुपये तक की राशि को मूल राशि (सीड मनी) प्रदान की गई है। इसके अलावा 321 एककों को 9.03 लाख रुपये की राशि की नकद राजसहायता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप 8491 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिले हैं। 509 एककों के लिये तकनीकी सहायता, प्रबन्धकीय प्रशिक्षण, कच्चे माल का प्रावधान जैसी विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप-पत्र लगाये गये सरकारी अधिकारी

6151. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान श्रेणीवार ऐसे कितने सरकारी अधिकारी हैं जिन पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप-पत्र लगाये गये हैं; और

(ख) उनके नाम क्या हैं और वे किन विभागों से सम्बन्धित हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं। चूंकि मामले अभी न्यायाधीन हैं, इसलिए सम्बन्धित अधिकारियों के नाम प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष 1978 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जिन सरकारी कर्मचारियों पर आरोप-पत्र दायर किए गए।		
		राजपत्रित अधिकारी		अराजपत्रित अधिकारी
		वर्ग		
		क	ख	
1.	कृषि एवं सिंचाई	1	—	1
2.	वाणिज्य, सिविल पूर्ति तथा सहकारिता	2	3	6
3.	संचार	4	1	40
4.	रक्षा	5	3	10
5.	शिक्षा तथा समाज कल्याण	2	1	4
6.	ऊर्जा	1	1	2
7.	विदेश	—	—	1
8.	वित्त	3	6	14
9.	गृह	3	—	3
10.	सूचना तथा प्रसारण	—	4	—
11.	श्रम	1	—	7
12.	योजना	—	1	1
13.	रेल	3	2	56
14.	नौवहन तथा परिवहन	1	1	—

15.	इस्पात तथा खान	—	—	1
16.	पर्यटन तथा नागर	—	—	1
17.	निर्माण तथा आवास	—	—	6
18.	परमाणु-ऊर्जा विभाग	1	—	2
19.	निर्वाचन आयोग	—	1	—
20.	संघ राज्य क्षेत्र	1	2	3
	योग	28	26	158

पेपर बोर्ड की स्थापना

6152. श्री एम. **राम गोपाल रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेपर बोर्ड की स्थापना करने का है और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तंजानिया में कपड़ा संस्थान की स्थापना

6153. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या उद्योग **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तंजानिया को अपने देश में कपड़ा संस्थान की स्थापना करने के लिए सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) तंजानिया में एक कपड़ा संस्थान की स्थापना में भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रही है; किन्तु परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तंजानिया सरकार के विचाराधीन अनेक प्रस्ताव हैं, जिनमें भारतीय फर्मों के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

विभिन्न परियोजनाओं को संयंत्रों की सप्लाई करने के लिए दोषी कंपनियां

6154. **श्री के० एस० वीर भद्रप्पा :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बड़े और मध्यम उद्योगों की सूची बनाने के लिए जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए संयंत्रों और उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए वायदा करती है लेकिन इनकी डिलीवरी में विलम्ब करती है, जिससे सीमेंट और उर्वरक जैसे प्राथमिकता के क्षेत्र की परियोजनाओं को निर्धारित समय पर शुरू करने में बाधा पड़ती है, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न परियोजनाओं को विलम्ब से शुरू कराने के लिए जिम्मेदार दोषी कंपपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां, नाजुक क्षेत्रों में बढ़ती हुई क्षमता की सामयिक समीक्षा पर आधारित तकनीकी विकास के महानिदेशालय के उन एककों की जो निर्धारित समय में डिलीवरी नहीं दे पाते उनकी एक सूची तैयार की जाती है।

(ख) इस प्रकार के चूक करने वाले एककों के बारे में कार्रवाई करना इस पर निर्भर करता है कि क्या ये एकक अपने आप में पूर्णत: उत्तरदायी हैं अथवा विलम्ब औद्योगिक सम्बन्धों, बिजली की कटौती एवं अपरिहार्य निविष्ट संबंधी रुकावटों आदि जैसे कारणों से हुआ है। किसी भी हालत में तकनीकी विकास का महानिदेशालय इस प्रकार के एककों पर कड़ी निगरानी रखता है तथा इस तरह के प्रभावी मानीटरिंग करने से विलम्ब को कम करने में उसका पर्याप्त योगदान है। अभ्युपाय के रूप में कुछ एककों को एक "समस्या सूची" में रखा गया है जिनकी कड़ी मानीटरिंग की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है एककों को सहायता भी प्रदान की जाती है। समस्या सूची से इन एककों को हटाने से पूर्व उनके विगत कार्य को भी देखा जाता है।

कर्नाटक में कागज कारखाना स्थापित करने के बारे में अमरीकी फर्म से करार

6155. **श्री ए० आर० बद्री नारायण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक सरकारी और गैर-सरकारी कारखानों में कागज का कुल कितना उत्पादन है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार की संयुक्त क्षेत्र में स्थित एक कंपनी मैसूर मिल्स लिमिटेड ने अखबारी कागज परियोजना के विस्तार के लिए अमरीकी फर्म से करार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आई० डी० सी० आई० की कम ब्याज दर की ऋण योजना को कागज मिलों पर भी लागू किया जायेगा जिससे आधुनिकीकरण के कारण वे संकटग्रस्त न हो जायें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्ष 1978 में देश में कागज तथा कागज के गत्ते का कुल उत्पादन 10 लाख मी० टन था।

(ख) तथा (ग) मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स ने अपने अखबारी कागज परियोजना के संबंध में मैसर्स कैमिकल बैंक, न्यूयार्क से 3 करोड़ 50 लाख अमरीकी डालर का ऋण लिया है। इस ऋण का उपयोग अखबारी कागज परियोजना के लिए आयात किए जाने वाले उपकरणों का नियोजन करने के साथ-साथ अखबारी कागज संयंत्र के निर्माण कार्य पर आने वाली लागत के कुछ भाग की पूर्ति करने तथा मिल की विद्यमान सुविधाओं को इष्टतम बनाने के लिए किया जाना है। मैसूर पेपर मिल्स ने भी लुगदी उपस्करों का आयात करने के लिए यू० एस० ए० की मैसर्स बेऊर ब्रादर्स कंपनी के साथ एक करार किया है।

(घ) कागज उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये रियायती वित्त व्यवस्था करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है परन्तु इस संबंध में ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

टेप रिकार्डों के निर्माण के लिए आयात

6156. **श्री के० मालन्ना** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग द्वारा गत दो वर्षों के दौरान टेप रिकार्डरों के निर्माण के लिए आयात किये गये कल-पुर्जों, भागों, उप-साधनों के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इसी अवधि में उद्योग को कोई नकद प्रोत्साहन और संपूर्ति (आर० ई० पी०) लाइसेंस दिये गये थे ?

रक्षा मंत्रालय तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) तथा (ख) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में डकैतों द्वारा उत्पात

6157. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1979 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में सेंध लगाने के उपकरण तथा घातक हथियारों से लैस 10 डकैत कालकाजी डाकघर में घुस गये थे और लगभग 2400 रुपये नकद तथा हाथ की घड़ियों का एक पार्सल लेकर चम्पत हो गये थे और 10 सशस्त्र आदमियों ने नरेला क्षेत्र के कुरैनी गांव में एक मकान पर छापा मारा और कार में सवार तीन अज्ञात सशस्त्रधारियों ने हरिनगर में तथा लिबर्टी सिनेमा के समीप दो मदर डेरी डिपुओं के वितरकों को लूट लिया था;

(ख) क्या उपरोक्त घटनाओं की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) दो मामले भा० दं० सं० की धारा 395/397 के अधीन प्र० सू० रि० सं० 308 दिनांक 7-3-79 थाना कालका जी और भा० दं० सं० की धारा 395 के अधीन मामला प्र० सू० रि० सं० 47 दिनांक 7-3-79 थाना नरेला में क्रमश: कालकाजी और नरेला क्षेत्रों में हुई घटनाओं के संबंध में दर्ज किये गए हैं। इन दोनों मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है और अभियुक्त व्यक्तियों और चुराई गई संपत्ति को बरामद करने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। दो मामले भा० दं० सं० की धारा 392/34 के अधीन प्र० सू० रि सं० 138 दिनांक 5-3-1979 थानो जनकपुरी और भा० दं० सं० की धारा 392/342 के अधीन प्र० सू० रि० सं० 144 दिनांक 6-3-1979 थाना ओरिजनल रोड में ने 22-3-1979 को क्रमश: हरिनगर और लिबर्टी सिनेमा के निकट मदर डेरी डिपो में हुई लूटपाट के संबंध में दर्ज किए गए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने छ: कुख्यात लुटेरों/डाकुओं के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उपर्युक्त दोनों स्थानों पर मदर डेरी मिल्क डिपो में किए अपराधों को स्वीकार कर लिया है। उनसे मिल्क बूथों से चुराए गए सिक्के बरामद कर लिये गए हैं। आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

बुनाई मशीनों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

6158. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनाई मशीनों का निर्माण करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं और क्या ये कंप-

नियां सरकारी क्षेत्र में हैं और प्रत्येक वर्ष इनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा बनाई जा रही ऐसी मशीनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बुनाई मशीनों की मांग बहुत अधिक है और ये कंपनियां उन्हें काले बाजार में बेच रही हैं;

(ग) क्या मांग अधिक होने के कारण इन कंपनियों ने गत दो-तीन वर्षों के दौरान उनकी कीमतें दुगनी कर दी हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार इन मशीनों को सरकारी क्षेत्र में बनाने का है अथवा उनकी कीमतों पर नियन्त्रण करने का है और इन मशीनों की लागत तथा बिक्री मूल्य का पता लगाने का है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) मैसर्स सीमैक ग्रुप (इण्डिया) प्रा॰ लि॰, बम्बई; मैसर्स गुप्ता इंजीनियरिंग वर्क्स, बम्बई तथा मैसर्स मेटलवेग प्रा॰ लि॰, चण्डीगढ़ बुनाई मशीनों का निर्माण करते हैं तथा उनके उत्पादन की सूचना देते हैं। 1978 के दौरान उनके द्वारा क्रमशः 14134,780 तथा 110001 बुनाई मशीनों का उत्पादन किया गया था। इन यूनिटों के अतिरिक्त लघु क्षेत्र में भी कुछ एकक हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वे बुनाई मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी एकक गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) तथा (ग) बुनाई मशीनों की मांग बढ़ रही है। पिछले चार वर्षों में सीमैक बुनाई मशीन माडल डी-एक्स-2000 की कीमत धीरे-धीरे दुगुनी हो गई है। मैसर्स सीमैक ग्रुप एक दूसरे मॉडल का भी निर्माण कर रहे हैं, जो इसकी तुलना में सस्ती है। मांग की तुलना में उत्पादन कम होने के कारण लोकप्रिय बुनाई मशीनों की अधिक कीमतें लिये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(घ) सरकारी क्षेत्र में बुनाई मशीनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि तथा कीमतें कम करने के उद्देश्य से मामला प्रमुख निर्माताओं, मैसर्स सीमैक ग्रुप, जिनके उत्पाद मैसर्स सिंगर सिलाई मशीन कंपनी द्वारा बेचे जाते हैं, के साथ उठाया गया है। इन मशीनों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से इन मशीनों का निर्माण करने के लिये अन्य एककों को सहायता प्रदान करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। एक से अधिक एकक द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने से बढ़ती मांग की जायज मूल्यों पर पूर्ति का सुनिश्चित किया जा सकता है।

सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ के जवानों को टाइम स्केल पदोन्नति दिया जाना

6159. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ के जवानों को टाइम स्केल पदोन्नति देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक सर्वेक्षण

6160. **श्री दया राम शाक्य** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक आधार पर विकास करने के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि देश की समग्र अर्थ-व्यवस्था के निष्पादन और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों की वृद्धि को वार्षिक बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में, जो संसद के सम्मुख हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में तथा योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय और वार्षिक योजना दस्तावेजों में बताया जाता है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन भी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, निजी और सरकारी क्षेत्रों में आंतरिक उत्पादन, बचत और पूंजी निर्माण के अनुमान से संबंधित एक वार्षिक श्वेत-पत्र भी प्रकाशित करता है।

वर्ष 1979-80 के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत योजनाएं

6162. **श्री दुर्गा चन्द :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य द्वारा वर्ष 1979-80 के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत योजनाओं का परिव्यय सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य को वर्ष 1979-80 के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय सहित इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों की योजनाओं को स्वीकृत करने के बारे में योजना आयोग में क्या कसौटी अपनाई जाती है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों की योजनाओं में भारी कटौती की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के बारे में इस संबन्ध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजना के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में दिए गए परिव्ययों के स्कीमवार ब्यौरे बहुत बड़े हैं। हरेक राज्य योजना में सैकड़ों अलग-अलग स्कीमें हैं। एक प्रश्न के उत्तर की परिधि में उनके प्रस्तावों के ब्यौरों को उद्धृत करना साध्य नहीं है। इसलिए संलग्न विवरण में राज्यों द्वारा प्रस्तावित कुल योजना परिव्यय बताए गए हैं।

(ख) से (ङ) राज्य योजना परिव्ययों को राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद अन्तिम रूप दिया गया है। योजना आयोग द्वारा यथानुमोदित कुल राज्य योजना परिव्ययों की धनराशि 5655,78 करोड़ रुपये है। क्षेत्रगत परिव्यय राज्यों द्वारा अपने-अपने योजना बजट में

बताए जायेंगे । संसाधन उपलब्धता, राज्यों की आवश्यकताओं और संगठनात्मक तथा कार्यान्वियब क्षमताओं सहित सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 1979-80 के लिए परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	57076
2.	असम	25652
3.	बिहार	59964
4.	गुजरात	46700
5.	हरियाणा	23152
6.	हिमाचल प्रदेश	11098
7.	जम्मू और कश्मीर	16800
8.	कर्नाटक	48613
9.	केरल	37400
10.	मध्य प्रदेश	53535
11.	महाराष्ट्र	86699
12.	मणिपुर	5777
13.	मेघालय	5928
14.	नागालैंड	5650
15.	उड़ीसा	39960
16.	पंजाब	26057
17.	राजस्थान	49105
18.	सिक्किम	2079
19.	तमिलनाडु	36290
20.	त्रिपुरा	5519
21.	उत्तर प्रदेश	126849
22.	पश्चिम बंगाल	53072
	जोड़ :	822975

माचिस उद्योग का अन्तरण

6163. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माचिस उद्योग को कुटीर तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्योग कब तक अन्तरित किया जायेगा;

(घ) इससे कितनी रोजगार क्षमता बनेगी; और

(ङ) माचिस उद्योग में लगे बहुराष्ट्रीय तथा बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्यकारी दल ने, जिसने 2.12.1978 को सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, सिफारिश की है कि सेफ्टी माचिस उद्योग के उत्पादन की अन्य क्षेत्रों के लिए सीमा निर्धारित की जानी चाहिए तथा केवल ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जानी चाहिए ।

(ग) यह कार्य आगामी मांग कार्यक्षमता और ग्रामीण उद्योग क्षेश में प्रगामी विकास क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक प्रावस्थाबद्ध तरीके से हाथ में लिया जाएगा ।

(घ) कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि कुटीर माचिस उद्योग में रोजगार जो वर्ष 1977-78 में 0.24 लाख व्यक्ति हैं उससे बढ़ कर वर्ष 1982-83 में 1.67 लाख व्यक्ति हो जायेगा ।

(ङ) माचिस उद्योग में लगी हुई केवल मैसर्स विमको लिमिटेड ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निर्माण क्षेत्र से जूता उद्योग को लघु एककों के निर्माण क्षेत्र में लाया जाना

6164. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूता उद्योग को पूरी तरह कुटीर और ग्रामीण क्षेत्र में लाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्योग को कब तक अन्तरित किया जायेगा;

(घ) इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है; और;

(ङ) ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जो जूता उद्योग में लगे हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 40 प्रतिशत की गैर निवासी इक्विटी वाली एक कम्पनी मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक कम्पनी मैसर्स कैरोना साहू कम्पनी लिमिटेड जूता उद्योग में लगी हुई हैं ।

आई० ए० एस० अधिकारियों के बच्चों का आई० ए० एस० कैडर में आना

6165. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दस वर्षों में आई० ए० एस० अधिकारियों के पुत्रों और पुत्रियों की आई० ए० एस० कैडर में आने की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस० डी० पाटिल): (क) और (ख) आई० ए० एस० संवर्ग में प्रवेश पाने वाले आई० ए० एस० अधिकारियों के लड़कों और लड़कियों से संबंधित कोई सांख्यकीय सूचना सरकार नहीं रखती। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष ली जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है, चाहे उनको जाति, वंश, व्यवसाय, जन्म स्थान अथवा निवास स्थान कुछ भी क्यों न हो, बशर्ते कि वे आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता आदि के सम्बन्ध में पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। आई० ए० एस० अधिकारियों के जो पुत्र और पुत्रियां पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं वे आयोग द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य नहीं होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन हेतु उन्हें भी वही अवसर प्राप्त हैं जो कि भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं।

शक्ति चालित करघा उद्योग

6166. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने शक्ति चालित करघा उद्योग का व्यापक अध्ययन करने के लिए क्या कार्यवाही की है जैसी कि हाल में प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : भारत सरकार ने विद्युत करघा उद्योग का व्यापक अध्ययन करने के लिए प्राक्कलन समिति की सिफारिश को मान लिया है। विचारार्थ विषय और समिति की संरचना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार में कमी

6167. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर में निरन्तर कमी हुई है और यह 1976-77 में 2.5 प्रतिशत रह गई है जबकि 1972-73 में 4.1 प्रतिशत थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि 1972-73 से 1976-77 के दौरान रोजगार वृद्धि दर उसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर से कम रही;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) 1970-71 से 1977-78 की अवधि का संगठित क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि की दर को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इससे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोतरी में उतार-चढ़ाव रहा। यह 1971-72 में लगभग 3.4 प्रतिशत था, 1972-73 में लगभग 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1973-74 में 24 प्रतिशत की कमी आई। 1977-78 के अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष रोजगार में वृद्धि

की दर फिर बढ़ कर 3.4 प्रतिशत हो गई। संगठित क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय उत्पादन औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार में प्रतिवर्ष के उतार-चढ़ाव में कोई निकट सम्बन्ध नहीं है।

विवरण

कुल राष्ट्रीय उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार की तुलनात्मक विकास दर

वर्ष	1970-71 के मूल्यों पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन	(प्रतिशत) 1970=100 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन	संगठित क्षेत्र में रोजगार
1971-72	4.6	4.8	3.4
1972-73	1.1	4.0	4.1
1973-74	5.0	2.2	2.4
1974-75	0.8	2.6	2.0
1975-76	8.9	6.0	2.7
1976-77	1.6	9.5	2.7
1977-78	7.2	3.9	3.4

टिप्पणी : अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में जबकि 25 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी संस्थान व निजी क्षेत्र के गैर-कृषि संस्थान नियोजन केन्द्र (रिक्त स्थानों की आवश्यक अधिसूचना) अधिनियम 1959 के उपबन्धों के अधीन आते हैं लेकिन 10-24 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के गैर-कृषि संस्थान स्वैच्छिक आधार पर इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

स्रोत : वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 1978-79.

एटलस साइकिल इंडस्ट्री की क्षमता का विस्तार

6158. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज एशिया में साइकिल बनाने वाला सबसे बड़ा कारखाना है तथा उसने विस्तार और विविधीकरण की योजना तैयार की थी; यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है;

(ख) उपर्युक्त मामले में दिये गये औद्योगिक लाइसेंस का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसकी साइकिल उत्पादन की वर्तमान वार्षिक क्षमता कितनी है तथा प्रतिवर्ष कितनी साइकिलों का निर्यात किया जाता है तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) मैसर्स दि एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोनीपत, जो देश में साइकिल के प्रमुख उत्पादकों में से

एक है, के पास प्रतिवर्ष 7 लाख तैयार साइकिल बनाने का औद्योगिक लाइसेंस है। प्रतिवर्ष 3 लाख तैयार साइकिलें बनाने हेतु पर्याप्त विस्तार के लिए 1978 में उन्हें एक आशय-पत्र भी स्वीकृत किया गया है।

(ग) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

(1) संगठित क्षेत्र में तैयार साइकिलें बनाने के लिए विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता : 38.07 लाख प्रतिवर्ष

(2) साइकिलों का निर्यात :

वर्ष	संख्या (लाखों में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (लाख रु० में)
1973-74	1.80	169.92
1974-75	1.75	376.57
1975-76	2.34	618.00
1976-77	2.70	624.00

खादी ग्रामोद्योग द्वारा रोजगार की व्यवस्था

6169. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग द्वारा जनवरी, 1979 तक कुल कितना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया तथा छठी योजना के पहले वर्ष के दौरान खादी ग्रामोद्योग के लिये बजट में क्या व्यवस्था की गई; और

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान खादी ग्रामोद्योग का कुल उत्पादन कितना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अभी यद्यपि क्षेत्रीय अभिकरणों से संक्षिप्त आंकड़े प्राप्त होने हैं, फिर भी, यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी, 1979 तक खादी में 10.41 लाख व्यक्तियों तथा ग्रामीण उद्योगों में 16.23 लाख व्यक्तियों को कुल रोजगार प्रदान किया गया था।

खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के बारे में वर्ष 1978-79 के बारे में वर्ष 1978-79 के बजट प्रावधानों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

शीर्ष				आँकड़े लाख रु० में
खादी अनुदान	—	—	—	1100.00
ग्रामोद्योग अनुदान	—	—	—	500.00
खादी ऋण	—	—	—	2775.00
ग्रामोद्योग ऋण	—	—	—	1225.00
ऋण पर ब्याज के लिए राजसहायता	—	—	—	1000.00

एस० एण्ड टी०	—	—	—	73.25
गैर योजना	—	—	—	
प्रशासकी व्यय	—	—	—	491.00
पिछले ऋणों का नवीकरण	—	—	—	845.20
भवन निर्माण संबंधी अग्रिम राशि	—	—	—	10.00

(ख) कुल उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	**खादी**	**ग्रामोद्योग**
	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
1977-78	64.89	192.54
1978-79 (अनुमानित)	76.60	213.36

सूती कपड़ों पर "मिल पर कीमत" की मोहर

6170. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी सूती कपड़ों पर "मिल पर मूल्यों" की मोहर लगाने के किसी वैज्ञानिक फार्मूला के बिना कपड़ों पर केवल "मिल पर मूल्य" और शुल्क की मोहर क्यों लगाई जाती है ;

(ख) सरकार को इस बात का पता है कि कुछ उद्योगपतियों द्वारा "मिल पर मूल्यों" की मोहर मनमाने आधार पर लगा दी गई है;

(ग) सूती कपड़े पर उपभोक्ता मूल्य की मोहर क्यों नहीं लगाई जाती;

(घ) मोहर लगाने की वर्तमान नीति के विरोध में सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार जनता को काफी समय से यह आश्वासन देती रही है कि उचित अध्ययन करके इस मामले की जांच की जायेगी; और

(च) यदि हां, तो अब तक इस बात पर कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (च) इस समय प्रचलित मूल्य छापने की योजना में कपड़े के प्रत्येक मीटर पर कारखाने से निकलते समय का मूल्य तथा उत्पादन शुल्क छापने की परिकल्पना की गई है। यह योजना कपड़े के हर मीटर पर अनिवार्य रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य छापने की योजना के स्थान पर चालू की गई थी। चूंकि अनेक मिलें अनावश्यक रूप से अधिक मूल्य छाप रही थीं तथा जनता ने देश में किसी प्रकार की बिक्री के समय अधिकतम खुदरा मूल्य को निर्धारित खुदरा मूल्य के समान ही मानना शुरू कर दिया था, अत: पहली योजना असंतोषजनक पायी गई थी। वर्तमान योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता कारखाने से निकलते समय के मूल्य तथा उत्पादन शुल्क प्रभार की जानकारी के आधार पर अपनी मोल-भाव करने की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कारखाने से निकलते समय के मूल्य तथा बीजक मूल्य की विविधता को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए असंगत नहीं ठहराया जा सकता

है कि पूर्व विक्रय संविदाओं के आधार पर सभी वस्तुओं का होना आवश्यक नहीं हैं। उलझनों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में प्रचलित योजना विकल्पों की अपेक्षा उपभोक्ता को अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकेगी।

बसवाड़ा दुर्गापुर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए योजना में धनराशि नियत किया जाना

6171. **श्री हीरा भाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसवाड़ा-दुर्गापुर आदिवासी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये केन्द्र की छठी पंचवर्षीय योजना में धनराशि नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि नियत की गई है और यह किन मदों पर खर्च की जायेगी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में एक ब्योरेवार विवरण सभा पटल पर रखा जायगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) से (ग) : राजस्थान में जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए एक उप-योजना कार्यान्वित की जा रही है। बसवाड़ा-दुर्गापुर जनजातीय क्षेत्र इस उप-योजना में शामिल है। इस उप-योजना क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य योजना में क्षेत्रगत परिव्ययों से की जाती है तथा केन्द्रीय कार्यक्रम और विशेष केन्द्रीय सहायता इस प्रयत्न में अनुपूरक सहायता प्रदान करते हैं। 1978-83 के लिए राजस्थान की पंचवर्षीय योजना को राज्य सरकार के परामर्श से अभी अंतिम रूप दिया जाना है। योजना में जनजातीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय परिव्ययों का आवंटन तय किया जा रहा है।

नमक उपकर बोर्ड का गठन

6172. **प्रो. पी. जी. मावलंकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नमक उपकर बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार और उसके निर्देश पद क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) नमक उपकर आय की उद्देश्यपूर्ण तथा वैकल्पिक उपयोगिता का सुनिश्चय करने के लिए गुजरात सरकार ने नमक उपकर बोर्ड का गठन करने के लिए समय-समय पर उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को जून 1978 में पुनः दुहराया। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि नमक उद्योग के लिए उच्च स्तरीय संवीक्षा समिति नियुक्त की जाएगी, जो अन्य कार्यों के साथ-साथ नमक उपकर को एकत्र

करने तथा उसकी उपयोगिता से संबंधित मामलों पर विचार करेगी। उच्च स्तरीय नमक जांच समिति नवम्बर, 1978 में नियुक्त की गई है और संभावना है कि वह छ: महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी।

परमाणु बिजली घर स्थापित करने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

6173. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परमाणु बिजली घर स्थापित करने के लिए स्थान नियत करने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर अब विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर योजना और विशिष्ट स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) परमाणु ऊर्जा आयोग स्थल चयन समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहा है।

(ख), (ग) और (घ) 1978-83 के वर्षों की पंच वर्षीय योजना के लिए विद्युत उत्पादन संबंधी कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते योजना आयोग द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के अधीन गठित कार्यकारी वर्ग भी देश में एक नया परमाणु बिजलीघर लगाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। उसके बाद यह मामला सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

नमक जांच समिति के निष्कर्ष

6174. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में हिन्दुस्तान साल्ट वर्क्स खाराघाट को अधिकार में लेने के बारे में नमक जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एकक को अधिकार में लेने के बारे में गुजरात राज्य सरकार को सहायता देने के लिए कार्यवाही कर रही है; यदि हां, तो कैसे और कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) नमक उद्योग की समस्याओं की संमीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई नमक जांच समिति ने सरकार को अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

'ट्राइबल पावर' शीर्षक से प्रकाशित लेख

6175. **डा० रामजी सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनाक 26 फरवरी, 1979 के 'इण्डिया टुडे' में 'ट्राइबल पावर' शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की आशंका है कि कुछ निहित स्वार्थ के लोग संवेदनशील संथालों और आदिवासियों में विद्रोह की भावना भड़काने में सक्रिय हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार ने इस लेख को देखा है।

(ख) जैसा कि इस सदन में पहले ही कहा जा चुका है, सरकार के विचार में यह समय किसी राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए अनुकूल नहीं है।

(ग) सरकार नहीं समझती कि ऐसी किसी आशंका को मानने का कोई कारण है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आपातस्थिति के दौरान बिहार में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलवादी

6176. **डा० रामजी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातस्थिति के दौरान बिहार में पुलिस के साथ मुठभेड़ों में कितने नक्सलवादी मारे गए थे;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति आदिवासी तथा अनुसूचित जातियों के थे;

(ग) क्या इस आशय की कोई रपट दर्ज कराई गई है कि नक्सलवादियों के नाम में अनुसूचित जातियों के कुछ निर्दोष व्यक्ति भी मारे गए थे; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या तत्सम्बन्धी ब्योरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 39।

(ख) (I) अनुसूचित जातियां—24
(II) आदिवासी —शून्य

(ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को लाइसेंस

6177. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या उत्तर प्रदेश में वर्ष 1979-80 के दौरान उद्योगों को लाइसेंस जारी करने के मामले में बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार लघु औद्योगिक उपक्रमों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधि-

नियम, 1951 के लाइसेंस उपबन्धों से छूट दी गई है अतः ऐसे उपक्रमों को लाइसेंस जारी करने के बारे में प्राथमिकता दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को नौकरी दिया जाना

6179. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के दौरान ऐसे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों/आश्रितों को, जो सेवा काल में मर जाते हैं, मानवीयता के आधार पर नौकरी दी गई है और की गई कुल नियुक्तियों में कितने प्रतिशत नियुक्तियां मानवीयता के आधार पर की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने मानवीयता के आधार पर नौकरियां दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिशतता निर्धारित की है और यदि हां, तो कितनी ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट सम्बन्धी को जो अपने परिवार को दरिद्रता की हालत में छोड़कर कार्य करते हुए मर जाता है, अनुकम्पा के आधार पर समूह 'ग' तथा 'घ' ग्रेडों में नियुक्ति के लिए, भर्ती की पद्धति तथा आयु आदि में ढील दिये जाने की व्यवस्था की है। चूंकि ऐसी नियुक्तियां किए जाने के लिए विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं, इसलिये यह विभाग ऐसी सूचना मानीटर नहीं करता।

(ख) केवल थोड़े से ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां विशिष्ट रूप से ऐसी व्यवस्था हो गई हो, इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए कोई प्रतिशतता निश्चित नहीं है। किन्तु, ऐसी नियुक्तियां उन नियुक्तियों के साथ मिलकर, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए किये गये आरक्षणों पर की जाती हैं, किसी भी कलेन्डर वर्ष से कुल रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

लघु उद्योग निगम में स्कूटरों का उत्पादन

6180. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग निगम, गुजरात द्वारा स्थापित कारखाने में थोड़े से स्कूटरों का उत्पादन हुआ है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कारखाने को लाइसेंस जारी करते समय क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(घ) क्या इसके लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अनुदेश दिए गए है या दिये जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां।

(ख) कम उत्पादन के लिये बताए गए मुख्य कारण इस प्रकार हैं : अन्तिम उपयोक्ता द्वारा उत्पाद को खरीदने में कम रुचि रखना जिसके परिणामस्वरूप मांग कम हुई और उत्पादन में कठिनाइयां आई, विशेष रूप से कुछ हिस्से पुर्जों और बाडी पेनलों की सप्लाई में।

(ग) तथा (घ) परियोजना को 24,000 स्कूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है, प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम 1,200 स्कूटरों से प्रारम्भ होना है। यह राज्य क्षेत्र की परियोजना है। केन्द्रीय सरकार ने कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिये हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, स्कूटर्स इन्डिया लिमिटेड, बाडी पेनलों की सप्लाई करके सहायता दे रहा है और उत्पादन स्तरों को बनाए रखने के लिए यह सहायता जारी रखी जा रही है।

स्वाधीनता सेनानियों का परिचय (हू इज हू)

6181. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों का परिचय (हू इज़ हू) तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1978-79 में आबंटित निधि का उपयोग

6182. **श्री ए० के० राय** : क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि विज्ञान विभाग में वर्ष 1978-79 में आबंटित पूरी निधि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) वर्ष 1977-78 और 1976-77 में स्थिति क्या थी और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा अपनाई गई सरकार गलत नीति के कारण ऐसा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (सी० एस० आई० आर० सहित) की 1976-77, 1977-78, 1978-79 वर्षों के लिए अपेक्षित जानकारी दी गई है। विवरण से यह देखा जा सकता है कि सरकार ने इस विभाग के लिए विगत दो वर्षों की अपेक्षा 1978-79 के दौरान अधिक निधियों का आबंटन किया है और विगत दो वर्षों की तुलना में 1978-79 में पूर्वानुमानित व्यय भी अधिक होगा। 1978-79 में बजट प्रावधान के उपयोगीकरण में कमी सरकार की किसी गलत नीति के कारण नहीं अपितु वितरण में इंगित विशिष्ट प्रशासनिक कारणों से हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग और अन्तरिक्ष विभाग से भी इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और इस सूचना के प्राप्त होने के उपरान्त इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (सी. एस. आई. आर. सहित) के लिए 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के वित्तीय वर्षों के दौरान बजट प्रावधान और उपयोग में लाई गई निधियां/उपयोग में लाई जाने वाली निधियों का पूर्वानुमान ।

(योजनागत और योजनेतर दोनों)

(करोड़ रुपयों में)

बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत के मुख्य कारण
1976-77 वर्ष के लिए :			
78.93	76.97	1.96	1. एन॰ एम॰ एल॰, जमशेदपुर की मैग्नेशियम परियोजना को चलाए जाने पर कम व्यय का होना ।
			2. सी॰ एफ॰ आर॰ आई॰ धनबाद में प्रायोगिक संयंत्र का एक नियमित यूनिट में परिवर्तन ।
			3. कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उपकरणों का प्राप्त न होना ।
			4. एक सार्वजनिक क्षेत्र के एकक (उद्यम), एन॰ आर॰ डी॰ सी॰ द्वारा शेयर पूंजी और ऋण की कम आवश्यकता होना ।
			5. संविदाओं को अन्तिम रूप प्रदान किए जाने में हुई देरी के कारण सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ में आवश्यक भवनों के निर्माण पर कम व्यय का होना ।
1977-78 वर्ष के लिए:			
90.83	86.57	4.26	1. सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि ।
			2. सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ प्रयोगशालाओं द्वारा गत वर्ष के अनुदानों के अधिशेषों का आगामी वर्ष में उपयोग करना ।
			3. सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ की उन नवीन योजनाओं (प्रयोगशालाओं/अनुसन्धान

				संस्थाओं) का ठोस रूप धारण न कर पाना, जिनके लिये सांकेतिक प्रावधान किया गया था ।
			4.	नवीन अनुसंधान योजनाओं की कम संख्या में स्वीकृति और सामान्य अनुसंधान निधि के अन्तर्गत चल रही योजनाओं के लिए निधियों की कम आवश्यकता ।
			5.	सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं में उपकरणों का प्रतिस्थापन प्रदान न किया जाना ।
			6.	व्यय को कम करने के लिये किफायत अभियान का लागू किया जाना ।
1978-79 वर्ष के लिए :				
100.32	91·85* *(संशोधित अनुमानों के अनुसार)	8.473	1.	महासागर विज्ञान अनुसंधान जलयान के लिए 6 करोड़ रुपये की पहली किस्त का भुगतान न किया जाना, क्योंकि योजना को अभी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना है । अनुसंधान जलयान के एफ० आर० जी० (संघीय जर्मन गणराज्य) से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है और इस मामले को विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरना था, जिनमें अंत: मंत्रालयीय समिति, ओस्टा बोर्ड, पी० आई० बी० और सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना भी शामिल है । पी० आई० बी० ने इस परियोजना को फरवरी, 1979 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी और इस मामले पर सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा है ।
			2.	एन० आर० एस० ए० के लिए संघीय जर्मन गणराज्य (एफ० आर० जी०) तकनीकी सहायता से प्राप्त उपकरणों के कम मूल्य और उन उपकरणों पर दिए गए सीमा शुल्क में कमी द्वारा बचतें ।

3. निस्सात योजना के क्षेत्रक/क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए निधियों की कम आवश्यकता ।

4. सी० एस० आई० आर० की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि ।

5. सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं द्वारा विगत वर्ष के अनुदानों के अधिशेष का आगामी वर्ष में उपयोग ।

6. संविदाओं को अंतिम रूप प्रदान किये जाने में हुई देरी के कारण सी. एस. आई. आर. के आवासीय भवनों के निर्माण पर कम व्यय का होना ।

7. सी. एस. आई. आर. (प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं) की नवीन योजनाओं का ठोस रूप धारण न कर पाना, जिनके लिये सांकेतिक प्रावधान किया गया था ।

8. एन. एम. एल. जमशेदपुर के प्रायोगिक संयंत्र का नियमित एकक के रूप में परिवर्तन ।

संघ लोक सेवा आयोग में 'कम्प्यूटर वायर'

6183. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री बलपत सिंह परस्ते : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग को वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु आयोग में एक करोड़ रुपए के मूल्य का कम्प्यूटर वायर लगाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया और आवश्यकताओं के बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कम्प्यूटर खरीद कर लगाने के लिए 22.96 लाख रुपए के कुल व्यय की स्वीकृति दी गई थी । अब कम्प्यूटर लगा दिया गया है । समय-समय पर, परिधीय उपस्करों की खरीद पर कुछ और व्यय होता रहेगा ।

(ख) कम्प्यूटर, फिलहाल, निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है :

(i) आवेदन पत्रों की संवीक्षा और वर्गीकरण तथा सम्पूर्ण देश के विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षाओं के आयोजन हेतु व्यवस्था करने के लिए सूचना उपलब्ध करना;

(ii) प्रवेश-प्रमाण पत्रों की छपाई;

(iii) प्रत्येक परीक्षा-स्थल को क्षमता के अनुसार उम्मीदवारों के लिए स्थानों का आवंटन;

(iv) अंतिम परीक्षा फल की तैयारी के लिए परीक्षोत्तर कार्य की सुविधा; और

(v) चयन द्वारा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शार्ट लिस्टिंग के लिए सूचना ।

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के भंडारण तथा सुधार के लिए कम्प्यूटर को निकट भविष्य में उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है ।

संघ लोक सेवा आयोग को कम्प्यूटर उपस्कर लगाने को जो भी उपयोगिताएं हैं और होंगी, उनके अलावा कम्प्यूटर की सुविधाएं कर्मचारी चयन आयोग जैसे अन्य निकायों को भी उपलब्ध कराई गई हैं ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दिल्ली में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण

6184. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कब्जे में विभिन्न स्थानों के लिए कितना वार्षिक किराया दिया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण हेतु कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये और उनमें से कितनों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के नियम क्या हैं;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों/आवेदकों को कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो अक्तूबर, 1978 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये;

(च) क्या आवेदकों को प्रशिक्षण के लिए अवसर अथवा मौका दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री धनिक लाल मण्डल**) : (क) 10,18,842 रुपये ।

(ख) से (छ) तक : टिप्पणी संलग्न है।

बजाज स्कूटर का रिलीज किया जाना

6185. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** :
श्री के० लकप्पा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड ने दिल्ली में की गई बुकिंग के लिए आबंटन संख्या 58583 से आगे कोई बजाज स्कूटर रिलीज नहीं किया है;

(ख) स्कूटरों की नियमित सप्लाई कब से बन्द कर दी गई है;

(ग) सप्लाई को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) स्कूटरों के वितरण तथा बिक्री पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अत: वितरण वाणिज्यिक मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा किसी स्थान के लिए एक विशेष ब्रांड के स्कूटर के वितरण हेतु कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। जहां तक बजाज मेक के स्कूटरों का संबंध है, निर्माताओं ने बताया है कि जुलाई, 1978 से फरवरी, 1979 की 8 महीनों की अवधि में पब्लिक बुकिंग पर दिल्ली में कुल 1,402 स्कूटर डिलीवर किए गए थे। मांग पूरी करने के लिए विभिन्न अन्य निर्माता भी दिल्ली में अपने स्कूटरों की बिक्री कर रहे हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड भी शामिल है।

मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में दो डीलरों ने 1.3.1979 तक बुकिंग संख्या 59567 और 12,222 पर स्कूटर डिलीवर किए हैं।

आर. बी. एच. एम. के श्रमिकों के अधिकारों पर अधिस्थगत

6186 : **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक वर्ष के लिए आर. बी. एच. एम. के श्रमिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर अधिस्थगन का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1651 के अन्तर्गत आर० बी० एच० एम० जूट मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में सिये जाने के बाद तथा इस मिल को पिछली देनदारियों से मुक्त करके उसका फिर से भली प्रकार चलाने के लिए सरकार ने अधिनियम की धारा 18 च, ख (1) (ख) के अन्तर्गत 28 दिसम्बर, 1978 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें मिल के अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले के अधिकारी और दायित्वों को एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रखा गया था।

अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के बाद न्यूनतम मंजूरी अधिनियम 1948 तथा औद्योनिक रोजगार (स्थायी आदेश) 1946 के अन्तर्गत कर्मचारियों के विशेषाधिकारों तथा अधिकारों पर इस प्रकार का कोई भी अधिस्थगन नहीं है।

चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागा विद्रोहियों के साथ शान्ति वार्ता

6187. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री निहार लास्कर : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में प्रशिक्षण प्राप्त छिपे नागाओं और 1975 के शिलांग शान्ति समझौते के समर्थकों के बीच शान्ति वार्ता को फलदायी परिणति के बारे में कोहिमा में एक आशा की किरण फैली हुई है;

(ख) क्या नागा विद्रोहियों ने शान्ति समझौते को स्वीकार कर लिया है और उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) सरकार को इसके अतिरिक्त कि नागालैंड पीस काउंसिल के कुछ प्रतिनिधियों की सहायता से भूतपूर्व भूमिगत नेता, चीन से लौटे गिरोह (सी० आर० जी०) से जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर वर्मा की ओर ठहरा हुआ है, शिलांग समझौते को स्वीकार करवाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सी० आर० जी० द्वारा उसे स्वीकार करने की कोई सूचना नहीं है। वार्ता जारी है।

वैगनों का उत्पादन

6188. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में वर्षवार एककवार वैगनों के उत्पादनों का ब्यौरा क्या है; और कितने प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया गया;

(ख) छठी योजना में वर्षवार वैगनों की मांग को पूरी करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इसकी एककवार मांग और प्रस्तावित सप्लाई कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार रेलवे और विदेशों से, इन एककों को एककवार प्राप्त हुये तथा इनके द्वारा सप्लाई किये गये क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे और विदेशों से प्राप्त हुए कितने क्रयादेश अब तक इन एककों में एककवार लम्बित पड़े हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) पिछले तीन वर्षों में रेलों तथा निर्यात के लिए वैगनों के उत्पादन का ब्यौरा, प्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत सहित अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

(ख) योजना आयोग ने अब तक छठी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापना के रूप मे अस्थायी तौर से 73,000 वैगनों की खरीद (चार पहिये वाली एककों के रूप में) की स्वीकृति दी है। इस समय अनुबन्ध-11 में दिये गए विवरण के अनुसार 9 वैगन निर्माता रेल वैगनों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रेल मन्त्रालय ने रेल वर्कशापों में लगभग 1500 वैगन प्रतिवर्ष की निर्माण क्षमता निर्धारित की है। उपरोक्त क्षमता के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों की वैगन आवश्यकताओं को पूरा करने में वैगन उद्योग समर्थ हो सकेगा।

(ग) रेलों तथा विदेशों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक द्वारा प्राप्त क्रयादेश तथा उनके संभरण का ब्यौरा बताने वाला विवरण अनुबंध III में दिया गया है।

(घ) रेलों तथा विदेशों को निर्यात करने के लिए बकाया क्रयादेशों का ब्यौरा अनुबन्ध-4 में दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एन० टी० 4252/79)

त्रिपुरा श्रौर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में लघु सीमेंट संयत्र की स्थापना

6189. **श्री शचीन्द्र लाल सिंघा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा श्रौर श्रन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए श्रद्यतन की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; श्रौर

(ख) इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोटे सीमेंट संयत्र स्थापित करने के लिए की गई कार्यवाही :

श्ररुणाचल प्रदेश : लोहित जिले में टाइडिंग में चूने के निक्षेप हैं। किन्तु वर्षा ऋतु में काफी श्रवधि के लिए इस स्थान पर पहुंचना काफी कठिन हो जाता है। श्रत: इस क्षेत्र को छोटा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है।

श्रसम : सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट श्राफ इण्डिया, मैसर्स श्रसम हिल्स स्माल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा गर्म पानी में 100 मी० टन की प्रतिदिन क्षमता वाला छोटा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक सविवरण परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सीमेंट कारपोरेशन श्राफ इण्डिया भी उसी क्षेत्र में 200 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाला छोटा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये भी जांच कर रहा है।

मणिपुर : राज्य सरकार ने मणिपुर के पूर्वी जिले में 50 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाला छोटा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तकनीकी श्रधिकारी की सेवाएं उधार देने के बारे में उनके श्रनुरोध पर इस समय सीमेंट कारपोरेशन श्राफ इडिण्या द्वारा विचार किया जा रहा है।

मेघालय : राज्य सरकार, गारों हिल्स में तथा दूसरा जयनिया हिल्स में, दो छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रस्तावों की जाँच कर रही है।

नागालैंड : वाजेह में 50 मी० टन की प्रतिदिन की क्षमता वाला छोटा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट श्राफ इण्डिया एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

सिक्किम : राज्य सरकार ने राज्य में छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यताश्रों की जाँच करने का कार्य प्राइवेट परामर्शदाता फर्म को सौंप दिया है। सिक्किम के रिसी जिले में 60,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाला छोटा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये एक निजी उद्यमी का श्रावेदन पत्र तकनीकी विकास के महानिदेशालय में विचाराधीन है।

त्रिपुरा : जियालाजीकल सर्वे श्राफ इण्डिया द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि इस राज्य में उपलब्ध सीमेंट ग्रेड के चूने के पत्थर की मात्रा छोटा सीमेंट संयंत्र चालू रखने के लिये भी पर्याप्त नहीं है। चूने के पत्थर की किस्म के बारे में बताया गया है कि वह सीमेंट बनाने के लिए उचित नहीं है।

"बी० एच० ई० एल्स डेंजरस ट्रक विद सीमेन" नामक पुस्तक

6190. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान श्री पी० राममूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक "बी. एच. ई. एल्स डेंजरस ट्रक विद सीमेन (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की सीमेन के साथ खतरनाक साजिश)" की ओर दिलाया गया है; और

(ख) उस पर हुई प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां।

(ख) उपरोक्त पुस्तक में बी० एच० ई० एल० के सीमेंस के साथ प्रस्तावित करार के साथ-साथ अन्य मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया गया है। यद्यपि इन मामलों पर विचार करते समय सरकार इन मुद्दों को ध्यान में रख रही है तथापि विभिन्न मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस अवस्था में सरकार के पास प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कोई विवरण नहीं है।

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में यूरेनियम का पाया जाना

6191. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में हाई ग्रेड का यूरेनियम पाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वहां पर अनुमानतः कितनी मात्रा में यूरेनियम अयस्क मिलेगा ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के कुछ स्थानों पर यूरेनियम की विद्यमानता के द्योतक संकेत मिले हैं। इस क्षेत्र से मिल सकने वाले यूरेनियम की मात्रा का पता लगाने के लिए विस्तृत कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें भू-छिद्र वेधन और भूमिगत विकास द्वारा अवस्तलीय जांच करने का काम भी शामिल है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण योजनाओं पर किया गया व्यय

6192. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में (एक) अनुसूचित जातियों (दो) अनुसूचित जनजातियों, (तीन) पिछड़ी जातियों की तीन श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के लोगों के लिये कल्याण योजनाओं पर गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक श्रेणी के लोगों के लिये उपलब्ध हुये परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त किन्हीं पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट नहीं किया है। किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को मान्यता दी है। राज्य योजनाओं के संदर्भ में राज्य सरकारों

द्वारा योजना आयोग को भेजी गई सूचना के अनुसार 1976-77 तथा 1977-78 में प्रत्येक राज्य तथा संघशासित क्षेत्र में इन तीन श्रेणियों के बारे में किये गये व्यय तथा प्राप्त किये गये वास्तविक लक्ष्यों का एक विवरण तैयार किया गया है (अनूलग्नक) राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों से वर्ष 1978-79 के दौरान श्रेणीवार व्यय तथा प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4253/79)

औद्योगिक विकास के लिए अनुदानों का उपयोग

6193. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास गतिविधियों के नियत अनुदान में से पृथक-पृथक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और चालू योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास संबंधी गतिविधियों के लिए पृथक-पृथक अनुदान नियत नहीं किया जाता है। विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आबंटन किये जाते हैं जिसमें दोनों क्षेत्र आ जाते हैं।

किन्तु यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जा सकता है कि सरकार की वर्तमान नीति महानगरों तथा शहरी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की स्थापना को निरुत्साहित करने तथा विकेन्द्रीकृत आधार पर कुटीर और ग्रामोद्योगों की स्थापना करने को बढ़ावा देने की है।

राज्यों द्वारा हिन्दी में पत्र व्यवहार

6194. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो केन्द्र सरकार के साथ अपने पत्र व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करते हैं तथा जिन्होंने हिन्दी भाषी राज्यों के साथ भी ऐसा ही करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) सरकारी पत्र व्यवहार के लिये हिन्दी का प्रयोग करने के निर्णय को क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) हिन्दी भाषी राज्यों के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार करना स्वीकार किया है। जहां तक हिन्दी भाषी राज्यों का संबंध है, इस संबंध में प्रगति संतोषजनक है। परन्तु उक्त तीन अहिन्दी भाषी राज्यों से अधिकांश पत्र अंग्रेजी में ही प्राप्त हो रहे हैं।

अपोलो टायर्स कंपनी का जनरल टायर इंटरनेशनल कंपनी के साथ करार

6195. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपोलो टायर्स ने कुछ समय पहले जनरल टायर इन्टरनेशनल कंपनी के साथ करार किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनरल टायर इन्टरनेशनल कंपनी ने करार की शर्तों का कहां तक पालन किया है; और

(ग) इसके उत्पादन में अपोलो टायर्स की क्या स्थिति है और इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इसकी कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड ने 27 मार्च, 1973 को जनरल टायर इन्टरनेशनल कम्पनी, यू० एस० ए० के साथ तकनीकी जानकारी के संभरण तथा संचालनात्मक सुविधाओं के लिए इंजीनियरी तथा डाक्यूमेंटेशन हेतु विक्रय करार तथा तकनीकी सेवाओं के लिए करार से संबंधित दो करार किये थे। मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि जनरल टायर इन्टरनेशनल कम्पनी ने तकनीकी जानकारी के संभरण, संचालनात्मक सुविधाओं के हेतु इन्जीनियरी तथा डाक्यूमेंटेशन से संबंधित करार की शर्तें पूरी कर ली हैं। तकनीकी सेवाओं के लिए किया गया करार निरन्तर तकनीकी सेवा प्रदान करते रहने के लिये है।

(ग) मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड ने मार्च, 1977 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। इनके संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता का अनुमान लगभग 4 लाख टायर प्रतिवर्ष लगाया गया है। फरवरी तथा मार्च, 1979 (26 मार्च तक) इसका क्षमता उपयोग क्रमशः लगभग 40 प्रतिशत तथा 47% था।

पुर्जों के आयात का देश के घड़ी उद्योग पर प्रभाव

6196. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कई कल-पुर्जों तथा पूरी घड़ियों के आयात करने की सरकार की नीति के फलस्वरूप लघु क्षेत्र में अत्यन्त श्रमिक प्रधान देश के अपने उद्योग के संवर्धन तथा विस्तार पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की सहायता के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में देश में घड़ी-निर्माता कुल कितने एकक थे, वे कुल कितनी घड़ियां बनाते थे; कितने लोगों को रोजगार दिया और उनके द्वारा निर्मित घड़ियों की तुलनात्मक क्वालिटी कैसी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार देश में संगठित व लघु दोनों ही क्षेत्रों में घड़ियों का उत्पादन करने की इच्छुक पार्टियों को उदारतापूर्वक अनुमति दे रही है। फिर भी, चूंकि नए एककों को मशीनों का आयात करने व सिविल निर्माण कार्य पूरा करने आदि में कुछ समय लगता है। अतः यह महसूस किया गया था कि स्वीकृत उत्पादन कार्यक्रम वाले एककों को इस बीच अर्धनाक डाऊन व, पूर्ण नोक डाऊन की स्थितियों में घड़ियों का आयात करने की अनुमति दे दी जाए। इससे उन्हें घड़ियों के हिस्से पुर्जे जोड़ने का अनुभव प्राप्त होगा तथा जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने स्वीकृत कार्यक्रम तेजी से क्रियान्वित करने में सुविधा मिलेगी तथा देश में घड़ियों के उत्पादन व उपलब्धता के अन्तर को पूरा करके घड़ियों की तस्करी को हतोत्साहित किया जा सकेगा। चूंकि गैर उत्पादक

एककों को यह अनुमति नहीं दी गई है। अतः देशी क्षमता के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1977-78 के अन्त में लघु क्षेत्र में घड़ियों का उत्पादन करने वाले 19 एकक थे तथा बड़े क्षेत्र में घड़ियों का उत्पादन करने वाली 9 कंपनियां थीं। उन्होने कुल लगभग 36,092 लाख कलाई घड़ियों का उत्पादन किया और लगभग 6,392 व्यक्तियों को रोजगार दिया। वर्ष 1978-79 (अप्रैल, 78 से फरवरी, 1979) में लघु क्षेत्र में घड़ियां बताने वाले एककों की संख्या बढ़कर 30 तक तथा बड़े क्षेत्र में घड़ियां बनाने वाली कंपनियों की संख्या 11 तक पहुंच गई। उन्होंने अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि में लगभग 45.35 लाख घड़ियों का उत्पादन किया और लगभग 7,148 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया। इन एककों द्वारा उत्पादित घड़ियां स्वीकार्य गुणवत्ता (क्वालिटी) वाली हैं।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि तथा सीमेंट उद्योग की क्षमता का उपयोग

·6197. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक वर्ष के भीतर सीमेंट के मूल्य में दूसरी बार वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता तथा सीमेंट के उत्पादन और उसकी मांग के बीच अन्तर है;

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के रेलभाड़ा मुक्त गन्तव्य स्थान मूल्य 7 दिसम्बर, 1978 से 253.35 रु० प्रति मी० टन से बढ़ाकर 293.26 रु० हो गये थे। बढ़ोतरी के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं।

1. सीमेंट के अतिरिक्त आयात की लागत के वित्तीयन के लिए	8.00 प्रति मी. टन
2. सीमेंट कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से संबंधित निर्णायकों के पंचाट के कार्यान्वयन की लागत पूरी करने के लिए	13.38 रु० प्रति मीट्रिक टन
3. कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल को इस्तेमाल करने के लिए राजसहायता	18.53 रु० ,, ,, ,, ,,
योग	39.91 रु०

(ग) सीमेंट उद्योग के लिए 35 प्रतिशत क्षमता का उपयोग उचित माना गया है। 1978-79 के दौरान सीमेंट उद्योग में क्षमता का उपयोग लगभग 90 प्रतिशत हुआ था। 1978-79 की अवधि में सीमेंट की अनुमानित मांग 240 लाख मी. टन है, जबकि अनुमानित उत्पादन 196 लाख मी. टन है तथा आयात 155 लाख मी. टन हुआ था।

(घ) तथा (ङ) नये एकक स्थापित करने एवं सरकारी तथा निजी क्षेत्रों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किये जा रहे है।

जनजाति क्षेत्रों के उत्थान के लिए योजना

6198. **श्री अमर सिंह वी. राठव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनजाति क्षेत्र के उत्थान के लिए कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) गुजरात राज्य में आरम्भ की गई जनजाति योजना का ब्योरा क्या है और बड़ौदा जिले की किन तहसीलों को इसके अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) उपेक्षित जनजाति क्षेत्रों के बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जनजातीय बहुलता के क्षेत्रों के लिए अलग-अलग उप-योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे कि इन क्षेत्रों में विकास का स्तर उन्नत हो सके।

(ख) गुजरात में जनजातीय उप-योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना है। इन उप-योजना कार्यक्रमों में मुख्य बल कृषि की उन्नत प्रणालियों, छोटी सिंचाई, बागबानी, पशुपालन तथा कृषि और वन पर आधारित उद्योगों पर दिया जाता है। इन कार्य-कलापों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सहायता की गई है। उप-योजना क्षेत्र में विद्यमान आधारभूत व्यवस्था संबंधी अंतर को कम करने के लिए, वृद्धि केन्द्रों का विकास करके पर्याप्त ध्यान दिया गया है। शोषण को रोकने के लिए भूमि अभिलेखों, वनों में जनजातीय लोगों के स्वामित्व के अभिलेखों को पूरा करने और ऋण-प्रतिदान पर बल दिया गया है। सहकारी समितियों की पुनः संरचना करने के लिए व्यवस्था की गई है जिससे कि जनजातीय लोगों की ऋण, विपणन और उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह उप-योजना क्षेत्र साबरकांठा, पंच महल, वडोदरा, भड़ोंच, सूरत, डंगस और वलसाड के जिलों में आता है। वडोदरा (बड़ौदा) जिले के अंतर्गत आने वाले तालुके हैं : छोटा उदयपुर, नसवाड़ी और तिलकवाडा।

(ग) वर्तमान जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को, (क) सभी अनुसूचित क्षेत्रों और (ख) 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की बहुलता वाले खंडों/तहसीलों के आधार पर अंकित किया गया था। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में ऐसे सभी क्षेत्रों को शामिल करने का निर्णय किया गया है जो 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले 10,000 की जनसंख्या के मापदंड के लिए पात्र होते हैं।

सीमेंट का आयात

6199. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री आर. के. महालगी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितना सीमेंट आयात किया गया;

(ख) यह किन-किन देशों से आयात किया गया था और यह किन-किन मूल्यों पर आयात किया गया;

(ग) यह किन एजेंसियों के माध्यम से आयात किया गया; और

(घ) भारत सीमेंट में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा और उसका यदि कोई चरणबद्ध कार्यक्रम हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान आयात की गई सीमेंट की मात्रा निम्नलिखित है :

1977-78	3.12 लाख मी. टन
1978-79	15.47 लाख मी. टन

(ख) और (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निम्नलिखित देशों से सीमेंट का आयात 51.70 से लेकर 67.50 अमरीकी डालर प्रति मी. टन (लागत तथा भाड़ा सहित) के मूल्य पर किया जा रहा है :

(1) जापान,

(2) उत्तर कोरिया,

(3) दक्षिणी कोरिया,

(4) पोलैंड,

(5) रूमानिया,

(घ) देश के अगले तीन वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाने की सम्भावना है। सरकार ने सीमेंट की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है।

(2) वर्ष 1978 के दौरान देश में 13.15 लाख मी. टन सीमेंट का आयात किया गया है तथा लगभग 13.23 लाख मी. टन की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने हेतु करार कर लिया गया है।

(3) विगत तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में प्रत्येक एकक में हुए सबसे अधिक उत्पादन के अतिरिक्त उत्पादन अथवा उसको लाइसेंसीकृत क्षमता के 85 प्रतिशत पर जो भी अधिक हो, प्रति मी. टन 30 रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।

(4) सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी विद्यमान नियमों को और उदार बना दिया गया है ।

(5) सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान कैप्टिव पावर के उपयोग में सीमेंट का उत्पादन करने के मामले में सीमेंट उद्योग को सहायता भी प्रदान की है ।

(6) सरकार ने सीमेंट का उत्पादन करने के लिये कोयले की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण भट्ठी के तेल का उपयोग करने में सीमेंट उद्योग को सहायता देने की भी घोषणा की है ।

(7) विद्यमान एककों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग 100% की समग्र क्षमता उपयोगिता को बनाए हुए है ।

(8) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्री-केल्सीनेटेड प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है ।

(9) चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है ।

(10) सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिये इस्पात संयंत्रों पर अथवा उनके समीप सीमेंट संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ।

(11) सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयन्त्र लगाने को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ।

(12) एक उच्चस्तरीय समिति ने सीमेंट उद्योग का व्यापक अध्ययन किया है और कई सुझावों की सिफारिश की है, जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

फोटो फिल्मों की कमी

6200. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोटो फिल्मों की भारी कमी कुछ और समय तक जारी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी कितनी मात्रा में आयात की आवश्यकता होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) से (ग) देश में 120 साइज की ब्लैक एंड ह्वाइट रोल फिल्मों की अस्थाई कमी मुख्यत: आयातित माल के आने में हुए विलम्ब के कारण थी । किन्तु जैसा कि लोक सभा मे 21 मार्च, 1979 को तारांकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर में बताया गया था, सरकार ने वास्तविक मांग तथा पूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए वर्ष 1978-79 में फिनिशड फार्म में 20 लाख रोल फिल्मों की अतिरिक्त मात्रा आयात करने का निर्णय लिया है, जिसे हिन्दुस्तान फोटो मिल्स मैन्यु० कम्पनी लि० द्वारा आयातित जम्बो रोल्स को परिवर्तित करके उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है । वर्ष 1979-80 में 50 लाख सेल फिल्मों की और अतिरिक्त मात्रा का आयात किया जा रहा है । जैसे ही आयातित माल आ जायेगा, देश में फोटो फिल्मों की कोई कमी नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माईनिग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर की वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर समीक्षा

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) माईनिग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) माईनिग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 4233/79)

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं आपका ध्यान एक बड़ी ही गम्भीर बात की ओर दिलाना चाहता हूं । श्री लाल कृष्ण अडवाणी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव है : आल इण्डिया रेडियो ने अपने समाचार बुलेटिन में श्री चह्वान के परसों के भाषण को नहीं लिया है । इससे एक गलत परम्परा स्थापित हो रही है । वह 40 मिनट तक बोले और श्री अडवाणी आल इण्डिया रेडियो अडवाणी रेडियो में बदल रहे हैं और आर. आर. एस. का प्रचार किया जा रहा है । यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा है ।

श्री सौगत राय : उन्हें सदन में आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री एस. डी. पाटिल ।

भारतीय पुलिस सेवा/संवर्ग में पद निर्धारण—दूसरा संशोधन अधिनियम 1979 और भारतीय पुलिस सेवा (वेतन)—तीसरा संशोधन नियम 1979

गृह मंत्रालय में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1979, जो दिनांक 17 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 252 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 17 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 253 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 4234/79)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (5वां संशोधन) नियम, 1979 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 24 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 437 में प्रकाशित हुए थे।
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4235/79)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) आक्सीजन, एसिटीलिन और ग्लिसरीन, के कर योग्य मूल्य से टिकाऊ कनटेनरों की लागत के अपवर्जन के बारे में सा० सां० नि० 274 (ङ) जो दिनांक 28 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल. टी. 4236/79)

(दो) दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 71/78-सी ई० में संशोधन द्वारा विद्युतीरोधियों तथा विद्युतरोधी फिटिंगों और उनके पुर्जों को छूट की परिधि से अपवर्जित करने के बारे में अधिसूचना संख्या 149/79-सी० ई० जो दिनांक 29 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4237/79)

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कलकत्ता हाई कोर्ट में जज के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने टिप्पणी मांगी है। अब श्री रामानन्द तिवारी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोग 10 दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने टिप्पणियां मंगाई हैं···(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल न किया जाये।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं अल्पसूचना प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आपने कहा है कि इस्पात मंत्रालय की मांगों पर इस सदन में चर्चा नहीं होगी, बिना चर्चा के इन्हें स्वीकृत माना जायेगा। उन संसद सदस्यों को जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में इस्पात कारखाने हैं, बोलने का अवसर दिया जाये क्योंकि वह इस विषय से परिचित हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर (दुर्गापुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप हर प्रश्न पर उठ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में इसे शामिल न किया जाये।

(व्यवधान)**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विभिन्न औद्योगिक एककों को भट्टी तेल की सप्लाई सम्बन्धी चिन्ताजनक स्थिति तथा भट्टे का तेल उपलब्ध न होने तथा महंगे दामों पर बिकने का समाचार

श्री रामानन्द तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"देश में, विशेषकर बम्बई क्षेत्र में, विभिन्न औद्योगिक एककों को भट्ठी-तेल की सप्लाई सम्बन्धी चिन्ताजनक स्थिति और देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने तथा महंगे दामों पर बिकने के समाचार।"

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : महोदय, माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान देश में, विशेषकर बम्बई क्षेत्र में, औद्योगिक यूनिटों को भट्ठी के तेल की सप्लाई के सम्बन्ध में तथाकथित विकट स्थिति तथा देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता और अधिक मूल्यों की ओर आकर्षित किया है।

2. भट्ठी के तेल की खपत में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। यद्यपि पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में खपत की वृद्धि दर निषेधात्मक रही है। अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान खपत की दर में वृद्धि पिछले वर्ष के तदनुरूपी

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अवधि की बिक्री से 8 प्रतिशत अधिक रही है। खपत की दर में बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से खपत वाले स्थानों पर कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण दिखलाई दी।

3. देश में भट्ठी के तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 25 प्रतिशत आयात द्वारा पूरा किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अशान्त स्थिति को देखते हुए भट्ठी के तेल और मिट्टी के तेल की आवश्यक मात्रा का आयात करना संभव नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त रेल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों को ढोने के लिए पिछले एक वर्ष या इससे अधिक की आवश्यकता की तुलना में कमी रही है। बंदरगाहों और बरौनी रिफाइनरी में श्रमिक समस्याओं तथा अन्य कई आकस्मिक कारणों से देश की शोधनशालाओं में कच्चे तेल के थ्रूपुट में भी हानि हुई है। यद्यपि इन कठिनाइयों पर इस मन्त्रालय अथवा तेल कम्पनियों का कोई नियंत्रण नहीं था, तो भी पिछले वर्ष की तुलना में भट्ठी के तेल की सप्लाई उच्च स्तर पर करना संभव हो सका है। परन्तु देश के कुछ भागों से भट्ठी के तेल की उपलब्धता के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि कोयले की कमी के कारण मांग में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं।

4. बम्बई बंदरगाह में श्रमिक समस्याओं के कारण टैंकरों से कच्चा तेल उतारने के काम में रुकावट के कारण बम्बई शोधनशाला में फरवरी और मार्च के दौरान भट्ठी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, मार्च में बम्बई में भट्ठी के तेल की उपलब्धता में समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। परन्तु, मार्च के अंतिम सप्ताह से बम्बई की शोधनशालाएं पूर्व निर्धारित स्तर पर उत्पादन कर रही हैं और आयातित उत्पाद भी पहुंच चुके हैं। आशा है कि इससे स्थिति के सुधरने में सहायता मिलेगी।

5. परन्तु इस संबंध में यह बताना आवश्यक होगा कि औद्योगिक तथा विद्युत क्षेत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता में कमी को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा भट्ठी के तेल की पूरी सप्लाई करना संभव नहीं होगा। परन्तु कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की कुल उपलब्धता और परिवहन सक्षमताओं की कठिनाइयों की परिसीमाओं में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न जारी रखे जायेंगे।

6. जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, देश की कुल खपत का 40 प्रतिशत इस समय आयात किया जाता है। व्यापार योजना के अन्तर्गत सोवियत संघ से इस उत्पाद की प्राप्ति में विलम्ब के कारण देश में मिट्टी के तेल की समस्त उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार तथा तेल कम्पनियों के अधिकतम प्रयत्नों के बावजूद इस उत्पाद का अन्य संसाधनों से पर्याप्त आयात प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ है। फिर भी, अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान मिट्टी के तेल का विक्रय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। मिट्टी के तेल की अधिक मांग भी कोयला, साफ्ट कोक तथा जलाने वाली लकड़ी जैसे वैकल्पिक ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण ही है। पिछले वर्ष की बिक्री की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान मिट्टी के तेल का विक्रय अधिक होने के बावजूद देश के विभिन्न भागों से ये रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि मिट्टी के तेल की कमी महसूस की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस उत्पाद की उपलब्धता बहुत कठिन है, इस बात को देखते हुए देश में मिट्टी के तेल की

असीमित मांग को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है जबकि तेल कम्पनियां मिट्टी के तेल की सप्लाई अपने एजेन्टों को निर्धारित आबंटन के अनुसार करती हैं, परन्तु इसके वितरण की देखरेख पूर्णरूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। हमने राज्य सरकारों को पहले ही यह परामर्श दिया है कि वे इस उत्पाद के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करें। जिससे यह उत्पाद काले बाजार में न जाये। मेरे मन्त्रालय का यही प्रयत्न है कि विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्धारित आबंटन के अनुसार मिट्टी के तेल की सप्लाई सुनिश्चित की जाये। अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान मिट्टी के तेल का कुल विक्रय 3.63 मिलियन मी० टन था जबकि इसका आबंटन 3.59 मिलियन मी० टन था।

7. जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का संबंध है, मार्च महीने के दौरान कुल लगभग 22,000 किलो लीटर मिट्टी का तेल दिया गया था जबकि इसके लिए आबंटन 19,000 किलो लीटर का था। परन्तु मार्च के दौरान हल्दिया में मिट्टी के तेल का आयात कम रहा जो कि बिहार के कुछ भागों को मिट्टी के तेल की सप्लाई करती है। इसके फलस्वरूप, बिहार के कुछ क्षेत्रों में निर्धारित आबंटन के अनुसार मिट्टी के तेल की सप्लाई करने में समस्याएं उत्पन्न हो गयी थीं। मार्च के अन्तिम सप्ताह से हल्दिया में आयातित मिट्टी का तेल पहुंचना शुरू हो गया है और आशा है कि इस उत्पाद की सप्लाई बिहार को निर्धारित आबंटन के अनुसार की जायेगी।

श्री रामा नन्द तिवारी : ऐसा लगता है कि जिस तरफ हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। मैंने यह कहा था कि मिट्टी-तेल का बम्बई में इतना अभाव है कि वहां काम करना मुश्किल हो गया है। मैंने यह भी कहा था कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है और यदि मिलता है तो 4-5 रुपए लीटर। मन्त्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि सरकार जनता को भट्ठी-तेल और मिट्टी का तेल पहुंचाने में असमर्थ है। मैं जानना चाहता हूं इस वित्तीय वर्ष के पहले क्या कारण था कि आसानी से भट्ठी और मिट्टी का तेल मिलता था लेकिन इस बजट के आने के बाद तेल मिलना दुर्लभ हो गया है और यदि मिलता भी है तो तीन, चार या पांच रुपए लीटर? कोई प्रश्न आता है तो सरकार कहती है कि कोयले का अभाव है। हम जानना चाहते हैं कि कोयले के अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया जिससे कि कोयले की आपूर्ति हो सके। यह एक बड़ी दुःखद स्थिति है क्योंकि मिट्टी का तेल कौन जलाता है? मिट्टी का तेल बड़े-बड़े लोग तो जलाते नहीं हैं क्योंकि उनके यहां विद्युत है। लाखों किसान, खेतिहर मजदूर, झोंपड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी मिट्टी का तेल जलाते हैं। आज मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनको भूखों मरना पड़ रहा है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गांव के गांव अन्धकार में हैं। चोरी डकैती से बचने के लिए भी रोशनी नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कारण है कि वही तेल चोर बाजारी में 4-5 रुपए लीटर मिल जाता है? मैं जानना चाहता हूं बिहार में क्या कोई विधि व्यवस्था है, क्या वहां पर कोई कानून का राज है? वहां पर मनमानी स्थिति चल रही है। कोई व्यक्ति दिन में चल नहीं सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मिट्टी का तेल किस तरह से वितरित किया जाए, किस प्रकार

से वह गरीबों को उपलब्ध हो सके---इसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले क्योंकि बिहार सरकार इसमें बिल्कुल असमर्थ है। दूसरी बात यह है कि अगर मिट्टी का तेल नहीं है तो चार-पांच रुपए लीटर के भाव पर चोर बाजार में क्यों मिल रहा है और चोर बाजारी करने वालों को पकड़ने की व्यवस्था आप क्यों नहीं करते हैं ? बिहार सरकार से यह काम नहीं हो सकता है। मैं मन्त्री जी से साफ तौर से जानना चाहता हूं कि मिट्टी का तेल उचित दाम पर क्यों नहीं मिल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी वही स्थिति है जहां के माननीय मन्त्री जी रहने वाले हैं। बम्बई की भी वही स्थिति है। सरकार कहती है कि आयात नहीं हो पायेगा तथा कोयले का अभाव है, ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल असमर्थ है। लाखों-करोड़ों गरीबों की झोपड़ियों में चिराग नहीं जल रहे हैं। आखिर उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करना चाहते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उपाध्यक्ष जी, मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो यह है कि यह कहना कि बाम्बे क्षेत्र में तेल के उत्पादों की उपलब्धता न होने के कारण कारखाने बन्द हो गए, डी. जी. टी. डी. से हमने जांच करवाई है, उनकी रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कारखाना रबड़ का है, उसको छोड़ कर कोई कारखाना बन्द नहीं हुआ है—यह 2 अप्रैल का खत है। माननीय सदस्य की आत्मा में लोगों के लिए नेशनल दुःख है उसके लिए तो मुझे सहानुभूति है लेकिन वास्तविकता के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ें तो दुःख बहुत कम हो जायेगा। एक रबड़ के कारखाने को धक्का लगा, बाकी कहीं कोई धक्का नहीं लगा, सभी कारखाने चलते हैं।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही कि मिट्टी के तेल के वितरण का इन्तजाम केन्द्रीय सरकार खुद करे। इस मामले में माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु का जो दल है उसकी स्पष्ट राय है कि फैडरल-स्ट्रक्चर में क्या-क्या होना चाहिए। अगर सब चीजों का बटवारा दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी हो, तब तो यूनीटरी-फार्म-आफ-गवर्नमेंट बनानी होगी। फैडरल स्ट्रक्चर में यह सम्भव नहीं है। हमने राज्य सरकारों को इसी पीरियड में जितना मिट्टी का तेल पिछले साल दिया था, उससे कम दिया हो—सिवाय बिहार के एक भाग के—तो हम जिम्मेदार हैं···

श्री डी० एन० तिवारी : सब जगह पूरा दे रहे हैं तो बिहार को ही क्यों कम दिया जा रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हल्दिया से तेल आना था। माननीय सदस्य इस सदन के सबसे पुराने सदस्य हैं—उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ईरान से हिन्दुस्तान को हर महीने भट्ठी का तेल साढ़े पांच लाख टन मिलना था, जो नवम्बर, 1978 से बन्द है। अब ईरान के हालात को दुरुस्त करने के लिए यहां से कोई बन्दोबन्द करने की सलाह तो मैं नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि प्रभू से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर हालात जल्दी से ठीक हों।

पूर्वी उत्तर प्रदेश को ले लीजिए—जिस वायदे की चर्चा माननीय सदस्य ने की है—उनको 22 हजार किलो लिटर मिट्टी का तेल दिया है, जबकि वायदा 19 हजार किलो लिटर का था, 3 हजार किलो लिटर ज्यादा दिया। मैं यहां पर यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं केरल की

सरकार का कृतज्ञ हूं -- इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बाकी सरकारों की बुराई कर रहा हूं— लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था की है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। वे घर-घर में कार्ड से मिट्टी का तेल लोगों को दिलवा रहे हैं, इस तरह की वितरण व्यवस्था वहां पर चल रही है। मैं यह भी निवेदन कर दूं —मैंने देश भर के मुख्य मंत्रियों को, जिस समय ईरान में झगड़े होने शुरू हुए थे, अगस्त, 1978 में एक पत्र लिखा था···

श्री ज्योतिर्मय बसु : झगड़ा नहीं, क्रान्ति कहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यहां पर जो हो रहा है, वह भी क्रान्ति ही है—मिट्टी का तेल ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन मिट्टी का तेल भारत के पास कितना उपलब्ध है और कितना भेजा जा सकता है—इसके लिए आपको हमारे साथ हमदर्दी करनी पड़ेगी और अपने साथ भी हमदर्दी करनी पड़ेगी। जैसा मैंने अभी कहा—मैंने प्रदेश की सरकारों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कराया था, उसके बाद हमारे सेक्रेटरी ने मुख्य-सचिवों का ध्यान आकर्षित किया। कल भी एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम प्रदेश सरकारों के खाद्य सचिवों से सलाह की है। हमने अपनी तरफ से इसको हर जगह पहुंचाने की चेष्टा की है। लेकिन इसमें एक नुकसान हुआ है—जो हमने ज्यादा दिया है, उसके कारण हमारी इन्वेन्टरी कम होती गई है। मुश्किल यह है कि सदन से कोई भी बात छिपाना हमारे लिए पाप है और वह उचित भी नहीं है। खुला समाज होने के कारण अखबारों में छपने से बचने वाली बात नहीं है, इसलिए जो चतुर व्यापारी होंगे वे इसका लाभ उठा लेंगे···

श्री दिनेन भट्टाचार्य : उन चतुरों को पकड़ो।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पकड़ने का काम बंगाल में श्री ज्योति बसु जी का है और बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर जी का है, मेरा नहीं है। ज्योति बसु जी ने कितने तेल के व्यापारियों को पकड़ा है, ज्योतिर्मय बसु जी बतला दें, मैं तो नहीं जानता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पकड़ा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बहुत खुशी की बात है। मुझे श्री ज्योति बसु साहब को लिखना पड़ा, जब उन्होंने मिट्टी के तेल के व्यापारियों के कहने में आकर उनको दो पैसा ज्यादा दे दिया, मैंने कहा कि इसको कम करो। हम तो, आप देख लीजिए, इतना सचेष्ट रहते हैं, प्रदेश की सरकारों से कोई गलती हो रही हो तो उनको याद दिलाते रहते हैं। हम सूबों की सरकारों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

माननीय सदस्य तिवारी जी से, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, एक ही प्रार्थना है कि देश की जो कठिनाई है, ईरान से कच्चा तेल न मिलने के कारण जो दिक्कत पैदा हो गई है, उसको समझा जाना चाहिये। हम कृतज्ञ हैं—एक देश के—मैं खास तौर से इस मौके पर उसका नाम लेना चाहता हूं—ईराक—जिसने हमको मिट्टी का तेल देने में मदद की है। आज जबकि दूसरे देश यह कह रहे हैं कि कितने डालर एक बैरल पर और दोगे—उन्होंने हमारी मदद की है। अब मैं लीबिया जा रहा हूं—इस आशा से कि वे हमारी मदद करेंगे।

कच्चा तेल जो हमको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला और उसका बन्दोबस्त करने में कमी आई है और इसके साथ ही यह बात भी है कि हमारा देश तो एक प्रजातांत्रिक देश है। यहां पर कोई मन्त्री यह नहीं कह सकता कि किसी को स्ट्राइक का कोई हक नहीं होगा। हम कोशिश कर सकते हैं कि स्ट्राइक न हो लेकिन स्ट्राइक हो जाए, तो यह नहीं है कि स्ट्राइक-तोड़ सरकार हो। स्ट्राइकर्स के साथ बातचीत करके स्थिति को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। हल्दिया में स्ट्राइक हो गया और हमारे टैंकर्स खड़े रह गए। इसी तरह से बम्बई में स्ट्राइक हो गया और टैंकर्स खड़े रह गए, 4 दिन तक हड़ताल चली और बातचीत करके जितनी जल्दी मामला सुलझ सकता था, उसको सुलझाया। मैं यह मान सकता हूं कि और अच्छा बन्दोबस्त होना चाहिए और "अच्छा" की एक ऐसी रेखा है, जिस तक पहुंचने के लिये बराबर चेष्टा करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि और भी अच्छा काम करना चाहिए लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, फेडरल जिसका रूप है, उसमें मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था का कंट्रोल भारत सरकार अपने हाथ में लेने वाली नहीं है। यह काम तो प्रदेशीय सरकारों का है और हमने इस बारे में उनको स्पष्ट कर दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हमारी स्टेट को इतना कम क्यों दिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इतना कम, इतना कम, इतना कम की जो यह भाषा है, यह हमारी समझ से नहीं आती है। अगर मेट्रिक टन में बात करें, अगर यह बताएं कि इतने मेट्रिक टन मिलना चाहिए और इतना मिला है, तो मैं यह बता दूं कि वेस्ट बंगाल को जितना कोटा मिलना चाहिए, उस से ज्यादा मिला है। नार्थ ईस्ट के हमारे माननीय सदस्य अगर इस बात में मदद कर दें कि वहां हड़ताल न होने दें, बड़ी मुश्किल में हमारे रेल मन्त्री महोदय आए हुए हैं, तो वहां पर उपलब्धता बढ़ सकती है। नार्थ बंगाल में उपलब्धता में जरूर कुछ कमी आई है वरना बंगाल का कोटा पूरा देने की हमने पूरी कोशिश की है। मैं यह मानता हूं कि सारे देश में जो कमी है, उसके कारण इनवेंटरी में कमी हो रही है। इसलिए आने वाले समय में कठिनाई आने वाली है और इसीलिये हमने सारे प्रदेशों के खाद्य सचिवों को बुलाया था और उनको यह बताया था कि केरल में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पेटर्न जब तक आप नहीं लगाओगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि मिट्टी का तेल घरों तक और झोंपड़ियों तक और डीजल किसानों तक पहुंच सकेगा।

श्री एस॰ आर॰ दामाणी (शोलापुर): मैंने यह प्रश्न दिनांक 20 मार्च को अतारांकित प्रश्न संख्या 3857 के अन्तर्गत उठाया था और इसके माध्यम से बम्बई में, विशेषकर थाना बेलापुर औद्योगिक कम्पलैक्स में भट्टी के तेल की गम्भीर कमी की बात कही थी। मैंने न केवल बम्बई में बल्कि अन्य राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और बगाल में मिट्टी के तेल की कमी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया :

"सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा।"

चूंकि इतने लम्बे अरसे से सूचना उपलब्ध नहीं की जा रही है, मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अपने वक्तव्य में माननीय मन्त्री ने अभी अभी कहा है कि पिछले तीन वर्षों में भट्ठी के तेल की खपत में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में मैं सबसे पहले मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार की नीति है कि उद्योगों से अधिक भट्ठी के तेल का प्रयोग करने के लिए कहती है क्योंकि कोयले के प्रयोग से वह वायु को दूषित करते हैं। अत: उन्होंने कोयले का प्रयोग समाप्त कर दिया और भट्ठी के तेल का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह आपको किसने बताया कि भट्ठी के तेल से वायु दूषित नहीं होती है।

श्री एस० आर० दामाणी : अत: भट्ठी के तेल की खपत बढ़ गई है। दिसम्बर तक इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं थी। सप्लाई सामान्य थी। क्योंकि यह आवश्यक मात्रा में उपलब्ध था। जनवरी से स्थिति बिगड़नी आरम्भ हो गई। माननीय मन्त्री ने अभी अभी कहा है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भट्ठी के तेल की कमी के कारण कोई भी कारखाना बन्द नहीं किया गया है। किन्तु मैं उन्हें अनेक एककों के नाम दे सकता हूं जिन्हें थाना बेलापुर औद्योगिक कम्पलैक्स में 10 अथवा 7 अथवा 6 दिनों के लिए भट्ठी के तेल के अभाव में बन्द रखा गया। मैं इन एककों के नाम नहीं बताना चाहता किन्तु मैं यह नाम उन्हें भेज सकता हूं ताकि वह इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल कर सकें। फरवरी और मार्च में भी स्थिति बड़ी खराब थी। कुछ एककों को पन्द्रह दिन के लिए बन्द करना पड़ा। आप उत्पादन में हुई हानि का पता लगा सकते हैं, आप राजस्व की हानि का अनुमान लगा सकते हैं और परिणाम यह होगा कि इन एककों द्वारा पैदा की जारही मदों की और कमी हो जाएगी। अत: यह बड़ा आवश्यक है कि इस पक्ष पर भी विचार किया जाए और औद्योगिक एककों को भट्ठी का तेल उपलब्ध करने के लिए उपाय किए जाएं ताकि यह एकक चलते रहें।

मेरी सहानुभूति माननीय मन्त्री जी के साथ है कि वेगनों की कमी के कारण वह इन मदों का परिवहन नहीं कर सके। कोयला उपलब्ध नहीं है। वेगन उपलब्ध नहीं हैं। माननीय मन्त्री का कहना है कि मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हैं और वेगन उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए तो सरकार को, सम्बद्ध मन्त्रियों को इकट्ठे बैठकर एक योजना तैयार करनी चाहिए कि इन आवश्यक मदों को परिवहन कैसे किया जाए। हम मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहते हैं कि वह भविष्य में ऐसे कौनसे उपाय करने जा रहे हैं कि भट्ठी का तेल और मिट्टी का तेल लाने के लिए वैगनों की कोई कमी न हो।

मिट्टी के तेल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जानते होंगे कि कलकत्ता में 8 से 10 घण्टे तक रोज बिजली बन्द रहती है। यदि बिजली ही उपलब्ध नहीं है तो जनता क्या करेगी? वह बिजली के स्थान पर मिट्टी का तेल बरत रहे हैं। अत: इसकी खपत

में भी वृद्धि हो गई है। मन्त्री महोदय ने इसकी कमी का एक दूसरा कारण यह बताया है कि अप्रैल, 1978 तथा फरवरी, 1979 में केरोसीन तेल की खपत 3.63 मिलियन टन थी जब कि उसका आबंटन 3.59 मिलियन टन था। खपत में तो बहुत ही कम वृद्धि हुई है। अतः यह कहना कि खपत में वृद्धि हो गई है ठीक नहीं है।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सदन को बतायें कि मिट्टी के तेल तथा भट्टी के तेल की सप्लाई को नियमित करने में कितना समय लगेगा ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह ऐसे कौन से कदम उठाने जा रहे हैं जिससे आवश्यक वस्तुएं भूमिगत न कर दी जायें और मिट्टी के तेल के उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य न देना पड़े।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूं। राष्ट्र को अपने संसाधनों पर गुजारा करने का सबक सीखना होगा। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में मैं देश को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमने पिछले वर्ष की आवश्यकताओं के आधार पर इस वर्ष भी सप्लाई करने का प्रयास किया है। यद्यपि ईरान में स्थिति के कारण कच्चे तेल की बड़ी कमी है। हम भट्टी के तेल की मांग को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 1973 की मूल्य वृद्धि में पूरे उद्योग को कोयले के प्रयोग के लिए कहा गया था। 1973 से 1977-78 तक नकारात्मक विकास दर रही है। 1975-76 में —5 प्रतिशत से आरम्भ हो कर 1977-78 में-7.8 प्रतिशत हो गई है। अतः आप इस बात को समझेंगे कि भट्टी के तेल सम्बन्धी समस्या अभी हाल में उत्पन्न हुई है जो कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का और कोयले की कमी का परिणाम है। अब अचानक ही इस विकास दर में 8-6 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है और हम इसे सहने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कोयले अथवा अन्य ईंधन की कमी के कारण बिजली का बिल देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम वास्तव में इस क्षेत्र में कमी का अनुभव कर रहे हैं, अतः शक्ति के अन्य उपलब्ध साधनों का उपयोग करना ही होगा।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसा दूसरा साधन है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह संसाधन कोयला है। हमारे देश में प्रचुरता में उपलब्ध है। माननीय प्रधान मन्त्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि वह ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कोयला सब स्थानों पर पहुंच सके। मैं भी उस समिति का सदस्य हूं जो इस सम्बन्ध में कठिन समस्या से निपटने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।

श्री दामाणी ने जो सूचना दी है अथवा प्रश्न उठाया है, उसके लिए मैं उद्योग मन्त्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशक, ऊर्जा संरक्षण संभाग जो कि रिकार्ड रखता है के प्राधिकार से बताना चाहता हूं। यह प्राधिकार मुझे एक पत्र लिखकर दिया गया है जब उनसे पूछा गया तो पत्र लिखकर उन्होंने बताया है :

"यद्यपि देश के कुछ भागों में भट्टी के तेल की कमी समय-समय बर अनुभव की गई थी किन्तु जहां तक तकनीकी विकास महानिदेशक जानते हैं, इस कारण से कोई भी औद्योगिक एकक बन्द नहीं किया गया। बस एक ही एकक बन्द होने का उदाहरण मिलता है, वह है महाराष्ट्र में

इन्टरनेशनल रबर एंड जनरल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि मार्च के मध्य में भट्ठी के तेल की कमी के कारण बन्द किया गया था। इस उद्योग में तथा शक्ति के क्षेत्र में प्रति वर्ष 40 लाख टन भट्ठी के तेल की खपत होती है। इस मांग को स्वदेशी संसाधनों से तथा कुछ आयातों से पूरा किया जाता है, यह आयात 25 प्रतिशत है। 1978-79 में दिसम्बर तक हमने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में भट्ठी का तेल सप्लाई किया है। इससे अधिक हम नहीं दे सकते। यदि हम अपनी ऊर्जा व्यवस्था को, ऊर्जा बजट को ठीक ढंग से नहीं बनाते तो आने, वाले वर्षों में और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

जहां तक बिजली की कमी तथा अन्य तथ्यों का सम्बन्ध है, मैं यह बात दोहरा देना चाहता हूं कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि डीजल तेल, मिट्टी का तेल अथवा भट्ठी का तेल वहां पहुंचाया जाए जहां भी उसकी आवश्यकता होगी। मैं लम्बे चौड़े वायदे नहीं करना चाहता हूं। किन्तु हम यह प्रयत्न करते रहेंगे कि डीजल, मिट्टी का तेल और भट्ठी का तेल उतना अवश्य सप्लाई करें जितना पिछले वर्ष किया था। मैं यह दुहराना चाहता हूं कि राज्य सरकार वितरण व्यवस्था को स्वयं देखें ताकि कठिनाइयों का समय सभी के सहयोग से काटा जाये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि बम्बई शहर एक बहुत बड़ा शहर है क्योंकि यह शहर प्रधान मन्त्री का और उनसे पहले महात्मा गांधी का तथा अन्य देशों के नेताओं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और श्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें अभी हाल में फांसी दी गई है, का शहर है। मैं भी बम्बई का प्रतिनिधित्व करता हूं...(व्यवधान) और मन्त्री महोदय भी प्रायः बम्बई आते रहते हैं।

मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि बम्बई में, विशेषकर गन्दी बस्तियों में मिट्टी के तेल का बड़ा अभाव है। जहां समृद्ध लोग रहते हैं उन क्षेत्रों में इसका अभाव नहीं है किन्तु गन्दी बस्तियों में इसका अभाव है। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय बम्बई में मिट्टी के तेल के समान वितरण के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान) मेरा विचार है कि वह यह व्यवस्था करेंगे वरना जब वह बम्बई आयेंगे हम उनका घेराव करेंगे।

एक माननीय सदस्य : वह बम्बई नहीं आयेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बम्बई के साथ अन्याय होगा। 50 प्रतिशत कच्चा तेल बम्बई हाई से निकलता है। इसे बम्बई से बाहर भेजा जाता है और वहाँ पर इसकी बहुत कमी रहती है· · (व्यवधान) वास्तविकता तो यह है कि चहुं ओर जल ही जल है किन्तु प्यास बुझाने को एक बूंद नहीं है। इसी प्रकार बम्बई के चारों ओर तेल ही तेल है किन्तु बम्बई के लोगों के लिए तेल उपलब्ध नहीं है अतः इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय का तात्पर्य क्या है। जब वह कहते हैं कि "खपत के स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध न होने से उसकी खपत दर में वृद्धि आई है।" वह इन असन्तुलनों को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कोयला मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय के साथ सलाह करके क्या कदम उठाए हैं ?

वह कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार भट्ठी का तेल तथा मिट्टी के तेल का आयात नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में कमी का प्रतिशत क्या है और कितने टन की कमी आई है? यह वक्तव्य बड़ा अस्पष्ट है और सुन्दर है। वह बहुत ही चतुर मन्त्री हैं और मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हूं और मैं जानता हूं कि कठिनाइयों से उबरने के लिए उनके पास काफी सक्षमता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वास्तविक क्षमता क्या है।

उन्होंने यह भी बताया कि मार्च के अन्तिम सप्ताह से बम्बई रिफाइनरियों में पूर्व-निर्धारित स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है और आयातित उत्पाद भी पहुंच गया है। इन सबसे कमी दूर करने में सहायता मिलेगी। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि बम्बई में स्थिति में कब तक सुधार होगा। मैं यह इसलिए जानना चाहता हूं कि मैं बम्बई के लोगों को यह बता सकूं कि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है अन्त में वह कहते हैं। "जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है देश की कुल खपत का 40 प्रतिशत इस समय आयात किया जाता है। व्यापार योजना के अंतर्गत सोवियत संघ से इस उत्पाद की प्राप्ति में विलम्ब के कारण देश में मिट्टी के तेल की समस्त उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।"

बहुगुणा जैसे मन्त्री—और सोवियत संघ से विलम्ब के कारण? यह कैसे हो सकता है?

एक माननीय मन्त्री : असली बात पर तो वह अब आये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस सम्बन्ध में विलम्ब क्यों हुआ है? लीबिया और ईराक के अतिरिक्त अन्य कौन से देश हैं जहां से तेल मिलने की सम्भावनाओं का उन्होंने पता लगाया है। क्या वह जानते हैं कि चीन के पास प्रचुरता में तेल उपलब्ध है? क्या वह चीन से तेल प्राप्त करना चाहेंगे···?

एक माननीय सदस्य : डा० स्वामी के बदले में।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब वह ईराक और लीबिया और सोवियत संघ से तेल आयात कर रहे हैं और इसमें वह देश विलम्ब से तेल भेज रहे हैं तो उन्होंने चीन से तेल आयात करने की सम्भावनाओं का पता क्यों नहीं लगया? मैं यह बात जानना चाहता हूं।

महोदय कुछ दिन पूर्व प्रधाय मन्त्री ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं कि वे तेल की खपत 15.1 कम कर दें। इसके पीछे क्या तर्क है?

महोदय, मेरे यही प्रश्न हैं और मुझे आशा है कि इनका उत्तर देकर वे हमारी सन्तुष्टि करेंगे।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : महोदय, माननीय सदस्य के पास चालाकी का पता लगाने की जो क्षमता है उसका मैं सम्मान करता हूं। वह बिल्कुल सही कहते हैं। बम्बई के लिए मेरे दिल में बहुत सहानुभूति है। बम्बई लघु भारत है। देश के किसी भी और शहर की ऐसी संस्कृति नहीं है। निस्सन्देह कलकत्ता भावात्मक, दार्शनिक और आर्थिक दृष्टि से भारत का केन्द्र है। परन्तु बम्बई अपने ढंग से लघु भारत है; जोकि देश का कोई अन्य शहर नहीं है। अतः डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के साथ-साथ मैं बम्बई का सम्मान करता हूं।

भारत सरकार बम्बई की आभारी है। यह कई लोगों के लिए अन्य कई तरीकों से एक लघु राज्य है। अतः हमें बम्बई का ख्याल रखना पड़ता है। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब वे स्लम क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की पूर्ति के कारण क्रूड आयल न मिलने की बात करते हैं तो उनका प्रश्न गलत हो जाता है। मैं यह पहले ही कह चुका हूं और मैं इसे फिर दोहराना चाहता हूं। मैंने मुख्य मन्त्री को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है। मैं उन्हें पुनः स्मरण कराऊंगा। यदि बम्बई में स्थित ज्योतिपाटी मिट्टी के तेल की कमी के कारण कष्ट उठा रहा है तो यह अवश्य ही खेदजनक मामला है। मैं महाराष्ट्र सरकार का ध्यान अवश्य ही इस ओर आकर्षित करूंगा।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे शहर के हितों की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती जिसके प्रतिनिधि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति हों। ऐसे क्षेत्र की कौन उपेक्षा कर सकता है ?

अब, महोदय, माननीय सदस्य डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि श्री बहुगुणा के होते हुए भी सोवियत ने क्रूड की सप्लाई नहीं की है। महोदय, यह कहना इस बात की पुष्टि होती है कि पुरानी आदत जल्दी नहीं जाती। यह उनका पुराना भय रहा है। मैं इनको बताता हूं कि एक बार उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था जिसे मैं इस सदन को भी बताना चाहता हूं। उन्होंने उन्होंने कहा था "श्री बहुगुणा पूर्णतया रूस के समर्थक हैं।" मैंने डा० स्वामी को बताया कि देश के लिए यह बहुत दुर्भाग्यशाली है कि बहुत से लोग आप सब को अमेरिका समर्थक समझते हैं। मैं कहता हूं ये दोनों बातें गलत हैं, हम दोनों भारतीय हैं। मैं बताता हूं कि कुछ देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और हमें केवल अपने देश के हितों का ध्यान है। आपको यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि कठिनाई में उन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं सारी बात को दोहराना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आर्थिक दृष्टि से यह एक भारी भूल थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक सोवियत रूस से क्रूड की सप्लाई का सम्बन्ध है सर्दियों में यह नहीं होती है। ईरान की घटनाओं का भी उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ईरान से काफी मात्रा में गैस प्राप्त किया। ईरान की घटनाओं से उन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अतः अच्छाई घर से आरम्भ होती है। उन्होंने वायदा किया कि कमी को पूरा कर देंगे। अब वे इसे समुद्री जहाज द्वारा भेज रहे हैं। मुझे आशा है सब ठीक हो जाएगा। हमें मिट्टी के तेल की आवश्यकता का पता है। जहां तक क्रूड आयल की खरीद का सम्बन्ध है डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का यह सुझाव कि चीन से क्रूड आयल प्राप्त किया जाए कुछ ऐसा है जिसका मैं भी अपवाद नहीं हूं। उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने भी प्रयत्न किया है। मैंने भारत में अमरीकी राजदूत से बात की है। मैंने उसे अपने पास बुलाया। वह नहीं आ सका। मैंने उनसे अनुरोध किया कि क्या वे हमारी सहायता करेंगे ? मैं जो कोई भी यहां है, उसके पास गया। परन्तु मुद्दा यह है कि हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि जितने तेल का हम शोधन करेंगे क्या उसकी खपत भी कर सकेंगे। मैं नहीं जानता कि वहां जो नमक-युक्त तथा और भी कई किस्मों वाला

क्रूड उपलब्ध है उसका शोधन क्या हम यहां कर सकेंगे । फिर भी मैं चीन से प्राप्त तेल के बदले माननीय सदस्य को चीन भेज दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे तो काफी हानि होगी ।

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभा पटल पर जो उन्होंने असन्तोषजनक उत्तर रखा है उसके लिए जितनी सहानुभूति मेरे पास है उसके साथ मैं पेट्रोलिथम मंत्री पर तरस खाता हूं । दूसरों पर दोष लगाना केवल शटल-काक वाला तर्क है । पूरा वक्तव्य पढ़ने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल स्थानीय स्थिति है । इस स्थिति में शीघ्र ही सुधार होने वाला नहीं है । वर्ष के आरम्भ में यह स्थिति है, तो मैं डरता हूं वर्ष के मध्य में जब मानसून आरम्भ हो जाएगी तब क्या होगा । जैसा कि सदस्यों ने पहले ही कहा है कि बम्बई और मध्य प्रदेश में तेल के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं और ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां मानसून आरम्भ होने से पूर्व क्रूड आयल पहुंचाना पड़ेगा ।

महोदय, कुछ वर्ष पहले कुछ उद्योगों को कहा गया था कि वे कोयले की बजाय पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग करने लगें । क्या सरकार ने फर्नेन्स तेल की खपत में आठ प्रतिशत वृद्धि के कारणों का गहराई से अध्ययन किया है । यह सब कैसे हुआ ? महोदय, मुझे भय है कि सरकार, जो कि औद्योगिक योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, और जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना कर रही है भविष्य के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं । अगले पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद और फर्नेन्स आयल की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी । मिल-मालिकों के संघ द्वारा भय व्यक्त किया जा रहा है । परन्तु हमें बताया गया कि केवल एक रबड़ फैक्ट्री बन्द कर दी गई है । परन्तु मैं यह अवश्य ही बताना चाहता हूं कि बहुत सी फैक्ट्रियां बन्द होने वाली हैं । इस सम्बन्ध में क्या आश्वासन दिया जा सकता है कि आगामी दो या तीन महीनों में कोई फैक्ट्री बन्द नहीं की जाएगी । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ईंधन की कमी के सम्बन्ध में और अधिक अनुसन्धान करें । उद्योगों से आग्रह किया जाए कि उपलब्ध पेट्रोलियम उत्पादों का कुशलता से उपयोग किया जाए । मैं यहां तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार के शब्दों को उद्धृत करता हूं :

> "उन्होंने सरकारर द्वारा फर्नेन्स आयल के प्रयोग के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने के सम्बन्ध में गहराई से अध्ययन करने हेतु फर्नेन्स आयल से सम्बन्धित स्थायी समिति को मामला भेजा है । एक ऐसा उद्योग जिसमें यह परिवर्तन किया जाना है घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और इसके कारण पर्यावरण दूषण की समस्या उठ खड़ी होगी ।"

अत: माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह प्रश्न करता हूं कि भावी तीन या चार वर्षों के लिए उनकी क्या योजना है । उत्पादन कार्यक्रम क्या है ? विदेशों से कितनी मात्रा मिलने की आशा है ? उद्योगों और उपभोक्ताओं में वितरण के लिए कितनी मात्रा उपलब्ध होगी ? क्या नए व पुराने उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार पूर्ति करने का आश्वासन दिया जा सकता है ? हमें यह भी हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि क्या मन्त्री महोदय फर्नेन्स के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग करने के पक्ष में हैं या कोयला के सब कुछ इतना गड्ड-मड्ड हो गया है

कि मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि फर्नेन्स आयल के प्रयोग के बारे में क्या योजना बनाई जानी है ? बम्बई में यातायात इतना अधिक है कि ट्रक कोयला उठा कर चल नहीं सकते। अत: वक्तव्य से जो स्थिति स्पष्ट होती हैं, वह कोई उत्साहवर्द्धक नहीं है। मैं चाहता हूं कि उद्योगों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उत्पादन हेतु अपेक्षित मात्रा पर फर्नेन्स आयल की कमी के कारण विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन्त्री महोदय एक योजना की रूपरेखा बना लें। यदि फर्नेन्स आयल काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो उन्हें वस्त्र उद्योगों आदि को यह राशन पर देना चाहिए। हमें इस सम्बन्ध में एक ठीक योजना बना लेनी चाहिए। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्थानीय समस्या का सामना वर्ष के शेष छ: महीनों में किस प्रकार किया जाएगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य के प्रश्न का अन्तिम भाग इस प्रकार है। उन्होंने पूछा है कि उद्योगों को ऊर्जा सप्लाई करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। इस समस्या पर तकनीकी विकास महानिदेशालय और ऊर्जा संरक्षण प्रभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। मेरे पास अब सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य के प्रश्न में उल्लिखित सलाह को मैं उद्योग मंत्री तक भेज दूंगा।

जहां तक दूसरे मुद्दे का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि हम कितनी मात्रा में सप्लाई कर सकेंगे और किस स्तर पर कर सकेंगे ? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी होने के बावजूद हम पिछले वर्ष के बराबर सप्लाई करने का प्रयत्न करेंगे। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि मैं फर्नेन्स आयल की किसी नई मांग को स्वीकार नहीं करूंगा। हमने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में बता दिया है। हमने ऊर्जा मन्त्रालय को भी यह बता दिया है कि तेल उत्पादन सम्भव नहीं है। देश में तेल के उत्पादन की कोई सिंलेटिक प्रणाली नहीं है। उस प्रकार की प्रणाली अभी हमारे पास नहीं है। यह दुर्लभ सामग्री है। अब हमें यह देखना है कि हम यह सब कहां से प्राप्त कर सकते हैं। यूरोप के अनेक देशों ने तथा यूरोपियन आर्थिक समुदाय के अनेक राष्ट्रों ने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के औद्योगिक और घरेलू प्रयोग को 15% कम कर दिया है। हमें भी ऐसा करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। उद्योगों और उपभोक्ताओं को ऐसा करने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। मुझे आशा है कि वे ऐसा कर सकेंगे।

अब उन्होंने 1978-79 में प्रत्याशित उत्पादन के बारे में पूछा है। मैं वह सूचना दे सकता हूं। हमारी योजना 1978-79 में 2.70 एम० टी० मिट्टी के तेल का और 3.50 एम० टी० फर्नेन्स आयल का उत्पादन करने की थी। परन्तु वास्तविक उत्पादन जिसकी हमें अब आशा है, वह यह है। 1979 अभी शेष है और कुछ महीने बाकी हैं। मिट्टी के तेल का उत्पादन 2.55 एम. टी. या थोड़ा सा कम तथा फ्यूल आयल का उत्पादन 3.42 एम. टी. या इससे थोड़ा कम होने की आशा है। इस प्रकार स्थिति यह है। हम कमी को पूरा करने के लिए आयात को बढ़ा रहे हैं। 1978-79 में आयात किए गए मिट्टी के तेल की वास्तविक मात्रा 1.42 एम. टी. और फ्यूल आयल की 0.90 एम. टी. थी। यह स्थिति अनिश्चित ही रहती है; क्योंकि क्रूड आयल मिलना भी निश्चित नहीं होता और न ही क्रूड आयल की कीमतें स्थिर रहती हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने

कीमतें 10 प्वाइंट से बढ़ाकर 14.5 प्वाइंट कर दी है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के देशों ने प्रति बैरल चार डालर प्रीमियम लगा दिया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की बाजार मूल्य 28 डालर प्रति बैरल है। मेरी पेट्रोलियम देशों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। वे इस बात के लिए स्वतन्त्र हैं कि किस दर पर उन्हें अपने एकमात्र सामान को बेचना है। क्योंकि उनके पास बेचने के लिये और कुछ नहीं है। परन्तु हमारी समस्या यह है, ऊर्जा के इस स्रोत पर निर्भर होने से पूर्व हमें वित्तीय कठिनाइयों का ख्याल रखना है तथा कोई वायदा करने से पहले हमें स्रोतों की उपलब्धता का भी ख्याल रखना है। मुझे आशा है कि सदन में मेरे मंत्रालय का बजट प्रस्तुत होने तक मैं अपने विदेश यात्रा से वापस आ जाऊंगा जहां मैं तेल प्राप्त करने की खोज में जा रहा हूं। मुझे आशा है कि इस सदन की सदभावनाएं मेरे साथ हैं, धन्यवाद !

———

लोक लेखा समिति

118वां और 123वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) डाक और तार से सम्बंधित समिति के 71वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 118वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 2 प्रत्यक्ष कर, वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) से संबन्धित आय और धन की स्वैच्छिक प्रकटन योजना 1975, पेरा ग्राफ 47 पर 123वां प्रतिवेदन।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

18वां और 19वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के निम्न-लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है :

(1) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम—उद्देश्य तथा नदी सेवाएं—पर समिति सातवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम—संगठन, प्रशासन और वित्तीय मामलों में कुप्रबन्ध—पर समिति के नौवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

———

अनुदानों की मांगें, 1979-80

गृह मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब गृह मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान सम्बन्धी मांगों पर विचार और मतदान करेगा

(श्री मनोरंजन भगत)

श्री मनोरंजन भगत (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह): गृह मंत्रालय का एक उद्देश्य संघ शासित क्षेत्रों में अच्छा प्रशासन प्रदान करना और उनका उचित विकास करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की सरकार बनाई गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में आपने अपना भाषण कल समाप्त कर लिया था।

श्री मनोरंजन भगत : मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त कर लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, ठीक है।

श्री मनोरंजन भगत : वहां पर लोहे के पर्दे वाली सरकार कोई अच्छी नहीं है। उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संसद-सदस्य को जब लाउड स्पीकर प्रयोग नहीं करने दिया जाता तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि वहां किस प्रकार की सरकार कार्य कर रही है। संसद सदस्य होने के नाते मैं अपने लोगों से मिलने के लिए विभिन्न द्वीपों में जाना चाहता हूं। बाधाएं खड़ी की जाती हैं ताकि मैं वहां न जा सकूं। भ्रमण कार्यक्रम रद्द करने पड़ते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां किस प्रकार की सरकार चल रही है।

महोदय, द्वीप-समूहों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। वहां बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है। बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा विध शासित क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध नहीं हैं। निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोग मकानों के लिए जगह की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कृषि योग्य फालतू भूमि उन्हें आबंटित की जाए। परन्तु इन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने प्रधान मन्त्री को 90 मांगों वाला एक मांग पत्र दिया था। विचार करने के लिए एक महीना दिया था परन्तु कुछ नहीं किया गया। अन्त में मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ी जो 15 दिन तक चली। जब माननीय प्रधान मंत्री वहां गए या अन्य मंत्री वहां गए, उन्होंने मुझे अपने दौरे के बारे में एक पत्र लिखने की शिष्टता भी नहीं बरती। मैं उस संघ शासित क्षेत्र का एकमात्र सदस्य हूं। मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं। बहुत से अन्य सदस्य, जिन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया है, उन्हें भी अनुभव हुआ होगा कि वहां किस प्रकार की सरकार चल रही है।

मैं जानता हूं कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल बहुत ही निर्धन और कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं। वे वहां के लोगों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं और यह भी जानते हैं कि वहां के लोगों के अधिकारों का किस प्रकार दमन किया जा रहा है। प्रश्न काल के समय मैंने तीन वृद्ध महिलाओं के चित्र दिखाए थे जिनकी उंगलियां उन पर किए गए अत्याचार के कारण चली गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने लोगों की शिकायतें सुनाने के लिए इस सदन के अतिरिक्त मेरे पास और कोई मंच नहीं है। गृह मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांगों पर चर्चा के दौरान ही मैं उस क्षेत्र के लोगों की शिकायतों के विषय में बता सकता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे प्रति इतने निर्दयी न बनें और न ही पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। आपका इस छोटे और दूरस्थ संघ शासित क्षेत्र के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिये। आप हमें कुछ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि वहां केवल वे अधिकारी न जाएं जो दिल्ली या देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन तथा अन्य समस्याओं पर सावधानी पूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री कृष्णसिंह मुंगेर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और इस सिलसिले में कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा।

गृह विभाग की तरफ से जो बुलेटीन निकले हैं उनमें बतलाया गया है कि विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए कितनी सारी कार्यवाईयां की गईं, पिछड़े वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, हरिजन और जन-जातियों के लिए भिन्न-भिन्न आयोग, प्रधान मन्त्री की चिन्ता ला एण्ड आर्डर के बारे में और उसके लिए विपक्ष के लोगों के साथ जो बैठकें हुईं, मुख्य मंत्रियों के साथ जो बैठकें हुईं और ये सब जो कार्यवाईयां हुई हैं, उनका विवरण उनमें दिया हुआ है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ माइनों में और ये संगठित अपराध का रूप ले रहे हैं। बार-बार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है. इन अपराधों के चरित्र को देखने से लगता है कि इस का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है कि कौन-सी परिस्थितियां हैं, कौन से आधारभूत कारण हैं, जिनके चलते ये सब अपराध घटित हो रहे हैं, घटित होने में मदद पहुंचाते हैं। हम पुलिस संस्थान से अपेक्षा रखते हैं कि वे अपराधों की रोकथाम करेंगे। उनका विश्लेषण करना भी उनकी जिम्मेदारी है लेकिन पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की मन:स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वजह है कि पुलिस और जनता के बीच में जो एक रिश्ता होना चाहिए आज वह रिश्ता नहीं है बल्कि एक भय और अविश्वास का रिश्ता है। भय और शंका से वे मुक्त नहीं हैं। आम नागरिक आज भी यह समझता है कि पुलिस प्राय: जनता के प्रति उदासीन रहती है और उसके प्रति शंका की भावना आम नागरिक के मन में है। पिछले 30 वर्षों में क्या कोई कोशिश कांग्रेस के शासन में की गई कि पुलिस और जतता के बीच में जो खाई है, जो दूरी है, उसको कम किया जाए और दोनों की मन:स्थिति में परिवर्तन लाया जाए। क्या इसके लिए कोई कार्यवाही की गई? गहराई से अध्ययन करने से पता लगेगा और सरसरी तौर पर भी पता लगेगा कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पुलिस का जो वर्तमान मूलभूत ढांचा है, वह आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमको निरर्थक लगता है, अक्षम लगता है। आज के समय की जो चुनौती है, उसको वह स्वीकार नहीं कर सकता। पुलिस का यह चरित्र शायद ब्रितानी साम्राज्य से विरासत में मिला है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है। पिछले 30 वर्षों में क्या हुआ? हम अपनी इस सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इसने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस आयोग बिठाया। जो आयोग 1947 में ठीक आजादी के बाद, बैठ जाना चाहिए, वह नहीं बैठा था।

आजादी के बाद पुलिस के चरित्र में, उसकी भूमिका में परिवर्तन लाने के लिए 1947 के बाद, आजादी के ठीक बाद, आयोग बैठ जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 30 साल के बाद हम इस सरकार को धन्यवाद देते हैं कि पहली बार राष्ट्रीय पुलिस आयोग का इसने गठन किया है, इस चीज को देखने के लिए कि पुलिस की भूमिका क्या हो, इसका चरित्र क्या हो और इसको ठीक-ठाक करने के लिए क्या किया जाए। आज तो एक आम आदमी पुलिस को बेसरोकार और निरर्थक मानता है और यह समझता है कि पुलिस और अपराधी के बीच में सांठ-गांठ है और उसकी वजह से अपराधी फल-फूल रहे हैं। पुलिस के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वे भी अपनी अक्षमता को समझ रहे हैं और वे बेचारे भी चिन्तित हैं कि पुलिस में कैसे सुधार हो, वे भी परेशान हैं और स्थिति यह है कि आज रूल आफ ला नहीं है बल्कि रूल आफ आर्डर चल रहा है। इंगलैंड में सर राबर्ट मार्क, जो पुलिस के भूतपूर्व आयुक्त थे लन्दन के, उन्होंने कहा था कि पुलिस जनता और कानून की सेवक है और किसी अन्य की नहीं, यहां तक कि सरकार की भी नहीं। लेकिन यहां पर पुलिस आयुक्त क्या इस बात को मानने को तैयार है ? यहां पुलिस इस्तेमाल होती रही है राजनीतिक दलों से। पिछले 30 सालों में ऐसा ही चलता रहा है। यहां के पुलिस आयुक्त में इतना दम नहीं इस बात को कहने का कि हम किसी के भी सेवक नहीं हैं, सरकार के भी नहीं हैं, हम तो कानून के प्रति जिम्मेवार हैं, अदालत के प्रति जिम्मेवार हैं। लन्दन में वहां की संसद को ही यह अधिकार है कि वह पुलिस आयुक्त को ससपेंड कर सके या कोई और दूसरी कार्यवाही करे पुलिस की भूमिका के बारे में या पुलिस की व्यवस्था के बारे में। हमारे यहां ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है ? 1861 का जो भारतीय दंड संहिता कानून है, उसमें कहीं भी 'सेवा' का उल्लेख नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि हम एक नई आधुनिक लड़ाई पुराने हथियारों के बल पर लड़ रहे हैं। पुलिस को हमने वही भारतीय दण्ड संहिता दी है जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी हथियार पर उससे हम कहते हैं कि तुम अपराध का विश्लेषण करो, अपराधी को पकड़ो और अपराध की रोकथाम करो। यह हारे हुए युद्ध जैसी बात है।

सबसे पहले 1859 में पुलिस आयोग बना था। हिन्दुस्तान में जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस पराजय के दो वर्ष के बाद भारत में यह आयोग बना और दूसरा आयोग लार्ड कर्जन ने 1902 में बिठाया था। उस पुलिस आयोग ने पता लगाया था कि 1859 वाले आयोग में बहुत सारी खामियां थीं और उसे अंग्रेजों ने इस उद्देश्य से बिठाया था कि हिन्दुस्तान में पुनः हमें सेना पर निर्भर न रहना पड़े और आंतरिक शांति के लिए पुलिस तंत्र को ऐसा विकसित किया जाए कि देश में कभी विद्रोह न हो और अगर हो तो पुलिस तंत्र से उसका मुकाबला कर उसे समाप्त कर दिया जाए। इसी दृष्टि से यह आयोग बना था। लार्ड कर्जन थे एक हद तक लोकतांत्रिक मगर वे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि थे, इसलिए वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। 1902 का पुलिस आयोग भी कोई ज्यादा काम नहीं कर पाया। हमारे यहां के जो एक भूतपूर्व पुलिस अफसर श्री के० एम० रुस्तम साहब हैं उनका भी यह कहना है कि हमारे यहां की पुलिस का जो कांस्टेबल है, वह सबसे बड़ा दलित वर्ग का है। उसको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। उसका काम जनता की सेवा न करके, बल्कि अंग्रेजों ने जो सोचा था कि ऐसी सस्ती पद्धति का विकास करो जिससे शासन तंत्र चल सके। लार्ड कर्जन के सामने आयोग ने दो

सिफारिशें की थीं --एक तो यह कहा कि पुलिस में शिक्षित आदमियों को लाना चाहिए और अच्छा वेतन देकर लाना चाहिए। मगर अर्थ के कारण, फण्ड के कारण इस सुझाव को नहीं माना गया। दूसरा सुझाव था कि अनपढ़ आदमियों को लाना चाहिए जिनके सामने कोई विवेक और जिम्मेदारी न हो। ऐसे ही सिपाहियों को लेकर इस पुलिस तंत्र का विकास किया गया और आज भी वही चला आ रहा है। पुलिस तंत्र में दक्षता और ईमानदारी होने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि निचले कर्मचारियों की सेवा स्थिति में सुधार हो। यह सुधार तभी संभव और सार्थक होगा जब सारा ध्यान नीचे के लोगों पर केन्द्रित किया जाए। पुलिस दल में 80 परसेंट सिपाही होते हैं। इस संस्था का जो आचरण है वह इन्हीं लोगों का आचरण होता है और उसी का प्रभाव जनता पर पड़ता है। अगर इन लोगों का सिपाही आचरण और व्यवहार खराब है तो जनता समझती है कि पुलिस का आचरण खराब है। पिछले तीस वर्षों में क्या शांति व्यवस्था में कोई ऐसा काम हुआ है कि जिस से यह पता चल सके कि इस विभाग की स्थिति में सुधार किया गया हो। पुलिस विचारी बराबर जूझती रही है। शांति व्यवस्था और विधि-व्यवस्था के संभालने में वह तनावों का शिकार है। उसकी स्थिति को आप दिल्ली में ही देख लीजिए। पुलिस के सिपाही को 240 रुपये महीना मिलता है जो कि एक अनस्कील्ड लेबर, अकुशल लेबर की तनख्वाह से भी कम है। उसे 12-12 घंटे तक ड्युटी पर खड़ा रहना पड़ता है। उसे अपने लिए नाममात्र का टाइम मिलता है। उसे नाममात्र का भत्ता मिलता है जो कि डेढ़ रुपये रोज है। उसके पास जो सामान हैं, जीप गाड़ी, यंत्र वगैरह: वे सब इतने पुराने और आऊट मोडिड हैं कि उनसे काम नहीं चल सकता। क्या आप इसके बल पर विधि व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए।

लेकिन क्या इससे पुलिस का रूपांतरण हो जाएगा। उसकी भूमिका को भी बदलना होगा। पुलिस को स्वतंत्र बनाना होगा। ब्रिटेन में, लन्दन में पुलिस आयुक्त को संसद ही हटा सकती है। वह कानूनी अदालतों का आदमी है। वह किसी मंत्री या राजनीतिक दल के आदेश पर काम नहीं करता। भारत में इसका इस्तेमाल सत्ताधारी दल अपने काम के लिए करता है। हम चाहते हैं कि अगर इसे जनता का सेवक बनाना है तो पुलिस की भूमिका को बदलना होगा। केवल उसकी तनख्वाह बढ़ाने और उसके साधन बदलने मात्र से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी भूमिका को भी बदलना होगा। तभी जाकर जनता का सेवक हम उसको बना सकते हैं। पुलिस द्वारा मांग की जाती है कि हमारा अधिकार बढ़ाया जाए। हम देखते हैं अधिकार बढ़ाने से व्यक्ति भ्रष्ट भी हो जाता है। हां, राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। राजनीतिक लोग इस बात में खुश होते हैं कि फलां का हमने ट्रांसफर करा दिया, उसको बदलवा दिया। यह काम भी बन्द होना चाहिए। लेकिन आज यह भी देखा जाता है कि बाहर के आदमी राहत महसूस करते हैं राजनीतिक दल के आदमी से। पुलिस आतंक से राजनैतिक लोग ही रक्षा करने में सहायक हैं। कहीं गाड़ी में चले जाइये, चैक पोस्ट्स बनी हुई हैं, वहां नियुक्त पुलिस कर्मचारी खुल कर ट्रक वालों से पैसा ले रहे हैं। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल का आदमी रहे तो पुलिस वाले घबड़ा जाते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि पुलिस अपना चरित्र और भूमिका बदले। साथ ही राजनीतिक दल के लोग पुलिस के मामले में दखलंदाजी न करें, उनको इस हस्तक्षेप से आजादी मिलनी चाहिये।

3 अगस्त, 1978 को आन्तरिक सुरक्षा कानून रद्द किया गया, नजरबन्दों को रिहा किया गया। 2,568 नक्सलवादियों की रिहाई हुई। लेकिन उसकी स्याही सूख भी नहीं पायी थी, मध्य प्रदेश में मिनी मीसा लगाया गया, गुंडा अधिनियम बनाया गया। बिहार में अपराध नियंत्रण अध्यादेश 30 सितम्बर को लागू किया गया। यह देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन है बहुत खोटा। जिलाधिकारियों को अधिकार है कि जिसको चाहें उसको उठा कर बन्द कर दें। कमिश्नर को अधिकार दिया गया है अपील सुनने का। राज्य स्तर पर कोई रिव्यू बोर्ड नहीं है, न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार नौकरशाही के हाथ में नागरिकों की आजादी बन्धक रख दी गई है। जिस जहरीले दिमाग ने मिनी मीसा जैसी चीज बनायी है उस दिमाग को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। यह तानाशाही का द्योतक ही माना जायगा। आपातकाल के प्रवर्तकों के बारे में हम बारबार कहते हैं कि उनका दिमाग तानाशाही था; लेकिन जनता पार्टी की सरकार में जो लोग ऐसे कानून बना रहे हैं वह एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनका दिमाग भी उतना ही जहरीला है। भले ही स्लोगन लगाने के लिये कह दें कि इन्दिरा गांधी और संजय गांधी ब्रिगेड के लोग तानाशाह थे, लेकिन हमारा भी दिमाग उतना ही संकुचित है। क्या आई० पी० सी० में सुधार करके हम असामाजिक तत्वों को काबू में नहीं कर सकते हैं। 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार अगर अपराधी 60 दिन तक जेल में रहता है और पुलिस अपनी रिपोर्ट नहीं भेजती है तो कोर्ट को अधिकार है कि 61वें दिन उसको जमानत पर छोड़ सकती है। आज होता यह है कि बहुत सारे अपराधी लोग पुलिस के यहां पैरवी करते हैं कि हमारी रिपोर्ट पुलिस न भेजे ताकि कोर्ट उनको जमानत पर 61वें दिन छोड़ दे। क्यों नहीं इस अवधि को बढ़ाकर 120 दिन किया जाता है? और डकैती तथा मर्डर केसेज़ में इसको लागू नहीं होना चाहिये।

अभी प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों की कान्फ़्रेंस बुलायी थी जिसमें कहा गया कि 1973 में जो सेपरेशन आफ जुडिशियरी और ऐग्ज़ीक्यूटिव हुआ था वह ठीक नहीं था। कुछ मुख्य मंत्रियों ने यह सवाल उठाया कि यह गलत काम हुआ था। फिर से ऐग्ज़ीक्यूटिव के हाथ में अधिकार देना चाहिये कि वह कागनीजेन्स का अधिकार ले ले। स्टेट्समैन ने इस पर लेख लिखा है। जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रवर्तक हैं। लेकिन जनता पार्टी के कुछ मुख्य मंत्रियों का यह हाल है कि आज वह चाहते हैं कि इस सेपरेशन को समाप्त करना चाहिये। कार्यकारी को अधिकार लौटाना चाहिए।

हरिजनों पर अत्याचार की बहुत कहानियां गायी जाती हैं। प्रेस के द्वारा भी धूआंधार प्रचार होता है। असली बात यह है कि हरिजनों में प्रतिरोध की ताकत बढ़ रही है, उनके अन्दर जो हजारों सालों की हीन भावनायें थीं वह घट रही हैं और उनमें भी टक्कर लेने की स्थिति पैदा हो रही है। ऊंची जातियों के दिमाग में जो अहंकार की भावना थी कि हम से यह लोग छोटे हैं, आज हरिजनवर्ग उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। कंझावाला के सवाल पर प्रदर्शन हुआ वह मध्यम जातियों की उभार का उदाहरण है। लेकिन आज सारी पृष्ठभूमि में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तीन स्टेजेज आती हैं। एक होती है पराधीनता की स्टेज, इसमें जब लोग विद्रोह करते हैं तो उनको बागी कहते हैं, अनुशासनहीन कहते हैं। छात्र समाज और श्रमिक वर्ग को

कहा जाता है कि अनुशासन तोड़ने वाले हैं। लेकिन पराधीनता के विरुद्ध जो लड़ाई है उसको हम विद्रोह मानते हैं। चाहे वह विदेशी पराधीनता हो या देशी पराधीनता। पराधीनता के खिलाफ लड़ाई को विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। पराधीनता जब मिट जाये, विद्रोह जब सफल हो जाये, तो जो स्टेज पहले आयेगी वह स्वच्छन्दता की स्टेज होगी और दूसरी स्टेज स्वतंत्रता की होगी। आज हम जिस संक्रमण स्टेज से गुजर रहे हैं, यह कोई स्वतंत्रता की स्टेज नहीं है। आज श्रमिक वर्ग, चाहे कोई भी क्लास हो, वह अपने हक के लिये लड़ रहा है, छात्र भी लड़ रहे हैं। जहां देखिये वहां स्वच्छन्दता की मनोवृत्ति है, आज हम ट्रांजीशन के पीरियड में हैं। स्वतंत्रता तो विवेक से आती है, जब हम समझेंगे कि हमारी इस कार्यवाही में समाज और राष्ट्र का हित होगा।

रेल में बिना टिकट सफर करना, टी० टी० को पीटना, मार-पीट करना, होली, ईद, बकरीद आदि किसी त्योहार में कोई तनाव हो जाये तो रेल गाड़ी का गद्दा उखाड़ना, पत्थर फेंकना वगैरह यह सब स्वच्छन्दता है, यह स्वतंत्रता हरगिज नहीं है। मगर यह स्टेज है और कुछ काल तक रहेगी। जब 19 महीने इस देश में पराधीनता रही, 19 महीने के पहले पूरे दशक तक तैयारी चल रही थी, यह नहीं कि 25 जून को अपने आप सूरज उगा तानाशाही का, ऐसी बात नहीं है। 25 जून, 1975 के पहले देश में तैयारी हो रही थी, देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा था, देश का अर्थ-तंत्र, राजनैतिक तंत्र और प्रशासन-तंत्र सब तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे। 25 जून, 1975 से 19 महीने तक देश पराधीन रहा और लोग बन्द बोतल में डूबे रहे जो कि सफोकेशन की मुद्रा में स्वच्छन्दता का स्टेज है। हमारी सरकार को इस बात को नजरन्दाज नहीं करना चाहिये, यह बात मानकर नहीं चलना चाहिये कि आज छात्रों में अनुशासनहीनता है या मजदूरों और श्रमिकों की अकारण हड़ताल होती है। कहीं वह अगर बोनस के लिये लड़ते हैं या राष्ट्र के हित को नहीं देखते हैं तो यह स्वाभाविक है, यह लोग लड़ेंगे। इस तथ्य को सरकार को ध्यान में रखना चाहिये। आज सभी मजदूरों पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत चिन्तित हैं, कभी हरिजनों की मीटिंग में जाते हैं और कभी विपक्षियों के साथ मीटिंग करते हैं। चाहे अलीगढ़ का दंगा हो या कहीं का हो, यह ठीक है कि अलससंख्यकों के दंगों की तादाद घटी है। यह सब काम प्राइम मिनिस्टर की मात्र चिन्ता को व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारा काम निषेधात्मक नहीं, नकारात्मक कार्यवाही नहीं, हमारा कुछ काम रचनात्मक होना चाहिये।

हिन्दु-मुस्लिम एकता की खाई को पाटने के लिये पिछले 30 वर्षों से क्या हुआ? जो हीन भावना है, मुसलमान अपने को सौतेला भाई मानते हैं। पिछली सरकार ने उन्हें 30 वर्षों तक एक-दूसरे की पीठ ठोककर लड़ाया, दोनों के बीच की खाई को नहीं पाटा। इस सरकार को हिन्दु-मुस्लिम दोनों के मन की खाई को, अल्प-संख्यकों और बहुसंख्यकों के मन की खाई के खार को दूर करने और पाटने का काम करना चाहिये। यह काम कई तरीकों से हो सकता है। जैसे भाषा का सवाल है, संस्कृतनिष्ट भाषा की जगह हिन्दुस्तानी भाषा जिसमें उर्दू, बंगला, तमिल शब्द रहे, का इस्तेमाल करें। जैसे ऐतिहासिक अशोक चक्र को चलाया उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में शेरशाह ने पेशावर से हावड़ा तक लम्बी सड़क बनाई, उसे अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रंक रोड का भद्दा नाम दिया। हम क्यों नहीं उसका नाम बदलकर शेरशाह पथ रखते हैं? शेरशाह

हमारे देश के पुरखे रहे हैं। हमें ऐसे बहुत काम करने चाहियें। इससे हम हिन्दू-मुस्लिम एकता जिन्दा कर सकेंगे, दोनों के मन की खाई को निकालने का काम कर सकेंगे। हमें इस सम्बन्ध में रचनात्मक कार्यवाही करनी चाहिये। जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वह सराहनीय है, मैं चाहता हूं इससे आगे बढ़कर काम किया जाय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर जुल्म और सितम की कहानी इस बार भी सुनने में आई। माननीय सदस्यों ने इस बारे में बड़ी चिन्ता जाहिर की। माननीय सदस्य, डा॰ कर्णसिंह, ने यहां तक कहा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का ताना-बाना ढीला हो रहा है, सीमांत पर ढीला हो रहा है, चाहे उत्तर-पूर्व सीमांत हो या उत्तर-पश्चिम सीमांत हो। उन्होंने कहा कि देश के अन्दर भी जातीय विद्वेष है, जातीय दंगे हो रहे हैं, हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, जिससे हमारी नेशनल लाइफ का फैब्रिक, राष्ट्रीय जीवन का ताना-बाना ढीला हो रहा है, और यह हमारे लिए खतरे की बात है।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह सवाल, जिसको हम हरिजन या आदिवासी सवाल कहते हैं, हमारे हृदय के बहुत निकट है। हम इस सवाल से बहुत ही चिन्तित हैं और इसको हल करने के लिए हम जितना भी प्रयास, कोशिश, कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं। अत्याचारों की ये घटनाएं यद्यपि राज्यों का विषय हैं, क्योंकि विधि-व्यवस्था कायम रखना, और विधि-व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को सजा देना राज्यों का विषय है, फिर भी जहां तक हरिजनों और आदिवासियों के उत्पीड़न का सवाल है, हम बराबर राज्यों से सम्पर्क बनाये रहते हैं, स्थिति पर पूरी निगरानी रखते हैं, और जहां कहीं भी हम समझते हैं कि राज्य सरकारों को सलाह या परामर्श देने की जरूरत है, या राज्य सरकारों की ओर से जहां कहीं भी सहयोग के लिए मांग होती है, तो हम उस पर अवश्य विचार करते हैं।

इस विषय में समय-समय पर जो आदेश या डायरेक्शन्ज दिये गए हैं, उन सबको रीव्यू करने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए, हमने पिछले दिनों राज्यों का दौरा किया, और राज्य सरकारों के साथ मिल-बैठ कर हमने उन सारे आदेशों या डायरेक्शन्ज पर चर्चा की, और उनकी कठिनाई क्या है, और कहां तक हम उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं, इस पर हमने उनकी राय या अनुभव को जानने की कोशिश की।

मैं एक उदाहरण दूंगा। हाल में मैं बिहार गया था क्योंकि बिहार की घटनाओं से माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हो उठे—, और बिहार में जो भी एट्रासिटी-प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अफसरों को हमने बुलाया था, और राज्य सरकार के अफसरों और मंत्रियों के साथ—मुख्य मंत्री भी उसमें शामिल थे—हमने विचार किया था। हमने वहां कहा था कि इन दस जिलों में आप दस हजार होमगार्डज की तत्काल भर्ती कर लें, जिसका खर्चा केन्द्रीय सरकार 50 : 50 बेसिस पर उठायेगी—एक जिले में एक हजार होमगार्डज की भर्ती कर लें, जिनमें अधिकांश हरिजन हों। वैसे ही इन जिलों में पुलिस को मजबूत करने के लिए, उसको आधुनिक साज-सज्जा देने के लिए, उसको द्रुतगामी सवारी देने के लिए, इन सारी चीजों के लिये भी हमने उनको रुपये की मंजूरी

दे दी और उनकी और भी जो कठिनाइयां होती हैं उनको हमने उनसे सुना, उनका जायजा लिया और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं।

मैं यह कह रहा था कि हरिजनों पर जो ये जुल्म होते हैं उनकी रोकथाम के लिए शार्ट टर्न में, जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकते हैं इस पर हम बराबर ही बिचार कर रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम हैं वह हम अवश्य उठाते हैं। राज्य सरकारों की ओर से हमको अनुकूल प्रतिक्रिया मिली है, मिल रही है और राज्य सरकारों का सहयोग मिल रहा है। यद्यपि अभी हमारे लिए यह कहना बिल्कुल सम्भव नहीं है कि जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें बहुत कमी हो गई है या उसका उस पर प्रभाव पड़ा है लेकिन इसका प्रभाव होगा, यह मेरा विश्वास है। मैं माननीय सदस्यों से दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े हैं एट्रासिटीज के जिससे माननीय सदस्य बहुत चिन्तित होते हैं, इसके पीछे जा करके देखें तो इसके लिये जो सबसे बड़ा कारण है वह है आर्थिक। माननीय सदस्यों ने कहा कि ये जो हरिजनों पर जुल्म और सितम होते हैं चाहे व्यक्ति की ओर से हों, चाहे सामूहिक हों, जाति की ओर से हों, दोनों तरफ से होते हैं, लैंड-लार्ड भी करता है और कास्ट भी, जाति भी करती है, यह शोशल और एकोनामिक दोनों हैं···

श्री महीलाल (बिजनौर) : सोशल कम है, एकोनामिक ज्यादा है।

श्री धनिक लाल मण्डल : हां, वही मैं कह रहा हूं। मैं दोनों कह रहा हूं। आप सुनिये। हमको बीच में रोकिएगा तो हमारा प्रवाह टूट जायेगा।

मैं यह कह रहा था कि ये जो घनटाएं होती हैं इनके पीछे जो कारण है वह कारण यह हैं कि हरिजन अब जागृत हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं और अपने अधिकारों को लेने के लिए अब वह प्रयास कर रहे हैं। एसर्ट कर रहे हैं। इससे जो संघर्ष पैदा होता है इस संघर्ष में हरिजन कमजोर होते हैं और इसलिए यह बेमेल लड़ाई हो जाती है। जैसे रामविलास पासवान जी ने कहा कि यह बेमेल लड़ाई हो जाती है, एक तरफ तो कमजोर लोग खड़े होते हैं, दूसरी तरफ मजबूत लोग खड़े होते हैं, इन दोनों के बीच में हरिजन जो कमजोर होते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, सताये जाते हैं। यह कारण है कि हरिजनों पर इतना जुल्म हो रहा है और यह बात सही है कि जो घटनाएं हो रही हैं उसको यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस दृष्टि से देखें तो यह जो बढ़ती हुई रेखाएं हैं वह इसलिए हैं कि अब ये सामाजिक और आर्थिक संघर्ष अधिक होने लग गए हैं। यद्यपि इन संघर्षों में हरिजन कमजोर होने के नाते पिटते हैं, यह बात सही है। इसलिए अभी जो चार्ट कुछ बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है इसका कारण यह है कि ये सामाजिक और आर्थिक संघर्ष बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते जायेंगे जैसी कि आशा है। जो माहौल है, जो वातावरण है, जो आज की दुनिया है उसको देखते हुए और जो आज की हमारी मान्यताएं हैं, संस्कृति है, जो जनतन्त्र का वातावरण है, इन सारी चीजों को लें तो यह अवश्यंभावी है कि ये संघर्ष बढ़ेंगे। इस संघर्ष में हरिजन कमजोर न रहें, उनको मजबूत बनाया जाय जिससे वे पिटें नहीं। इसके लिए सरकार को क्या उपाय करना चाहिए यह देखने की बात है। जिससे सरकार हरिजनों का साथ दे सके और हरिजन अपना अधिकार ले लें, उसमें वह पिटें नहीं क्योंकि सरकार चाहती है कि हरिजन समस्या का हल हो जाय और अपने समाज में हरिजन और सवर्ण, अवर्ण और सवर्ण नाम की कोई चीज न रह जाय, दोनों समाप्त होकर एक समाज बन जाए। इसमें हम उनकी कैसे मदद

कर सकते हैं इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा काम इनको मजबूत करने का सबसे पहले है। यह जो सारी बातें होती हैं कि पुलिस में इनकी भर्ती होनी चाहिए, प्रापर रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिए, सर्विसेज में इनकी भर्ती होनी चाहिए, इनको प्रापर रेप्रेजेन्टेशन देना चाहिए। और भी जो मांगें हैं वह अपनी जगह पर उचित हैं। लेकिन मैं दूसरी चीज की ओर संकेत करना चाहता हूं। सबसे बड़ा प्रश्न आर्थिक है। इनकी कमजोरी उतनी फिजिकल नहीं है जितनी कि आर्थिक है। एक तरफ बन्दूक है और दूसरी तरफ लाठी है—इस बात को भी मैं मानता हूं कि हरिजन लाठीधारी होते हैं और भूस्वामी बन्दूकधारी होते हैं, उनकी लड़ाई बेमेल है। इसके बावजूद सबसे बड़ा प्रश्न आर्थिक है। लाठीधारी भी बन्दूकधारी को पीट सकता है लेकिन असल कमजोरी यह है कि हरिजन के पास जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, उद्योग नहीं है, हरिजन के पास कोई असेट्स नहीं हैं। इसकी वजह से वे कमजोर हो जाते हैं। वे संगठित भी नहीं हो सकते हैं। उनके पास हथियार भी नहीं हैं। लेकिन अभी मैं बात आर्थिक स्थिति की कर रहा हूं।

सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया और इस बात का एलान किया कि पांच साल में अस्पृश्यता को खत्म करना है। यह जो कोढ़ है उसकी वजह से आज भी हम कमजोर बने हुए हैं और जब तक इसको खत्म नहीं किया जाता है तब तक हम कमजोर ही बने रहेंगे। इसीलिए प्रधान मन्त्री जी ने इस बात का एलान किया तो एक वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया ताकि वह कार्यक्रम सुझा सके। तो एक तरफ एलान हुआ और दूसरी तरफ कार्यक्रम बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया। केवल नीतियों के एलान से कुछ नहीं होगा, कार्यक्रम भी होना चाहिए जिससे कि पांच साल में इस कोढ़ से छुटकारा मिल सके। उस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें बहुत सी अनुशंसायें हैं। मैं यहां पर केवल तीन का ही जिक्र करना चाहता हूं। एक अनुशंसा यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाये। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज तक जितनी भी बातें हुई हैं तीस वर्षों में—मैं आलोचना के स्वर में नहीं कह रहा हूं—उससे यह बात स्पष्ट है कि जितनी भी योजनायें बनीं वह उनके जीवन को बिना छुए अगल-बगल से कतरा कर चली गईं। यह आवजवेशन मेरा नहीं बल्कि प्लानिंग कमीशन का है। यह जो विकास के काम हुए, निर्माण के काम हुए, योजनाबद्ध ढंग से योजनायें चलाई गईं उनसे इस वर्ग के लोगों का कल्याण नहीं हुआ—यह स्पष्ट बात है। योजना बनाने वाले ही इस बात को कह रहे हैं। उसका फल यह हुआ कि हरिजनों को उसका लाभ नहीं मिला। फिर उनका विकास कैसे होता ? उनका विकास नहीं हुआ। इसलिए वर्किंग ग्रुप ने कहा कि योजनाओं की तहत लेकर इनका विकास करना होगा। पावर्टी लाइन से नीचे के जो 60 परसेंट लोग हैं उनमें अधिकांश हरिजन ही हैं। जब तक आर्थिक रूप से इनको विकसित नहीं किया जाता है तब तक ये मजबूत नहीं हो पायेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि इनको हम मजबूत बनायें, संगठित बनायें ताकि जीवन संघर्ष में वे जो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वे अत्याचार, जुल्मो सितम के शिकार होते हैं उससे उनको बचाया जा सके। इसके लिए उनका आर्थिक विकास होना जरूरी है। इस सम्बन्ध में वर्किंग ग्रुप ने तीन अनुशंसायें की हैं। एक तो यह कि स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान बनाया जाये। क्या हरिजनों का विकास मात्र होम मिनिस्ट्री का कन्सर्न रहेगा, मात्र राज्यों में

वेलफेयर डिपार्टमेन्ट का कन्सर्न रहेगा ? इससे तो हरिजनों का विकास नहीं हो सकता। हरिजनों का विकास तभी हो सकता है जबकि जितने भी डेवलेपमेंट के सेक्टर्स हैं, विकास के जितने भी क्षेत्र हैं चाहे वे राज्य सरकारों के हैं या चाहे केन्द्रीय सरकार के हैं, चाहे स्टेट प्लान में हैं और चाहे सैन्ट्रल प्लान में हैं, जो भी डेवलपमेंट के सैक्टर हैं, उन सैक्टरों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान डालना होगा, उनमें उन स्कीमों को आइडेंटीफाई करना होगा जो हरिजनों के जीवन को छुएं, उनके जीवन का निर्माण करें और उनके जीवन का विकास करें। ऐसी स्कीमों को आइडेंटीफाई करना और जब ये आइडेंटीफाई हो जाएं, तो इन सैक्टरों के डिवीजिबिल स्कीम से उससे इतना रुपया इयरमार्क करना मद में लेना होगा जितनी उनकी आबादी है। मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि उनकी आबादी के अनुपात से होना चाहिए। वैसे होना तो यह चाहिए कि गरीबों में जो उनकी आबादी है, देश की कुल आबादी के 60 सैंकड़ा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनमें भी 60 सैंकड़ा लोग हरिजनों के हैं और उस अनुपात में रुपया दिया जाना चाहिए। लेकिन कम से कम उनकी आबादी के हिसाब से पैसा अलग कर दिया जाए और उन स्कीमों को आइडेंटीफाई किया जाए, जो इनके जीवन को बनाएं, इनके जीवन का निर्माण करें। इस तरह से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बना कर और हर सैक्टर में स्कीम आइडेंटीफाई करके डिवीजीबिल स्कीम उतना पैसा इयरमार्क करके जितनी उनकी आबादी है, उनके लिए काम किया जाए और फिर फैमीली के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर स्कीम बना कर उस काम में उनको लगाना और टार्गेट्स निश्चित करना कि 5 साल में 50 सैंकड़ा परिवार और 10 साल में 100 सैंकड़ा परिवारों को हम छू लेंगे, तब जाकर उनके लिए काम हो सकेगा। इसलिए एक कमेटी बना दी है और उससे कहा है कि एक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बनाया जाए जैसे कि आदिवासियों के लिए सब-प्लान बना है तीन, चार वर्षों में यह सब-प्लान का विचार पूरा रूप ले चुका है। इसका एक रूप बन चुका है, प्रकार बन चुका है, इसका एक रंग है और एक नाम है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें आदिवासियों के विकास के लिए हम एक सब-प्लान बनाते हैं लेकिन हरिजनों के साथ दिक्कत यह रही है कि हरिजन जनरल आबादी में घुले-मिले हैं।

(श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए······14-03)

उनसे अलग नहीं हैं जैसे ट्राइबल हैं। वे एक खास कनसेन्ट्रेशन में एक जगह होते हैं। हरिजनों के साथ दुशवारी यह है कि ये जनरल पापूलेशन में घुले-मिले हैं और जनरल पापूलेशन को ऊंचा उठाने के लिए जो एरिया प्लान बनाते हैं, उनसे इनको लाभ नहीं मिलता और जो मजबूत लोग हैं, वे लाभ उठा लेते हैं। ···(व्यवधान)···ठीक है, वे सबसे गन्दी आबादी में बसते हैं, जहां पर शुद्ध हवा नहीं मिलती है। यह सब दिक्कत है। इसलिए मैं कह रहा था कि यह जो कहा गया कि ये जनरल आबादी में आ जाते हैं, सभी के साथ आबादी में ये आ जाते हैं, तो इसमें कोई दुशवारी नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इस बात को देखेगा। जैसाकि मैंने पहले कहा कि सिर्फ यही टार्गेट नहीं होना चाहिए बल्कि टार्गेट तो यह होना चाहिए कि उस इलाके में जहां हरिजन लोग घुले-मिले रूप में बसे हुए हैं, जनरल आबादी के साथ बसे हुए हैं और जब वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो फिर उनको और ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। इसलिए हम लोगों ने इस बात को स्वीकार करके इसको अमल में लाने

की कोशिश की है और मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हम लोग इस वर्ष सभी राज्य सरकारों से इसको मनवाने में सफल हो गये हैं। सभी राज्य सरकारों की राजधानियों में जा जा कर और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर हमने उन्हें सहमत कराया कि इस साल जितने भी प्लान हैं, मिड-टर्म प्लान 1978-83 के, उनमें स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान डाले जाएं। उन्होंने ऐसा किया है चाहे अभी थोड़े रकम ही डाले गए हों। किसी-किसी राज्य ने 6 सैकड़ा इयरमार्क किया है एलोकेशन और हमारा कहना यह है कि उनकी आबादी के अनुसार होना चाहिए। अभी एक शुरूआत हुई है, एक बिगनिंग हो गया है और विश्वास है कि जिस तरह से प्लानिंग कमीशन का आशीर्वाद इसको मिला हुआ है और भारत सरकार के प्रधान मन्त्री का विश्वास इसको मिला हुआ है, इसमें हमको विश्वास है, इसमें हमको कोई हिचक नहीं है। यह स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बढ़ते-बढ़ते सब-प्लान के मुकाबले में आ जाएगा जैसे कि ट्राइबल, आदिवासियों का सब-प्लान है। उनके विकास के लिए सब-प्लान है। इस स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को बढ़ा कर हम हरिजनों की तरक्की के लिए इसको मुख्य इंस्ट्रुमेंट के रूप में व्यवहार करने जा रहे हैं। मैं इस बात को स्ट्रेस कर रहा था कि जब तक हरिजनों की तरक्की के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रुमेंट, मिकेनिज्म को नहीं खोज लिया जाता तब तक जनरल प्लान से इनका फायदा नहीं होने वाला है। आज तक भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होने वाला है। इसलिए इस इंस्ट्रुमेंट को हमने ढूंढ़ निकाला है और यह स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हो सकता है। इसे हमने राज्यों में जाकर, राज्य सरकारों से बात करके बनाया है और हर सैक्टर में हम इसे डलवा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के जो विभाग हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि उनके जो डवलपमेंट सेक्टर हैं, उनमें हरिजनों के विकास के लिए इस योजना के मुताबिक, स्पेशल कम्पोनेन्ट के मुताबिक काम करें और अपने-अपने सेक्टर में, अपने-अपने विभाग में हरिजनों की स्कीमों को आइडेंटीफाई करके हरिजनों की आबादी के अनुपात में रुपया इसमें रखा जाए। जो हरिजनों की आबादी है और उनके लिए जो टार्गेट्स हैं उनको स्पष्ट, क्लीयर रखा जाए कि किस हद तक, किस पैमाने तक उनको उठाना है।

मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि यह जो हमारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का आइडिया है, जिस तरह का आदिवासियों के लिए सब प्लान है, उसी पेटर्न पर हम इसका विकास कर रहे हैं और राज्य सरकारों से इसे स्वीकार कराने में हम सफल हो गये हैं। चाहे इसमें अभी केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा थोड़े ही पैसे डाले गये हैं लेकिन यह पैसा बराबर बढ़ता जाएगा। जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि यह आन गोइंग प्लान की तरह है और एक साल से दूसरे साल में राशि एडजस्ट होती रहेगी।

दूसरा इंस्ट्रुमेंट भी हम फोर्ज कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ राज्यों ने शेड्युल्डकास्ट्स डवलपमेंट कारपोरेशन बनाये थे। खास करके दक्षिण के राज्यों ने बनाये थे। पंजाब और हरियाणा में भी बने थे लेकिन वहां इनका बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। ये जो शेड्युल्डकास्ट्स कारपोरेशन हैं, इनका वित्तीय आधार कमजोर है और इनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्युशंस में भी कम पैसा आता है, इसलिए इनको बढ़ाने के लिए इनमें केन्द्र का भी पार्टिसिपेशन मंजूर करवाया है। इस साल जो कि बीत गया है, उसमें 50 लाख रुपया रखा गया था

लेकिन इस साल दस करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राज्यों में जो शेड्युल्डकास्ट्स डवलपमेंट कारपोरेशन बने हुए हैं उनमें शेअर केपिटल में केन्द्रीय सरकार की हिस्सेदारी 49 परसेंट की होगी और 51 परसेंट राज्य सरकार लगायेगी। इस आधार पर अब और राज्यों में भी यह काम शुरू हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल चार स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कारपोरेशन बनाये हैं और इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य भी सम्मिलित हैं जहां सबसे अधिक हरिजनों के विकास की समस्या हैं। जहां केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से यह बात की है कि वह भी इसमें शामिल होना चाहती है वहां उन्होंने भी अपने-अपने डवलपमेंट कारपोरेशन बनाये हैं।

इसका उद्देश्य यही है कि हम इस इस्ट्रुमेंट के जरिये हरिजनों की सेवा करना चाहते हैं। हरिजनों के लिए जो इस बारे में हमने नियम बनाये हैं वे ये हैं कि एक-एक स्कीम अधिक से अधिक पांच हजार रुपये की होगी, उससे अधिक की नहीं होगी जिससे कि अधिक से अधिक हम उनको ऊंचा उठा सकें। एक का मैंने उदाहरण दिया। ऐसे बहुत से राज्य हैं, सबका मुझे याद नहीं है।

तीसरी बात यह है कि जो वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है हमको स्पेशल सैन्ट्रल असिस्टेंस भी चाहिये हरिजनों के काम को, उनके विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस पर हमारा प्रयास हो रहा हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक राज्यों को प्रोत्साहन नहीं होगा। मैं एक जानकारी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं, यद्यपि उन्होंने बहुत से प्रश्न उठाये हैं, माननीय रामविलास पासवान यहां नहीं हैं जिन्होंने हरिजन ऐट्रोसिटीज के बारे में प्रश्न उठाये, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मुख्य बात है वह यह कि हमारा ध्यान इनके आर्थिक विकास की ओर होना चाहिये जहां से मजबूरियां पैदा होती हैं, जहां से बान्डेड लेबर पैदा होते हैं। इसको दूर करने के लिये हमारा प्रयास होना चाहिये और उसके लिये जो हमें इन्स्ट्रुमेंट बनाने चाहियें, स्पेशल प्रोसीजर या मैकेनिज्म तैयार करनी चाहिये जिससे उन तक लाभ पहुंचा सकें, विकास का काम पहुंचा सकें, इस काम को ठीक करने के लिये हम जाग्रत हैं। इसलिये यह कहना कि राष्ट्रीय ताने-बाने को और देश के अन्दर इसको सुदृढ़ करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह आरोप निराधार हैं। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि जितना पहले कभी नहीं ध्यान दिया गया, उससे ज्यादा ध्यान हम इस ओर दे रहे हैं ताकि पांच साल के अन्दर सरकार के संकल्प के अनुसार हरिजन सवाल हल हो जाय। मैं इसको मिनिमाइज नहीं करता हूं, मैं जानता हूं कि काम बहुत बड़ा है, समस्या बड़ी विकराल और जटिल है, लेकिन हमारा संकल्प भी उतना ही महान है और हमने प्रयास आरम्भ कर दिया है सही दिशा में। और मेरा विश्वास है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाते जायेंगे और जितनी जल्दी हो सके इस समस्या को हल करेंगे।

श्री महीलाल (बिजनौर) : मन्त्री जी क्या आप बतायेंगे कि जो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन्स हैं और जिन पर हमारा अरबों रुपया खर्च हो रहा हैं वहां के लिये आपने क्या किया है ? वहां भी उनको कोई रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय बाद में उत्तर देंगे।

श्री एम० एन० गोविन्दन् नायर (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, राज्य मंत्री का भाषण सुनने के पश्चात् भी मेरा यही विचार है कि गृह मंत्रालय को उन समस्याओं का पता नहीं है

जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। मुझे इस बात को जोर देकर कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसका सुचारु कार्य चालन राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणों से वे अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करते हैं और मंत्रालय ठप्प पड़ा है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से यह नहीं है। मूलभूत कारण हमारे राष्ट्र के स्वरूप, जो कि लोकतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष है और हिन्दू राष्ट्र की राजनीतिक दार्शनिकता के बीच विरोध है। इस दार्शनिकता का अभी शासन वर्ग में स्थान नहीं बना है। इसने देश में बिलकुल एक भिन्न स्थिति पैदा कर दी है। मैं यह नहीं कह रहा कि संबंद्ध मंत्रियों में से कोई भी जो पहले जनसंघ का सदस्य रह चुका है, किसी को उकसा रहे हैं। लोकतंत्र विरोधी और धर्मनिरपेक्षता विरोधी ताकतें समस्या पैदा कर रही हैं और उनका सामना करना आपके लिए भी बहुत कठिन है चूंकि आपने उन ताकतों से भाई चारा बना रखा है इसलिए आपके हाथ बंधे हुए हैं। यही मुख्य समस्या है।

जब तक सत्तारूढ़ दल में इस प्रकार का राजनीतिक दर्शन बना रहेगा तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं यह नहीं कहता कि आपने ईमानदारी से कोशिश नहीं की है, श्री मेडल स्थिति बिगड़ती ही जाएगी। गांधी जी ने विभाजन के बाद एकदम यह कहा था कि यह भूमि केवल हिन्दुओं की भूमि रही है, अपितु यह देश मुसलमानों, सिखों, इसाईयों और पारसियों सब का है। भारत संघ राज्य के प्रति जो भी व्यक्ति निष्ठ हैं उसे देश में पूर्ण अधिकार है। हमने यह सिद्धान्त अपने संविधान में अपनाया लेकिन यह हिन्दु राष्ट्र विचार के बिलकुल विरुद्ध है जिसमें कि अन्य समुदायों और अन्य धार्मिक सम्प्रदायों को तभी स्थान दिया जाएगा जबकि वह अच्छा व्यवहार करेंगे। अत: इसका समाधान यह है कि आप बहुमत की राय लीजिए। यदि आप चाहें तो आप बिना ऐसे तत्वों के सरकार का पुनर्गठन कर सकते हैं और एक ऐसा समाधान ढूंढ सकते हैं जिससे सब खुश हों।

लेकिन इन परिस्थितियों में मुसलमान, ईसाई और सब लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अलीगढ़ में जो कुछ हुआ है उसे मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। मुसलमान समुदाय के लोगों का यह विचार है कि उन्हें सामान्य नागरिकों की भांति नहीं समझा जाता। उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जा रहा है। दूसरे वर्गों के मन में भी यही भय है। अब इसाईयों को भी यह भय हो गया है क्योंकि आप धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं।

हिन्दुओं को वह भी विशेषकर उच्च श्रेणी के हिन्दुओं को छोड़कर देश मे कौन सुरक्षित रहेगा। हिन्दु समुदाय में भी एकरूपता नहीं है। उनमें भी कई जनजातियां हैं और कई पिछड़े वर्ग हैं। क्या आप उनके अधिकारों को इस देश के नागरिकों के समान स्वीकार करने लिए तैयार हैं? सिद्धान्त रूप में आप कहते हो पर व्यवहारिक रूप में आप इन्कार करते हो यही समस्या है। जब तक आप इस राजनीतिक समस्या को हल नहीं करते आप कठिनाई में रहोगे। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

मेरी दूसरी बात पुलिस के संबंध में है। वह अभी भी पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार चल रहे हैं। उनका रवैया भी अंग्रेजों के जमाने जैसा है। क्या आपने उसमें कोई परिवर्तन किया

है । आपने एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति की है लेकिन वह इन समस्याओं पर विचार नहीं करेगा । पुलिस तंत्र की स्थापना लोगों की सहायता हेतु नहीं अपितु उनके दमन हेतु की गई है । पुलिस कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि उनका काम लोगों को सताना है । तो आप ऐसे तंत्र से यह कैसे अपेक्षा करते हैं कि वह प्रशासन की बेहतरी के लिए काम करेगा । पुलिस का केवल यह रवैया ही जारी नहीं है अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से वह सत्ताधारी राजनीतिक दल के हाथों का खिलौना बनी हुई है । प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है । उन लोगों का प्रशिक्षण ही ऐसे दिया गया है । क्या आप इसमें कुछ परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं ? नहीं, आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं ? जब आप विरोधी दल में थे तब आप ऐसा महसूस करते थे लेकिन अब प्रशासन की डोर आपके हाथ में है इसलिए आप भी चाहते हो कि वह अपना पुराना सलूक जारी रखे । इस पुराने रवैया को बदला जाना चाहिए । ब्रिटेन में पुलिस कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन नहीं है । केवल संसद ही मुख्य पुलिस आयुक्त की नियुक्ति करने में सक्षम है और केवल आयुक्त ही विभाग को आदेश दे सकता है । यहां न केवल मंत्री अपितु उनके राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए कह सकता है मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप इंगलैंड या अमरीका की पद्धति का अनुसरण करो लेकिन मैं जापान का उदाहरण देना चाहता हूं। जापान में एक जन सुरक्षा आयोग है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं और वह पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण करते हैं, नीतियां बनाते हैं । वह उनकी गतिविधियों की समीक्षा करते हैं । आप ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं करते । यदि आपकी सरकार की राजनीतिक जटिलता वैसे ही दोषपूर्ण रहती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि पुलिस को बेहतर नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाता है तो कई बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है । क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हो ?

एक अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला यह है कि आप अपने आसूचना विभाग को तत्काल पुलिस विभाग से अलग कर दो । न जाने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया । सरकार चाहे जो भी हो आसूचना विभाग सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है । कोई भी मंत्री चारों ओर जाकर पता नहीं लगा सकता कि देश में क्या हो रहा है । उन्हें सरकार को ईमानदारी से वास्तविक स्थिति का हवाला देना चाहिए और जब तक सरकार को इस तंत्र की सहायता नहीं मिलती उसके लिए सही निर्णय करना बहुत कठिन होगा ।

मैं यह नहीं कह रहा कि आसूचना विभाग की आवश्यकता नहीं है । इसकी आवश्यकता है लेकिन आपके आसूचना विभाग के बारे में क्या कहें कुछ दिन पहले आसूचना विभाग ने प्रधानमंत्री को झूठी खबर दी कि श्री जयप्रकाश नरायण का निधन हो गया और इसके परिणाम-स्वरूप समूचे विश्व के समक्ष हमारे राष्ट्र का अपमान हुआ । सौभाग्यवश श्री जयप्रकाश नारायण जीवित हैं । यह खबर कैसे दी गई । मैं प्रधानमंत्री को गलत खबर देने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा । लेकिन इतना होने के बावजूद भी यह समझ नहीं आता कि किस प्रकार वही निदेशक और वही आयुक्त पद संभाले बैठे हैं । आपने कहा है कि आप जांच कर रहे हैं । क्या जांच हो रही है ? उन्हें बर्खास्त किया जाए । समूचे स्कंध का पुनर्गठन किया जाना चाहिए । प्रश्न केवल श्री जयप्रकाश की मृत्यु की गलत खबर देने का नहीं है । यदि आसूचना विभाग इतनी लापरवाही

से काम करता है तो इन सब लोगों को वहां रखने की क्या आवश्यकता है। आपको पूरे विभाग का पुनर्गठन करना चाहिए और बदले में नए लोगों को लाना चाहिए जो अपना काम जिम्मेदारी से निभाएं।

मैं जनता सरकार के मंत्रियों और जनता पार्टी के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा विधान न लाएं जो इस देश के लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को कमजोर बना दे। मैं धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक का उल्लेख कर रहा हूं जो कि श्री ओ० पी० त्यागी ने प्रस्तुत किया है। यह केवल ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया है। मैं चाहता हूं कि आपके विभाग द्वारा एक विशेष आयोग मिजोरम भेजा जाए, वह इस बात का अध्ययन करे कि सामाजिक, आर्थिक विकास के क्षेत्र में मिजोराम में क्या हुआ है और वहां क्या स्थिति है। आप बस्तर जाइए। यह एक आदिवासी क्षेत्र है। लेकिन उनकी दर्दनाक दशा देखिए। मिजोरम में ईसाई मिशनरियों ने उन्हें पढ़ाया, उनके राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर और सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाया है। यदि आप वहां जाएं तो आपको यह महसूस होगा कि आप एक आधुनिक नगर में हैं। ऐसी स्थिति में यह विधेयक लाने की क्या आवश्यकता थी ? मैं यह नहीं चाहता कि लोगों को जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। और न ही ऐसा मेरा विचार है। गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी एक विधेयक लाया गया है। पहले ही अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों के मन में कुछ भ्रम है। देश में कई लोग हैं जो मांस खाते हैं हिन्दुओं में भी अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों में भी कई लोग मांस खाते हैं और एक गैर सरकारी सदस्य गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लाए हैं। आप जानते हैं कि श्री जेठ मलानी के विधेयक के साथ क्या हुआ है, उन्होंने अपना गैर सरकारी विधेयक पेश किया था लेकिन सरकार ने उसे अपना लिया। कुछ दिन पहले यह धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया, लेकिन प्रधान मन्त्री ने सभा में इस पर चर्चा किए बिना ही उसे अपना समर्थन दे दिया। क्या मालूम कल श्री पटेल भी कहें कि बैल और बछड़ों का बध रोका जाना चाहिए। देश के सभी लोगों की भावनाओं का आदर किए बिना इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं है। भारत केवल सुवर्ण हिन्दुओं का देश ही नहीं है। भारत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों का भी देश है। यदि आप देश में रहने वाले सभी समुदायों का आदर नहीं करेंगे तो आप केवल देश को केवल तबाही की ओर ले जाएंगे।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : महोदय, मैंने अपने साथी श्री गोविन्दन नायर के भाषण को सुना है। यदि मै उस तरफ होता, मैं उनकी इस मांग का, जिन अधिकारियों ने प्रधान-मंत्री को श्री जयप्रकाश नारायण की मृत्यु की झूठी खबर दी है एक दम हटा दिया जाए जरूर समर्थन करता। खबर के कारण प्रधान मंत्री और इस सभा का बहुत अपमान हुआ है। आसूचना विभाग हमेशा असफल रहा है और 1962 में हमारा सैनिक आसूचना विभाग भी असफल रहा। चीनी आक्रमण के दौरान उत्तर पूर्वी सीमाओं पर बहुत तबाही हुई। आक्रमण के दौरान वह सरकार को सूचना देने में असफल रहे।

हमारे देश में कई जनजातियों के लोग अभी भी नंगे रहते हैं। हाल ही में मैंने अभी एक

प्रश्न के माध्यम से सरकार से यह पूछा था कि क्या उसे इस बात की जानकारी है कि आज भी कुछ जनजातियों के लोग अपनी पुरानी परम्पराओं के अनुसार कपड़े नहीं पहनते भारतीय पुलिस सेवा का आसूचना विभाग इस संबंध में वास्तविक और सच्ची जानकारी एकत्र करने में असफल रहा है। लेकिन हमने खुद उन जातियों की महिलाओं को खुले वक्ष देखा है और उनके तन पर नाम मात्र का कपड़ा होता है। उड़ीसा के कोरापुर जिले की बोंडा पहाड़ियों के आदिवासी लोग इस तरह नंगे रहते हैं; लेकिन पुलिस ने उन्हें खुले क्षेत्रों में नहीं देखा है, इसलिए वह सरकार को ठीक सूचना नहीं दे सके। मुझे मंत्री महोदय से उत्तर प्राप्त हुआ है कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है लेकिन हममें से कुछ ने उन्हें इस हालत में देखा है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? हां यह बहुत शर्म की बात है, चूँकि गृह-मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण की देखभाल कर रहा है। मंत्री महोदय अनुसूचित जातियों के प्रति बहुत सहानुभूति जता रहे हैं लेकिन अनुसूचित जातियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है देश के कई क्षेत्रों में और कई राज्यों में अनुसूचित जन-जातियों की संख्या अन्य जातियों की तुलना में अधिक है।

इस प्रतिवेदन में, जिस पर यह चर्चा आधारित है, विभिन्न राज्यों में बसने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या के बारे में उल्लेख किया गया है। 1971 की कुल 51,25,00,000 जनसंख्या में से लगभग 4 करोड़ लोग अनुसूचित जातियों के थे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास और उनके लाभ हेतु पिछले 30 वर्षों में कई योजनाएं बनाई गई, उनमें से एक दण्डकारण्य परियोजना भी थी। इस परियोजना पर सरकार अब तक 102.0 करोड़ रुपया व्यय कर चुकी है। हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को देखने के लिए एक संसदीय दल वहां गया था। स्थानीय अधिकारियों ने यहां वहां ले जाकर हमें क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे बताया। लेकिन कई काम बहुत अजीब हुए हैं। मध्य प्रदेश में डंडविदा स्थान पर जहां कि एक-एक नहर जलाशय से पानी बाहर ले जाने के लिए बनाई गई है वहां पर जल जलाशय से बाहर जाने के बजाय नहर के जरिए जल वापिस जलाशय में आ रहा है। यह एक प्रतिपादित सिद्धान्त है, जल हमेशा ऊँचाई से नीचे की ओर बहता है। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है वह एकदम उल्टा है। हमने इसे खुद अपनी आंखों से देखा और अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर दिलाया। वह उस इन्जीनियर की तरफदारी करने की कोशिश कर रहे थे जिसने लगभग डेढ़ वर्ष पहले यह जलाशय बनाया था। इस जलाशय और नहर के निर्माण पर 4.15 लाख रुपये की लागत आई है। देश के आदिवासी क्षेत्रों में विकासीय गतिविधियां इस प्रकार चल रही हैं जहां कि लोग अभी भी निर्वस्त्र घूम रहे हैं। अमरीकी पर्यटक दस रुपये का नोट देकर इन लोगों की फोटो खींच लेते हैं सौर बाद में वह उसे अपनी पत्रिका 'पलेबॉय' में प्रकाशित करते हैं। उपयोजना क्षेत्रों में कई विकासीय परियोजनाएं इस प्रकार शुरू की गई हैं। किस मन से? क्या वास्तव में आदिवासियों का भला करने के उद्देश्य से यह योजनाएं बनाई गई हैं। नहीं, यह अनमने मन से बनाई गई हैं।

मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य के आदिवासी क्षेत्र में एक राष्ट्रीय राजपथ है। इस आदिवासी क्षेत्र में लगभग एक करोड़ आदिवासी रहते हैं। आप देखेंगे कि वहां की औरतें केवल कमर पर

थोड़ा सा कपड़ा लपेटे हुए सिर पर बोझा उठाए आदमियों के साथ राष्ट्रीय राजपथ के किनारे-किनारे चलती हैं। इन लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए, उनको इस नंगेपन से बचाने के लिए आपने क्या किया है। वह इसी तरह जीवन बिता रहे हैं। वह जंगलों में जंगली जानवरों के बीच रहते हैं लेकिन मद्रास, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सभ्य शहरों से वह घिरे हुए हैं। उन्हें इसी तरह रहने दिया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में, आदिवासियों की संख्या अत्यधिक है। यदि आसाम में आदिवासियों को उनका शासन देने के कारण उसका विभाजन न होता तो आज आसाम भी मध्य प्रदेश की भाँति होता, जहां कि अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है।

जैसा कि हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों के लोग बदल बदल कर खेती करते हैं और यही उनका गरीबी का मुख्य कारण है। आदिवासी उपयोजनाओं में सबसे पहले उनकी खेती करने की इस पद्धति को सीढ़ीदार खेती में बदला जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है।

इस प्रतिवेदन में पृष्ठ 98 पर अनुसन्धान और नीति प्रभाग के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है;

"अनुसन्धान और नीति प्रभाग ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को 'उत्तर पूर्व में विद्रोह' का अध्ययन करने के लिए कहा है। पैरा 31 में अकेले इस वाक्य का उल्लेख है मुझे कुछ इसका सिर पैर नहीं दिखाई देता ऐसी जांच का क्या उद्देश्य है ? क्या इस जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी जिसे हम पढ़ सकेंगे और कुछ जान सकेंगे अनुसूचित जातियों के लिए यह जो कुछ भी किया गया है अनमने मन से किया गया है।

जहां तक पुलिस भर्ती नीति का सम्बन्ध है अंग्रेजों के जमाने में जिस प्रकार भर्ती की जाती थी, उससे यह बिल्कुल अलग है। आज इस विभाग में समाज के उस वर्ग के लोग आते हैं जिन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिलती। जब किसी भी जगह इज्जतदार नौकरी नहीं मिलती तो लोग कांस्टेबल भर्ती हो जाते हैं और जो लोग कहीं और नहीं नौकरी पा सकते वह पुलिस में आ जाते हैं और आदर्श पुलिस का उदाहरण पेश करते हैं लेकिन ऐसे वर्गों से भर्ती हुए व्यक्ति आदर्श पुलिस नहीं वन सकते। वह केवल पैसे और ताकत के लिए वहां जाते हैं और जहां ताकत हो वहां पैसा खिचा चला आता है। एक पुलिस कांस्टेबल सेवा निवृत्ति के बाद एक ईमानदार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की तुलना में कहीं अधिक सुखी होता है। आज भी यह प्रवृत्ति विद्यमान है इसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 11 वर्षों के शासन के दौरान पुलिस विभाग में जो लोग भर्ती किये गए थे वह शायद सबसे खराव वर्गों के थे जिसके परिणामस्वरूप आज भी हरिजन कई प्रकार के अत्याचारों के शिकार बने हुए है। आदिवासियों की उपेक्षा की जा रही है। अन्य लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल रहीं। आपने पुलिस विभाग बनाया है ठीक है। प्रत्येक राज्य में पुलिस का होना आवश्यक है। लेकिन क्या आप आज तक राज्यों के या केन्द्र के पुलिस स्टेशनों को आपस में वायरलैस के जरिए जोड़ने में समर्थ हुए हैं ? क्या आपने प्रत्येक थाने को जीप की सुविधा प्रदान कर रखी है ताकि वह उस जगह पर तुरन्त पहुंच सके जहां कि लूट मार होने या डकैती डाले जाने की खबर दी गई हो और जान माल की रक्षा की जा सके तथा वह लोगों की सहायता कर सकें।

हमने गत वर्ष भी सभा में अनुरोध किया था कि पुलिस को गतिशील बनाया जाए। उन्हें उपकरण दिए जाएं, पुलिस स्टेशनों के बीच वायरलैस के जरिये सम्पर्क स्थापित किया जाए ताकि पुलिस कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।

मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रतिवेदन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि केन्द्र राज्य सरकारों की सहायता करेगा और पुलिस को गतिशील तथा समाज के लिए उपयोगी बनाएगा।

अब मैं उत्तर-पूर्व को लेता हूं। मुण्डा उरांव और अन्य आदिवासियों को विशेष मानव जातीय दर्जा देने की दृष्टि से बिहार के झारखंड को एक पृथक राज्य नहीं बनाया गया है। यही बात अविभाजित उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर भी लागू होनी चाहिये थी और 3 अथवा 4 लाख लोगों के लिए पृथक पृथक राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए थे; लेकिन अब वहां पृथक राज्य बनाए गए हैं। जिस भी उद्देश्य से इन राज्यों का निर्माण हुआ है क्या गृह मंत्रालय मैदानों या पहाड़ों में रहने वाले लोगों को एक संयुक्त परिवार की भांति निकट रखने में समर्थ हुआ है। विभिन्न राज्यों में सीमा संबंधी झगड़े हैं क्यों? आपने राज्य बनाये क्या सीमा रेखा निर्धारित करना आपका काम नहीं है? आज अपने दो बेटों के बीच सम्पत्ति का विवरण करते हैं। जब तक आप सम्पत्ति का अच्छी तरह बंटवारा उन दोनों में नहीं करेंगे तब तक वह लड़ते रहेंगे। आसाम-नागालैंड, आसाम-मेघालय और आसाम-अरुणाचल सीमाओं पर झड़प होती रहती है। आपने कहा है कि राज्य सरकारें इन घटनाओं की जांच करेगीं या मुख्य मन्त्री इकट्ठे बैठकर इस समस्या को हल करेंगे। यह एक अव्यवहारिक बात है। सीमा रेखा निर्धारित करना तथा वहां शांति स्थापित करना गृह मन्त्रालय का काम है।

नागालैंड में नागा लोग हैं और नागा लोग आसाम में भी हैं। आसाम में एक नागा मौजादार है जोकि लुमडिंग के निकट राजस्व एकत्र करता है। लुमडिंग आसाम राज्य का अंग है।

जहां तक भारत-बंगला देश सीमा का सम्बन्ध है। आसाम की जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। 10 अथवा 20 वर्षों में मेरे जैसे आसामी व्यक्ति के लिये वहां रहने की जगह नहीं रहेगी या तो हम मर खप जायेंगे या अन्य क्षेत्रों, विशेषकर बंगलादेश से आने वाले लोग हमारा अस्तित्व ही मिटा देंगे।

गृह मंत्रालय विदेशी घुसपैठियों द्वारा भारत में घुसपैठ रोकने में पूरी तरह असफल रहा है। मैं बंगालियों तथा आसामियों में भेदभाव नहीं कर रहा और यह नहीं कहता कि बंगाली संस्कृति यहां प्रवेश कर रही है। मैं यह भी नहीं कहता कि मुसलमान यहां घुसपैठ कर रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों से वे विदेशी हैं।

मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि यदि वे भारत-बंगलादेश सीमा पर नियन्त्रण नहीं कर सकते और वहां से घुसपैठ करने वाले लोगों को नहीं रोक सकते तो यह कार्य सेना को सौंप दें। क्योंकि इन घुसपैठियों के कारण देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा सुरक्षा की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

विदेशियों द्वारा भारत में की जाने वाली इस घुसपैठ को रोकने के लिए हमारे अर्ध-सेना बल हमारी सेना को सहायता दें, मेरी यह मांग है और देश की सुरक्षा तथा सीमाओं की रक्षा

आदि के लिये मेरी यह मांग स्वीकार की जानी चाहिये। आपको कुछ इस तरह का कार्य करना चाहिये जिससे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की राजनीतिक स्थिति में कुछ परिवर्तन किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० एस० नारायण (हैदराबाद): मैंने बहुत ही श्रद्धा से और ध्यान से गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मण्डल का भाषण सुना है। उन्होंने शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। मैं आशा कर रहा था कि एक आध लफ्ज वह सोशली और एजुकेशनली बैक्वर्ड क्लासिस के बारे में भी शायद कहेंगे लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी उनके बारे में नहीं कहा। इसका मुझे अफसोस और दुख है। उन्होंने इतना ही कहा कि एक बैक्वर्ड क्लासिस कमीशन हम लोगों ने बनाया है और दो मक्सदों को सामने रखकर बनाया है। पहला तो यह है कि इसके लिए क्राइ-टीरिया क्या हो इसको वह बताए और दूसरी बात यह बताए कि क्या उनके लिए डिवेलेपमेंटल प्रोग्राम हाथ में लिए जा सकते हैं और वह तजवीजें पेश करे इनक्ल्यूडिंग रिजर्वेशन। इसके सिवा उन्होंने कुछ भी उनके बारे में नहीं कहा है।

मैं जिनके बारे में बोल रहा हूं उनकी आबादी इस मुल्क के गरीब लोगों में पचास परसेंट से भी ज्यादा है, जो बैक्वर्ड क्लासिस कहलाते हैं वे पचास परसेंट से भी ज्यादा हैं। कई जगह तो उनकी हालत हरिजनों से भी बदतर है, यह मैं अपने परसनल नालेज के आधार पर कह सकता हूं। शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को कांस्टीट्यूशनल सेफगाईड्ज मिली हुई है, लीगल सेफगाईडज उनके लिए है और उनके लिए बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करने को बाकी भी है, यह मैं मानता हूं। जो किया है वह कम है इसको भी मैं मानता हूं। लेकिन बैक्वर्ड क्लासिस के जो लोग हैं खासकर उनके जो एज ओल्ड प्रोफेशन हैं, जैसे वीवर्ज हैं, टैपर्ज हैं, पाटर्ज हैं, ब्लैक-स्मिथ हैं, कारपेंटर्ज हैं, बारबर हैं, वाशरमैन हैं या इस किस्म के और भी जो लोग हैं, उनके वास्ते कुछ भी नहीं किया गया है और किया गया है तो बहुत कम किया गया है। 31 साल की आजादी के बाद और प्लांड डिवेलेपमेंट के बाद भी कई जगह उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। उनके बारे में न तो पुरानी हकूमत ने उतनी तवज्जह दी और न ही आज की हकूमत दे दे रही है। यह भी वह गलती कर रही है जो पुरानी हकूमत ने की थी, इसका मुझे खेद है। कई स्टेट्स में उनके वास्ते प्रोग्राम्ज बनाए गए हैं लेकिन सेंटर की तरफ से कुछ भी उनके बारे में नहीं किया गया है। फिफटीज और अर्ली सिक्स-टीज में पोस्ट मैट्रीकुलेशन स्कालरशिप्स कुछ लोगों को दिए गए थे, कुछ स्टेट्स में, लेकिन उनको भी बन्द कर दिया गया है, 1962 के बाद से उनको ये भी नसीब नहीं हैं। अग्रणी श्रेणियों के जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करने को अगर इनको कहा जाता है तो कैसे हम इनके साथ इन्साफ कर सकते हैं। मैं आंध्र से आता हूं। आंध्र और कर्नाटक की बात मैं जानता हूं। वहां उनके बारे में कुछ करने की कोशिश की गई। इसको लेकर कोर्ट्स में बहुत दिनों तक लिटिगेशन चलता रहा, साल दो साल तक चलता रहा। कुछ रिजर्वेशन उनको सर्विसिस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंज में दी गई हैं। बैकवर्ड क्लासिस फाइनेंशियल कारपोरेशन भी हमारे यहां बना है ताकि जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनकी कुछ मदद की जा सके। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रिसोर्सिस बहुत कम हैं और जब तक सेंटर बड़े पैमाने पर, इन ए बिग वे उनकी मदद नहीं करेगा यह काम आगे

बढ़ने वाला नहीं है। और मुझे डर है, मैं सरकार को वार्रनिंग देना चाहता हूं कि जो आपने कमीशन को कहा है कि सोशलीं और ऐजूकेशनली बैकबर्ड क्लासेज कौन है इसको रीडिफाइन क्राइटीरिया बनाये यह उचित नहीं है। काका कालेलकर की रिपोर्ट आपके पास है उसके आधार पर आप क्राइटीरिया तय कर सकते हैं। आन्ध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बना है और कुछ लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गये, 1972 की जनवरी में जजमेंट हुआ और जो क्राइटीरिया आंध्र प्रदेश ने फिक्स किया है उसको मान लिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस क्राइटीरिया को मान लिया है फिर दूसरे कमीशन बैठा कर आप दूसरा क्राइटीरिया क्यों मांग रहे हैं ? इससे काफी लीगल काम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगे। इसलिये मेरी दर्खास्त है कि आप इस बात में न जाइये। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, कर्नाटक का मुझे मालूम है वहां माना जा रहा है, अब बिहार में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जहां नहीं हुआ है वहां पर आप काम शुरू कराइये और उनकी मदद देने की कोशिश कीजिये न कि दूसरा कमीशन बैठा कर रिपोर्ट लें और देर करें। ऐसा करने से झगड़े पैदा होंगे और देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के बारे में है उसको आप मान लीजिये और उसी बुनियाद पर इस काम को आगे बढ़ाइये।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत बड़े पैमाने पर देनी चाहिये क्योंकि 50, 60 फीसदी इनकी आबादी है। इनका अगर कल्याण होगा तो देश के बहुत बड़े हिस्से का कल्याण होगा। इसलिए इतने बड़े नेगलेक्टेड सेक्शन को, और खासकर देहातों में जो उनकी बहुत खराब हालत है, उनकी बेहतरी की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन्स हैं उनसे मदद दिलाइये, जहां बैकवर्ड क्लासेज कमीशन नहीं हैं वहां बनाइये और स्टेट तथा सेन्ट्रल सर्विसेज में उनका रिजर्वेशन कराइये। यह कोई मेहरबानी की बात नहीं है। जिस तरह आप शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को रिजर्वेशन दे रहे हैं वैसे ही बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों को भी 10, 20 साल तक रिजर्वेशन दीजिये ताकि यह भी दूसरे लोगों के मुकाबले में सोसायटी में आगे आ सकें। ऐसी मेरी मांग है। स्वीपर आदि के बच्चों के लिये सरकार ने जो स्कालरशिप प्रोवाइड की है, यह बड़ी अच्छी बात है और इसके लिये मैं सरकार को मुबारकवाद देता हूं। ऐसे ही बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों के लिये भी करना चाहिये। जनता पार्टी की अगर आज सरकार है तो इन्हीं लोगों की मदद से आपकी पार्टी है और आप हुकूमत में हैं। उनकी मदद करना आपका फर्ज है।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये जो रिजर्वेशन्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि कुछ सैल बना रहे हैं, और जो रिजर्वेशन है शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लिये वह जनवरी में खत्म होने वाला है। मैं मांग करता हूं कि 10 साल के लिये उसको और बढ़ाना चाहिये।

पेंशन द फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि जो 200 रु० की पेंशन उनको दी जा रही है वह बहुत नाकाफी है। आजकल के महंगाई के जमाने में उनको मान्यता दे रहे हैं। 25 साल तक फ्रीडम-फाइटरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, 25 साल की आजादी के

बाद उनके बारे में सोचा गया। उसके बाद शायद आधे लोग मर चुके हैं। बहुतों के मरने के बाद यह काम किया गया। मेरा कहना है कि इनको कम-से-कम 500 रुपये पेंशन देना चाहिये, 200 रुपये बहुत कम हैं।

उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है कि अगर फैमिली में कोई 500 रुपये की आमदनी है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, यह ठीक नहीं है। 500 रुपए तो अगर उसकी बीवी या बच्चा कोई नौकरी करता है, तो उसको मिल जाता है और इस तरह से वह 500 रुपए की पेंशन से महरूम रह जाता है। मेरा निवेदन है कि इस रिस्ट्रिक्शन को आप निकाल दीजिये। जो 6 महीने के लिये जेल चला गया, उसको आप पेंशन दे रहे हैं लेकिन जो 5 महीना 29 दिन जेल में रहा उसको देने से इनकार कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, यह नहीं होना चाहिये। सब को पेंशन देना चाहिये। अगर इसमें 25-50 करोड़ रुपया देना भी पड़ता है तो देना चाहिये। इन लोगों ने मुल्क के लिये बिना किसी इन्ट्रेस्ट के कुर्बानी दी और आगे आये। इनके लिये आप आगे-पीछे कुछ मत कीजिये, सब रिस्ट्रिक्शन्स को निकाल दीजिये। दिल खोलकर इन लोगों को दीजिये।

मैं माइनोरिटीज के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मैं हैदराबाद से आता है, वहां मुस्लिम पापूलेशन बहुत ज्यादा है। उन लोगों के लिये आपने कमिश्नर बैठाया है। वह कमिश्नर किस ढंग से काम कर रहा है, वह तसल्लीबख्श नहीं है। उसके काम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उन लोगों के दिल में दहशत है। जो रायट्स अलीगढ़ या दूसरी जगहों में हैं, आप आंकड़े देख सकते हैं, कांग्रेस के जमाने में ज्यादा हुए या आपके जमाने में। मैं चाहता हूं कि उनमें कांफीडेंस पैदा करने के लिये कोई व्यवस्था हो। आप उनके मुस्लिम पर्सनल-ला को टच मत कीजिये। जिस तरह से क्रिश्चियनों के बारे में आपने किया है उसी तरह से मुसलमानों में माइनोरिटीज में भी क्लाइमेंट आफ कांफीडेंस पैदा करने की जरूरत है।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (चतरा) : सभापति महोदय, अभी सदन में गृह-मंत्रालय की मांगों पर चर्चा चल रही है। यह महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ इसलिये नहीं कि यह विभाग सामान्य प्रशासन, कानून और व्यवस्था को बनाये रखता है, बल्कि मैं इसलिये इसे महत्वपूर्ण विभाग मानता हूं कि इस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि यह जो अविकसित देश है, यहां के लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यह उनको विकसित करे। देश पर जो पिछड़ेपन का कलंक है, इसे मिटाने की भी जिम्मेदारी बहुत अंशों में इसी विभाग के ऊपर है।

मैं बहुत गौर से माननीय गृह-मन्त्री श्री धनिक लाल मंडल का भाषण सुन रहा था। बातें वह ठीक कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि जब से जनता सरकार आई है, वह चिन्तित है और कार्यक्रम बना रही है, लेकिन एक बात मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप चाहे जितने भी कार्यक्रम बनायें, जितनी भी उनके विकास की योजनानाएं बनायें, उनकी गरीबी और बेकारी को दूर करने के सम्बन्ध में योजनाएं बनायें, लेकिन यह न भूल जायें कि पहले से लेकर अब तक इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी किस पर है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि आपकी नौकरशाही, जिनके जिम्मे कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है, वह ईमानदारी के साथ आपकी योजनाओं को, जो कमजोर वर्गों, आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आप

करना चाहते हैं, क्या वह दिल से करना चाहते हैं ? मंत्री महोदय के पास सारे आंकड़े हैं। हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन तो बहुत पहले से है। वह देखें कि इन वर्गों के लिए जितने स्थान सुरक्षित हैं, क्या वे सब भरे जाते हैं। वह कहेंगे कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे लोग तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लायक भी नहीं हैं. क्या वे पियुन और चपरासी का काम भी नहीं कर सकते हैं। हरिजन और आदिवासी भूखों मर रहे हैं, लेकिन वे पियुन और चपरासी भी बहाल नहीं हो सकते हैं। इन पदों पर भी सवर्ण परिवारों के लोग आते हैं, जो भूस्वामी भी हैं। उनमें से जो पढ़े-लिखे हैं. वे तो बाबू और अफसर बन जाते हैं और जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, वे चपरासी बन जाते हैं। मंत्री महोदय पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह नौकरशाही के हृदय को कैसे बदल सकते हैं या उस पर अंकुश लगा सकते हैं।

अगर मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे, तो उनकी सब योजानायें धरी की धरी रह जायेंगी, और जिस तरह हमारी फाइव-यीअर प्लान्ज का लाभ देश के साधारण लोगों तक नहीं पहुच पाया है, उसी तरह इन योजनाओं का लाभ उन्हीं वर्गों के लोग उठायेंगे, जिनकी शरण में रह कर हरिजन, आदिवासी और गरीब लोग अपना जीवन बिताते आ रहे हैं।

ये योजनायें हरिजनों और आदिवासियों तक कैसे पहुंचे ? मंत्री महोदय स्वयं नहीं पहुंचा सकते हैं और हम भी नहीं पहुंचा सकते हैं। हां, हम लोग हल्ला जरूर कर सकते हैं और करेंगे। इन योजनाओं का कार्यान्वियन तो अधिकारी करेंगे। आज परिस्थिति यह है कि प्रशासनिक यंत्र को जंग लग गया है, वह शिथिल हो गया है, और हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति उसका ईमान भी सही कहां रह गया है। वे लोग यह नहीं चाहते हैं कि इन वर्गों का विकास हो। इसका परिणाम यह है कि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ा हुआ है और यहां पर 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। सरकार को यह भी विचार करना चाहिए कि देश में पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले 60 से 80 प्रतिशत लोग कौन हैं—वे हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं।

इस प्रश्न पर बड़े जोर-शोर से चर्चा होती है कि किसी को आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा माना जाये या सामाजिक दृष्टिकोण से मैं इस प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय से चाहता हूं। कहा जाता है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन के कारण देश में अत्याचार होता है, लोगों को दबाया और सताया जाता है, तो सवर्ण लोग भी सताये जाते। लेकिन यह बात नहीं है। सताये वही लोग जाते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और इसलिए अत्याचार हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर होते हैं। इसलिए यह निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि जो लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के कारण देश कमजोर हो रहा है। जब तक उनका विकास नहीं होगा, तब तक देश सबल नहीं होगा, यह बात निर्विवाद है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हरिजन गांव के दक्खन में बसता है। श्री मण्डल बिहार से आते हैं और मैं भी बिहार से आता हूं। आप बिहार के ऐसे किसी भी गांव में जायें,

जहां सवर्ण लोग तथा हरिजन और पिछड़े हुए लोग रहते हैं। अगर आप किसी से पूछें कि किसी हरिजन, या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के किसी आदमी का घर किस तरफ है, तो जवाब मिलेगा कि इधर तो सवर्ण लोग रहते हैं, राढ़—नीच—लोग अलग रहते हैं, दूसरी तरफ रहते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आज यह सब से बड़ा सबूत है कि 30 सालों के बाद भी नीच और राढ़ शब्द गावों में उन वर्गों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिन्हें आप कहते हैं कि पिछड़े हुए हैं, पावर्टी लाइन के नीचे हैं। उनका सम्बोधन नीच और राढ़ के साथ किया जा सकता है इस से बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है? अगर लोग चाहें मैं धनिक लाल मंडल जी के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि वह तो हमारे साथ रहते ही हैं, वह भी बिहार के ही हैं, वह जानते हैं लेकिन दूसरे लोग अगर चाहें तो उनको मैं निमंत्रण दूंगा, वह हमारे साथ चलें, मैं उन को उन गांवों में भिजवा दूंगा, वहां जाकर वह पूछें, मैं नाम बता दूंगा हरिजन का और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का, उनके बारे में पूछें तो वह कहेंगे कि राढ़ लोग उधर रहते हैं। तो यह जो समाज की बनावट है इसको मिटाने के लिए जरूरत किस बात की है? सामाजिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ऐसे लोगों को आप को आगे लाना होगा। कैसे ला सकते हैं? आज यह बात सही है कि खाली नौकरियों में उनको जगह देकर सबका आर्थिक विकास आप नहीं कर सकते हैं लेकिन सम्मान कर सकते हैं। आज एक हरिजन, आदिवासी या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कोई अधिकारी बन जाता है तो उसके सामने लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वह सबल होता है लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से उसको प्रतिष्ठा मिलती है और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज इस देश में सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए आप सर्विसेज में, चाहे वह राज्य की सर्विस हो या केन्द्र की हो, पिछड़े वर्ग के लोगों को, हरिजनों को और आदिवासियों को रिजर्वेशन दें। अगर आप नहीं देते हैं तो सचमुच में आपकी नियत साफ नहीं समझी जायगी क्योंकि सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए उनको सम्मान देना चाहिए। आज क्यों ऐसा हुआ कि सर्विसेज में उनकी संख्या इतनी कम है? एप्वाइंटिंग एथारिटी कौन है? नियुक्ति करने वाले कौन हैं? वही लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सदियों से पिछड़े हुए, गरीब और सताए हुए लोग आगे न बढ़ने पाएं। बिहार तो जातीयता के लिए बहुत बदनाम है, वहां तो ऐसी स्थिति है कि ऐसी जाति के लोग वहां अधिकारी हैं कि चतुर्थ वर्ग से लेकर ऊपर तक की जितनी नियुक्तियां होती हैं वह सब जाति के आधार पर होती हैं, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं। बिहार के अन्दर बिहार सरकार ने आज यह कर दिया कि परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर नियुक्ति होगी तो आज इम्तहानों में गोली, बन्दूक और पिस्तौल रख कर वह परीक्षाएं पास कर रहे हैं। मैं कहता हूं यह गलत है। उस एग्जामिनेशन पर अब भरोसा नहीं रह गया है। वह चोरी का है। इसलिए सर्विसेज में नियुक्ति के लिए अलग से परीक्षा लीजिए और नियुक्ति समिति में हरिजन आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो वे लोग जिनका प्रशासन पर अधिकार है वे बराबर अधिकृत रहेंगे और इन लोगों को बराबर इस से बाहर रखेंगे। इसलिए एप्वाइंटिंग एथारिटी चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कर्मचारियों के लिए हो, अधिकारियों के लिए हो, उन सब में इन वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व

नहीं देंगे तो इनको न्याय नहीं मिल सकता। आपके इरादे साफ रहने के बाद भी, आपकी नीयत साफ रहने के बाद भी आपकी नौकरशाही इस को इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी। आप सचमुच में जिस दृढ़ता, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए जो कार्यक्रम ला रहे हैं, केवल उन कार्यक्रमों को बनाने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा उनका कार्यान्वयन करने से और कार्यान्वयन करने के लिए मैंने बताया कि यह तरीका आप को अपनाना पड़ेगा।

आज आप आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक विषमता को दूर करने की बात कर रहे हैं। होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि 30 साल तक तो उन लोगों ने समय बर्बाद किया। आज कम से कम हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आप शुद्ध जल की व्यवस्था कर दें। आप करना भी चाहते हैं लेकिन मैं देहात से आता हूं, मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि हैंडपाइप कारगर नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि तमाम जगहों पर आपने स्टेट ट्यूबवेल्स बनाए हैं जिसके कारण पानी का लेविल बहुत नीचे चला गया है। ऐसी हालत में आपकी हैंड-पाइप की योजना सफल नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि आप पाइपों के द्वारा जल की आपूर्ति करें तभी मैं समझता हूं इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है। आप जानते हैं पानी की ज्यादा जरूरत उस वक्त होती है जबकि गर्मी आती है। पहाड़ी इलाकों में बीस फिट डायमीटर के जो कुयें बनाए जाते हैं उसमें पानी नहीं रह सकता है। ऐसे स्थानों पर पत्थर काटने वाली बोरिंग का सामान ला करके आप पानी की व्यवस्था करेंगे तथा पाइप के जरिए से जल की आपूर्ति करेंगे तभी आप शुद्ध जल दे पायेंगे। भोजन देने की योजनायें आपकी बन रही हैं, ठीक है लेकिन पहले कम से कम पानी की व्यवस्था जरूर हो जानी चाहिए :

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले लोकसभा के चुनाव में ऐसा लगा कि जनतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी मतदान करेंगे और ऐसा हुआ भी लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह मतदान शुरू का भी था और अंतिम भी था। आज कोई गरीब आदमी अपने घर से निकल कर अपना मत नहीं दे सकता है। गोली, बन्दूक के जरिए से उनको वोट देने से रोक दिया जाता है। इसके लिए आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आपने लोकतन्त्र को पुनर्जीवित किया है तो इसको कायम रखने का एक ही तरीका है कि सभी के लिए अपना मत डालने देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार की स्थिति के बारे में हमारे मण्डल जी परिचित हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 मार्च, 1977 को हमारे क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव हुआ था : मेरे निर्वाचन क्षेत्र चतरा के हंटरगंज थाने के गोसाईडीह मतदान केन्द्र में, जोकि हजारीबाग जिले में आता है, मेरे को पोलिंग एजेन्ट्स माधो सिंह और जवाहर सिंह जोकि कहार जाति के थे उनकी कांग्रेस के गुंडों ने बूथ में ही छुरा मारकर हत्या कर दी। वे लोग एकमात्र घर के कमाने वाले थे। उनके सम्बन्ध में मैं उस समय से लेकर अब तक गृह मंत्री भारत सरकार तथा मुख्य मंत्री, बिहार सरकार को लिखता रहा हूं, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के मुताबिक उम्मीदवार को पोलिंग एजेन्ट नियुक्त करने का अधिकार है, माधो सिंह और जवाहर सिंह ड्यूटी पर मारे गए हैं इसलिए कम से कम कुछ सांत्वना उनके परिवारों को दी जानी चाहिए। उस समय

उनके बच्चे छोटे थे, जब काम करने लायक हो गए हैं। मैंने लिखा कि उनके लिए नौकरी की कोई व्यवस्था कर दी जाए लेकिन मुझे दुःख है कि मेरे बार बार लिखने के बाद भी उनके परिवारों की रक्षा करने में तथा अपने कर्तव्य पालन में सरकार असमर्थ रही है। उनके बच्चे दाने दाने के लिए घूम रहे हैं; लेकिन सरकार चुप बैठी हुई है। मैं चाहूंगा गृह मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान देकर समुचित व्यवस्था करने का प्रबंध करें। धन्यवाद।

श्री निहार लास्कर : श्रीमान्, मेरा नाम हमारी सूची में है···

उपाध्यक्ष महोदय । आप कहते हैं कि···आपकी सूची और मेरी सूची : मैं जानता हूं कि यहां कौन-कौन सी सूचियां हैं। अब मैं श्रीमती मोहसिना किदवई को बुला रहा हूं (व्यवधान) मैं कहता हूं कि सभा में सूचियों पर चर्चा नहीं करनी है। यह बहुत ही बुरी प्रथा है। प्रत्येक सदस्य को उसकी बारी के अनुसार बुलाया जा रहा है और आपके सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि आपके दल का समय समाप्त हो चुका है। आपको बुला दिया जायेगा तो यह एक दूसरी बात है।

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा वक्त पुलिस डिपार्टमेंट के बजट पर बोलने के लिए दिया है।

दो, तीन बातें मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहती हूं। पुलिस विभाग वह विभाग है जो अवाम की जान व माल का मुआफिज समझा जाता है और अवाम की जान व माल के मुआफिज ही खुद राहजन और डाकू बन जाएं, तो अवाम किसके सामने अपनी फरियाद लेकर जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ब्रिटिश सरकार के जमाने में पुलिस डिपार्टमेंट को जो बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती थी, सबसे पहले जो उनकी ट्रेनिंग होती थी, वह यह होती थी कि पुलिस के लोगों को अवाम से कितनी दूर रहना है, अवाम और पुलिस के बीच में कितनी बड़ी एक खाई होनी है और उसी खाई के बढ़ते बढ़ते जब लाल पगड़ी वाले सिपही गांव में जाते थे, तो गांवों के लोग उन्हें देखकर अपने घरों में छिप जाते थे। आज भी वही हालत है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि गलती किस की कहां है लेकिन मैं सरकार से यह दरख्वास्त जरूर करना चाहती हूं कि वह गंभीरता के साथ इन तमाम प्रश्नों पर विचार करे कि आखिर पुलिस के लोग इतने बदनाम क्यों हो रहे हैं और इतना डर और इतना भय अवाम को उनसे क्यों होता है? जो हालत पुलिस की ब्रिटिश पीरियड में थी, वही अब भी है : हम तो यह चाहते हैं कि जब पुलिस के लोग जाएं तो अवाम यह समझे कि उनके मुआफिज आए हैं। उनकी मदद करने के लिए ये आए हैं। उनके सिर पर डंडे बरसाने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए पुलिस की ट्रेनिंग में जरूर कुछ परिवर्तन आना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग के लिए समय-समय पर जो कमेटी बनी हैं और उन्होंने जो रिकमेंडेशन्स की हैं, उनके ऊपर हमें जोर देना चाहिए और हमें पुलिस के उन कांस्टेबिल्स के हालात की तरफ भी देखना चाहिए जिन हालात के तहत वे काम करते हैं।

अब मैं अपने प्रदेश के मुताल्लिक कुछ कहना चाहती हूं। टूटे हुए थाने हैं जहां पर पानी टपकता है। दिन भर मेहनत करने के बाद एक शख्स आता है और वह रात में सो भी नहीं सकता बैठ भी नहीं सकता और लेट भी नहीं सकता और न वह अपनी फैमीली को रख ही सकता है। न जाने इस किस्म की कितनी और चीजें हैं, जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और खास

तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में जो छोटे कर्मचारी हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यही हालत सी० आई० डी० के लोगों की है। उनके लिए घर नहीं हैं और जब प्राइवेट बिल्डिंग में कोई सी० आई० डी० का इन्सपेक्टर रहे या बड़ा अफसर रहे, तो वहां के वातावरण से जरूर कुछ न कुछ प्रभावित होगा।

मैं दो तीन बातें अपने प्रदेश के मुतालिक कहना चाहती हूं क्योंकि समय कम है। मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं उस बदकिश्मत प्रदेश से आती हूं जहां पर अब तक 50 मर्तबा फाइरिंग हो चुकी है और जो पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसको मैंने पढ़ा है। मुझे खुशी है कि इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इमर्जेन्सी के जमाने में जो लोग पुलिस की गोली से हलाक हुए, उसके परिवारों को सरकार पेंशन देगी, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं सरकार से यह सवाल करना चाहती हूं कि इमर्जेन्सी के वक्त जो लोग पुलिस की फाइरिंग से हलाक हुए, पुलिस की गोली से हलाक हुए क्या उनका खून खून था और आज जो लोग पुलिस की फाईरिंग से हलाक हो रहे हैं, उनका खून पानी है, उनके जिस्म में खून की जगह पानी है। क्या उनकी फैमीलीज नहीं है, उनके बीवी-बच्चे नहीं हैं या लड़के नहीं हैं। यह डिस्क्रीमिनेशन आप क्यों करते हैं। सरकार क्यों नहीं यह एलान करती है कि जो पुलिस की फाईरिंग में मरेगा, उसके परिवार को हम सहायता देंगे और वही फैसेलिटीज देंगे जो इमर्जेन्सी के वक्त में फाइरिंग से मरे लोगों को दी हैं। मैं आप से कहना चाहती हूं कि इस सदन में इमर्जेन्सी के जमाने की बहुत चर्चा की गई। मैं दो, तीन वाकयात आपके सामने रखना चाहती हूं और यह बताना चाहती हूं कि इसमें जर्रा बराबर भी एग्जालेशन नहीं कर रही हूं। आपके पड़ोस में हरिद्वार है जो जिला सहारनपुर में है। वहां ज्वालापुर में 26 जनवरी को एक झगड़े का कांड हुआ है, हमारे मिनिस्टर साहब ने या इस सदन में जो दूसरे सदस्य बैठने वाले हैं, उन्होंने कहीं किसी अखबार में उसकी चर्चा सुनी? मैं खुद वहां गई थी। आप इमर्जेन्सी का रोना रोते हैं। अभी भी एक थाने में हमारी कांग्रेस के एक वर्कर की दोनों हड्डियां तोड़ी गयीं। यह सब आपकी नाक के नीचे, जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। किस तरह से बर्बरियत का जुल्म हमारे वर्कर्स को निशाना बनाया गया। हमारे साठ वर्कर्स को पकड़ कर बन्द किया गया। झंडे का मसला था। इसके पीछे कौन लोग थे। वही आर. एस. एस. के लोग थे। जब कि यह तय किया गया था कि कोई झण्डा फहरा दे, नेशनल फ्लेग फहरा दे, फिर यह सब हादसा हुआ। अगर इसको कोई दूसरी पार्टी करती है तो आप उसके ऊपर तवज्जह नहीं देते क्योंकि वहां लोग चाहते थे कि वहां कांग्रेस वर्कर्स को मारा जाए, पीटा जाए। उनको डरा कर, धमका कर बन्द किया गया। न सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स को बन्द किया गया बल्कि एक अखबार वाले को भी उनके साथ बन्द किया गया। जब डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को यह मालूम हुआ कि एक अखबार वाला भी बन्द है तो डी. एम. ने अखबार वालों को बुलाकर कहा। उसका सबूत यह है कि किसी अखबार वाले ने उस मसले पर नहीं लिखा। आप एमर्जेन्सी का रोना रोते हैं कि अखबारों पर बेन था। आपके टाइम पर भी यही हालत है। एक महीने तक हमारे वर्कर्स सहारनपुर जेल में बन्द रहे। उनकी लोअर कोर्ट से जमानत नहीं करा सके, हाई कोर्ट से जमानत कराई गई। इस वक्त हमारे वर्कर्स, हमारी शख्सियत पर जो हमले किये जा रहे हैं, उनको जिस तरह से झूठे मुकदमों में, झूठे इल्जामात में फंसाया जा रहा है, वह सारी चीज आजकल हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है।

आज बड़े जोरों से यह कहा जाता है कि इस सरकार ने जम्हूरियत को बहाल किया । इस सरकार ने लोगों को आजादी दी । आज लोगों को सिर्फ इस बात की आजादी है कि जिसको चाहो मार दो । अगर आज कोई चीज सस्ती है तो वह जान सस्ती है । मैं आपको कितने वाकयात गिनवाऊं ? सुरेन्द्र विक्रम जी यहां बैठे हुए हैं (व्यवधान), मैं समझती थी कि वे खुद शाहजहांपुर स्टेशन के वाकयात को बतायेंगे कि किस तरह से मिलिट्री के एक स्वीपर की बीबी को रेलवे पुलिस फोर्स के आदमियों ने रेप किया और उसको मार कर डाल दिया । अभी आपने बस्ती में किस तरह से नर्सिज के साथ जुल्म हुआ, उसको जाना होगा । मुझे श्री गौरी शंकर राय से यह तवोक्को थी कि वे इस मामले में कुछ कहेंगे । मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर थी तो एक झूठे केस के बारे में सी० आई० डी० की इंक्वायरी हुई थी तो उन्होंने पूरा सदन सिर पर उठा लिया था । आज उनके पड़ोस में इस तरह के हादसे हो रहे हैं और वे खामोश हैं । आज कितनी ही पुलिस की बर्बरता और जुल्मों की कहानियां गूंज रही हैं । पुलिस ने अलीगढ़ में क्या किया ? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वहां के हादसे में पुलिस शामिल थी । मुझे वहां के लोगों ने आकर बताया है । मुजफ्फरनगर में क्या हुआ ? मैं पटेल साहब से पूछना चाहती थी, लेकिन वे शायद बताना न चाहें क्योंकि उनके मिनिस्टर साहब जो आगे बैठे हुए हैं, वे बहुत कुछ कह चुके हैं । क्या वे पूरी ईमानदारी से कह सकते हैं माइनोरिटी के लोग जुल्मोसितम का निशाना नहीं बनाये जाते हैं ? ज्वालापुर में झंडे के किस्से को लेकर माइनोरिटीज और हरिजनों के घरों में पुलिस ने घुस कर जुल्म और बर्बरता का सबूत दिया । आपकी पुलिस जो कुछ वहां कर रही है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है ।

आप कहते हैं कि आप कम्युनल दंगों को रोकना चाहते हैं । आपकी नीयत पर हम शक नहीं करते, शुबहा नहीं करते । आप कम्युनल दंगे रोकना चाहते हैं, आप हरिजनों पर अत्याचार रोकना चाहते हैं, आप पिछड़े वर्गों को उठाना चाहते हैं । लेकिन क्या आप गम्भीरता से सोचेंगे कि आप में वे लोग भी शामिल हैं जो आपकी सरकार में भी हैं, जो दो-कौमी नजरिये में एत्काद रखते हैं । वे लोग आपके साथ हैं जो हिन्दु राष्ट्र बनाना चाहते हैं । जो हिन्दु सोसायटी को ऊपर उठाना चाहते हैं । मुझे आपसे पूछना है कि इसका रिएक्शन दूसरी कौमों पर क्या होता है, दूसरे लोगों पर क्या होता है ? मुल्क में जो शिशु मन्दिर चल रहे हैं उनमें किस तरह की तालीम दी जाती है, क्या आपने कभी उनके सिलेबस को मंगाकर देखा है ? क्या आपने सोचा है कि वहां क्या चीज पढ़ाई जा रही है, उन नन्हे-मुन्नों के दिमाग में किस तरह के बीज बोये जा रहे हैं ? उन्हें किस तरह का आदमी बनाया जा रहा है ?

आज हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में गुण्डागर्दी है । ये गुण्डागर्दी करने वाले कौन लोग हैं ?

ये वे लोग हैं जिनको इनकी शाखाओं में चाकू और लाठी चलाना सिखाया जाता है । जिनको चाकू और लाठी चलाना सिखाया जाएगा तो चाकू और लाठी से तो सीमाओं की रक्षा नहीं होती, उनका तो इस्तेमाल मौहल्लों और कूंचों में ही हो सकता है । जब तक आप उन पर रोक नहीं लगाते तब तक यह सारी की सारी परेशानियां, कम्युनल परेशानियां दंगे फसाद आप नहीं रोक सकते हैं । आज आप कहते हैं कि जिस वक्त से हमारी जनता पार्टी की सरकार आई है उस वक्त से हमने अपने घोषणापत्र के मुताबिक माइनोरिटी कमीशन बनाया ।

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो एक कतराए खूं ही निकला।

माइनोरिटीज कमीशन आपने किस लिये बनाया है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी पावर्ज और अखत्यारात क्या हैं ? सिर्फ रिकोमेंडेशन्ज करना ही उसका काम है। जो रिकोमेंडेशंज सरकार के माफिक बैठती हैं उनको तो मान लिया जाता है और बाकी जितनी होती हैं उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। उसकी जो सिफारिशें होती हैं उन पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट की रिकोमेंडेशन न आ जाए माना नहीं जाता है, अमल नहीं होता है। अलीगढ़ में हुए रायट्स की तफ-सील में मैं जाना नहीं चाहती। लखनऊ, बनारस आदि जहां जहां दंगे हुए हैं और उनके बारे में जो रिपोर्टस हुई हैं उन पर आपने कोई एक्शन लिया है क्या ? क्या माइनोरिटी कमीशन के बारे में सरकार सीरियस थी ? इस सीरियसनैस का तो इसी बात से पता चल जाता है कि साल के बाद तो इसको बनाया गया और उसके बाद भी न उसके आफिस का अता पता था और न उसके बैठने की कोई जगह थी। कुछ भी नहीं था। अब शायद उसको जगह मिली है। इसके बाद साल में उसका दूसरा चेयरमैन आ गया है। उसके अखत्यारात क्या हैं, पावर्ज क्या हैं, वह क्या कर सकता है, इसको आप बताते ही नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मुझे बहुत कम वक्त दिया गया है। नार्दर्न इण्डिया से मैं अकेली हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ आठ मिनट आपकी पार्टी के बचे हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं अकेली नुमाइन्दा हूं यहां और उस स्टेट से चुनकर आई हूं जहां रोज कुछ न कुछ होता रहता है। मैं बीस जनवरी के टाइम्ज आफ इण्डिया में जो आंकड़े छपे हैं, उनको आपको बताना चाहती हूं ताकि हमारे मिनिस्टर साहब को अंदाजा हो जाए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में हालत क्या हो रही है।

"एक बोधगम्य अपराध प्रत्येक तीन मिनट में; चोरी की घटना प्रत्येक 15 मिनट में; सशस्त्र डकैती एक घंटे में; डकैती प्रत्येक घण्टे में तथा दो कत्ल प्रत्येक दो तीन घण्टों में। उत्तर प्रदेश में एक दिन की अपराधों की औसत संख्या इतनी है।" इससे साफ आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां की हालत कितनी खराब है। आपका दिमाग तो पता नहीं कहां है। स्पशेल कोर्ट बिल पर लगा हुआ है। अपने पड़ोस में आप देखें, सबकंटिनेंट से देखें कि क्या हुआ है। खबर है कि भुट्टो साहब को फाँसी दे दी गई है। आप भी अपने आपको इस तरह की फोर्सिस से आगाह कीजिये, उन ताकतों को आप अपने अन्दर झांक कर देखिये जो आपके ही अन्दर छिपी हुई हैं, उनको देखिये जो जातपात के झगड़ों में इस मुल्क को धकेलना चाहती हैं, उनकी तरफ देखिए जो कम्युलिज्म इस देश में फैलाना चाहती है, उनकी तरफ देखिये जो महात्मा गांधी की कब्र पर जा कर कस्में खाने के तो सारे काम करती हैं लेकिन वे सब काम करती हैं जो महात्मा गांधी को सख्त नापसन्द थे। महात्मा गांधी के नाम को आप न बेचें। सच्चे मायनों में उनके सपनों को आप साकार करें। जो हमारे प्रदेश में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वे आपको मुबारिक। हमारे

प्रदेश में स्टेबल गवर्नमेंट हो इसको भी आप देखें। आज किसी को किसी की परवाह नहीं है। आखिर यह मुल्क किस तरफ जा रहा है, प्रदेश किस तरफ जा रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल हैल्पलैस है, खामोश तमाशाई की तरह बैठी देख रही है। वह कुछ करने की हिम्मत नहीं रखती यूनिवर्सिटीज और कालेज बन्द हैं, लड़कों की छुट्टी है। टीचर्स का जो हाल है उसको आप जानते ही हैं। आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है यह आप देख ही रहे हैं। रोज यहां डैमंस्ट्रेशन होते हैं। एक टीचर की हालत खराब है जो अस्पताल में पड़ा है और जिसको हार्ट अटैक हुआ है। रोज कितने ही मैं कालिंग एटेंशन, शार्ट नोटिस देती हूं लेकिन वे मंजूर नहीं होते हैं। क्योंकि मैं तादाद में अकेली हूं इसलिए शायद इधर ध्यान नहीं दिया जाता है।

मैं आपकी मशकूर हूं कि मुझे आपने मौका दिया।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हर्ष की बात है कि श्री चरणसिंह पुनः मंत्रि-मण्डल में वापस आ गए हैं और इसके साथ-साथ उनकी पदोन्नति भी हो गई है। वह उप-प्रधान मन्त्री भी बनाए गए हैं। मन्त्रियों के संविभागों में भी परिवर्तन हुए हैं और भूतपूर्व वित्त मन्त्री अब गृह मन्त्री के पद पर हैं।

धनशक्ति का भूतपूर्व मन्त्री अब जनशक्ति मन्त्री बन गया है।

वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं और 30-35 वर्षों का विभिन्न प्रकार का अनुभव है। इतना ही नहीं वह भारतीय सिविल सर्विस के सदस्य भी हैं। उन्हें सर्वप्रथम एक स्वच्छ, ईमानदार तथा सक्षम प्रशासन तैयार करना है। यही उनके समक्ष सबसे बड़ा काम है। कांग्रेस शासन के 30 वर्षों में देश में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। जनता सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं।

लोकपाल विधेयक का क्या हुआ है ? इसका भी अजीब इतिहास है। अतीत में इस विधेयक को दो बार अस्वीकृत किया गया। एक बार नहीं बल्कि दो बार। एक बार 1970 में तथा दूसरी बार 1976 में। वर्तमान प्रधान मन्त्री प्रशासनिक सुधार आयोग के विशिष्ठ चेयरमैन थे और उस आयोग में मैं विपक्ष के सदस्य के रूप में था। हमने उस विषय को उच्च प्राथमिकता दी। वर्तमान प्रधान मन्त्री ने भी, उस समय चेयरमैन के रूप में इस विषय को उच्चतम प्राथमिकता दी थी। उस आयोग का प्रथम प्रतिवेदन अक्तूबर, 1960 में सरकार को पेश किया गया। मैं इस सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, किन्तु थोड़ा-बहुत दोष इस सरकार को भी दिया जा सकता है क्योंकि गत वर्ष अगस्त में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने इस सभा में अपना प्रतिवेदन पेश किया था किन्तु अभी इस पर इस सत्र में विचार करने का कोई आसार नजर नहीं आता। यदि कोई कठिनाई हो तो हम इसे पारित करने के लिए एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। बाहर इस विधेयक के बारे में प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि भ्रष्टाचार के बारे में जनता सरकार का वही रवैया है जो कि कांग्रेस सरकार का था। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि इसे इसी सत्र में पारित किया जाये और संसद का अगला सत्र आरम्भ होने से पूर्व प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हो जानी चाहिए। इसी से लोगों का सरकार में विश्वास उत्पन्न होगा और उन्हें सन्तोष हो जायेगा कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ईमानदारी से कुछ कर रही है।

अब मैं प्रशासनिक सुधार आयोग का उल्लेख करता हूं। इसने कुल मिलाकर 20 प्रतिवेदन पेश किए। मैं सरकार से एक विस्तृत विवरण जानना चाहता हूं कि उन 20 प्रतिवेदनों की सिफारिशों में से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गईं तथा कितनी अस्वीकार की गई हैं।

कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, कितनी अस्वीकार की गई हैं, अस्वीकार किए जाने का क्या कारण है, स्वीकार की गई में से कितनी क्रियान्वित की गई है। यह जानकारी सभा में आज नहीं यथाशीघ्र दी जानी चाहिए।

हम प्रशासन में विशेषतः पुलिस प्रशासन में सुधार करना चाहते हैं। हमने राष्ट्रीय पुलिस आयोग बैठाया था। मैं समझता हूं यह अभी भी भूतपूर्व आर० सी० एस० सदस्य श्री धर्मवीर के नेतृत्व में कार्यरत है जो कि सेवा निवृत्ति से पूर्व राज्यपाल बन गये थे। उक्त आयोग ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समाचार पत्रों में उसकी बहुत सी सिफारिशें प्रकाशित हुई थीं। सभा यह जानना चाहती है कि उनकी कौन-कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं।

साथ ही हम एक जेल सुधार आयोग चाहते हैं। आपात काल के दौरान मैंने जेलों का विशेष अनुभव किया हैं—नितान्त गन्दी स्वास्थ्य और सफाई के न्यूनतम मापदण्डों से भी नीचे। इस समय जेलों में बन्दियों से व्यवहार अंग्रेजी शासन के समय से बुरा है और मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि भारत की जेलों का प्रशासन ब्रिटिश काल से बहुत खराब है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन और लोकपाल विधेयक के पारित करने की आवश्यकता पर मैं पहले ही बोल चुका हूं। भ्रष्टाचार का नासूर बहुत पुराना है। पांचवें दशक के प्रारम्भ में दो बड़ी समस्याएं संसद के समक्ष आईं। एक था प्री-फैबरी केटिट हाउसिंग फैक्टरी का तथा दूसरा जीप षड्यन्त्र। यदि उन मामलों की जांच उस समय के प्रधान मन्त्री ने सही ढंग से कराई होती; पं० नेहरू में बहुत से शानदार गुण थे परन्तु एक दोष था कि उन्हें व्यक्तियों और घटनाओं की पहचान नहीं थी—उस दशा में ये इतना न पनपते। मन्त्री महोदय को जीप षड्यन्त्र के बारे में अधिक पता होगा क्योंकि वह उस समय रक्षा सचिव थे, मैं समझता हूं कि जिस समय श्री कृष्णा-मेनन लन्दन में उच्चायुक्त थे इस मामले पर बहुत कुछ कहा और लिखा गया था। उस समय के नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक श्री नरहरि राव ने दो बार सिफारिश की थी कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाये; परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए यह नासूर बढ़ता ही गया।

शाह आयोग ने भी इस बारे में तीक्ष्ण टिप्पणी की है। अन्य बातों को छोड़ कर मैं शाह आयोग को उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है कि सरकार को जांच आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यह दयनीय परन्तु तीक्ष्ण टिप्पणी है :

'आयोग इसे अपना कर्त्तव्य समझता है कि भारत के नागरिकों पर आग्रह करे कि मात्र आयोगों की नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि सरकार कम से कम उन सिफारिशों को क्रियान्विति के लिये, जिन्हें वह स्वीकार करती है, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।"

मैं जानना चाहता हूं कि शाह आयोग तथा अन्य आयोगों ने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष

कितने व्यक्तियों पर अभिरोपण किया है और उनमें से कितनों के विरुद्ध वास्तविक रूप से अभियोग चलाया गया है। समाचार पत्रों में छपा है कि बहुत से अभिरोपित व्यक्ति अभी भी मन्त्रालयों तथा विभागों में शासन चला रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह अत्यन्त दुःखद स्थिति है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कितने व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम जांच रिपोर्ट दर्ज की गई और ऐसी अन्य कार्यवाही की जा रही है।

तब प्रशासन के मामले में मैं समाज के पिछड़े वर्गों, निर्धन व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे खुशी है तथा सभा को भी प्रसन्नता होगी कि सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये विशेष अधिकारी के स्थान पर आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। परन्तु पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों, हरिजनों और आदिवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में प्रविशिष्ट करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में कल्पना की थी सरक्षण स्थायी नहीं होंगे तथा ये वर्ष समाज के मुख्य स्वरूप में शीघ्र ही सम्मिलित हो जायेंगे। इसलिए केवल आयोगों की नियुक्ति करना पर्याप्त नहीं है। इन वर्गों, पिछड़े वर्गों, हरिजनों, आदिवासियों को राष्ट्र के मुख्य स्वरूप में सम्मिलित करने के लिये शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता है।

अब मैं संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 को लेता हूं, इन पांच अनुच्छेदों में कुछ वर्गों हरिजनों, आदिवासियों और सांगल-भारतीयों का उल्लेख हुआ है और वर्तमान अनुच्छेद 334 में निहित है।

> "लोक सभा तथा विधान सभाओं के स्थानों के आरक्षण संबन्धी उपबन्ध इस संविधान के प्रारम्भ होने से 30 वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न समझें जायें।"

मूलतः यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी और अब यह आरक्षण 1980 में समाप्त होगा। सभा को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या इसे और 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि इसे 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष अथवा शती के अंत अथवा उससे आगे भी तक बढ़ाया जा सकता है; परन्तु उन लोगों के हित में ही है कि वह सामने आकर कहें कि हम कोई आरक्षण नहीं चाहते ताकि कहीं पिछड़ेपन में ही उनका स्वार्थ निहित न हो जायें। मैं यहां संविधान सभा के उस दृश्य को याद कराना चाहता हूं जब मुसलमानों ने आगे बढ़कर कहा था 'हम आरक्षण नहीं चाहते।' संविधान सभा में बड़े-बड़े भाषण हुए जब उन्होने कहा कि 'अंग्रेजों की विदा के साथ इसे दफना दिया जाना चाहिए।' चिन्ता न करें। हम शीघ्र ही राष्ट्र के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित होंगे तथा संविधान सभा ने मुसलमानों के लिए सभी-सभी संरक्षणों और आरक्षणों को बंद कर दिया गया। निःसन्देह हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और आंगल भारतीय के लिए 10 वर्ष का आरक्षण अत्यन्त उचित, अत्यावश्यक न्यायिक कार्यवाही थी। इसे 20-30 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, अब सभा को विचार करना चाहिए कि इस मामले पर सर्वदलीय संसदीय समिति गठित की जाये जिसमें कुछ विधि के प्रकाण्ड पंडित तथा संविधान विशेषज्ञ हों जो इस मामले पर सदा के लिए निर्णय लें। क्योंकि मुझे याद है कि डा० अम्बेडकर ने कहा था 'मैं सदा के लिए आरक्षणों के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ये लोग जितनी जल्दी

हो सके राष्ट्र के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित हों। मैंने इसे कुछ समय पूर्व सभा में पढ़ा था। वह अब मेरे पास नहीं है। इस महत्वपूर्ण मामले पर सभा को शीघ्र विचार करना चाहिए।

मुझे खेद है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कभी-कभी ऐसे असंबद्ध व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बहुत हानि होती है, जैसी कि पांडिचेरी...

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : किसने ऐसे विचार व्यक्त किये थे ?

श्री हरि विष्णु कामत : प्रधान मंत्री ने। मैं समझता हूं कि पांडिचेरी के बारे में यह कहना है कि फ्रांस के साथ हमारी संधि में निहित है कि कोई भी परिवर्तन जनमत से किया जायेगा। वही स्थिति गोश्रा के बारे में है। मैं तीसरी लोक सभा में था जब हमने गोश्रा के बारे में जन-मत के लिए विधेयक पारित किया था। यदि फ्रांस सरकार के साथ कोई संधि है तो हमें फ्रांस की सरकार से बातचीत करनी चाहिए और यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो हमें संधि पर कायम रहना चाहिए।

मैं जानता हूं कि वह समय आ सकता है जब ये छोटे एकक साथ के बड़े राज्यों में सम्मिलित हो जायेंगे; परन्तु इस बारे में हमें शीघ्रता नहीं बरतनी चाहिए। हमें वर्तमान व्यवस्था को एक दम समाप्त नहीं करना चाहिए।

मैं प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण के मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। अपने चुनाव घोषणा-पत्र में हमने स्पष्ट अभितामवचन दिया है, मैं उसका एक वाक्य पढ़ता हूं :

> "पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को नया रूप, अधिक शक्ति, अधिक दायित्व सौंपा जायेगा तथा ये लोकप्रिय शासन, पटल शक्ति तथा आयोजना के क्षेत्र में अधिक कार्य कर सकें।"

हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन के रूप में पंचायतों की स्थापना और विकास का उल्लेख हुआ है। जनता पार्टी की आर्थिक नीति घोषणा के मद में, चुनाव घोषणा पत्र में गांधीवादी तथा अन्त्योदय का आर्थिक विकेन्द्रीकरण के रूप में वर्णन हुआ हैं। इसलिए सरकार को प्रशासनिक विकेन्द्रीयकरण के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

सरकार ने हमारे भूतपूर्व सहयोगी संसद सदस्य प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थ-शास्त्री श्री अशोक मेहता के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की है। उसने एक प्रतिवेदन तैयार किया है। परन्तु मुझे खेद है कि समिति ने पंचायतों को संविधान द्वारा स्वीकृत स्व-शासन की प्राथमिक एकाई के रूप में महत्व नहीं दिया है। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि ग्राम पंचायतों को उचित महत्व मिलना चाहिए तथा हमें चार स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर पांच स्तरीय व्यवस्था, अर्थात केन्द्र, राज्य, जिला, ब्लाक और पंचायत होनी चाहिए। हमें संविधान को भी संविधान की सूची को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि तीन स्तरों की व्यवस्था की जा सके—केन्द्र, राज्य, जिला, ब्लाक तथा ग्राम व्यवस्था की जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आप भी सिर हिला कर अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं संकेत कर रहा था कि आपका समय समाप्त हो गया है।

हरि विष्णु कामत : मैं जानता हूं कि आप भी इससे सहमत हैं।

महोदय, संविधान में एक उपबन्ध है। सरकार ने हमारे गणतन्त्र के इन 28 अथवा 29 वर्षों तक इस उपबन्ध की उपेक्षा की है। हमारे संविधान में एक उपबन्ध है। अनुच्छेद 263 में अन्तर्राज्य परिषद के लिए उपबन्ध है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस बात की जोरदार सिफारिश की कि इस अन्तर्राज्यीय परिषद का राज्यों के आपस के तथा केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न विवादों को निपटाने के लिए गठन किया जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि क्या यह सिफारिश सरकार ने मान ली है या नहीं। मैं नहीं जानता कि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करने के लिए क्यों अन्तर्राज्यीय पपिषद की नियुक्ति नहीं की गई है। बहुत बातें हो रही हैं। (व्यवधान) महोदय, दुर्भाग्यवश मुझे यह नोट करते हुए खेद होता है कि कई राज्यों में, यद्यपि संसद, लोकसभा ने मीसा को समाप्त कर दिया है, मीसा का निरसन कर दिया है—गत वर्ष अगस्त में, इन्दिरा-संजय गांधी बनाये रखना अधिनियम जैसा, मुझे कहते हुए खेद होता है, कुछ कम सख्त कानून कुछ राज्यों में बनाया गया है (व्यवधान)। मैं नहीं जानता कि किन राज्यों में बना। मन्त्री महोदय को हमें यह बताना चाहिए कि किन राज्यों ने कुछ कम सख्त किस्म का मीसा कानून बनाया है और क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में बने ऐसे अधिनियमों की उनको ध्यानपूर्वक जांच की है और 45वें संविधान संशोधन विधेयक में संरक्षण के लिए व्यवस्था की है (व्यवधान)। उनकी संसदीय समिति द्वारा जांच की जा सकती है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं। पिछले दिन वित्त मन्त्री ने, पहले एक वक्तव्य दिया और दो दिन बाद रक्षा मन्त्री ने कर्मचारियों के कुछ वर्गों की पेंशन में वृद्धि करने के बारे में वक्तव्य दिया। एक और भी वर्ग है जिन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी है, उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है। उनमें से कुछ ने इसे स्वीकार नहीं किया किन्तु बहुत से लोगों के पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है। उनमें से कुछ ने जाली प्रमाण-पत्र देकर सरकार को धोखा दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि आप इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे आशा है कि उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने गलत तरीके से यह पेंशन ली है।

मैं सरकार से केवल यही निवेदन करूंगा कि यदि सरकार इस वर्ग के लोगों की पेंशनों में भी थोड़ी वृद्धि करे।

अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस बारे में अब तक बहुत कुछ कहा गया है। गृह मन्त्रालय का प्रत्येक मन्त्रालय के कार्य में कुछ न कुछ हस्तक्षेप है। अतः इन मामलों में वे बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पास क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए जन शक्ति है। गृह मन्त्री बाल अधिनियम, अर्थात् बाल दत्तक ग्रहण विधेयक के माध्यम से तथा कुछ अन्य मामलों को लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे आशा है कि इन मामलों पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा और गृह मन्त्री अपने कार्य काल के दौरान इस प्रकार काम करेंगे कि देश में प्रत्येक घर ऐसा खुशहाल हो जिसमें बच्चों का एक उज्ज्वल भविष्य हो तथा घर सुरक्षित हो और बाहर कानून और व्यवस्था की कोई समस्या न हो।

श्री ए० अशोक राज (पेरम्बलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सर्व प्रथम मैं कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति, विशेष रूप से समस्त देश में विद्यार्थी समुदाय में बिगड़ती हुई स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं। महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि देश का भविष्य राष्ट्र के युवकों पर निर्भर करता है। यदि देश भर में व्याप्त विद्यार्थी-असन्तोष का अभी समाधान नहीं होता है तो स्वभावतः राष्ट्र का भविष्य खतरे में है। देश में लोकतन्त्र के विकास के लिए भारत सरकार को विशेष रूप से विद्यार्थी असन्तोष को दूर करना चाहिए तथा आम तौर से कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारना चाहिए।

मेरे माननीय सहयोगी श्री एच० वी० कामथ ने अजीब प्रश्न उठाया है। कब तक राज्य विधान सभाओं तथा संसद जैसे मंचों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का आरक्षण किया जागेगा। अब समय आ गया है कि सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी आर्थिक विषमता और सामाजिक पिछड़ेपन के बने रहने की जाँच की जानी है। हमने उनकी प्रगति के लिए अनेक प्रकार की रियायतें दी हैं फिर भी वे उनका अधिकतम लाभ नहीं उठा पाये हैं। इस दुःखद स्थिति के क्या कारण हैं? सरकार को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास करना चाहिए कि उन्हें जो रियायतें दी जा रही हैं वे उन्हें मिल रही हैं।

हमें लोगों के धर्म परिवर्तन करने के बारे में मालूम है। आरम्भ में ईसाई पादरी उन लोगों को, जो दुःख में होते थे, कई प्रलोभन देते थे और उन्हें ईसाई बनाते थे। धर्म परिवर्तन के बाद वे रातों रात ईसाई धर्म के खुशहाल सदस्य नहीं बन जाते थे। धर्म परिवर्तन के बाद भी कई अपने हिन्दू नामों से ही जाने जाते थे। जैसे हिन्दू धर्म में अगणित सम्प्रदाय हैं, ईसाई धर्म में भी कई प्रभाग हैं। निचली जाति के लोग, जो ईसाई बनते हैं, ईसाई समुदाय में निचली जाति के ही लोग रहते हैं। धर्म परिवर्तन से उनके आर्थिक स्तर में परिवर्तन नहीं आया है। सरकार को इस समस्या पर विचार करना चाहिए और उन लोगों की प्रगति के लिए उनके ईसाई होने पर भी आर्थिक रियायतें देनी चाहिएं।

इसी प्रकार सरकार को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को दी गई लाभकारी रियायतों का इन जातियों द्वारा लाभ न उठाये जाने के कारणों की जांच करनी चाहिए। इन लोगों को उनके इर्द-गिर्द के लोभी लोगों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं वहां व्याप्त धोखे के वातावरण को दूर किया जाये।

महोदय, मुझे केन्द्र द्वारा हिन्दी थोपने का भी उल्लेख करना है। भाषा हमारे लोगों की एकमात्र शक्ति रही है। केन्द्र द्वारा आये दिन जो आश्वासन दिए जा रहे हैं उन्हें केन्द्र सरकार

*मूल तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद।

पूरा नहीं कर रही है। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में किसी भी तरह हिन्दी थोपी जा रही है। इससे गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में एक भय पैदा हो गया है। सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि इस गलत कदम के क्या परिणाम होंगे।

हम गलत तरीकों तथा भ्रष्टाचार की बात करते हैं जिससे देश के प्रशासन से लोगों का विश्वास हट गया है, अफसरशाही में छोटे से लेकर बड़े तक को छोटे-छोटे वैध कार्यों के लिए भी घूस देनी पड़ती है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुख्य कारण लाल फीताशाही है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र, ईमानदार आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के बड़े दावे करने के बावजूद भ्रष्ट तरीके दिन-प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मन्त्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं कावेरी जल विवाद का भी यहां उल्लेख करूंगा क्योंकि यह अन्तर्राज्यीय समस्या है और यह गृह मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। यदि यह जल विवाद तीनों राज्यों के बीच शान्तिपूर्वक निपटाया जाता है तो सिचाई को इससे बड़ा भारी लाभ होगा। तमिलनाडु के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

गृह मन्त्रालय को अपनी शक्तियों को कुछ कम करना चाहिए। यदि विकेन्द्रीकरण हो जाता है तो इससे देश में स्वस्थ संघीय व्यवस्था होगी। राज्य वहीं स्थल पर ही दिल्ली को दौड़े बिना समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इस प्रश्न पर भी गम्भीर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

हमारी योजनाओं से धनी लोग अधिक धनी तथा निर्धन अधिक निर्धन हुए हैं। आर्थिक बिषमता बढ़ रही है और धनी और निर्धन के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं सतर्क करना चाहता हूं कि देश में क्रान्ति की पूरी सम्भावना है। लोगों के दुःख एक ऐसी क्रान्ति में फूट उठेंगे जो नियंत्रित नहीं की जा सकेगी और गृह मन्त्रालय की क्षमता से बाहर होगी। जो विदेशी भारत आते हैं वे हम पर हंसते हैं। चाहे रेलवे स्टेशन हो अथवा बाजार हो आप छोटे-छोटे मासूम बच्चों को भीख मांगते देखते हैं। जब हम 3, 4 वर्ष के बच्चों को, जिनके फटे-पुराने कपड़े तथा बाल बिखरे होते हैं, मांगते हुए देखते हैं तो बड़ा दुःख होता है। हम जानते हैं कि भूख उन्हें मांगने के लिए बाध्य करती है। इस अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में हमें कुछ करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार भिखारियों के पुनर्वास की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही है जिसका समस्त देश में अनुकरण किया जाना चाहिए। इस योजना में होने वाले व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान दिया जाना चाहिए। समस्त देश में भिखारियों के पुनर्वास की इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल ये लोग जो कष्ट में हैं, ऐहसान मानेंगे किन्तु अन्य राष्ट्र भी गुणगान करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रालय के कार्यकरण के बारे में कई बातें कहना चाहता था किन्तु आपने पहले ही चेतावनी दी है कि हमें अपने भाषण कम करने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में इस विषय के लिए नियत किए गए समय को हम समाप्त कर रहे हैं।

श्री अशोक कृष्ण दत्त : महोदय, मैं अपना भाषण केवल उन पहलुओं तक ही सीमित रखने का प्रयास करूंगा जिनके बारे में अन्य वक्ताओं ने नहीं कहा है। वास्तव में श्री कामथ जैसे अनुभवी व्यक्ति के बाद बोलना बहुत कठिन है क्योंकि उन्होंने लगभग उन सभी बातों के बारे में बोला है जिनका मैं उल्लेख करना चाहता था, किन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि कुछ बातों के बारे में कहा नहीं गया है।

कहावत है कि दीपक तले अंधेरा। मैं गृह मन्त्री का ध्यान स्वयं राजधानी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की हालत की ओर दिलाना चाहता हूं।

(श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए)

महोदय, यह आपको मालूम है कि अधिकांश संसद सदस्य नार्थ एवेन्यू अथवा साउथ एवेन्यू में रहते हैं। सभापति महोदय, आप भी उनमें से एक हैं। मेरा विश्वास है कि गत 4 या 5 या 6 महीने में संसद सदस्यों के इस निवास स्थान में चोरी की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं। हो सकता है शहर के अन्य भागों तथा देश के अन्य भागों में स्थिति और भी खराब हो किन्तु उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं स्वयं अपना ही भाषण देता हूं। दो महीने पहले मेरे ही मकान में एक गम्भीर चोरी हुई है। पुलिस अपने सारे कर्मचारियों सहित वहां आई, पुलिस के कुत्ते भी लाए गए और जब मैं कलकत्ता से यहां पहुंचा तो पुलिस अधिकारी ने एक सेल्यूट मारा किन्तु उसके बाद कुछ नहीं हुआ। न केवल पुलिस ने कुछ नहीं किया किन्तु जिस प्रकार जांच हो रही है, वह बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। महोदय, आपके राज्य में भी आपका पुलिस की गतिविधि का अनुभव है और मुझे भी अपने राज्य का अनुभव है। पुलिस जिस प्रकार मूल सुराखों की उपेक्षा करती है वह आश्चर्यजनक है। उन्हें बहुत से सुराख दिये किन्तु उन्होंने वे नहीं लिये। थाने के लोगों तथा संदिग्ध अपराधियों के बीच जो फुसफुसाहट होती है वह भी आश्चर्यजनक है। मेरे मित्र श्री नत्थूसिंह भी हैं जिनके मकान में भी चोरी हुई है। यदि आप चाहें तो मैं कम से कम छः संसद सदस्यों की सूची दे सकता हूं जिनके नार्थ एवेन्यू स्थित मकानों में गत छः महीनों में चोरी हुई है। जहां अपराधी होंगे वहां चोरियां होंगी मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए और मैं गृह मन्त्री से आग्रह करूंगा कि इस मामले की जांच को गुप्तचर विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाये। मैं उन्हें सामग्री दूंगा। मैं यह प्रकट नहीं करना चाहता हूं और मैं इसे किसी भी माननीय सदस्य को जो इसे चाहता है, दूंगा। अधिकारियों के एक वर्ग तथा लोगों और उनके साथ, जो अपराध कर रहे हैं और कोई सांठ गांठ है। दिन दहाड़े चोरी हो रही है। एक संसद सदस्य के स्कूटर की दिन दहाड़े नार्थ एवेन्यू में चोरी हुई। इसके बारे में क्या हो रहा है ?

(डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई)

यह दिल्ली के बारे में है। अब मैं अन्य पहलुओं के बारे में कहूंगा जिन पर इस सभा में किसी ने नहीं कहा है। मेरा विश्वास है उनके कनिष्ट मन्त्री यह जानकारी देंगे जो मैंने दिल्ली में संसद सदस्यों के क्वाटरों में हो रही चोरियों के बारे में दी है।

अब मैं स्वयं गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा। उन्हें नये पद की बधाई देते हुए मैं उनके उस वक्तव्य पर गहरा खेद भी व्यक्त करूंगा जो उन्होंने गृह मन्त्री बननने के तुरन्त बाद दिया। उन्होंने देश का पूर्वोत्तर भाग देखा है। वे दमदम, कलकत्ता हवाई अड्डे से गये हैं जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है। सम्भवतः वे गृह मंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल नहीं गये। जब वह वित्त मन्त्री थे शायद वहां गये होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र को आते-जाते वे दमदम हवाई अड्डे में वरिष्ठ व्यक्तियों के कक्ष में कुछ समय रहे होंगे। मैं नहीं जानता कि आपने किस सन्दर्भ में यह प्रमाण पत्र दिया है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और स्वभावतः कलकत्ता के समाचार पत्रों में इसका बड़ा प्रचार हुआ। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर उन्होंने यह प्रमाणपत्र दिया है। यदि वे सोचते हैं कि दमदम हवाई अड्डे पर वरिष्ठ व्यक्तियों के कक्ष में वातानुकूलित वातावरण में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यह सर्वविदित है कि वह प्रशासनिक सेवा के प्रसिद्ध अधिकारी थे और यदि वह अभी उसी बात पर विश्वास करते हैं जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कहते हैं तो मैं कहूंगा कि हमें इस पर बहुत खेद है। उन्हें अब तक यह महसूस हो जाना चाहिये था कि वह प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च व्यक्ति नहीं हैं। वह अब राजनीतिक व्यक्ति हैं और भारत के गृह मन्त्री हैं। ऐसा वक्तव्य देने से पहले तथा ऐसा प्रमाणपत्र देने से पहले उन्हें जनता के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने दमदम हवाई अड्डे पर अपने कार्यभार संभालने के कुछ ही हफ्तों में यह प्रमाणपत्र दिया है उससे मेरी यही धारणा बनती है कि उनकी लोकतन्त्र अथवा जनता के प्रतिनिधियों के प्रति आदर की कोई भावना नहीं है। मैं उनके समक्ष कुछ निश्चित उदाहरण रखता हूं और उन कारणों को भी रखता हूं कि क्यों मैं उनके वक्तव्य का विरोध करता हूं। जब वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में गये थे और दमदम हवाई अड्डे पर यह प्रमाणपत्र दे रहे थे तो ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक सदस्य, श्री किरणमय नन्दा, सदस्य विधान सभा, ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को एक सीधा प्रश्न पूछा कि जून, 1977 और सितम्बर, 1978 के बीच कितनी हत्याएं हुईं। उत्तर यह था कि इस अवधि में 1300 हत्याएं हुईं। यह मेरा वक्तव्य नहीं है किन्तु उस राज्य के मुख्य मन्त्री का है जिसे आप खुला प्रमाणपत्र दे रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया 2, 3 मिनट और बोलिए और समाप्त कीजिये।

श्री अशोक कृष्ण दत्त : यह बहुत गम्भीर पहलू है। मैं दुहराऊंगा नहीं। मैं इस राज्य के ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। हत्या, आगजनी, लूट और घेराव के एक-एक भिन्न-भिन्न उदाहरण हैं। यह सब जानकारी या तो संसद सदस्यों, हमारे माननीय सहकर्मियों अथवा विधान सभा के वरिष्ठ सदस्यों ने दी है। मैं किसी अन्य व्यक्ति, समाचारपत्र अथवा स्रोतों से उद्धृत नहीं करूंगा। मुझे माननीय सदस्य, श्री किरणमय नन्दा ने यह सूचना दी है कि मुख्य मन्त्री ने जो 1300 हत्याओं को स्वीकार किया है, उस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल 300 है प्रत्येक 4 हत्याओं पर एक से भी कम गिरफ्तारी हुई है, वहां यह हो रहा है। इनमें अधिकांश हत्याएं राजनीतिक हत्याएं हैं।

दूसरी जानकारी मेरे वरिष्ठ सहकर्मी श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन ने सप्लाई की है। श्री सेन बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिला पुरणिया में एक राजनीतिक बैठक करने गये और हमारे

दल का एक युवा कार्यकर्ता, नेमाई करमाकर पर्चे बांट रहा था कि श्री पी॰ सी॰ सेन वहां आयेंगे और बैठक करेंगे। उसी रात उन्हें धमकी दी गई और घनघोर रात में उसे एक छड़ से मारा गया और वह मर गया। इस बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। इस बारे में विधान सभा में बार-बार आग्रह किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि संदिग्ध व्यक्ति का पता नहीं लगा है।

24-परगना जिले का मैं एक और उदाहरण देता हूं जो उस स्थान से कुछ ही मील दूर है जहां वह बैठकर प्रमाणपत्र दे रहे थे। 24-परगना जिले के कासबाह क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता रानादत्त चौधरी को सभी जानते हैं। मुख्य मन्त्री ने यद्यपि कहा कि वह समाज-विरोधी व्यक्ति है। किन्तु हम उसे एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं। सत्ताधारी दल के अथवा उससे संरक्षण प्राप्त कुछ गुण्डों ने उनकी हत्या की। उन्होंने उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े किये और उसे एक बोरी में रखकर उसके मकान में आये और उसकी दो बहिनों से कहा, जिन्हें वे जानती थीं, "हमारे पास कुछ खुशखबरी है। पहले हमें मिठाई खरीदने के लिए कुछ रुपया दीजिये।" उसकी बहिनों ने सोचा कि स्थानीय बच्चे मजाक कर रहे हैं और उन्होंने कुछ रुपया दिया। पैसा लेने के बाद उन्होंने बोरी को खोला और उनके भाई के शव को बाहर निकाला। यह मामला वहां लाया गया और पश्चिम बंगाल विधान सभा में उठाया गया। और उत्तर यह दिया गया कि वह समाज विरोधी तत्व हैं। मैंने गृह मन्त्री से पूछा कि क्या वह समाजविरोधी व्यक्ति था या नहीं और यदि वह समाजविरोधी व्यक्ति था तो उस पर अभियोग चलाया जाना चाहिए था और न्यायालय से उसे सजा दी जानी चाहिये थी किन्तु, चूंकि वह समाजविरोधी था, ऐसा करने वाले स्थानीय गुण्डे कौन थे ?

मैं मिदनापुर जिले का एक और मामला प्रस्तुत कर रहा हूं, यह मुझे उस निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य श्री जनमेजय ओझा ने दिया है। वहां बहुत लूट और आगजनी हो रही है। सत्ताधारी दल के लोग बुरी तरह से फसल को लूट रहे हैं।

वह वहां एक बैठक करने गये थे। पहले यह घोषणा की गई कि वह वहां बैठक करने जा रहे है। उनकी बैठक 3 बजे होनी थी। वह वहां एक घंटा पहले आये। जब वह उस स्थान पर पहुंचे—जीलबाजी, मिदनापुर, जिला भगवानपुर पुलिस स्टेशन जो उस जगह रहते थे जहाँ बैठक होने वाली थी, निकट ही थे। तो उनका सत्ताधारी दल के स्थानीय दल के गुण्डे लोगों द्वारा कई घंटों तक घेराव किया गया और उन्हें तब छोड़ा गया जब रात को सबके सब लोग चले गये थे। पुलिस को सूचित किया गया किन्तु कोई नहीं आया। विधान सभा सदस्य का भी घेराव किया गया और उसे वहां बैठक करने नहीं दिया गया। पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। विधान सभा सदस्य के चले जाने पर अगले दिन उन लोगों को जिन्होंने विधान सभा सदस्य को अपने घर में बिठाया था, निर्दयता से पीटा गया। यह घटना पश्चिम बंगाल विधान सभा में उठाई गई। मन्त्री महोदय इसकी जांच कर सकते है। मैंने पश्चिम बंगाल विधान सभा सदस्य का नाम दिया है।

मैं एक और मामला बताऊंगा, इसका उल्लेख हमारे सहकर्मी श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन ने किया है। यह उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र आरामबाग, परसुरा पुलिस स्टेशन जिला हुगली का

है । इस क्षेत्र में पंचायत के चुनावों में पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल की बुरी तरह से हार हुई और हार हुए व्यक्तियों ने विजयी सदस्यों के प्रति तथा उनके प्रति जिन्होंने उनके लिए काम किया, बदला लिया । 26 फरवरी, 1979 को, माननीय गृह मन्त्री से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद वे और सख्त हो गए । 26 फरवरी, 1979 को यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद सुरसुरा पुलिस स्टेशन, आरामबाग सब-डिवीजन जिला हुगली में एक दवाई विक्रेता, श्री विश्वनाथ सनवाल को जिस पर चुनाव में गैर-पार्टी उम्मीदवार की सहायता करने का संदेह था, उसकी दुकान से घसीटा गया और एक पुल के नीचे ले जाया गया और वहाँ छुरा भौंका गया । स्थानीय लोग वहां गये और उन्होंने कुछ गुन्डों को पकड़ा और उन्हें पुलिस को दिया । उस मामले में आगे कार्यवाही नहीं हो रही है । उन सभी गुण्डों को जो पकड़े गये थे छोड़ दिया गया है । उसके शरीर में तथा छाती में छुरा भौंका गया था और वह अभी भी अस्पताल में है । उसे अस्पताल से छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सारे मामले को दबाया जाये ।

समाप्त करने से पहले मैं दो विशिष्ट मामलों का उल्लेख करूंगा । ये बहुत महत्वपूर्ण हैं । पिछले दिन मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र शेखी मार रहे थे, क्योंकि उनकी सरकार वहां है, कि वहां अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हरिजनों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है । पश्चिमी बंगाल की परम्परा रही है वहां सहा-जिया धर्म, भक्ति सम्प्रदाय और चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव रहा है । पश्चिम बंगाल में जाति प्रथा देश के अन्य भागों की अपेक्षा कम घृणास्पद है, किन्तु जिस तरीके से यह सरकार काम कर रही है उसके और एक, दो उदाहरण विशेषरूप से अल्पसंख्यकों और हरिजनों पर अत्याचार के उदा-हरण आपके ध्यान में लाऊंगा । देगंगा पुलिस स्टेशन में पनसिला नाम का एक स्थान है । मैं विश्वास करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री इसको नोट रखेंगे । यह 24-परगना जिले में है । वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का एक अंचल प्रधान है उसे 'हाकिम सरदार' कहते हैं । उसमें साहस है, उसने पश्चिम बंगाल विधान सभा के साथ असहमति प्रकट करने का साहस किया था, तथा विशेष-रूप से अल्पसंख्यकों और हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में असहमति दिखाई थी, इसके परिणाम-स्वरूप दिन दहाड़े सत्ताधारी दल के कुछ गुण्डों ने आकर उसके मकान में आग लगाई । माननीय श्री एस. के. सरकार, संसद सदस्य और श्री एम० ए० हनान ने मुझे अभी-अभी पवित्र कुरान शरीफ के कुछ पृष्ठ दिये जिन्हें पश्चिम बंगाल सभा में सत्ताधारी दल ने हकीम सरदार के घरे पर जलाए ।

अन्त में 24-परगना के दक्षिणी भाग में मियारिचझ नदी के मामले की चर्चा करूंगा । इस सभा के दोनों पक्षों के कुछ संसद सदस्यों ने अध्यक्ष से वहां एक संसदीय आयोग भेजने की अपील की थी । अन्ततः कोई संसदीय आयोग नहीं भेजा गया । प्रधान मन्त्री ने सत्ताधारी दल के तीन सदस्यों को हरिजन शरणार्थियों पर राज्य सरकार द्वारा किये गए अत्याचारों के तथ्यों का पता लगाने भेजा । प्रधान मन्त्री ने बुद्धिमत्ता से हमें अर्थात पश्चिम बंगाल वालों से किसी को नहीं भेजा । उन्होंने भारत के अन्य हिस्सों के हमारे सहकर्मियों को भेजा । ताकि पक्षपात का कोई प्रश्न न उठे । क्या हुआ ? वे एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे उनमें से किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें अपना 'प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । मैं केवल वही कहूंगा जो श्री शक्ति कुमार सर-

कार हमारे एक सहकर्मी जो यहां उपस्थित हैं, ने कहा, पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री कासी कान्त मोयत्रा ने कहा तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा में जनता पार्टी के उप-नेता प्रो० प्रवोद चन्द्र सिन्हा ने कहा। वे संसद सदस्यों के साथ मरिचझापी गये थे, जैसे ही वे रवाना हुए पुलिस के दस्ते भी उनके पीछे-पीछे चलने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी सुरक्षा के लिए वे आ रहे हैं। किन्तु जैसे ही दस्ता मरिचझापि से आगे के क्षेत्र में पहुंचा जिसे कुमिरमारी कहते हैं, उससे कुछ ही देर पहले पुलिस के दस्ते ने उस दस्ते को जिसमें संसद सदस्य जा रहे थे रोका और गिरफ्तार किया और उन्हें लगभग आधे घंटे तक हिरासत में रखा। फिर उन्हें काफी कहने सुनने के बाद रिहा किया गया। फिर थोड़ी ही देर बाद उन्हें रोका गया और गिरफ्तार किया गया और वहां रखा गया। उसके बाद जब जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता ने अपना प्रभाव का प्रयोग किया तथा बड़ी सख्ती तथा कड़ाई से इसके बारे में कहा तो उन्हें रिहा किया गया किन्तु उन्हें सात या आठ पुलिस दस्तों से घेर दिया गया। संसद सदस्यों से स्वयं एक पूरा प्रतिवेदन इस सम्बन्ध में आयेगा और हम सभा में उस पर पूरी चर्चा की मांग करेंगे तथा उस पर पूरा वाद-विवाद होगा।

दो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। पहली बात यह है कि यदि सत्ताधारी दल से भेजे गये संसद सदस्यों के दल को, जिसे प्रधान मंत्री ने नामजद किया, इन बातों की जांच करने से क्या राज्य सरकार रोक सकती है और क्या पुलिस इतनी ढीठ हो सकती है कि वह अपनी इच्छानुसार संसद सदस्यों को गिरफ्तार करे। यह सब बन्द होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस मामले के दूसरे पहलू को नोट रखेंगे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के मनोबल और भावना से सम्बन्ध है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अशोक कृष्णदत्त : इसकी सारे देश में प्रतिक्रिया होगी। मैं केवल दो मिनट में समाप्त करूंगा, गृह मंत्री और सरकार को इस तथ्य को गम्भीरता से लेना चाहिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भावना को पूरी तरह से गिराया गया है उन्हें नौकरों से भी बुरी तरह समझा जा रहा है। मैं कहूंगा कि यह परम्परा पिछले प्रशासन से चली आ रही है। तानाशाही ने उनके मनोबल को गिराया है। किन्तु अब सारे देश में मनोबल में सुधार हुआ है और स्थित अच्छी है। किन्तु देश के एक भाग में उसी प्रकार का अत्याचार चल रहा है, यह है पश्चिमी बंगाल जहां से हम निर्वाचित हुए हैं। हम महसूस करते हैं कि इसे तत्काल रोका जाये। गृह मंत्री को यह शक्ति प्राप्त है तथा प्रशासनिक सेवाएं और पुलिस सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप है। स्थानीय सरकार द्वारा दिये गये अवैध, आदेशों की वे क्या परवाह करते हैं। स्थानीय सरकार को वैध आदेश देने चाहिए। भारत सरकार को प्रशासनिक सेवा तथा पुलिस सेवा के सदस्यों के इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें साहस दिलाना चाहिए जिससे वे किसी राज्य सरकार द्वारा दिए गये गैर-कानूनी आदेशों का पालन करने से इन्कार कर सकें।

मैं गृह मन्त्री पर इस बात के लिए जोर दे रहा हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि उन्होंने जो प्रमाण पत्र उन्हें दिया है उसे ठीक करें। वह स्वयं इस राज्य में जायें और पूरी जांच

करें तथा ऐसा प्रमाण-पत्र देने से पहले किसी और की बात सुनकर अथवा दमदम हवाई अड्डे पर वरिष्ठ व्यक्तियों के कक्ष में वातानुकूलित वातावरण की सराहना कर अपने आपको संतुष्ट न करें।

श्रीमती अकबर जहां बेगम (श्रीनगर) : मैं एक बहुत छोटे राज्य जम्मू और कश्मीर से हूं। आबादी और संसाधनों आदि की दृष्टि से यह छोटा है फिर भी उन आदर्शों तथा मूल्यों की दृष्टि से जिन्हें इस राज्य के लोगों ने अपनाया है तथा उनके लिए बलिदान किया है, यह राज्य छोटा नहीं है। ये आदर्श क्या हैं ? वे हैं मानव मातृत्व, धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना और उसकी रक्षा करना। क्या मैं माननीय सदस्यों को याद दिला दूं कि इस राज्य ने सबसे पहले भूमि सुधार किये है तथा सामन्तशाही और उससे सम्बद्ध विभिन्न प्रकार के शोषण को समाप्त किया है। यह पहला राज्य था जिसने महाराजाओं और नवाबों का निजी शासन समाप्त करने की मांग की है, जो इसके लिए उन्हें क्षमा करते नहीं दिखाई देते। माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य के लोगों ने इन आदर्शों के प्रति चुनौती का सामना किया है और अभी भी सामना कर रहे हैं, जो मानव भ्रातृत्व के आदर्श के लिए आवश्यक एकता के लिए एक चुनौती है हमारा यह विश्वास है कि धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के आदर्श न केवल जम्मू और काश्मीर के लोगों के जीवन के लिए आधारभूत और मूलभूत हैं किन्तु सारे देश की आधार-शिला हैं। यह राज्य राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में न केवल इस कारण इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी सामरिक स्थिति है, किन्तु इस कारण भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यह धर्म-निरपेक्षता, आर्थक न्याय और लोकतंत्र के लिए भी एक आदर्श है। वह कौन सी बात है जो इस राज्य के लोगों को हमारे राष्ट्र के बाकी लोगों के और निकट लाता है ? यह है लोकतांत्रिक जीवन का स्वरूप है, धर्म निरपेक्षता और मानव भ्रातृत्व।

मेरे सहकर्मी डा० कर्णसिंह ने कुछ दिन पहले इस सभा में कुछ शिकायतें की थीं। उन्होंने कुछ गलतफहमी और पक्षपात का वातावरण बनाया है। ऐसा करने से पहले उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। फिर भी वह जो कुछ करते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं तथा जो कुछ वह अपने वित्तीय साधनों से प्रोत्साहित करते आ रहे हैं वह गम्भीर रूप से इन हितों के विपरीत जा रहा है।

यह आम आदमी जानता है कि वह जम्मू में असंतुलन को दूर करने, जो उनके अनुसार वहां हैं, के नाम पर कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं। वह यह अच्छी तरह जानते हैं कि जम्मू को जो कुछ मिला है तथा वहां जो आर्थिक विकास हुआ है वह कश्मीर घाटी से कहीं ज्यादा है। वह यह भी जानते हैं कि राज्य की सेवाओं में लगभग 7,400 राजपत्रित कर्मचारियों में से 4,700 अर्थात 57 प्रतिशत कर्मचारी गैर-मुस्लिम हैं। वह इस प्रश्न की जनता विधायकों द्वारा जांच किये जाने से संतुष्ट नहीं हैं। हो यह रहा है कि क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाया जा रहा है जिससे जम्मू के लिए एक अलग प्राधिकरण बने।

माननीय सदस्य जानते हैं कि जम्मू में आन्दोलन अधिकांशत: जम्मू, कथुवा तक ही सीमित है, जहां पक्षपात और गलतफैमी पैदा करने के लिए आन्दोलन चलाया जा रहा है। इसका प्रयोजन क्या है ? सारा प्रयोजन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को जम्मू के लिए एक अलग

प्राधिकरण का स्वरूप बनाने की मांग स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जम्मू के अन्य तीन या चार जिलों में अर्थात राजौरी, रोदा, पूंच और उधमपुर में, जहां प्रधानतः मुस्लिम आबादी है, प्रतिक्रिया क्या रही है ? वे जम्मू शहर के प्रभुत्व और अधिपत्य के पूरी तरह से विरुद्ध हैं।

डा० कर्णसिंह ने कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी के लिए केन्द्रीय सरकार की आलोचना की है। किन्तु कारण कुछ और है। यह सर्वविदित है कि वह अपने वित्तीय साधनों से अल्पवयस्कों को सम्पत्ति जलाने, पत्थर फेंकने तथा विद्यार्थियों को कालजों और स्कूलों में जाने से रोकने के लिए भर्ती कर रहे हैं। तीन महीने तक स्कूलों को जबरन बन्द कर जम्मू के लोग गुंडों की गतिविधियां रोकने तथा स्कूलों को खोलने के लिए सरकार के पास गये। स्कूल खुले किन्तु इस सभा के एक माननीय सदस्य, श्री बलदेव सिंह, जो यहां बैठे हैं, डा० कर्णसिंह की सलाह पर घर-घर गये और विद्यार्थियों को स्कूल जाने मे रोका।

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : मैं यह नहीं मानता, यह झूठ है। मुझे इसका खन्डन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपनी बारी पर बोलें, अभी उनको बोलने दें।

श्रीमती अकबर जहां बेगम : माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि उन्हें संसद में विशेष रूप से जब कोई महिला बोल रही हो, कैसे बर्ताव करना चाहिए।

क्या माननीय सदस्यों को केन्द्रीय सरकार पर विधि और व्यवस्था स्थिति की उपेक्षा करने का आरोप लगाने का अधिकार है ? क्या इस पाखण्ड से कोई लाभ होगा ?

इस आन्दोलन का उद्देश्य क्या है ? असन्तुलन समाप्त करने के बहाने से विधिवत चुने गये विधान सभा के सदस्यों के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया गया है कि जम्मू में दोहरा प्राधिकरण स्थापित करने के लिए राज्य के संविधान में संशोधन किया जा सके ताकि एक सामान्तर लोकतंत्र ढांचा स्थापित किया जा सके, जहाँ निहित स्वार्थ राजनैतिक अपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहते हैं। यद्यपि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान करना धर्म-निरपेक्ष नीति के विपरीत होगा; किन्तु इस आरोप का खण्डन करने की दृष्टि से मैं चाहती हूं कि माननीय सदस्य यह नोट करें कि :

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया : इस प्रकार व्यक्तव्य पढ़ने की क्या अनुमति है ?

सभापति महोदय : उनको अपने विचार रखने का हक है। आप कृपया शांत रहें।

श्रीमती अकबर जहां बेगम : (क) मैं आंकड़े दे रही हूं। राज्य राजपत्रित संवर्ग में 7382 अधिकारियों में से 4300 हिन्दू हैं।

(ख) विभिन्न कोर्सों के लिये भेजे गये विद्यार्थियों में से 971 जम्मु के हिन्दू हैं।

(ग) 1975 से लेकर आज तक विभिन्न रोजगार बोर्डों में गैर-राजपत्रित संवर्गों में 5321 को रोजगार दिया गया है। इनमें से 3070 हिन्दू हैं।

(घ) जम्मू संभाग के लिये 44 करोड़ रुपये विकास के लिये दिये गये हैं जबकि कश्मीर के हिस्से में केवल 40 करोड़ रुपया दिया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि कश्मीर में वह तत्व जो यह चाहते हैं कि कश्मीर में नियन्त्रण ढीला करके जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाये, जम्मू में हुई ऐसी घटनाओं पर खुश हैं। मैं पूछती हूं कि क्या यह बात हमारे राष्ट्रीय हितों तथा देश की सुरक्षा के अनुकूल है ?

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह व्यक्तिजो स्वयं को जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं, तथ्यों को गलत ढग से बताते हैं। इस सदन में यह कहा गया है कि सरकार के सात केबीनट मन्त्री हैं जिनमें से केवल एक ही जम्मू का है। अतः यह धारणा उत्पन्न कर दी गई है कि केबीनेट में केवल एक ही हिन्दू है। तथ्य तो यह है कि केबीनट मे छः मन्त्री हैं जिनमें 3 मुसलिम हैं 2 हिन्दू हैं और एक लद्दाख का बौद्ध है। यह भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों को छोड़कर कश्मीर में अधिक हिन्दू नहीं हैं। किंतु यह भी सही नहीं है। हमें कश्मीरी पंडितों पर गर्व है जिनमें से अनेक विशिष्ठ व्यक्तियों ने राष्ट्र की बड़ी सेवा की है। कश्मीर में हिन्दू हमारी आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे पढ़े-लिखे हैं तथा अन्य गुण से भरपूर हैं।

यह कहना सही नहीं है कि कश्मीर में हिन्दू नहीं हैं, यद्यपि कुल आबादी का 90 प्रतिशत मुसलिम हैं।

यह कहना भी गलत है कि राष्ट्रीय सम्मेलन दल का क्षेत्राधिकार केवल कश्मीर तक सीमित है। पिछले चुनाव में इसे सात सीटें मिलीं और इस संभाग में पड़े मतदानों में 47 प्रतिशत मत इसी को मिले थे। मैं यह अपील करती हूं कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये जिससे राज्य की आबादी के विभिन्न वर्गों में एकता लाने में बाधा उपस्थित हो। एक आदर्श धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय अखण्डता की यही मांग है। जम्मू में एक पृथक अधिकरण की स्थापना की मांग से समूचे देश में प्रतिक्रिया होगी। मैं उन राष्ट्रीय समाचार पत्रों के साथ मिल कर ऐसे तत्वों से अपील करना चाहती हूं और उन्हें सचेत करना चाहती हूं कि "आग के साथ मत खेलो।"

मैं चाहती हूं कि संसद सदस्य को यह पता होना चाहिये कि कांग्रेस (आई) के सदस्य श्री मंगत राम द्वारा पुनः स्थापित एक गैर सरकारी विधेयक राज्य विधान सभा में निलम्बित पड़ा है। इस विधेयक का उद्देश्य उस धर्मार्थ न्यास को समाप्त करना है जिसका प्रबन्ध एक ही न्यासी द्वारा किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में आरोप यह है कि वह इस न्यास की आय का उपयोग केवल धर्मार्थ कार्यों के लिये नहीं कर रहा है। श्री कर्णसिंह इस बात पर अप्रसन्न हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में सरकार पर आरोप लगाया है। यदि यह सार्वजनिक सम्पत्ति है तो इसका प्रयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये किया जायेगा किन्तु इस मामले पर विधायकों को ही विचार करना है।

यह खेद की बात है कि इस सदन का एक जिम्मेदार सदस्य सरकार को सलाह दे कि वह नवयुवकों द्वारा अपनाई जा रही हिंसा की उपेक्षा कर दे, हालांकि यह नवयुवक यह नहीं जानते कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। इस बात की स्पष्ट साक्षी है कि यही लोग, जो स्वयं को देशभक्त मानते हैं और विधि व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जम्मू में यह आंदोलन चला रहे हैं, जो मात्र कुछ नवयुवकों तक सीमित होकर रह गया है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर

एक विधायकों की समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस प्रश्न पर भी गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी को मिलकर जम्मू में शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करना चाहिये और फूट फैलाने वाली प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहिये।

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी (आगरा) : सभापति महोदय, गृह मन्त्रालय समूचे सरकारी ढांचे की रीढ़ की हड्डी की भांति का होता है। यदि यह ठीक ढंग से कार्य करता है तो न केवल सुरक्षा और शान्ति स्थापित रहती है अपितु देश की प्रगति और खुशहाली भी इसी पर निर्भर करती है। यह मन्त्रालय न केवल विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि नियमों का पालन किया जाये, शिकायतों को दूर किया जाये और आम आदमी को न्याय मिल सके। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिये यह आवश्यक होता है कि कानून को न केवल अच्छा होना चाहिये बल्कि उनको निष्पक्षता से लागू किया जाये क्योंकि सरकार की छवि कानून को उचित और न्यायिक कार्यान्वियन पर निर्भर करती है।

इस मामले के अन्य पक्षों पर आने से पहले मैं पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह एक बदनाम विभाग है और जिसकी बड़ी आलोचना हुई है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कोई खराबी नहीं है किन्तु सभी अनुभव करते हैं कि जिस तन्त्र को विधि और व्यवस्था बनाये रखने तथा देश में शान्ति बनाये रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें कुछ गम्भीर त्रुटियां हैं। इस दल के कार्य सम्बन्धी शर्तों और इतिहास के बारे में भी उल्लेख किया गया है। किन्तु इससे अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनमें से एक यह है कि जब भी इन विषयों पर चर्चा होती हैं तो पुलिस की भूमिका का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता है और अंशतः इसे राजनीति का रंग दे दिया जाता है। इसी कारण से इस मामले में सही उपाय नहीं किये जा सकते। इससे पुलिस का नैतिक बल गिर जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे आशा कर सकते हैं कि पुलिस ईमानदारी से कार्य करेगी। यदि पुलिस निष्ठा से कार्य करती है तो इस पर ज्यातियां करने का आरोप लगाया जाता है। यदि यह कार्यवाही करने में संयम बरतती है तो इस पर निकम्मेपन का आरोप लगाया जाता है। जब यह गुंडों से निपटने के लिये बल प्रयोग करती है तो इस पर बल प्रयोग का आरोप लगाया जाता है। किन्तु जब हमारे घर में चोरी होती है तो हमारा रवैया बदल जाता है और हम कहते हैं कि अभियुक्तों को उचित दंड नहीं दिया गया है। यह दोहरी बात नहीं चल सकती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में क्या अनुभव करते हैं ताकि इस समस्या का सही ढंग से समाधान किया जा सके। श्री के० एफ० रुस्तमजी, जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सदस्य हैं, कहते है :—

"हमारे समूचे अपराधिक न्याय का आधारभूत दोष यह है कि यह गरीब के विरुद्ध जाता है। कुछ और भी ऐसे दोष है जिनके लिये परिवर्तन लाना आवश्यक है। वे विश्व में ऐसे विरले ही देश है जहां पैसा देकर न्याय खरीदा जा सकता है। विश्व में ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जहाँ का कानून ऐसा है कि एक गरीब व्यक्ति एक बार छोटे से अपराध के शिकन्जे में फंसने के बाद स्वयं को सुगमता से निकाल सकता हो।"

महोदय, वह आगे कहते हैं :

"ऐसा कोई देश नहीं जहां कानून को तोड़ना और राजनीतिक समानार्थक समझे जाते हों। ऐसा कहीं कोई देश नहीं जहां विद्यार्थियों को और अन्य अनेक दलों को कानून से ऊपर समझा जाता हो—वह दंगे आरम्भ कर सकते हैं, रेलवे लाईनों की तोड़-फोड़ कर सकते हैं, बस जला सकते हैं---यहां तक समूची गलियों को जला सकते हैं और कह देते है कि "अफसोस" है और फिर काम पर लग जाते हैं।" यहां पर रोजाना यही हो रहा है। "विश्व में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं जहां पर न्यायालय में न्याय पाना इतना कठिन हो, जहां अपेक्षाकृत उच्च न्यायालयों में अपीलों की व्यवस्था हो, विभिन्न प्रकार की याचिकाओं अन्तरिम आदेशों, स्टे आर्डरों, रिट याचिकाओं की इतनी भरमार हो और विश्व में ऐसा कोई लोकतान्त्रिक देश नहीं है जहां पर सरकार को अपने स्थायित्व पर बल्कि सुगठित अपराधिक न्याय पद्धति पर निर्भर रहना पड़ता हो, बल्कि असहमति के साथ निपटने के लिये पुलिस की शक्ति का सहारा लेना पड़ता हो।"

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि अब पुलिस की गतिविधियों के क्षेत्राधिकार में बहुत वृद्धि हो गई है। किन्तु पुलिस की शक्ति को नहीं बढ़ाया गया है। पुलिस को अन्य विभागों के पापों का बोझ भी उठाना पड़ता है। जनता के काल्पनिक और वास्तविक कष्टों के कारण, हालांकि उसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं होता। पुलिस पर पक्षपात का और ज्यादतियों का आरोप लगाने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। एक आरामदेह कमरे में बैठकर पुलिस का मूल्यांकन करना बहुत ही आसान काम है, किन्तु जब गलियों में घटनायें होती हैं, जब सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा होता है, जब घरों को आग लगाई जा रही होती है, जब जनता पर पत्थर फेंके जा रहे होते हैं, उस समय स्थिति से शांति से निपटना इतना आसान काम नहीं होता है। वास्तव में यही हो रहा है और हमारे सार्वजनिक जीवन में काफी हद तक पाखंडवाद फैला हुआ है। हम ये जानते हैं कि जितने भी प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है वह हिंसात्मक हो जाते हैं और फिर भी हम अहिंसा का पाखंड करते हैं। किन्तु असली बात तो यह है कि हिंसा को अधिक तीव्र हिंसा से ही दबाया जा सकता है। हिंसा का सामना किसी और तरीके से नहीं हो सकता है। किन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कोई इस बात को नहीं समझता। अनेक प्रकार के आरोप पुलिस के विरुद्ध लगाए जाते हैं और इस बात का अनुमान नहीं लगाया जाता कि पुलिस को किन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है।

श्री रुस्तम जी आगे कहते हैं:

"ऐसे देश में न्याय की बात करना कहां तक उचित है जहां पर न्याय का सबसे बड़ा शत्रु कानून खुद ही हो।"

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करते और फिर भी हम सोचते हैं कि परिणाम अच्छे होने चाहिये।

इसके पश्चात प्रशासनिक पहलू पर बोलना चाहता हूं। यदि सरकार को उसके द्वारा किए गए कार्यों का उतना श्रेय नहीं मिला जितना कि उसे मिलना चाहिए, तो इसका कारण यह है कि हमने उन सब कार्यों को नहीं किया जो हमें करने चाहिए थे। सरकार की समूची छवि तो प्रशासन पर निर्भर होती है। प्रशासन का कार्य सरकार के बढ़ते आकार से और उसकी बढ़ती हुई गति-

विधियों से तथा जनता में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई सजगता के कारण बहुत ही जटिल हो गया है। अपराधों में भी बहुत वृद्धि हो गई है और विधि और व्यवस्था के प्रश्नों को सुलझाने में बहुत समय लगता है और अपराधों की जांच-पड़ताल में लगने वाले समय में कमी आई है। चूंकि प्रशासन जनता के जीवन से अनेक मायनों में संबद्ध है अतः प्रशासनिक न्याय को एक नया अर्थ मिलना चाहिए और यहां तक कि अत्याधिक विकसित और अच्छे प्रशासन वाले देशों में भी किसी तन्त्र की अथवा संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम आदमी यह अनुभव करता है कि वह कानूनों के जंगल में एकदम हताश और निराश है और नौकरशाही की संगठित शक्ति के सामने उसका कोई वश नहीं चलता। विकसित देशों में भी एक लोकपाल जैसे संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इस देश में तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि यहां पर जनता गरीबी और अज्ञानता के बोझ के तले बुरी तरह दबी है और साथ ही लूट खसोट, भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का बोलवाला है।

लोकपाल विधेयक अभी पास होना है। श्री कामथ ने इन वर्षों का इसका इतिहास दिया है। लोक आयुक्त विधेयक के बारे में जो अभी विचार भी नहीं किया गया है। जनता के दुखों और शिकायतों का निवारण करने के लिए बनाई गई संथानम समिति की सिफारिशों पर भी विचार तक नहीं किया गया। यदि इस कार्य में समय भी लगता हो तो उसमें असाधारण विलम्ब करने का कोई कारण नहीं है। प्रशासन में शीघ्र ही सुधार लाने के लिए दो अथवा तीन उपाय तो किये ही जा सकते हैं जो यह हैं :

(क) विलम्बों का एकदम उन्मूलन, जिससे जनता को सभी तरह से सताने के लिए पर्याप्त कारण बनते हैं।

(ख) विभागीय तंत्र का पुनर्गठन करना, जोकि अधिक से अधिक कठिन और जटिल हो गया है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर निर्णय करने का उत्तरदायित्व निर्धारण, सत्ता का विकेन्द्रीकरण।

हमारे समाज में सरकार के आकार में विकास से दो या तीन समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, यह समस्याएं हैं, निर्णय-स्तर पर बाधाएं और समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया का नौकरशाहीकरण। हमें इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे प्रशासनिक और राजनैतिक ढांचे को अनुकूल बनाया जा रहा हो। इससे उत्पन्न जटिलताएं नागरिकों की समझ में नहीं आतीं और विकास कार्य आरम्भ करने में भी बड़ी कठिनाई आती हैं। निर्णय करने सम्बन्धी व्यवस्था अनेक निकायों में उत्तरदायित्व को विभक्त करना प्रशासन तथा निराश नागरिकों के लिए सही नहीं है।

राजनैतिक पेंशनों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ वर्षों के बाद इन पर अब पुनः विचार किया जा रहा है। राजनैतिक पेंशन पाने वालों को सहे गए राजनैतिक कष्टों का पुनः प्रमाण देना होगा। यह बड़ी अपमान की बात है।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : 75 परसेंट गलत है।

श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी : वह गलत हो सकते हैं। किन्तु इसका आपको पता लगाना होगा। आप उन्हें बीस अथवा चालीस वर्षों के बाद नया प्रमाणपत्र देने के लिए कहते हैं तो उनके लिए यह बड़े अपमान की बात है जबकि इस सम्बन्ध में रिकार्डों को नष्ट किया जा चुका है।

सभापति महोदया : मैं अगले वक्ता श्री असाइथाम्बी को बुला रही हूं।

श्री ए० वी० पी० असाइथाम्बी (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री एम० एन० गोबिन्दन नायर, जो मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि गृह मन्त्रालय भारत में, जहां पर सिख, बौद्ध और ईसाई धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, हिन्दू राज की स्थापना करना चाहता है। मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय भारत में हिन्दी राज स्थापित करने का षडयंत्र कर रहा है। मैं इस आरोप के समर्थन में गृह मंत्रालय की उन अनेक गतिविधियों का उल्लेख कर सकता हूं जो वह देश में हिन्दी राज स्थापित करने के लिए कह रहा है।

स्वतन्त्रता के शीघ्र ही पश्चात जब जनता उस समय मिली स्वतन्त्रता के लिए खुशियां मना रही थी। भारत के संविधान में हिन्दी को शासकीय भाषा घोषित कर दिया गया किन्तु जब कार्यान्वियन की प्रक्रिया आरम्भ हुई तो तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने इसके विरुद्ध विद्रोह का झन्डा खड़ा किया क्योंकि जनता जानती थी कि हिन्दी को स्वीकार करने से देश में हिन्दी साम्राज्यवाद का युग आरम्भ हो जायेगा और इससे राष्ट्र में लोकतन्त्र स्थापित करने में बाधा आएगी। 8 तमिलवासियों ने आत्मदाह करके अपना जीवन बलिदान कर दिया और हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां दीं, गिरफ्तारियां देने वालों में मैं भी था। श्री सी० सुब्रह्मण्यम तथा श्री ओ. वी. अलगेशन, जो कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में मंत्री थे, को त्यागपत्र देना पड़ा था। उसके पश्चात गैर-हिन्दी जनता के रोष के कारण पं० जवाहरलाल नेहरू ने जनता को यह आश्वासन दिया कि जब तक गैर-हिन्दी भाषी जनता चाहेगी अंग्रेजी को शासकीय भाषा के रूप में जारी रखा जायेगा। पं० नेहरू के बाद हमें यह देखना है कि इस आश्वासन के कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

25 जून, 1975 के दूसरे दिन जब उनकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आंतरिक आपातस्थिति की घोषणा की तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग विभाग खोला गया जिसमें 62 वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए गए ताकि वह समूचे देश में हिन्दी को जल्दी से लागू कर सकें। उसका अनिवार्य परिणाम गृह मंत्रालय का वह निदेश है जो उत्तर भारत में सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों के लिए जारी किया गया है कि वह ग्राहकों के साथ हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करें मानो उत्तर भारत में लोग हिन्दी ही जानते हों। हिन्दी के बारे में इस प्रकार के उग्र रवैये से हिन्दी समर्थकों के हाथ मजबूत हुए हैं और सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रपति का भी अपमान किया है। उनकी सम्माननीय उपस्थिति में वह शुद्ध हिन्दी में बोले और हमारे राष्ट्रपति की उदारता की तो मानो उन्होंने परीक्षा ही ले डाली। जब भारत के प्रथम नागरिक को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि गैर-हिन्दी भाषी लोगों की स्थिति क्या होगी।

मैं गृह मन्त्री को यह चेतावनी देना हूं कि यदि इस प्रकार के प्रयासों को जारी रखा गया

तो वह देश को हिन्दी भाषी तथा गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह इस प्रकार के किसी भी प्रयास के साथ स्वयं को सम्बद्ध नहीं करेंगे।

मैं इस बात की भी मांग करता हूं कि लोक सभा के गैर-हिन्दी भाषी सदस्यों की एक संसदीय समिति बनाई जाए जो गैर-हिन्दी भाषी लोगों को पं० नेहरू के दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन का निरीक्षण करें, गैर-हिन्दी भाषी लोगों के हितों की रक्षा करें और देश में अखंडता बनाए रखने के लिये प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश की एकता को इतनी हानि पहुंचेगी जिसे फिर से बनाना कठिन हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया : माननीय गृह मंत्री।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री के० गोपाल : हमारी पार्टी को कितना समय दिया गया है? हमारे पास अभी 15 मिनट और हैं। वह शुक्रवार को उत्तर दे सकते हैं। मुझे इसके विरुद्ध गंभीर आपत्ति है।

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। जब सभापति महोदया खड़ी हैं तो किसी और को खड़े नहीं होना चाहिए।

श्री आर० एल० कुरील : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो घंटे और समय बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए। आप लोग इस तरह से हल्ला करेंगे तो···

श्री के० गोपाल : इस प्रकार चिल्लाओ मत। यह क्या हो रहा है?

सभापति महोदया : कृपया आप बैठ जाइये। मैं सदन से अपील करती हूं कि क्या आप आत्म-सम्मान में विश्वास करते हैं?

श्री के० गोपाल : आप कहना क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय : आप अच्छा व्यवहार करें। आपसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है। मैं बहुत विनम्र भाव से आपसे कहना चाहती हूं कि चेयर की डिग्निटी इस हाउस की डिग्निटी है। अगर आप चेयर के साथ यह करते हैं तो मेरा अपमान नहीं करते, अपना अपमान करते हैं, यह अच्छा नहीं है। आज 2 साल हो गए इस हाउस को, अपना सम्मान, अपनी मर्यादा, अपनी डिग्निटी अगर कायम रखनी है तो चेयर की मर्यादा और डिग्निटी को कायम रखना होगा। चेयर में कौन बैठा है, इससे मतलब नहीं है।

मेरे पास एक लिस्ट डिप्टी स्पीकर साहब रख गये है। उन्होंने कहा है कि 4.50 और 5.00 बजे के बीच में मैं मिनिस्टर साहब को बुलाऊं, और आवश्यक है क्योंकि मिनिस्टर को, कल तो छुट्टी है, 6 तारीख को मिनिस्टर होंगे नहीं, इसलिए आज उनका जवाब होना चाहिए। अभी और बहुत सी डिमांड्ज़ पड़ी हैं, जहां तक मुझे मालूम है, डिप्टी स्पीकर साहब ने सब देखकर यह लिस्ट बनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय ने एक सूची तैयार की है। उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि मन्त्री महोदय को शाम को 4.50 और 5 बजे के बीच उत्तर देना होगा। इसके अतिरिक्त शाम 5.30 बजे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा। मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि यदि मन्त्री महोदय थोड़ा-सा अधिक समय लगाते हैं तो आप कृपया इस बात की अनुमति दीजिए कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को थोड़ा 6 बजे के बाद लिया जाए। ताकि इसे आज ही समाप्त किया जाए।

मैं सदन से सहयोग और सद्भावना की आशा करती हूं। अब मन्त्री महोदय को उत्तर देने दिया जाये।

श्री के० गोपाल : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे दल को जो समय दिया गया था, उसमें से अभी 15 मिनट शेष हैं। समय का आबंटन कार्य मन्त्रणा समिति और अध्यक्ष महोदय ने किया था आप इसे कैसे काट सकते है? यदि समय काटना ही हो तो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के समय में कटौती की जाये, विपक्ष के सदस्यों के समय में नहीं ··· (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : इस समय गृह मन्त्रालय की मांगों पर विचार किया जा रहा है। विपक्ष को इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है। हमारे दल को अध्यक्ष महोदय और सचिवालय से यह सूचना मिली थी कि इतने समय का आबंटन किया गया है। यह हमारे दल का निहित अधिकार है कि हमें आबंटित समय के उपयोग का अवसर दिया जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह हमारा अधिकार है कि हम इस बात की मांग करें कि हमें वह समय दिया जाए। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को अधिक समय दिया जा रहा है और विपक्ष के सदस्यों को कम समय दिया जा रहा है। जो समय आबंटित किया जाता है उसे भी नहीं दिया जाता। यह बड़ी गम्भीर स्थिति है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। यदि आवश्यकता हो तो हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जितने समय का आबंटन किया जाता है उसमें बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। श्री के० गोपाल कह रहे हैं कि अभी 15 मिनिट का समय और है तो वह समय मिलना चाहिए। समय अध्यक्ष महोदय द्वारा आबंटित किया गया है और सचिवालय ने इसकी सूचना दी है।

सभापति महोदया : आप इस प्रकार से इतने अधिक समय को अनावश्यक रूप से खराब कर रहे हैं। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय के कहे अनुसार चल रही हूं।

श्री के० गोपाल : हमें अध्यक्ष महोदय के कहे अनुसार चलना चाहिए। हमें 15 मिनट का समय दिया जाये और उसके पश्चात् मन्त्री महोदय उत्तर दें।

सभापति महोदया : मुझे नहीं मालूम कि 15 मिनट का समय है। उपाध्यक्ष महोदय ने ऐसा नहीं बताया (व्यवधान) आप समय नष्ट करने के स्थान पर कृपया आप बोलना आरम्भ करिये।

श्री आर० एल० कुरील : कितना समय बढ़ाया गया है?

सभापति महोदया : एक सदस्य कहते हैं कि समय उपलब्ध है अतः मैं अधिक समय दे रही हूं।

श्री के० गोपाल : 'एक सदस्य' से आपका क्या अभिप्राय है । आप मुझे अच्छा व्यवहार करने के लिए कह रही है किन्तु आप स्वयं ऐसा नहीं करतीं......

सभापति महोदया : कृपया आप उत्तेजित मत होइये । निश्चय ही संसद सदस्य बनने से मनुष्य बनना बेहतर है । मैं आशा व्यक्त करती हूं कि हम सभी अच्छे मनुष्य बनें । कृपया अब आप अधिक समय नष्ट न करें ।

श्री आर० एल० कुरील : कितना समय बढ़ाया गया है ? (व्यवधान)

सभापति महोदया : मेरा काम समय बढ़ाना नहीं है । (व्यवधान)

श्री टी० एस० शृंगारे (उस्मानाबाद) : सभापति महोदया, इस मन्त्रालय की डिमांड्स पर बात करते समय बहुत से सदस्यों ने आरक्षण के बारे में चर्चा की है । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि 1981 में यह आरक्षण खत्म होने वाला है, हम यह चाहेंगे कि जब तक इन लोगों की एकोनामिक साउन्डनेस के लिए कोई सब्स्टीच्यूट व्यवस्था न बन जाय तब तक यह चलना बहुत जरूरी है । उसके पहले इसे बन्द करने से जिनके लिए यह आरक्षण मिला हुआ है उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा । इसे खत्म करने के पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि इनकी एकोनामिक पोजीशन किस हद तक बढ़ गई है । अगर उनकी एकोनामिल पोजीशन अच्छी नहीं हुई है तो उन लोगों को इस सहूलियत से वंचित कर देना उचित नहीं होगा । वैसी हालत में उनके जो बच्चे स्कूलों और कालेजों में पढ़ते हैं उनकी किसी प्रकार की प्रगति असम्भव है । इसलिए उनको आर्थिक और सामाजिक तौर पर बराबर के दर्जे पर लाने के लिए जब तक कोई दूसरी व्यवस्था न हो तब तक यह चलना चाहिए ।

पिछली सरकार के जमाने में सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत लाखों एकड़ जमीन सम्पादित की गई जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ । लेकिन अब पता चला है कि 50 हजार एकड़ जमीन जिसका उनको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था आज उनके पास कायम नहीं है । जब तक इन सारी चीजों के लिए कोई अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं होगी तब तक उनकी जो सोशल और एकोनामिक लाइफ है वह अच्छी बन नहीं सकती है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उन्हें यह सहूलियत देनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स के बारे में इस सदन ने कई कानून बनाए हैं लेकिन जो नीचे वाली मशीनरी है, गवर्नमेंट के नीचे जो पुलिस की मशीनरी है उसके कारण अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटशन नहीं होता । इसलिए पुलिस के जो लोग हैं उनके ऊपर अच्छे संस्कार डालने की जरूरत है और उनके नजरिये को बदलने की जरूरत है । जब तक उनकी दृष्टि उन लोगों की तरफ देखने की नहीं बनेगी तब तक इस प्रकार के एनैक्टमेंट्स का इम्पलीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो सकता ।

देहातों में आज भी पीने का पानी नहीं मिलता है । जो गरीब आदमी हैं वे छुआछूत के कारण पीने के पानी से वंचित रहते हैं । उनके लिए कोई प्रबन्ध करना निहायत जरूरी है । तीस साल की आजादी हो गई, यहां पर लोकतन्त्र चल रहा है, लेकिन आज भी वहां गरीब लोगों को छुआछूत के कारण मांग कर पानी पीना पड़ता है । यह बड़ी शर्मनाक बात है । इस लोकतन्त्र के

अन्दर हरएक नागरिक को सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। मगर आज भी हमारे देश में कई तरह की छुआछूत मौजूद है जिसके कारण इन लोगों को आज भी मांग कर पानी पीना पड़ता है। यह बड़ी शर्मनाक बात है। इस लोकतन्त्र के अन्दर हरएक नागरिक को सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। मगर आज भी हमारे देश में कई तरह की छुआछूत मौजूद है जिसके कारण इन लोगों को आज भी मांग कर पानी पीना पड़ता है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से वह कहें कि जहां पर जिन मुहल्लों या बस्तियों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है वहां प्रायरिटी के लिहाज से पानी की सुविधा देने का प्रबन्ध करें। यह सबसे अच्छा काम होगा। मानवता के लिए और धर्म के लिए भी यह बहुत ही अच्छा और शुभ होगा।

कामत साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने यह कहा था कि यह आरक्षण हमेशा के लिए वह नहीं चाहते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के जिस शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम वह लेते हैं, जिनके बनाए हुए संविधान के अधीन शपथ ग्रहण करते हैं उनके नाम पर मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम न तब्दील करने की बात को लेकर आज फिर आन्दोलन होने की सम्भावना पैदा हो गई है जिसके कारण देहातों के अन्दर जो गरीब लोग हैं वे सभी भयभीत हैं। दो दिन पहले औरंगाबाद और कई दूसरे शहरों के महाविद्यालय बन्द हो गए हैं। स्थिति यह है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार ने उनके नाम से उस विद्यापीठ का नाम तब्दील करने की इजाजत नहीं दी तो फिर वहां एजीटेशन शुरू होने की सम्भावना है। मैं चाहूंगा कि इस एजिटेशन के गहरा बन जाने के पहले ही गृह मन्त्री महोदय तथा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को इस पर खास तवज्जह देने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि आपने नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना की है। हरिजन आदिवासियों के जो पुलिस अफसर या कांसटेबिल होते हैं वे देहातों में आउट-पोस्ट या पुलिस स्टेशनों पर जाते हैं तो वहां पर उनके रहने के लिए मकानों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहां पर सरकार की तरफ से जो मकान बने रहते हैं उनमें सवर्ण पुलिस अफसर और कांसटेबिल रहते हैं और हरिजनों को कहीं बाहर जाकर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वहां पर जो सरकारी क्वार्टर्स होते हैं वह हरिजन आदिवासी पुलिस अफसर तथा कांसटेबिलों को पहले एलाट किए जाने चाहिएं। अगर सवर्णों को क्वार्टर्स नहीं भी मिल पाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि उनको दूसरी जगह भी आसानी से रहने के लिए मकान मिल जाते हैं। इस बात पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। हमारा उस्मानाबाद जिला औरंगाबाद से दो सौ किलो मीटर पर है। उस्मानाबाद में पुलिस की डाग पार्टी का होना चाहिए। अभी डाग पार्टी आने में बहुत समय लग जाता है जिसकी वजह से सर्कम्सटांशियल एविडेन्स खत्म हो जाती है। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, वहां पर डाग-पार्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ पुलिस जो फोटो लेती है उसके लिए प्राइवेट फोटोग्राफर्स को बुलाती है। इस व्यवस्था में भी सुधार लाने की जरूरत है। एक नया सेक्शन बढ़ा कर पुलिस फोटोग्राफर की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करने के लिहाज से जो फोटो लेनी

होती हैं वह कोई प्राइवेट फोटोग्राफर खींच नहीं सकता है। इसलिए पुलिस में स्पेशल फोटोग्राफर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके साथ ही हरिजनों पर जो सोशल एट्रासिटीज होती हैं उन केसेज को ट्राई करने के लिए मोबाइल कोर्ट्स की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राजकल जो कोर्ट्स हैं उनमें काफी केसेज होने के कारण इस तरह के केसेज को ट्राई करने का समय नहीं मिल पाता है, उनको ट्राई करने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए सोशल ग्राफेंसेज को ट्राई करने के लिए मोबाइल कोर्ट्स की बहुत जरूरत है। इस पर मन्त्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही एक बात यह भी है कि जो ग्रादिवासी लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जो राज्य की भाषा होती है उसमें पुस्तकें न होने के कारण वे ग्रच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाते हैं। जब तक ग्राप वर्नाक्यूलर ग्रौर ग्रन्य लैंग्वेजेज में किताबें वगैरह नहीं तैयार करवाते हैं तब तक पिछड़े समाज को दूसरों के बराबर लाने मे ग्राप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

प्रोटेक्शन ग्राफ सिविल राइट्स का जो कानून इस सदन से पास हुग्रा है उसका प्रापर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। समाज में जब तक सोशल स्टेबिलिटी नहीं ग्राती है तब तक पोलिटिकल ग्रौर एकोनामिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। एक स्थान पर भोजन करने से जातीयता नहीं मिटेगी क्योंकि यह बीमारी दिमागों में बहुत सालों से बैठी हुई है। जब तक यह बीमारी नहीं मिटेगी तब तक इस देश में एकता की भावना का निर्माण होना सम्भव नहीं है।

मैंने जो सुझाव ग्रापके सामने रखे हैं, मैं ग्राशा करता हूं कि उन पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। ग्रापने मुझे दो मिनट ज्यादा दिए उसके लिए मैं ग्रापको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री एच० एम० पटेल : सभापति महोदया ··· (व्यवधान)

श्री बलदेवसिंह जसरोटिया (जम्मू) : सदन में कुछ ग्रारोप लगाये गए हैं (व्यवधान)

श्री हीराभाई (बांसवाड़ा) : मुझे भी थोड़ा समय बोलने के लिए दीजिए। ···(व्यवधान)

श्री ग्रार० एल० कुरील (मोहनलाल गंज) : मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुग्रा। ··· (व्यवधान)

श्री राम देनो राम (पलामू) : हमें इससे विश्वास कैसे होगा। हमें बोलने का मौका नहीं मिला ग्रौर जो समय दिया गया है वह पक्षपातपूर्ण है। ··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कितनी बुरी बात है। इसके लिए इतना टाइम बढ़ा है ग्रौर ग्रभी भी लम्बी लिस्ट पड़ी है ग्रौर इन सबको नहीं बुलाया जा सकता। मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं ग्रौर ग्राप सुनें। ग्राप ऐसा क्यों करते है।

मिनिस्टर साहब शुरू करें।

श्री हीराभाई : राजस्थान का एक ही सदस्य बोला है। इसका क्या मतलब है।

सभापति महोदया : ग्रब माननीय मन्त्री श्री पटेल बोलेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : सभापति महोदया, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गृह मन्त्रालय की ग्रनुदान की मांगों पर बहस में भाग लिया है। मैंने उनके सुझावों ग्रौर

समीक्षा को बड़े ध्यान से सुना है। मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं। क्योंकि वह उन सब मामलों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर विचार हो रहा है। गृह मन्त्रालय को अनेक मामलों को निपटाना पड़ता है। यह बात भी उचित है कि अनेक सदस्य इन विषयों पर बोलना चाहते थे और उस पर अपने विचार देना चाहते थे। किन्तु सभी सदस्यों ने प्रमुख रूप से केवल दो विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं एक है। कानून और व्यवस्था का प्रश्न और दूसरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न। उन्होंने इन पर किये जा रहे अत्याचारों के बारे में और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उपायों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

अनेक स्थानीय समस्यायें भी उठाई गई हैं। जैसा कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समुह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध समस्याएं उठाई गई हैं। आप यह देखेंगे कि अनेक सदस्यों ने एक दूसरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर ही दिया है। उदाहरण के तौर पर मेरे माननीय मित्र डा० कर्णसिंह ने जम्मू और कश्मीर के बारे में जो कुछ कहा और उसका उत्तर एक अन्य माननीय सदस्य ने दिया।

डा० कर्णसिंह : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपने उस उत्तर को मान लिया है। उत्तर आपको देना है न कि अन्य माननीय सदस्यों को।

श्री एच० एम० पटेल : अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये। एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया तो बिल्कुल उसके विपरीत का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर उसका विरोध किया गया।

डा० कर्णसिंह : ऐसा बिल्कुल नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, मैं मान लेता हूं। विधि और व्यवस्था के बारे में अनेक वक्ताओं ने कहा है कि आज देश में कानून और व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। अब यह बात स्पष्ट है कि ऐसा कहना बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। यदि आज देश में विधि और व्यवस्था नहीं होती तो प्रगति बिल्कुल असम्भव हो जाती और मेरे विचार से माननीय सदस्य यह नहीं कहना चाहते कि प्रगति नहीं हुई है। कुछ दिन पहले सदन ने रक्षा मन्त्रालय की अनुदान की मांगों को स्वीकृत किया है। देश की सुरक्षा के लिये किये जा रहे कार्यों से माननीय सदस्य सन्तुष्ट थे। मजबूत रक्षा व्यवस्था बहुत सीमा तक आन्तिरिक सुरक्षा पर निर्भर करती। है अतः मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से देश में विधि और व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थिति को स्वीकार कर लिया है।

श्री अशोक कृष्ण दत्त ने एक बात का उल्लेख कर कहा है कि वह बात मैंने कही है। गृह मन्त्रालय का भार सम्भालने से शीघ्र बाद ही मैंने कलकत्ता से गुजरते हुये यह बात कही कि मैंने अभी नया प्रभार सभाला है और मुझे देश में स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं है। तब संवाद-दाता ने मुझ से पूछा, "अब अपने सामान्य ज्ञान से कुछ तो कह सकते है क्योंकि आप केबीनट में तो थे।" मैंने तब यह उत्तर दिया था; यदि आप मुझ से कुछ कहलाना चाहते हैं तो मै यह कहूंगा कि विधि और व्यवस्था की स्थिति अब इतनी खराब नहीं है जितनी कुछ दिन पहले अथवा एक महीना पहले थी। अतः उनका यह कहना कि मैंने पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था के सम्बन्ध में अच्छा प्रमाणपत्र दिया, ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया है कि पश्चिम बंगाल में विधि

और व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। मैं निश्चिय ही अब इस बात पर ध्यान दूंगा और स्वयं को इससे पूरी तरह अवगत रखूंगा।

(व्यवधान)

मैं श्री कामथ द्वारा उठाये गये अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर कुछ कहना चाहूंगा, उन्होंने अनेक मामलों का उल्लेख किया है। सबसे पहले मैं लोकपाल विधेयक के बारे में कुछ कहूंगा। यह विधेयक पुर:स्थापन के लिये लगभग तैयार···

श्री हरि विष्णु कामत : रिपोर्ट आई है।

श्री एच० एम० पटेल : रिपोर्ट आ गई है। अत: अब इसे केबीनट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा मुझे आशा है कि इस विधेयक को इस अधिवेशन में पुर:स्थापित कर दिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : केवल आशा नहीं, इसे सुनिश्चित करिये कि विधेयक इस अधिवेशन में पुर:स्थापित हो जाये।

श्री एच० एम० पटेल : मैं ऐसा करना चाहूंगा कि समय मिलना आसान नहीं है। उसके पश्चात उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस आयोग का उल्लेख किया था। इसने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है किन्तु इसे मेरे प्रभार संभालने के कुछ ही सप्ताहों के अन्दर दिया गया है और मैंने यह कहा है कि हम शीघ्रातिशीघ्र इसकी सिफारिशों पर विचार करेंगे और साथ ही अन्तिम प्रतिवेदन (व्यवधान) वास्तव में राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा दिया गया अन्तरिम प्रतिवेदन बड़ा ही रोचक है और उसमें महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया है। संसद सदस्यों द्वारा उठाये प्रश्नों पर भी इस आयोग ने विचार किया है, जिन्होंने कहा है कि पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये। आयोग ने इस पर विचार किया है। उन्होंने पुलिस के कार्यों पर भी विचार किया है। उन्होंने और भी विषयों पर विचार किया है और हम यथासम्भव समय में उचित निर्णय करेंगे और उनके बारे में बतायेंगे।

जेलों में सुधार का प्रश्न भी उठाया गया है। मैं यह कहता हूं कि ज्योंही मुझे पता चला कि देश में विचाराधीन कैदियों की स्थिति बड़ी शोचनीय है, मैंने इस मामले पर विचार करना आरम्भ कर दिया है। मैंने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों की अगले सोमवार को एक बैठक नई दिल्ली में बुलाई है। वह जेल-सुधारों के बारे में विचार करेंगे। जेल मेनुअलों में भी सुधार करना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हरियाणा के बारे में ··· (व्यवधान)

सभापति महोदया : व्यवधान मत डालिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह इसका बुरा नहीं मनाते। (व्यवधान)

सभापति महोदया : वह मानना नहीं चाहते।

श्री एच० एम० पटेल : मैं झुक नहीं रहा हूं। (व्यवधान)
मेरे पास बड़ा कम समय है। (व्यवधान)

सभापति महोदया : आप जारी रखें। व्यवधानों से रुकिये मत।

श्री एच० एम० पटेल : विचाराधीन कैदियों के सम्बन्ध में मैं अनेक उपाय करना चाहता हूं। प्रशासनिक उपाय भी किये जायेंगे। विधायी उपाय भी किये जायेंगे। प्रशासनिक उपायों में से एक उपाय यह है कि अनेक विचाराधीन कैदी हैं इनमें से जिन व्यक्तियों के पास संसाधन होते हैं वह जमानत पर रिहा हो जाते हैं। अनेक ऐसे होते हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं होते; वह अपना वकील नहीं कर सकते और जमानत पर रिहा नहीं हो सकते हैं। उनकी संख्या काफी अधिक है। आज विचाराधीन व्यक्तियों में से ऐसे कैदियों की ही संख्या अधिक है। अतः स्थिति में सुधार लाने के लिये कदम उठाने पड़ेंगे। हम इस पर विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे।

हमारे देश की जेलों का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया था ·····। आज वर्तमान जेलों में 20 प्रतिशत जेलों का निर्माण वर्तमान शताब्दी के पहले दो दशकों में किया गया था अतः उनमें से अधिकांश में आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि जेल मैनुअल में महिलाओं, बच्चों, कुछ आयु विशेष के युवा कैदियों के लिये अलग जेलों की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है किन्तु कुछ राज्यों को छोड़ कर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी बातों पर विचार किया जाना है। इस सबके लिये धन की आवश्यकता होती है। पूर्ण सुधार लाने के लिए समय भी लगता है। इसे रात भर में ही नहीं किया जा सकता किन्तु मैं यह निश्चय के साथ कहता हूं कि इस दिशा में हम, निश्चय ही कुछ करेंगे।

इसके पश्चात शाह आयोग का उल्लेख भी किया गया और एक प्रश्न पूछा गया था कि शाह आयोग के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है। 19 प्रथम सूचना रपटें पूरी कर ली गई हैं और उन्हें लिखा दिया गया है। इन मामलों के बारे में आगे कार्यवाही की जायेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जाति आयोग के बारे में भी कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सौगत राय : अब शाम के साढ़े पांच बज रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बिजली की गम्भीर स्थिति के विषय पर हमें अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा भी करनी है।

सभापति महोदया : मैंने पहले यह बात कही थी उस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई थी। मैंने सदन से अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा है। क्या आप समय बढ़ाने के लिये सहमति देते हैं कि मन्त्री महोदय अपना उत्तर पूरा कर लें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री सौगत राय : अनेक सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। उन्हें समय मिलना चाहिये। आप गृह मन्त्री का समय नहीं बढ़ा सकते। इस समय 5.30 बजे हैं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अभी लिया जाना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गृह मन्त्री महोदय को अब अपना उत्तर बाद में देना चाहिये।

श्री सौगत राय : सभापति महोदया, कलकत्त में बिजली की बड़ी गम्भीर समस्या बनी हुई है। लोग बिना बिजली के रह रहे हैं···(व्यवधान)

सभापति महोदया : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिये।

श्री सौगत राय : आप सदन का समय नहीं बढ़ा सकतीं।

सभापति महोदया : इसका सदन को निर्णय करना है। प्रस्ताव है···(व्यवधान)

प्रो० समर गुहा : आप जल्दी क्यों मचा रही हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे नाम में है। आपको पहले मुझे पूछना चाहिये कि क्या मैं इसे निलम्बित करने के लिये तैयार हूं ?

सभापति महोदया : क्या आप सहमत हैं कि आपके प्रस्ताव को बाद में ले लिया जाये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री समर गुह क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा।

श्री समर गुहा : गृह मन्त्री महोदय का देश की स्थिति के बारे में दिया जा रहा उत्तर भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उन्हें इस मामले पर शीघ्रता नहीं बरतनी चाहिये। उन्हें इसे 15 अथवा 20 मिनट में पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः उन्हें सभी सम्बद्ध बातों का उत्तर देने के लिये और समय लेना चाहिये। वह 15-20 मिनट में उत्तर पूरा नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदया : प्रश्न यह नहीं है कि गृह मन्त्री महोदय को क्या करना चाहिये ? प्रश्न यह है कि आप अपने प्रस्ताव पर बाद में लेने के लिये सहमत हैं।

प्रो० समर गुह : नहीं

सभापति महोदया : तब मन्त्री महोदय को अपना उत्तर अधूरा छोड़ना होगा।

श्री एच० एम० पटेल। क्या हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद में उत्तर जारी रख सकते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : शुक्रवार को···(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं सदन को इस प्रस्ताव के बाद बैठने के लिये नहीं कह सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 5 मिनट बीत गये हैं। अतः अब पांच मिनट ही शेष है···(व्यवधान)

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, यह विषय भी उतना ही आवश्यक है। इसलिये इसके बाद थोड़ा सा अगर बैठकर माननीय गृह मंत्री का जवाब भी सुना जाय तो अच्छा रहेगा ताकि और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो जाय। अन्यथा बहुत से अन्य महत्वपूर्ण विषय गिलोटीन में चले जायेंगे। इसलिये गृह मंत्री जी का जवाब होना भी आवश्यक है। अतः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उनकी इस स्थिति को समझना चाहिये और कोआपरेट करना चाहिये।

सभापति महोदय : पहले मुझे एक मद को समाप्त कर लेने दीजिए। तभी मैं बता सकूंगा कि सदन कितना समय लेगा।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मुझे समझ नहीं आता कि मंत्री महोदय शुक्रवार को क्यों जारी नहीं रख सकते। मेरे विचार में उस दिन वे दिल्ली से बाहर होंगे।

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : मुझे समझ नहीं आता कि मंत्री महोदय सत्र के दौरान दिल्ली से बाहर का कार्यक्रम क्यों रखते हैं, विशेष रूप से उन दिनों जब उनके मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांगों पर विचार हो रहा है। गृह मन्त्री को इस सदन के महत्व का ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहा है।

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : सभापति महोदया, हम में कुछ सदस्य गृह मंत्री से, उनके उत्तर के पश्चात् कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। क्या आप हमें सूचित करेंगे कि क्या गृह मंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पश्चात् उत्तर देना जारी रखेंगे या वह शुक्रवार को उत्तर देंगे ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे पता नहीं है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कितना समय लगेगा। और क्या सदन उसके पश्चात् बैठने के लिए सहमत हो जाएगा। पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर ली जाए। इस विषय में आपको अभी कुछ नहीं बता सकता।

प्रो० समर गुहा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बृहत्तर कलकत्ता में विद्युत संदाय की बिगड़ती स्थिति का समाचार

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें।

"बृहत्तर कलकत्ता में तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में विद्युत सप्लाई की कथित बिगड़ती हुई स्थिति तथा इसके परिणामस्वरूप लोगों को पेश आने वाली कठिनाइयों के संबंध में।"

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० राम चन्द्रन) : बृहत्तर कलकत्ता में तथा पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न भागों में मार्च मास के अन्तिम सप्ताह के बाद से अब सुधार के लक्षण दिखायी दे रहे हैं। अंतिम सप्ताह में बिजली की सप्लाई की स्थिति अचानक बिगड़ गई थी और 230 मेगावाट तक लोड शेडिंग हुई थी। परन्तु अब यह प्रवृत्ति रोक दी गई है और लोड शेडिंग 140 मेगावाट की सीमा तक है। परन्तु यह स्थिति भी हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

पश्चिम बंगाल राज्य की बिजली की आवश्यकताएं कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, बन्डेल, संथालडीह, दुर्गापुर, प्रोजेक्ट लिमिटेड, गौरीपुर के ताप विद्युत् केन्द्रों से पूरी की जा रही हैं और इस प्रणाली में थोड़ा सा योनदान जल-विद्युत् केन्द्र भी कर रहे हैं। यदि इस प्रणाली में पर्याप्त जल-विद्युत् क्षमता होती तो जिन स्थानों में इस समय बिजली की अत्यन्त कमी है उनकी व्यस्ततमकालीन आवश्यकता को पूरी करने में इससे काफी सहायता मिलती। पश्चिम बंगाल का व्यस्ततम भार तथा ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं लगभग 950 मेगावाट तथा 16 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। किन्तु यह प्रणाली इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि काफी

संख्या में यूनिटें जबरन बन्द पड़ी हैं और अन्य केन्द्रों से बिजली का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है।

पश्चिम बंगाल ऊर्जा नियन्त्रण आदेश, 1974 के अनुसार बृहत्तर कलकत्ता की मांग 580 मेगावाट आंकी गई है, परन्तु उपलब्धता केवल लगभग 460 से 520 मेगावाट तक हो रही है। वृहत्तर कलकत्ता को विद्युत् की सप्लाई करने में चार एजेंसियां लगी हुई हैं, अर्थात् कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड, दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड तथा दामोदर घाटी निगम। यद्यपि दामोदर घाटी निगम का विद्युत उत्पादन बढ़ गया है और अब यह लगभग 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है, किन्तु कलकत्ता को विद्युत सप्लाई कर रहे अन्य विद्युत उत्पादन केन्द्रों में जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। यहां तक कि फरवरी, 1979 के महीने में तथा मार्च महीने की अधिकांश अवधि में 125 से 135 मेगावाट तक की लोड शेडिंग की गई थी किन्तु मार्च के अन्तिम दिनों में जब अनेक यूनिटें बन्द हो गईं तो विद्युत सप्लाई की स्थिति और खराब हो गई। अकेले संथालडीह विद्युत केन्द्र में जहाँ कि 360 मेगावाट क्षमता बनाई गई थी, सभी तीनों यूनिटें बन्द हो गयीं, जिसके परिणामस्वरूपसम्पूर्ण प्रणाली के विद्युत सप्लाई कार्यक्रम में भारी गड़बड़ी हो गई। परन्तु सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि संथालडीह के कम से कम एक यूनिट ने कार्य करना शुरू कर दिया है और यह लगभग 85 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है और इससे कुछ राहत मिलेगी।

यदि पश्चिम बंगाल में विद्युत की स्थिति को सुधारना है तो उसका समाधान इन बातों पर निर्भर है (1) मौजूदा विद्युत केन्द्रों का बेहतर प्रचालन और अनुरक्षण करना; (2) कोलाघाट, बंडेल, दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड तथा संथालडीह में निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना; (3) राज्य के भीतर और क्षेत्र के भीतर प्रणाली के समेकित प्रचालन में सुधार करना।

पश्चिम बंगाल सरकार इन सभी समस्याओं के प्रति पूर्णतया सजग है और स्थिति में सुधार लाने और विद्युत की बेहतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सहायता देने में हम अपनी ओर से कोई भी उपाय बाकी नहीं छोड़ेंगे।

पूर्वी क्षेत्र में प्रणाली के समेकित प्रचालन में सुधार हो जाने से, और यह सुधार हो जाने की हम आशा करते हैं, तथा बन्द यूनिटों को पुन: चालू करने के लिए तत्परता से की जा रही कार्रवाई से आगामी महीनों में बिजली की स्थिति में सुधार हो जाएगा ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। इसके अलावा कुछ यूनिटें -210 मेगावाट की एक यूनिट बंडेल में, 120 मैगावाट की एक यूनिट संथालडीह में, 20-20 मेगावाट की पांच गैस टर्बाइनें तथा दामोदर घाटी निगम के अधीन 210 मेगावाट की एक यूनिट दुर्गापुर में चालू कर दी जाएगी और इससे अतिरिक्त क्षमता से पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युत की उपलब्धता में उल्लेखनीय परिवर्तन होगा।

यहां यह कहना असंगत नहीं होगा कि पिछले केवल दो वर्ष के दौरान ही हमने सम्पूर्ण देश में प्रतिष्ठापित क्षमता में लगभग 5000 मेगावाट की अभिवृद्धि की है और पिछले वर्ष के दौरान समग्र विद्युत उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई है। अधिकांश राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति, कुल मिलाकर संतोषजनक हैं।

प्रो समर गुह : महोदया, मन्त्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि हाल ही में 5000 मेगावाट विद्युत की ओर वृद्धि की गई है परन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इससे पश्चिम बंगाल की पिछले दो वर्षों से या अधिक समय से चली आ रही कठिनाइयों को दूर करने में तनिक भी सहायता नहीं मिली है।

मैं नहीं जानता कि क्या यह वक्तव्य श्री ज्योति बसु या उनके सचिवालय द्वारा तैयार किया गया हैं और माननीय मंत्री महोदय ने चमका भर दिया है। अन्यथा वे कैसे कह सकते हैं कि "बृहत्तर कलकत्ता में तथा पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न भागों में मार्च मास के अन्तिम सप्ताह के बाद जबकि स्थिति बिगड़ गई थी, अब सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।" मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री महोदय समाचार-पत्र पढ़ते हैं या नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या 'हिन्दू' भी पढ़ते हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले अमृत बाजार पत्रिका आदि का तो कहना ही क्या ? यहां तक कि 'हिन्दू' भी पश्चिम बंगाल के बिजली संकट का पर्याप्त प्रचार कर रहा है। यदि वे 'हिन्दू' भी पढ़ते हैं तो वे मान जायेंगे कि स्थिति में सुधार होने का तो प्रश्न ही नहीं है। स्थिति बिगड़ रही है और बड़ी तेजी से बिगड़ रही है। पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाला प्रत्येक समाचार पत्र इस विषय का समाचार 3, 3 या 4 स्तम्भों में दे रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। आप उसे विद्युत की कमी कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल का सम्पूर्ण जीवन —इसका औद्योगिक उत्पादन, इसका वाणिज्य यहां की शिक्षा और यहां तक कि यहां की कृषि और जीवन का प्रत्येक पहलू लगभग अव्यवस्था के बिन्दू तक पहुंच गया है। श्री ज्योति बसु ने भी यह स्वीकार किया है कि इस स्थिति को एक प्रकार विध्वंस की संज्ञा दी है। परन्तु आप उन्हें अच्छा प्रमाणपत्र दे रहे हैं। न केवल यही बल्कि आपने यह भी कहा है कि :

> "पश्चिम बंगाल सरकार इन सभी समस्याओं के प्रति पूर्णतया सजग है और स्थिति में सुधार लाने और विद्युत की बेहतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा सभी उपाय किए जा रहे हैं।"

मुझे यह तो समझ आता है कि आपने पश्चिम बंगाल के विद्युत मन्त्री को कुछ शक्ति सप्लाई कर दी है। मुझे आशा है कि वे कम से कम इसका प्रयोग नम्रता से करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने सारी शक्तियां श्री मुर्शीद को सौंप दी हैं, जिन्हें अब मिस्टर मोर शेड (मि० मोर सेड) के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उन्होंने बिजली की अधिक कटौती की है। यदि वे इस समस्या के प्रति सजग हैं तो...

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हुआ।

प्रो० समर गुह : सभापति महोदय, आप क्या कर रहे हैं ? या तो आपको कुछ हुआ है या मुझे ?

सभापति महोदय : जिस ढंग से आप बोल रहे हैं उस पर आपत्ति है ।

प्रो० समर गुह : यदि अध्यक्ष का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है तो मुझे यह कहना पड़ता है । जब कभी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं आप ऐसा ही करते हैं ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता । यह बिल्कुल गलत है । श्रीं गुहा, क्या आप अपने शब्द वापस लेंगे ? श्री गुहा, क्या आप अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं ?

प्रो० समर गुह : जी हां ।

श्री ज्योति बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य मंत्राणा समिति में एक बार नहीं बल्कि कई बार यह निर्णय लिया गया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे, भले ही कितने वक्ता हों । अब हम दो हैं । अत: हममें से प्रत्येक को 22½ मिनट मिलने चाहिए ।

सभापति महोदय : अच्छा ठीक है, मैंने आपको सुन लिया है । मुझे ऐसी किसी नियम का ज्ञान नहीं जिसके द्वारा 45 मिनट का समय दिया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने केवल आधा घंटा 5-30 से 6-00 बजे तक का समय दिया है । आपने 5-30 आरम्भ किया था मैं चाहता हूं कि आप इसे 6-00 बजे तक समाप्त कर लें ।

प्रो० समर गुह : पश्चिम बंगाल ऐसे संकट से गुजर रहा है, जो न कभी सुने हैं और न कभी सोचे हैं और इससे पश्चिम बंगाल का सम्पूर्ण जीवन ठप्प हो जाएगा । आप बड़े कृपालु है और मैं आशा करता हूं कि आप इस बार भी दया करेंगे और हमें समायोजित करने का प्रयत्न करेंगे । पिछले दो वर्षों से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है । यदि आप एक दिन कलकत्ता में रहें तो आपको पता चल जाएगा कि वहां क्या हो रहा है । स्थापित क्षमता लगभग 1100 मेगावाट है और इसकी वास्तविक मांग लगभग 916 मेगावाट है । अब आप देखिए आपने क्या आंकड़े दिए हैं । केवल 120 मेगावाट की कमी है । पश्चिम बंगाल सरकार भी यह मान रही है कि प्रतिदिन कमी होती जा रही है । प्रेस नोट में उल्लिखित है कि प्रतिदित 160-170 मेगाबाट की कमी होती है । और गैर-सरकारी तौर पर बह कमी 200-250 मेगावाट प्रतिदिन होती है । इसीलिए मैंने पूछा है कि आपने ये आंकड़े कैसे दिए हैं । मैं नहीं जानता कि ये आंकड़े किसके हैं । और क्या ये ठीक भी है या नहीं । आपने कहा है कि स्थिति में कैसे सुधार किया जाए और मौजूदा विद्युत केन्द्रों का वेहतर प्रचालन और अनुरक्षण किया जाए । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से इनका बेहतर प्रचालन और बेहतर अनुरक्षण क्यों नहीं किया गया । क्या यह सच नहीं है कि जब आपके केन्द्रीय दल ने कलकत्ता का दौरा किया तब विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ने भी उनको सहयोग नहीं दिया । उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कर देना चाहिए था कि वास्तव में विभिन्न यूनिटों के प्रचालन और प्रबन्ध में समन्वय की आवश्यकता है । यदि विद्युत की कमी होती है तो इसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए । ताकि

लोग इसे समझ सकें और तदानुसार अपना कार्यक्रम औद्योगिक तथा अन्य कार्यक्रम आरम्भ कर सकें। ऐसा नहीं किया गया। परन्तु आपने एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं किया है। क्या यह सत्य नहीं कि ट्रेड परस्पर प्रतिद्वन्दिता है ? क्या यह भी सच नहीं है कि कुछ मजदूरों ने कुछ इंजीनियरों पर हमला किया था ? क्या यह भी सच नहीं है कि बहुत सी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएँ हुई हैं ? क्या यह भी सच नहीं है कि लीकेज होती रही है ? क्या यह भी सच नहीं है कि यूनियनों की परस्पर प्रतिद्वन्दिता की वजह से मजदूर काम नहीं कर रहे हैं ? क्या यह भी सच नहीं है कि एक निदेशक ने स्वयं श्री ज्योतिर्मय बसु को यह सलाह दी थी और 7 ट्रेड यूनियनों के नेताओं के नाम लिये थे और उनसे राजनीतिक रूप से निपटने के लिए कहा है और उन पर नियन्त्रण रखने के लिए कहा है। और उसने ऐसा किया तो बहुत सी समस्याएँ हल हो जाएगी। आपने उनका उल्लेख क्यों नहीं किया है। वहां की एक बड़ी समस्या ट्रेड यूनियनों की परस्पर प्रतिद्वन्द्विता है और परिणामस्वरूप वहां पर तोड़फोड़ तथा अन्य बातें हो रही हैं। आपने पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि वहां अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। इन यूनिटों में अनुशासन लाने के लिए अपने पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने पश्चिम बंगाल सरकार को सभी यूनिटों को अनिवार्य सेवा घोषित करने की सलाह दी है ताकि वहां इस प्रकार की तोड़-फोड़ और कुप्रबन्ध न हो। बायलरस का वर्षों तक रखरखाव नहीं किया गया और नहीं फालतु पुर्जों का रखरखाव किया गया है। इनका कारण प्रबन्धकों का कुप्रबन्ध है। अतः मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह देंगे कि इन विद्युत संयन्त्रों को अनिवार्य सेवा घोषित कर दिया जाए और इन सब बातों से बचने के लिए कठोर कार्यवाई की जाए।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने 5 गैस टरबाईन खरीदने के लिए धनराशि दी है। यह कहा जाता है श्री मुर्शीद जी मैसर्स जोन ब्राउन एण्ड कम्पनी से खरीदने के लिए लन्दन गए हैं। क्या आपने पता लगाया कि क्या न्यूनतम निविदा जान ब्राउन कम्पनी की थी ? आपने इनकी खरीद के लिए 20 करोड़ रुपये दिए थे। श्री मुर्शीद वापस आते हुए मध्य-पूर्व के देशों की यात्रा पर चले गए। आपने धन दिया है। वे वहां क्यों गए ? क्या गैस टरबाईन की खरीद के संबंध में कुछ पता लगाये गए थे ? उन्होंने इन देशों की यात्रा क्यों की ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्र की सहायता प्राप्त करने की सलाह देंगे कि कार्य निष्पादन पर और यूनिटों की स्थापना पर निगरानी रखने के लिए एक दल भेजेंगे और यह दल यह भी सुनिश्चित करेगा कि गेस टरबाईन तथा अन्य नई परियोजनाओं की स्थापना शीघ्र की जाए और प्रबन्ध, रखरखाव, समन्वय, श्रमिक समस्या से संबंधित जिन बाधाओं का आपने उल्लेख किया है, उन्हें हल किया जाए। भले ही आप इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय दल की सहायता लेने के लिए कहें, या भले ही आप केन्द्रीय दल भेजने के लिए तैयार रहें।

अन्त में यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विद्युत पूर्ति ग्रिड के बारे में बहुत प्रश्न उठाए

जा रहे हैं । क्या आप उन राज्यों से, जिनके पास फालतू बिजली है, बिजली लेकर पश्चिम बंगाल को देंगे ताकि उसे वर्तमान संकट से उबारा जा सके । मैं अन्तिम एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से कलकत्ते में स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है, यह संकट इतना भयंकर है कि जब तक आप इसको गम्भीरता से नहीं लेंगे पश्चिम बंगाल का सम्पूर्ण जीवन उद्योग, वाणिज्य, इंजीनीयरिंग, उत्पादन, शिक्षा, कृषि तथा जीवन का प्रत्येक पहलू इस विद्युत संकट के कारण लड़खड़ा जाएगा ।

श्री पी० राम चन्द्रन : माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड की त्रुटियों को ठीक से पहचाना है । इस समय पश्चिम बंगाल की स्थापित क्षमता 1349 मेगावाट है । पूरी समस्या यह है । पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई परन्तु उन्हें पूरा नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए स्वीकृत यूनिटों की क्षमता 1400 मेगावाट है और अगले चार वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता दुगनी हो जाएगी । दुर्भाग्यवश जिन विद्युत केन्द्रों को बहुत पहले स्वीकृत दी गई थी, उनकी प्रगति अच्छी नहीं रही है और वे समय पर प्रारम्भ नहीं किए गए हैं । मिसाल के तौर पर दुर्गापुर, बन्डेल और संथालडीह जैसे क्षेत्रों में काफी यूनिटों को स्वीकृत दी गई थी परन्तु वे अभी पूरे नहीं हुए हैं । वे वर्ष 1977-78 में समाप्त हो जाने चाहिए थे । यदि इन योजनाओं को पूरा कर लिया जाता तो कलकत्त में विद्युत की कमी की समस्या न उठ खड़ी होती, यह तो केवल इसी कारण है । उदाहरणार्थ दुर्गापुर में स्थापित क्षमता 285 मेगावाट है परन्तु उत्पादन केवल 40-50 मेगावाट का होता है ।

प्रो० समर गुह : अब तो इतना भी नहीं हो रहा है ।

श्री पी० राम चन्द्रन : आपने स्वयं इसका विश्लेषण किया है । समस्या यह है कि वहाँ कोई रखरखाव नहीं है । अन्य राज्यों के विपरीत पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन करने वाली विभिन्न एजेंसिया हैं । डी० पी० एल० भी एक ऐसी एजेन्सी है । पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड दूसरी एजेन्सी है । ये दो एजेन्सियां विद्युत का उत्पादन कर रही हैं । इनमें समन्वय और उचित रखरखाव की कमी है । इसी कारण पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड में ये सारी समस्यायें विद्यमान हैं । इन सब बातों के बावजूद हम कुछ विद्युत दामोदर घाटी निगम से सप्लाई कर रहे हैं । हम उड़ीसा से कुछ विद्युत लेकर बंगाल को सप्लाई कर देते परन्तु उड़ीसा में भी स्थिति कोई विशेष ठीक नहीं है । कभी उन्होंने 50-60 मेगावाट बिजली की सप्लाई की थी परन्तु अब वे केवल 10-15 मेगावाट सप्लाई कर पाते हैं । वास्तव में मैं कलकत्ता में ही था और दो-तीन दिन पहले मैंने उनसे चर्चा की थी ।

प्रो० समर गुह : कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश सप्लाई कर सकता है ।

श्री पी० राम चन्द्रन : उत्तर प्रदेश में विद्युत सप्लाई की स्थिति कोई विशेष संतोषजनक नहीं है । यदि वे सप्लाई कर सकते हैं तो हम उसे बिहार ले जा सकते हैं और फिर बिहार से हम इसे बंगाल को दे सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : बिहार में भी कमी है ।

श्री पी० राम चन्द्रन : मैंने कहा है कि यह बिहार से होकर जाएगी । परन्तु समस्या यह है

कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य सरकार को लगातार यह परामर्श देने का प्रयत्न कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में विद्युत की स्थिति में सुधार करने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रो॰ समर गुह : क्या वे आपसे सलाह ले रहे हैं ?

श्री पी॰ राम चन्द्रन : वर्तमान संविधान के अधीन हम सलाह दे सकते हैं। आप यह आशा नहीं कर सकते कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और उत्पादन का कार्य अपने हाथ में ले ले। यह सम्भव नहीं है। हम सभी सम्भव तरीकों से उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें। हम तो केवल परामर्श दे सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन की स्थिति के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं। परन्तु वर्तमान वर्ष में दिसम्बर के अन्त तक कुछ और यूनिटों के प्रारम्भ होने से पश्चिम बंगाल में तथा कलकत्ता में स्थिति में सुधार हो जाएगा।

श्री सौगत राय : उस समय तक लोग मर जायेंगे।

श्री पी॰ रामचन्द्रन : निश्चित रहिए, विद्युत की कमी के कारण किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने हमेशा राज्य सरकारों की सहायता की है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन में बहुत शोर हो रहा है।

श्री पी॰ राम चन्द्रन : हमने फालतू पुर्जों तक का आयात किया है। अतः इस प्रकार हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में यही काफी है।

जहां तक गैस टरबाईन का संबंध है, यह केवल अस्थायी उपाय है। यह उपाय स्थायी नहीं हो सकता है क्योंकि टरबाईन द्वारा उत्पादन काफी महंगा पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार ने गैस टरबाईन को स्वीकृति दे दी है और उनके लिए व्यापक रूप से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह व्यापक रूप से निविदाएं आमंत्रित करे और उनका आयात करे और उन्होंने क्या किया है···

(व्यवधान)

प्रो॰ समर गुह : क्या आपने जांच की है कि निविदा सबसे कम ठेकेदार को मिला है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ज्योतिर्मय बसु जी, आपको बाद में बोलना है। आप क्यों सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ? रामचन्द्रन जी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी॰ राम चन्द्रन: अतिरिक्त क्षमता की, स्थापना भी इसी वर्ष के दौरान कर दी जाएगी और मुझे आशा है कि पश्चिम बंगाल की विद्युत स्थिति में ही शीघ्र ही सुधार हो जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ज्योतिर्मय बसु, समर गुहा जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। नहीं दी है।

प्रो॰ समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, यह नोट कर लें कि मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

राम चन्द्रन जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सौगत राय : यह तो बहुत ही अनुचित हैं। हम सुनना चाहते हैं।

सभापति महोदय : वे ज्योतिर्मय बसु के पश्चात बोलेंगे। मैं जिसे बोलने के लिए कहूंगा वही बोलेगा और कोई नहीं। (व्यवधान)

प्रो० समर गुह : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे जिनका मंत्री महोदय उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे थे।

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु।

(व्यवधान)

ज्योतिर्मय बसु, नहीं, नहीं।

श्री गुहा, आपको नहीं मनाया जा सकता। गुहा जी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? आप क्यों नहीं समझते कि मुझे सदन की भावना का भी ख्याल रखना पड़ता है। कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

सौगत राय जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे अब सदन की भावना का ख्याल रखना है। क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे? यह अजीब स्थिति है। आप सभापीठ की अवहेलना कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मुझे सुनने का कष्ट करेंगे।

अब सदन की क्या इच्छा है, अब छः बजे हैं। क्या आप इसे खत्म करने तक सदन का समय बढ़ाने के इच्छुक हैं?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : श्री राम चन्द्रन जी, अब आप उत्तर देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बोल चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु। मैंने अपना निर्णय दे दिया है, मैं इसमें परिवर्तन नहीं करूंगा। (व्यवधान) मैं इस प्रकार कथोपकथन नहीं चलने दूंगा। गुहा जी बोले और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया। अब ज्योतिर्मय बसु बोलेंगे और मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं श्री सौगत राय या अन्य किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे ध्यान,कर्षण प्रस्ताव की भाषा कुछ और थी, मैं चाहता हूं कि इसे रिकार्ड कर दीजिए, मेरे नोटिस में लिखा था :

"सिक्किम से विद्युत की कमी के कारण संकट ग्रस्त पश्चिम बंगाल को तत्काल विद्युत की सप्लाई की सम्भावना।"

कोई बात नहीं, पहले सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। और इसे सूची में शामिल किया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

वास्तव में वर्तमान स्थिति 30 वर्षों के कुप्रबन्ध, गलत ढंग से काम करने, पर्याप्त धन के बदले में घटिया संयंत्र और मशीनरी लगाने का परिणाम है। अब कठिनाई का सामना वामपंथी

सरकार को करना पड़ रहा है। और लोगों को अब तक के कांग्रेस शासन के कुकृत्यों का दंड भुगतना पड़ेगा। इससे पहले कि लोग उन्हें पूरी तरह निकाल बाहर करें, उन्होंने 12,000 समाज विरोधी तत्वों को राज्य विद्युत बोर्ड में भर लिया। और ये तत्व विद्युत उत्पादन के कार्यों और प्रयत्नों को नष्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार प्रत्येक चीज के लिए केन्द्र पर आश्रित है। जैसे कोयले के लिए, मशीनरी के आयात के लिए, ईंधन के लिए, तेल के लिए, वित्तीय तथा अन्य मामलों के लिए। इस सब के बावजूद राज्य सरकार को लोगों के रोष का शिकार होना पड़ता है।

यदि मैं आंकड़े दूं तो यह खूब रुचिकर होगा।

पश्चिम बंगाल में 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार विद्युत की स्थापित क्षमता। उपलब्धता और अधिकतम मांग :

	मेगावाट
स्थापित क्षमता	1,740
उपलब्धता	1,047
अधिकतम मांग	1,132

योजनाएं कितनी दोषपूर्ण हैं। यह उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 1976-77 में अधिकतम मांग और कुल उपलब्धता में कितना अन्तर है। यह कमी अन्य बातों के साथ-साथ भूतकाल में बनाई गई अपूर्ण योजनाओं का परिणाम है। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थापित क्षमता तथा प्रति व्यक्ति खपत में किस प्रकार कमी आ रही है। 1965-66 में गुजरात की प्रति व्यक्ति खपत 83 किलोवाट थी। 1975-76 में यह बढ़कर 180 हो गई। महाराष्ट्र के लिए यह 1965-66 में 106 किलोवाट से बढ़कर 1975-76 में 178 हो गई। कर्नाटक के लिए यह 1965-66 में 55 से बढ़कर 1975-76 में 142 हो गई। तमिलनाडु के लिए 1965-66 में 89 से बढ़कर 1975-76 में 142 हो गई। परन्तु पश्चिम बंगाल के लिए यह 1965-66 में 114 से घटकर 1975-76 में 110 हो गई। अब गुजरात की स्थापित क्षमता को लीजिए। यह 1965-66 में 6[illegible]0.6 मेगावाट से बढ़कर 1975-76 में 1361.4 मेगावाट हो गई। ऊर्जा दुगुनी हो गई। अन्य राज्यों में यह जबकि लगभग दुगुनी हो गई है, पश्चिम बंगाल के मामले में यह स्थिर रही है या नाममात्र की वृद्धि हुई है। प्रमुख विद्युत केन्द्रों के टरबाईन जेनेरेटरों के रख-रखाव और मरम्मत के संबंध में बिलकुल उपेक्षा की गई। पश्चिम बंगाल के प्रमुख विद्युत केन्द्रों के टरबाईन जेनेरेटरों की मरम्मत की नियत तिथि और वास्तविक तिथि :

विद्युत केन्द्र	यूनिट	निर्धारित तारीख	वास्तव में किया गया
1. बन्डेल	I	मई, 1975	जनवरी, 1976 तक नहीं की गई।
	II	जनवरी, 74	जनवरी, 1976 तक नहीं की गई।
	III	मई, 1972	23 अक्तूबर 1974 से 5 अप्रैल, 1975.
	IV	जनवरी, 75	जनवरी तक नहीं की गई।
2. सन्थालडीह	I	जनवरी, 75	सितम्बर, 75 तक नहीं की गई।
3. जलडक्खा	III	नवम्बर, 73	अगस्त, 75 तक नहीं की गई।

रखरखाव में हुई इन देरियों को स्थापित क्षमता से कम उपयोग करने का कारण समझे जाते हैं। जैसा कि स्थापित क्षमता की तुलना में उत्पादन के कम प्रतिशत से स्पष्ट होता है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन विद्युत केन्द्रों की वर्ष 1969-70 से 1974-75 के लिए ऐसी प्रतिशतता सूची I के अनुसार मैं पढ़ देता हूं।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापित क्षमता की तुलना में शुद्ध उत्पादन यह है :

1970-71	38.4
1971-72	38.0
1972-73	41.[illegible]
1973-74	38.4
1974-75	36.6

सभापति महोदया, योजना अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में हुई वृद्धि पर गौर करना बड़ा ही रुचिकर है।

सभापति महोदय : आप इन सब पर मत जाइये। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कोई प्रश्न उपस्थित नहीं करना चाहता। मैं सभापति के साथ सहयोग करना चाहता हूं। यदि आप अपने बायें बैठे सज्जन से प्रभावित होने लगे तो मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूं। मैं बिना शर्त के आत्मसमर्पण करता हूं।

सभापति महोदया, पहली योजना के दौरान स्थापित क्षमता में मेगावाट के शब्दों में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरी योजना में कोई वृद्धि नहीं हुई। तीसरी योजना में केवल 537 मेगावाट तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) में केवल 130, चौथी योजना में 130 और पांचवीं योजना के चौथे वर्ष में 45 मेगावाट।

अब स्थापित क्षमता प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई उसे लीजिए :

पहली योजगा	—	शून्य
दूसरी योजना	—	शून्य
तीसरी योजना	—	14.8
तीन वार्षिक योजनाओं में	—	3.85
चौथी योजना में	—	2.1
और पांचवीं योजना के	—	
चौथे वर्ष में	—	1.1

यह स्थिति रही है।

सभापति महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सरकार को अभी दो वर्ष हुए हैं और आप महसूस करेंगे कि 32 साल के कुकृत्यों को इतने थोड़े समय में समाप्त करना किसी सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

महोदया, मैं अब माननीय मन्त्री से उत्तर पाने और उनकी टिप्पणी जानने के लिए पूछता हूं।

राज्य सरकार ने कहा है कि :

"हमने वर्तमान योजना में कोलाघाट में 210 मेगावाट की क्षमता वाले तीन यूनिटों की स्थापना सहित अन्य कई नई परियोजनाओं को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उनका तर्क यह है कि मौजूदा योजना की समाप्ति तक सारे पूर्वी क्षेत्र में विद्युत आवश्यकता से अधिक हो जाने की सम्भावना है और पश्चिम बंगाल की कमी को अन्य राज्यों से विद्युत मंगाकर पूरी की जा सकती है।

हम केन्द्र सरकार के इस राज्य की या तमाम पूर्वी क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकताओं से संबंधित मूल्यांकन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और आग्रह करते हैं कि मौजूदा योजना में कालाघाट में स्थापित किए जाने वाले तीन अतिरिक्त यूनिटों को सम्मिलित कर दिया जाए। हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते है कि 1100 मेगावाट की क्षमता वाला प्रस्तावित सुपर थर्मल प्लान्ट फरक्का में शीघ्र स्थापित किया जाए और 1983 तक समाप्त कर दिया जाए।"

मैं उपर्युक्त के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया, टिप्पणी और आश्वासन चाहता हूं।

श्री पी० राम चन्द्रन् : माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन मुद्दों का सम्बन्ध पश्चिम बंगाल सरकार के भूतकाल के कार्य निष्पादन से है। मैं नहीं जानता कि क्या मुझे उन पर अब टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं।

जहां तक कोलाघाट विद्युत केन्द्र के विस्तार का सम्बन्ध है, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कालाघाट में तीन यूनिट लगाने की स्वीकृति हमने 1972-73 में ही दे दी थी और अब तक तो वे चालू हो जाने चाहिए थे। अब तक बे चालू नहीं हुए हैं। अतः योजनाओं को स्वीकृति मात्र देने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का समाधान तब होगा जबकि 1450 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन किया जाएगा ; जिसकी पहले ही स्वीकृति दी गई है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इन पूर्व स्वीकृत योजनाओं को आरम्भ करने के लिए अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

श्री सौगत राय : किसके द्वारा।

श्री पी० राम चन्द्रन् : पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उसका कारण यह है कि आप मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री पी० राम चन्द्रन् : जहां तक अतिरिक्त यूनिटों का संबंध है मैं माननीय सदस्य महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि यदि पश्चिम बंगाल में और अधिक यूनिटों को स्वीकृति देना आवश्यक है तो……

श्री ज्योतिर्मय बसु : राज्य सरकार की निन्दा मत कीजिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री पी० राम चन्द्रन् : मैं इसकी निन्दा नहीं कर रहा हूं। मैं तो यही कहता हूं कि यदि अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति की आवश्यकता है······ (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बीच-बीच में टिप्पणियां मत कीजिए।

श्री पी० राम चन्द्रन् : यदि आवश्यक हुआ तो सरकार इन अतिरिक्त परियोजनाओं की स्वीकृति में बाधा खड़ी नहीं करेगी। परन्तु आपके पास पर्याप्त स्रोत होने चाहिएं और जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् यदि आप अतिरिक्त क्षमता की मांग करते हैं तो केन्द्रीय सरकार निश्चय ही इस पर विचार करेगी और तदनुसार उस पर कार्रवाई करेगी। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फरक्का बांध का क्या हुआ ?

श्री पी० राम चन्द्रन् : इसको पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कहता हूं इस पर आगे कार्रवाई कीजिए।

श्री पी० रामचन्द्रन् : इस समय की स्थिति के अनुसार पहला यूनिट 1984-85 में प्रारम्भ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु और राज्य सरकार ने चल रही योजनाओं को शीघ्र पूरा कर लेती तो उस हालत में यह 1977 तक पूरा कर लिया गया होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री समर गुहा ने श्रमिक समस्या की ओर तथा यूनियनों की परस्पर प्रतिद्वन्द्विता की ओर इंगित किया है। समस्या के समाधान हेतु मैं मुख्य मन्त्री से निरन्तर सम्पर्क रखे हुए हूं। हमें आशा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में स्थिति में सुधार हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय दल भेजने में कोई कठिनाई नहीं। हम पहले ही भेज रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि प्रति माह वहां जाते हैं, राज्य सरकार के साथ चर्चा करते हैं तथा क्या करना चाहिए इस सम्बन्ध में सलाह देते हैं। मैं सी० ई० ए० के विशेषज्ञों के एक दल को पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता हेतु भेजने को तैयार हूं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यह सब तो किया जा सकता है। परन्तु मुद्दा तो यह है कि स्थापित क्षमता और स्वीकृत क्षमता पहले ही अधिक है। अत: यदि स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने के लिए तथा मौजूदा क्षमता के सम्पूर्ण उपयोग के लिए कदम शीघ्र उठाए जाते हैं तो राज्य में विद्युत की कमी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय : सभा शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1979 के 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6-15 मध्यान्ह पश्चात्।

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1979 / चैत्र 16, 1901 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सनलाइट प्रेस, फोहारा, दिल्ली-110006.